(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क 7] विधान सभा के सप्तम् सत्र का 41 वां दिवस [संख्या 29

शनिवार,

29 मार्च, 1975

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.1 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कृषि, आयुर्वेद, भेड़ व ऊन, खाद्य एवं नागरिक रसद, यातायात, पशुपालन, सामान्य प्रशासन, समाज कल्याण-विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ! श्री शंकरलाल !

राज्य में अनाज के अलाटमेंट का आधार

797. श्री शंकरलाल (पाली) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. राजस्थान के विभिन्न जिलों में अनाज का अलाटमेंट किस आधार पर कितना कितना प्रति माह सरकार द्वारा किया जाता है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

2. शहरों में अनाज का अलाटमेंट किस आधार पर किया जाता है व गांवों में अलाटमेंट किस आधार पर किया जाता है ?

3. क्या यह सही है कि गांवों में केवल मोटा अनाज ही वितरण किया जाता है और वह भी प्रति व्यक्ति एक किलो प्रति माह से अधिक नहीं दिया जाता है ?

4. क्या यह सही है कि गांवों में जो मोटा अनाज ज्वार व बाजरा वितरण किया जाता है वह बहुत ही खराब किस्म का है और उसमें ग्रामीणों के बीमार होने व स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ने की शिकायतें भी सरकार को प्राप्त हुई हैं ?

5. क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में और विशेष कर अभावग्रस्त क्षेत्रों में अनाज उपलब्ध कराने की समुचित व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

खाद्य मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) विभिन्न जिलों में अनाज का आवंटन जिला मुख्यालय व अन्य नगरपालिका क्षेत्रों में 3 किलो प्रति व्यक्ति तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्धि, आवश्यकता एवं गम्भीर अभावग्रस्त क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। जनवरी–फरवरी व मार्च 75 के आवंटन की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) प्रश्न के भाग (1) में उत्तर दिया जा चुका है।

Page No 2

(2)

(श्री शिवचरण माथुर)

(3) यह सही नहीं है कि गांवों में केवल मोटा अनाज ही वितरण किया जाता है। खाद्यान्न की मात्रा का निश्चय उपलब्धि के आधार पर जिलाधीश, जिला खाद्यान्न सलाहकार समिति की राय से करते हैं।

(4) ज्वार व बाजरा जो लेवी के द्वारा इकट्ठा होता है वहीं वितरित किया जाता है। ग्रामीणों के बीमार होने की कोई शिकायतें राज्य सरकार के पास नहीं आई हैं।

(5) उपलब्धि के आधार पर समुचित व्यवस्था किये जाने के लिये निरन्तर प्रयास किये जाते हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री शंकरलाल : आपने यह बताया कि शहर में तीन किलो दिया जाता है और गांवों में एक किलो और आवश्यकतानुसार दिया जाता है, यह किस आधार पर कर रखा है ?

श्री शिवचरण माथुर : एक किलो का मैंने कहां कहा। मैंने कहा, ग्रामीण इलाके में सब जगह हर वक्त आवश्यकता नहीं होती। कुछ समय ऐसा होता है जब ग्रामीण इलाके में खाद्यान्न की आवश्यकता होती है। वह भी सारे राजस्थान में नहीं होती है। इसलिए जहां जहां आवश्यकता होती है वहां प्राथमिकता के आधार पर उपलब्धि को देखते हुए खाद्यान्न आवंटित किया जाता है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : (व्यवधान : अश्रव्य) आपके पास है नहीं, इसलिए दे नहीं सके ?

श्री नत्था सिंह (नदबई) : भरतपुर शहर और कस्बे में तीन किलो के हिसाब से अनाज दिया जाता है, और ग्रामीण क्षेत्र में एक किलो के हिसाब से दिया जाता है, क्या यह सही है ?

श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : प्राथमिकता का क्या आधार है ? ग्रामीण क्षेत्र में जो खेती का काम नहीं करते हैं, उनको क्यों नहीं अनाज दिया जाता है ?

श्री शिवचरण माथुर : मैंने यही अर्ज किया, ग्रामीण इलाके में हर वक्त अनाज नहीं लेते हैं, जो पैदा करते हैं वह नहीं लेते हैं। जो पैदा नहीं करते हैं उनकी आवश्यकता को देखते हुए और जिला खाद्यान्न, सलाहकार समिति होती है, उसकी सिफारिश को देखते हुए अलाटमेंट करते हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जहां पैदा नहीं हुआ है, वहां क्या आवश्यकता नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) अध्यक्ष की ओर देखते हुए प्रश्न पूछिये।

श्री रावतराम (छापर) : आवश्यकता के अनुसार अनाज का वितरण करने की बात बतलायी। मैं यह जानना चाहता हूं, इस साल में राजस्थान में जिन जिलों में भयंकर अकाल है, जहां एक पाव अनाज भी पैदा नहीं हुआ है, आपने पिछले छः महीनों में उन जिलों को अनाज क्यों नहीं भेजा

(श्री रावतराम)

जब कि कस्बा, शहर, म्यूनीसिपल एरिया में तीन चार किलो अनाज दे रहे हैं ? ऐसे जिले हैं, जहां एक पाव भी अनाज पैदा नहीं हुआ है, वहां एक किलो भी नहीं भेजा है, तो क्या वहां खाद्यान्न सलाहकार समिति ने इसका फैसला नहीं किया था ?

श्री शिवचरण माथुर : माननीय प्रश्नकर्ता को प्रश्न के जवाब में, मैंने तालिका दी है, एक जिला भी ऐसा नहीं है जिसको अलाट न हुआ हो । दूसरे यह कहना कि किसी जिले को, खासतौर से जो अभावग्रस्त जिले हैं, खाद्यान्न का एलाटमेंट नहीं हुआ, मैं आपको निवेदन करूं, बीकानेर में जनवरी 1975 में 985 टन गेहूं और 1250 टन मोटा अनाज, फरवरी में 1385 टन गेहूं, मोटा अनाज 800 टन, मार्च में 2150 टन गेहूं और 500 टन मोटा अनाज दिया गया है ।

श्री रावत राम : चूरू का बतायें ।

श्री शिवचरण माथुर : चूरू में जनवरी 1975 में 670 टन गेहूं और 750 टन मोटा अनाज, फरवरी में 1235 टन गेहूं और 600 टन मोटा अनाज, मार्च में 1900 टन गेहूं और 700 टन मोटा अनाज अलाट किया गया है । इसलिए यह कहना कि अभावग्रस्त इलाकों को अलाटमेंट नहीं हुआ है, सही नहीं है ।

श्री रावतराम : यह ठीक कह रहे हैं लेकिन जो अनाज अलाटमेंट किया, वह जिला हैड क्वार्टर पर, कस्बों में गया, गांवों में नहीं गया ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : जब कि बाड़मेर जिले में 865 गांवों में से 864 गांवों में अकाल है और वहां कतई अनाज पैदा नहीं हुआ है, सोलह आना की सोलह आना फसल झुलस गई है, ऐसे वक्त में ग्रामों और नगरीय क्षेत्र में क्यों भिन्नता रखी जाती है, ग्रामीण क्षेत्र में एक किलो तक क्यों दिया जाता है ?

श्री दीपंकर (लाडनूं) : मेरा भी इससे जुड़ता हुआ प्रश्न है, उसका भी साथ ही जवाब दे दें । मंत्री जी ने बताया कि समुचित व्यवस्था की जा रही है । समुचित व्यवस्था का क्या मतलब है ? ग्रामीण लोगों को अनाज दिया, यह आपका कथन है लेकिन जब लेने के लिए जाते हैं सब डिवीजनल हैड क्वार्टर पर, एफ. सी. आई. के गोदाम से तो उन लोगों को उनके द्वारा कंकड़ मिला हुआ अन्न दिया जाता है, दूसरे समय पर कहते हैं इतनी बोरी बेचो, इतना पैसा दो, तब अनाज दें नहीं तो नहीं देंगे । तीन चार दिन तक वह लोग परेशान होते हैं । ऐसी व्यवस्था हो रही है, इसको आप समुचित व्यवस्था की संज्ञा देंगे ? अगर यह समुचित व्यवस्था नहीं है तो इसमें सुधार लाने के बारे में क्या विचार रखते हैं ?

श्री रामकिशन (भरतपुर) : आपने अभी बतलाया, जहां जहां अभावग्रस्त गांव घोषित किये हैं, वहां वहां पर अनाज दिया है । मैं जानकारी चाहता हूं, भरतपुर में अभावग्रस्त गांव घोषित हुए हैं, लेकिन उन गांवों के लिए गल्ला नहीं दिया गया है । यह सवाल है ।

Page No 4

(4)

(श्री रामकिशन)

राज्य सरकार ने इन्स्ट्रक्शन दिये हैं कि जिस जिले के लिए जितना आवंटन है, उसमें अभावग्रस्त गांवों को ध्यान में रखा जायगा। यह नम्बर चार में कहा है, लेकिन वहां से बीमारी वगैरह की सूचना नहीं मिली है। क्या आपको जानकारी मिली है कि बांसवाड़ा वगैरह में आठ सौ, हजार आदमी मर चुके हैं, क्या उनके पास आवंटित ज्वार थी या उनके घर में रखी ज्वार थी? यह आप साफ करें।

श्री केशरीमल (ब्यावर) : अजमेर जिले में ब्यावर उप-खण्ड में पूरे इलाके में जबर्दस्त अकाल है, और सारे के सारे गांव अभावग्रस्त घोषित किये हैं लेकिन उन गांवों में पूरे राशन की व्यवस्था करने की बात को छोड़ कर थोड़ा अनाज भी नहीं पहुंचाया जा रहा है। मैंने बार बार इस बारे में कहा है। क्या वहां अनाज पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे?

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, डूंगरपुर जिले में कई महीनों से प्रति व्यक्ति एक किलो मोटा अनाज मिलता है। मैंने राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान यह आरोप लगाया था, डूंगरपुर जिले में भूख से लोग मरे हैं। इस सम्बन्ध में क्या मन्शा है सरकार की? क्या ऐसा निर्णय लिया गया है कि अकालग्रस्त क्षेत्रों में उदारतापूर्वक अनाज का वितरण किया जाय? क्या इस बारे में मंत्री महोदय कुछ जानकारी देने की स्थिति में हैं? आज जो एक किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह अनाज देने का मखौल है, उसमें अभिवृद्धि सरकार कर सकेगी?

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया, खाद्यान्न की मात्रा निरन्तर बढ़ाई जा रही है, और पिछले माह मार्च में 50 हजार टन कुल मिला कर खाद्यान्न अलग अलग हिस्सों में राजस्थान में बांटा गया है। इस महीने पचास हजार टन हमको मिला है। अलग अलग जिलों के माननीय सदस्यों ने कहा मैं समझता हूं, दो तीन महीने के आंकड़े देखे जायं तो अपेक्षाकृत वृद्धि हुई है। डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह की बात कही। मैं निवेदन करूं, डूंगरपुर अकेले में 1930 टन प्रति महीने आवंटित किया जा रहा है। डूंगरपुर की आबादी कुल मिलाकर 6 लाख है जिले की और तीन किलो के करीब-करीब इस समय आवंटन हो रहा है। इसलिये एक किलो मिलने का तो सवाल ही नहीं है। एक गांव की बात मैं निवेदन कर दूं, पिछली बार मैं गया था, वहां पर भी तीन किलो से कम तो मिला ही नहीं। इसलिए एक किलो वाली जो बात कही, मैं समझता हूं आपको पूरी जानकारी नहीं है। फिर भी मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम और भी प्रयत्न कर रहे हैं। पचास हजार टन अनाज मिला है, उसको ठीक ढंग से बांट रहे हैं, बाड़मेर में 2800 टन अनाज हम बांट रहे हैं...

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जालोर में ?

Page No 5

(8)

श्री शिवचरण माथुर : जालोर में 1930 टन गेहूं और 450 टन मोटा अनाज हम दे रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसमें तीन किलो तो नहीं आयेगा।

श्री शिवचरण माथुर : आ जायेगा।

केवल चूरू जिला ही एक ऐसा जिला है जहा पर थोड़ी दिक्कत आ रही है। उसको भी हम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी दूसरे जिलों में कोई शिकायत नही आई। चूरू जिले में होलसेलर के अपाइन्टमेंट की दिक्कत थी, उसको भी सार्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी सभी जिलों में कैस बेसिस पर प्रायरिटी बेसिस पर और स्पेशल रेक्स भेज कर मूवमेंट करा रहे हैं और हमारे ओफिसर्स निश्चित रूप से सतर्क रहते हैं।

श्री गुमान मल लोढ़ा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं जानना चाहूंगा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि भारत सरकार से आवंटन गत वर्ष और उसके पहले वर्ष कितना हुआ था। और उसके कम्पेरीजन में इस वर्ष कितना कम हुआ।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिला खाद्य सलाहकार समितियां निर्णय करती हैं कि किस प्रकार से अनाज का आवंटन किया जाये। लेकिन आपके खाद्य कमिश्नर के यहां से जिला खाद्य सलाहकार समितियों को टेलीग्राम्स भेजी जाती हैं कि अमुक तहसील में ज्यादा अनाज दिया जाये, शेरगढ़ और फलोदी तहसील को ज्यादा अनाज दिया जाये। तो यह इन्टरफियरेन्स आप जिला खाद्य समितियों के अंदर क्यों करते हैं ? इसलिये कि कोई मंत्री उस तहसील से आया है, उसने कह दिया ?

एक बात और जानना चाहूंगा। आप जो अलाटमेंट कर रहे हैं वह पुरानी पापुलेशन के आधार पर कर रहे हैं और राशन कार्डस के आधार पर नहीं कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी एनामली है। आप जो कहते हैं कि तीन किलो प्रति व्यक्ति वितरण कर रहे हैं, वह पुरानी पापुलेशन के आधार पर कह रहे होंगे। राशन कार्ड्स के आधार पर तो डेढ़ या दो किलो से अधिक नहीं मिलता। आपको, जितने राशन कार्डस हैं, उस हिसाब से देना चाहिये। उस हिसाब से क्यों नहीं देते ? अगर राशन कार्ड्स में आप गड़बड़ मानते हैं तो आप चैक करवाइये, क्योंकि राशन कार्ड्स बनाना भी आपका ही काम है।

सितम्बर, 1974 में जोधपुर के अन्दर कुल 800 ग्राम अलाटमेंट करने का निर्णय किया गया था जिसके कारण वहां पर आन्दोलन भी हुआ। और आज भी गांवों के अन्दर एक या डेढ़ किलो से ज्यादा नहीं मिलता।

श्री शिवचरण माथुर : जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि पिछले वर्ष इस माह में कितना अलाटमेंट हुआ। इसकी जानकारी तो इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन करीब करीब जो गुजरे साल मिलता था वह ही इस साल भी मिल रहा है, और जहां जहां हमें दिक्कत होती है तो भारत सरकार अलाटमेंट बढ़ा भी रही है।

Page No 6

(6)

(श्री शिवचरण माथुर)

दूसरी बात आपने कही कि शेरगढ़ और फलौदी में ज्यादा अनाज वितरण करने के लिए यहां से टेलीग्राम्स दी गई। मैं आपको बताऊं, कि राजस्थान का कुछ इलाका ऐसा है, जैसलमेर जैसा, जहां पर कि लोकल अनाज पैदा होने की कोई स्थिति ही नहीं है और वहां के लोग टोटली राशन के अनाज पर डिपेन्डेन्ट हैं, और वहां पर बाहर से अनाज आये ऐसी मार्केटिंग की व्यवस्था भी वहां पर नहीं है, ऐसे चैनल्स भी वहां पर नहीं हैं। ऐसे जैसलमेर और कान्टीन्युग्रस इलाके, जैसे शेरगढ़ और फलौदी का इलाका है, तो वहां पर स्पेशल अलाटमेंट अगर दिया जाता है तो यह कोई गलत बात नहीं है।

तीसरी बात आपने कही कि राशन कार्ड्स 1971 की पापुलेशन के आधार पर बने हुए हैं और उसके आधार पर अनाज दिया जाता है। इसमें मैं निवेदन करूं कि राशन कार्ड्स का कोई आधार नहीं है। आधार तो अलाटमेंट का होता है। अलग अलग जिलों का जब अलाटमेंट करते हैं, उसके बाद खाद्य सलाहकार समितियां अपनी तरफ से अलाटमेंट करती हैं। यह मूल आधार है। और जैसा मैंने कई बार निवेदन किया है, अगर अनाज कम होता है तो समाज के जो गरीब और वल्नेरबिल सेक्शन्स हैं, उनको ज्यादा अनाज देना चाहिये। हर आदमी को बराबर दिया जाये, ऐसी अगर आप बात करेंगे तो वाजिब नहीं होगी।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक जानकारी चाहूंगा। यहां पर डूंगरपुर और भरतपुर से आनेवाले माननीय सदस्यों ने एक बात कही कि भूख के कारण कई सैकड़ों लोग मर गये। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इसमें क्या तथ्य है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री शिवचरण माथुर : इसी सदन में इसका कई बार उत्तर दिया गया है, और माननीय अकाल राहत मंत्री ने, जब इस सम्बन्ध में चर्चा हुई थी, प्रमाणों सहित कहा था कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में अथवा और किसी जगह पर कोई भी आदमी भूख से नहीं मरा है और यह जो बात कही जाती है वह निराधार है। डूंगरपुर के लिए कहा गया था, वहां पर हमने जानकारी की·······

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय मंत्री महोदय इसको निराधार बता रहे हैं और हम ऐसर्ट कर रहे हैं कि यह सही है, तो इस बात को तय करने के लिए आप क्यों नहीं एक एम. एल. एज. की कमेटी नियुक्त करते हैं जो इस बात की जांच कर ले। आप इन्कार कर रहे हैं लेकिन आपके अधिकारियों ने कनफैस किया है कि भूख से मौतें हुई हैं। आप जांच करवाने को तैयार नहीं हैं और केवल यही कह देते हैं कि निराधार है, यह गलत है।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री गुमानमल लोढ़ा : हम चैलेन्ज करते हैं आपकी बात को।

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के विधायकों तक अनुभव करते हैं

Page No 7

(7)

(श्री लक्ष्मणसिंह)

कि भूख से मौतें हुई हैं। सरकार का यह कहना कि भूख से मौत नहीं हुई है, यह गलत है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जिस आदमी को लगातार खाना नहीं मिलेगा, उसमें वाइटलिटी नहीं रहेगी, फीबिल होता जायेगा, और फिर किसी न किसी बहाने वह मरेगा। तो भूखमरी तो है ही, और निश्चितरूप से है, यह मंत्री महोदय भी जानते हैं।

श्री शिवचरण माथुर : मैं इसका उत्तर दे रहा हूं.......

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप जांच ही करा लीजिये न ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मैं जरा सा इन्टरप्शन करूंगा। क्या राज्य सरकार यह बता सकती है कि भूख से मृत्यु कैसे होती है ? हमारे सामने समस्या यह है कि हम कहते हैं कि भूख से मृत्यु हुई है और आप कहते हैं कि भूख से नहीं हुई तो सरकार यह बताए कि कौन सी मृत्यु भूख से मृत्यु कहलायेगी ? जब सन् 1942 में लाखों लोग बंगाल में मर गये थे, तो उनके मरने और हमारे यहां जो मृत्यु हो रही है, उन दोनों में क्या फर्क है ?

श्री शिवचरण माथुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, भूख से मृत्यु तब मानी जाना चाहिये जब या तो आदमी के पास अनाज उपलब्ध न हो और या तो काम न हो। डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा उपर्क: पूरी जानकारी की गई....

(शोरगुल)

अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों के बारे में कहा गया, उसके बारे में जानकारी की गई उन्होंने उस सप्ताह का राशन राशनकार्ड पर लिया है। तो अनाज की कमी के कारण उनकी मृत्यु हुई हो, ऐसी बात नहीं है। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती नगेन्द्रबाला।

कोटा बनियानी मार्ग पर चलने वाली बस

798. **श्रीमती नगेन्द्र बाला** (दीगोद): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या कोटा शहर से बनियानी तक प्राइवेट बस या बनियानी पंचायत हैड क्वार्टर पर होती हुई आगे जाने वाली प्राइवेट बस का किसी को परमिट दिया गया है ? यदि हां, तो किसको यह परमिट प्राप्त है ?

2. क्या उक्त बस मालिक उक्त मार्ग पर अपनी बस चलाते हैं या नहीं ? यदि हां, तो बस कोटा से कितने बजे रवाना होती है और बनियानी कब पहुंचती है ?

3. यदि नहीं, तो क्यों ? तथा इसके लिये जिला अधिकारियों ने अन्य क्या व्यवस्था की है ?

यातायात मंत्री (श्री मोहन लाल छंगाणी): 1. कोटा खानपुर हरीगढ़ वाया कंथून के मोटर मालिकों को प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, कोटा के प्रस्ताव द्वारा पांच रिटर्न ट्रिप्स में से एक ट्रिप वाया बनियानी होकर रोटेशन में चलने के आदेश दिये गये हैं। अनुज्ञाधारियों के नाम निम्नानुसार है :—

(श्री मोहनलाल छगांणी)

1. मै. आवतराम पुर्सवाणी एन्ड सन्स	30-7-75
2. श्री विशम्भर दास	7-8-75
3. श्री गौरी शंकर	3-9-75
4 श्री जैन ट्रान्सपोर्ट	30-8-75
5. मै. कृष्ण ट्रान्सपोर्ट	1-4-75

2. जी नहीं।

3. नहीं चलाने का कारण बरसात से रास्ता खराब होना तथा रवी की फसल में नहरों से पानी फैलने से रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। अत: मार्ग पर पानी सूखने के पश्चात् वाहन चलाई जा सकेगी जिसके लिये आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जिस जिसके नाम बतायें हैं उसमें से किसी भी बस ओपरेटर की बस बनियानी तक नहीं जाती है। इसके लिये पहले भी मैंने सन् 73 के बजट सत्र में एक प्रश्न इस सदन में उठाया था उस समय भी यातायात मन्त्रीजी ने यह बताया था कि हम आदेश जारी कर रहे हैं कि बस बनियानी तक जाए। लेकिन अभी तक बनियानी तक बस जाने की कोई व्यवस्था नहीं हो पायी है इसलिए मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि जिन जिन लोगों को अभी बनियानी तक जाने का परमिट आपने दिया हैं उनको केन्सिल करके दूसरे लोगों को परमिट देकर वहां पर बस चलाने की व्यवस्था कराने की कृपा करें।

श्री मोहनलाल छगांणी : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बारे में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से बात की तो उसने मुझे बताया कि वहां पर रास्ता खराब होने की वजह से बसों के जाने में दिक्कत आती है और रास्ते में बीच बीच में कई जगहों पर पानी भरा रहता है इसलिए बरसात के दिनों में वहां पर बस जाती नहीं है। अगर वहां पर अब कोई बस नहीं जाती है तो एक महीने के अन्दर दूसरी व्यवस्था की जायेगी अगर माननीय सदस्या कोई बस ओपरेटर का नाम बतायें तो मैं उसके नाम का परमिट दिलवादूं।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : अध्यक्ष महोदय, नाम बताने का प्रश्न नहीं है अगर मेरा स्कूटर वहां जा सकता है तो क्या दूसरी बस वहां पर नहीं जा सकती है क्या इतना तो रास्ता खराब नहीं है।

श्री मोठालाल (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय पहले जहां जहां भी इन्टीरियर में प्राईवेट बसेज जाती थी वहां पर रोडवेज ने परमिट ले लिये थे पर अब स्थिति यह है कि वहां पर न तो रोडवेज की बसेज ही जाती है और न ही परमिट नहीं होने की वजह से प्राईवेट बसेज ही जाती है। थोड़ा रास्ता खराब होने पर रोडवेज की बसेज वहां पर जाना बन्द हो जाती है। तो इसके लिए मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि क्या अब वापिस वहां पर जहां की पहले प्राईवेट बसेज जाती थी और बीच में रोडवेज की बसेज चलने के कारण वह बन्द हो गयी है इसलिए क्या राज्य सरकार वापिस दूसरी प्राईवेट बसेज को वहां पर बसे चलाने के परमिट देगी उदाहरणतया जैसे की पहले चाकसू से कोटखावदा प्राईवेट बस जाती थी उसके बाद में वहां पर रोडवेज को परमिट मिलने के कारण रोडवेज की बसेज चलने लग गयी लेकिन वहां पर थोड़ा रास्ता खराब होने की वजह से रोडवेज चलना उधर बन्द

(श्री मीठालाल)

हो गयी लोगों को वहां पर परेशानी हो रही है तो क्या ऐसी स्थिति में राज्य सरकार प्राईवेट बसेज को उधर चलायेगी या रोडवेज की बसेज को वहां जाने के लिये कोई व्यवस्था करेगी। इसके लिए मन्त्री महोदय मुझे जबाव दे दें।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : अध्यक्ष महोदय यह प्रश्न दूसरा है मेरा प्रश्न तो यह है कि कोटा से बनियानी तक जो प्राईवेट बसेज जाती है जिनको परमिट मिला हुआ है या तो आप उन्हें वहां जाने के लिए बाउन्ड कीजिये या आप वहां पर किसी दूसरे को परमिट देकर बनियानी तक जाने की व्यवस्था करावें।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय इस पर मैं कार्यवाही करूंगा। इसके लिये एक बस जो वाया कैथून होकर जाती है वह एक ट्रिप करती है अगर वह नहीं चलती होगी तो मैं उनमें से किसी एक परमिट केन्सल करके दूसरे बस ओपरेटर को परमिट देकर वहां पर बस चलाने की व्यवस्था करूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री निरंजननाथ आचार्य

एक माननीय सदस्य : अनुपस्थित हैं।

श्री रामकिशन : प्रश्न संख्या 799।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप कैसे बोल रहे है आपको आथोरिटी दी है क्या ?

श्री रामकिशन : जी हां।

श्री अध्यक्ष : इनको आथोरिटी दी है।

एडवाईजर की नियुक्ति

799. **श्री रामकिशन** (भरतपुर) [श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) की अनुपस्थिति में] : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि राज्य सरकार को होमियोपेथी के सम्बन्ध में सलाह देने के लिए एडवाइजर के चयन हेतु एक कमेटी का निर्माण किया गया था ? यदि हां, तो उक्त कमेटी के कौन कौन सदस्य हैं और कब कब उक्त कमेटी की बैठकें हुई ? कृपया तत्सम्बन्धी आदेश की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

2. क्या यह सही है कि उक्त कमेटी द्वारा उक्त पद के लिए राजस्थान के समस्त होमियोपेथी संस्थानों और प्रख्यात होमियोपेथी के योग्य डाक्टरों के आवेदन पत्र भेजने के लिए आमन्त्रित किया गया था ? यदि हां, तो कब ? कृपया उक्त परिपत्र की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

3. क्या यह सही है उपरोक्त परिपत्र की अवहेलना करके राज्य सरकार ने ऐसे व्यक्तियों को एडवाईजर के पद पर नियुक्त किया जिसके मुकाबले में कई अधिक योग्य व्यक्ति राजस्थान में हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

4. क्या यह सही है कि उक्त पद पर नियुक्त किया गया व्यक्ति मेडिकल पब्लिक हैल्थ विभाग के किसी उच्च अधिकारी का भाई है ?

(10)

राज्य मन्त्री, आयुर्वेद (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) जी हां। उक्त कमेटी के निम्नलिखित सदस्य थे :—

(1) स्वास्थ्य सचिव चेयरमैन
(2) डा० जुगलकिशोर सदस्य
(3) निदेशक, आयुर्वेद विभाग ,,
(4) डा० ए० के० मुकर्जी ,,
(5) डा० एस० के० गौड़ ,,
(6) उप सचिव, आयुर्वेद ,,
(7) प्रशासक होम्योपैथी बोर्ड ,,
(8) पंजीयक होम्योपैथी बोर्ड सदस्य सचिव।

समिति की बैठक दिनांक 12-6-73 को हुई। आदेश की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। दिनांक 18-6-73 के परिपत्र की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) परिपत्र की अवहेलना नहीं हुई।

(4) जी हां।

(आदेश के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से यह प्रश्न है कि जिस व्यक्ति की एडवाईजर के लिए नियुक्ति की है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जिस व्यक्ति की नियुक्ति की गयी है उसकी क्वालिफिकेशन सी० एच० पी० है।

श्री रामकिशन : यह सी० एच० पी० क्या होती है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : Certificate of Homoeopathy Practice.

श्री रामकिशन : आपने जो क्वालिफिकेशन बतायी है वह तो उसकी प्रेक्टिस करने के लिये है। इसमें जैसा कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया के यहां से जो लैटर आया है उसमें लिखा है "Officers should be institutionally qualified in Homoeopathy." वह तो क्वालिफिकेशन इसकी नहीं हुई। आपने तो इस क्वालिफिकेशन की अवहेलना की है। फिर उन्हें कैसे एडवाईजर की नियुक्ति दी गई ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने भाग तीन में जो जवाब दिया है उसका तात्पर्य यह है कि जो परिपत्र जारी किया गया था उसमें जिन लोगों की एप्लीकेशन्स आई हैं और बाद में इसके लिए एक कमेटी बनी हुई थी उसके अनुसार उन्हें ...

श्री रामकिशन: जिस कमेटी को आपने कोन्स्टीट्यूट किया है उसकी एक ही बैठक हुई। दूसरी बैठक ही नहीं हुई। फिर आपने उनकी नियुक्ति कैसे कर दी ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए पहले एक कमेटी बनी हुई थी उस कमेटी के सामने लोगों की एप्लीकेशन्स आयी जिसमें जो अभी एडवाईजर नियुक्त किये गये वह भी सदस्य थे और दूसरे थे। उसकी एक मीटिंग हुई। पर बाद में चूंकि वह खुद इसके सदस्य थे इसलिए एक दूसरी कमेटी को रीकोन्स्टीट्यूट किया उसके बाद में सरकार की तरफ से इनकी नियुक्ति एडवाईजर पद के ऊपर की गयी।

श्री रामकिशन : जब कमेटी बनी हुई थी तो राज्य सरकार ने बिना कमेटी की सिफारिश के उनकी नियुक्ति कैसे एडवाईजर के पोस्ट पर की। दूसरी बात यह है कि इसमें जो लेटर आया था उस परिपत्र में साफ साफ लिखा था कि "The Committee shall give due regard to the qualifications laid down for these posts by the Central Council Bill." इसमें जो लिखा है उसके अनुसार तो अवहेलना हुई है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, जहां तक सवाल क्वालिफिकेशन का है होमियोपैथी का जो सेन्ट्रल एक्ट के शिड्यूल (2) में दिया हुआ है उसके अनुसार है।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय वह तो सिर्फ प्रेक्टिस करने के लिये है। लेकिन इसके लिये तो सर्टिफिकेट कोई डिग्री होनी चाहिये वह तो नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय इसमें बहुत ही अनियमिततायें हुई हैं और मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह यह सदन में मानले की इसमें अनियमिततायें हुई है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह बात तो ठीक है अध्यक्ष महोदय कि उनके पास इन्स्टीट्यूशनली क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट तो इनके पास है।

श्री रामकिशन : इनके पास तो प्रेक्टिस का सर्टिफिकेट है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री बेगाराम।

ग्राम बाजूवाला में चिकित्सा की सुविधा

800. **श्री लक्ष्मणसिंह** (डूंगरपुर) : [श्री बेगाराम (रायसिंहनगर) की अनुपस्थिति में] : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :— 1. क्या यह सही है कि तहसील रायसिंहनगर के गांव बाजुवाला में और इसके आसपास 16 मील के क्षेत्र में औषधालय नहीं है ?

2. क्या यह सही है कि औषधालय न होने के कारण किसानों को बहुत भारी दिक्कत है ? यदि हां, तो सरकार बाजूवाला में औषधालय खोलने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

राज्य मन्त्री, चिकित्सा (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) ग्राम बाजूवाला तहसील रायसिंहनगर में वर्तमान में कोई राजकीय आयुर्वेद औषधालय संचालित नहीं है।

(2) वर्ष 74-75 में उक्त ग्राम में आयुर्वेद औषधालय खोलने के प्रस्ताव इस विभाग को प्राप्त नहीं हुए हैं। वर्ष 75-76 में नवीन औषधालय खोलने हेतु प्रस्ताव मंगवाये गये हैं, प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय मैं तो इस संबंध में मन्त्री महोदय को सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि गांव बाजूवाला से 16 मील के इर्द गिर्द कोई चिकित्सालय व्यवस्था नहीं है क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि वहां पर चिकित्सालय अथवा औषधालय की व्यवस्था की जाय।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय प्रश्न के जवाब का जो तीसरा भाग है उसमें मैंने कहा है कि औषधालय खोलने हेतु प्रस्ताव मंगवाये गये हैं वह प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मीठालाल।

राज्य में डेयरी फार्म केन्द्रों की स्थापना

801. **श्री मीठालाल (लालसोट) :** क्या पशु पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :— 1. क्या यह सच है कि राज्य सरकार डेयरी फार्म के विकास के लिये राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग के कई जिलों में डेयरी फार्म केन्द्र स्थापित करने जा रही है? यदि हां, तो कौन कौन से जिलों में तथा योजना का ब्यौरा व लागत क्या है?

2. चयनित जिलों के किन किन स्थानों पर उक्त डेयरी फार्म केन्द्र स्थापित किये जावेंगे।

कृषि एवं पशुपालन मन्त्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) जी नहीं।

(2) डेयरी फार्म स्थापित करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय यहां पर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि राजस्थान के पूर्वी जिलों में जिसमें अलवर, सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक वगैरहा में डेयरी का विकास किया जायेगा और उसके लिये एक योजना 44 करोड़ रुपये की बनायी गयी है उस संबंध में मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उसका क्या हुआ। आपने जवाब दिया ही नहीं।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाके के बारे में तो वहां पर कोई दक्षिणी भाग में तो योजना नहीं है और इन्होंने जो जिले बताये हैं वह तो पूर्वी जिले हैं।

श्री मीठालाल : क्या दक्षिण पूर्वी नहीं।

श्री शिवचरण माथुर : जी नहीं साउथ ईस्ट नहीं है।

श्री मीठालाल मीणा : खैर आप मुख्य मुद्दे से नहीं हटे। आप पूर्वी जिले के बारे में ही बता दें। क्या ऐसी योजनायें हैं।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, डेयरी के बारे में कई बार सदन में बता चुका हूं कि राज्य सरकार अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और टोंक वगैरहा में डेयरी का विकास कर रही है लेकिन यह तो पूर्वी हिस्से में है दक्षिणी हिस्से में नहीं है दक्षिण पूर्व की बात करते हैं वह नहीं इसलिये मैंने प्रश्न के जवाब में यह कह दिया कि दक्षिण पूर्वी भाग के डेयरी फार्म खोलने की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है। वैसे राजस्थान के 6 पूर्वी जिलों में डेयरी प्लान्ट्स की योजना है। पांच बड़े डेरीज की जो योजना है। वह है अलवर, भरतपुर सवाई माधोपुर, अजमेर आदि में जिनकी क्षमता दस साल में 1 लाख लीटर प्रतिदिन की होगी और उसके बाद दो लाख तक बढ़ जावेगी। आपने दक्षिणी पूर्वी भाग के लिए कहा है।

श्री मीठालाल : क्या आप शहरों से हटकर गांवों की ओर डेयरीज का विकास करेंगे जिससे कि ग्रामीण लोगों को भी इस से फायदा मिल सके और आर्थिक उत्थान कर सके।

श्री शिवचरण माथुर : जो डेयरी प्लान्ट होंगे उनके प्रोसेसिंग यूनिट्स तो शहरों में होंगे और दूध इकट्ठा करने के जो सेन्टर होते हैं, जिनको चिलिंग प्लान्ट कहते हैं, वे गांवों में ही होंगे। वे रूरल एरियाज में ही लगाए जावेंगे।

प्रश्न संख्या 802

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मोहनराज।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री रामप्रसाद बोहरा।

कृषि फार्म खानपुर

803. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि खानपुर कृषि फार्म जिला-झालावाड़ के ट्यूब वैल के पानी से सिंचाई की जा रही है? यदि हां, तो सन् 74-75 में कितनी जमीन सिंचित की गई तथा इस ट्यूब वैल पर कुल कितना खर्चा हुआ है?

2. क्या जिला झालावाड़ के अन्य कृषि फार्मों पर भी इसी प्रकार ट्यूब वैल बनाये गये हैं? यदि हां, तो कहां कहां पर?

कृषि मन्त्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) जी हां। वर्ष 74-75 में 10 एकड़ में सिंचाई की गई है। ट्यूब वैल पर कुल 36,63.6.04 पैसे का खर्चा किया गया था।

(2) जी नहीं।

श्री रामप्रसाद बोहरा : अध्यक्ष महोदय, 36 हजार रुपये खर्च करने के बाद दस एकड़ की सिंचाई हुई है वह कितने साल के बाद हुई है, कितने साल से ट्यूब वैल बनाई जा रही है? कब कम्पलीट हुई और कब सिंचाई प्रारम्भ की गयी?

श्री शिवचरण माथुर : एक साथ तो खर्चा हुआ नहीं। सिंचाई के साथ क्या रिलेशन है इसका?

श्री रामप्रसाद बोहरा : आपका ट्यूब वैल कितने साल में कम्पलीट हुआ है इतना लाख खर्च करने के बाद क्या रिजल्ट्स हैं इसके?

श्री शिवचरण माथुर : एक बार ट्यूब वैल लगेगी तो निश्चित रूप से खर्चा होगा। 60 हजार गैलन प्रति घंटा पानी फेंकने की क्षमता है। 40 एकड़ में इससे सिंचाई की जा सकती है। चूंकि पावर की कमी थी इसलिए 13 एकड़ में गेहूं बोया गया। आपने यह पूछा कि यह कब शुरू हुआ, तो 13-12-72 को इक्वीपमेन्ट लगाये गये हैं। 36 हजार की राशि जो खर्च हुई है वह केपीटल एक्सपेन्डीचर का हुआ है और मैंने वह जिक्र किया है जो कि आपने पूछा है।

श्री रामप्रसाद बोहरा : इस ट्यूब वैल पर 36 हजार रुपया खर्च होने के बाद कम से कम 100 एकड़ में सिंचाई होनी चाहिए

(श्री राम प्रसाद बोहरा)

थी। आप कहते हैं कि बिजली की कमी थी। राज्य सरकार के लिए भी बिजली की कमी हो सकती है तो फिर किसानों का क्या हाल होता होगा। कृषि अधिकारी झालावाड़ की वजह से ही यह सब गड़बड़ी हुई है

श्री शिवचरण माथुर : अन्डर ग्राउन्ड वाटर की केपेसिटी होगी उसी अनुसार तो सिचाई बढ़ेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल।

सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर

804. **श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** (गंगापुर) : क्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में दवाईयों के लिए वार्षिक बजट कितना है? क्या मरीजों की संख्या देखते हुए बजट पूर्ण है ?

2. क्या यह भी सत्य है कि अस्पताल में मरीजों की पट्टी, सिरिंज, ईथर आदि बाजार से खरीद कर मंगवाया जाता है ?

3. क्या यह भी सत्य है कि उक्त अस्पताल की दशा दिन प्रति दिन गिरती जा रही है ? अगर हां, तो इसको सुधारने के लिए राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ?

राज्य मन्त्री, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) ड्रग्स एवं मेडीसन के अन्तर्गत सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर के लिए 10 लाख का बजट आवंटित किया गया है। बजट का आवंटन वित्तीय साधनों के अनुसार किया जाता है।

(2) सामान्यत: मरीजों को पट्टा, सिरींज, ईथर आदि अस्पताल से ही दिया जाता है। कभी कभी विशेष परिस्थितियों में बाजार से लाने हेतु कहा जाता है।

(3) अस्पताल की व्यवस्था में और सुधार लाने हेतु सरकार आवश्यक कदम उठा रही है।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : अध्यक्ष महोदय, यह बजट रखा है क्या उसके मुताबिक अस्पताल में दवाइयां आती हैं या सीधी दूकानदारों के पास पहुँच जाती है ? क्या ऐसे व्यक्तियों को ही जो कर्मचारियों के रिश्तेदार हैं या प्रभावशाली लोग हैं, उन्हीं को दवाइयां दी जाती हैं ? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 90 परसेन्ट लोगों को अस्पताल से दवाइयां नहीं मिलती हैं और उनको बाजार से लानी पड़ती है उनको और पट्टियों का तो इस समय जो हाल चल रहा है वह यह है कि 100 परसेन्ट पट्टियां बाजार से लाने के लिये कहा जाता है। इसका मैं स्वयम् भी भुक्त भोगी हूं और मुझे स्वयम् को भी चार बार पट्टियां लानी पड़ी हैं।

दूसरा निवेदन यह है कि अस्पताल के सुधार की बात करते हैं इक्वीप्मेंट नये नये आ रहे हैं, 60 परसेन्ट मरीज बाहर से आते हैं, उनके लिये खाने की कोई ढंग की व्यवस्था नहीं है। यदि उनको जो खाना दिया जाता है उसको देखें तो आपको भी उलटी आ जाय। दलिया खिचड़ी जो भी

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

उनको मिलता है, आप देखिये। मरीज तो उस खाने को देख कर और भी बीमार हो जाता है।

आपने 9 से 4।। का टाइम किया है। सर्दी में तो यह चल सकता है लेकिन गर्मियों में मरीजों को आने में उनकी हालत ही खस्ता हो जावेगी। सवाई मानसिंह होस्पिटल की यह हालत है कि बड़े डाक्टर 9।। बजे आते हैं। सरकारी कर्मचारी और दूसरे दूकानदार लोग आदि वहां पहुंचते हैं तो 12 बजे कहीं उनका नम्बर आ पाता है। डाक्टरों के पास इतनी भीड़ हो जाती है कि सही तरीके से उन मरीजों को देख भी नहीं सकते हैं। मरीजों को लेकर आते हैं उनको भी काफी परेशानी हो जाती है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरा भी एक प्रश्न है उसका उत्तर मंत्री महोदय दे दें। 74-75 में तो पट्टियों की और दवाइयों की कमी को आपने माना है और साधारण आदमियों को उपलब्ध नहीं हो पायी हैं जिससे उनको काफी परेशानी रही है अब तो आप आश्वासन देंगे कि आगे से लोगों को बराबर पट्टियां मिलेंगी और धपले बाजी नहीं होगी?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री मोहनलाल छंगाणी) : मैंने सदन के अन्दर निवेदन किया था और मंजूर किया था कि पिछले साल इधर और पट्टियों की कमी रही है। इधर की तो अभी तक भी कमी है। इधर दो कम्पनियां ही बनाती हैं। नयी कम्पनी से हमने कान्ट्रेक्ट किया है। अब इसकी कमी नहीं रहेगी ऐसी आशा है दो ही कम्पनियां बनाती थी एक हैद्राबाद की और दूसरी एलेम्बिक। अब इस तकलीफ का निवारण हो जावेगा। पट्टियों की भी व्यवस्था हो रही है। दस लाख का तो कुल बजट है। मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही हैं, हमारे लिये पोसिबल नहीं हैं इसमें कोप-विथ करना। इसलिये नया फार्मो कोपिया खोल दिया है। जितनी दवाइयां खरीद सकेगा खरीदेगा और उससे 80 और 90 परसेन्ट का इलाज हो जावेगा। माननीय सदस्य यदि बीमार पड़े और अस्पताल पहुंचे तो निश्चित रूप से मैं इसको देखूंगा कि उनको उपलब्ध हों ये सब।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : मैं भगवान को धन्यवाद दूंगा कि मुझे कभी होस्पिटल न भेजें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य के लिये तो आपने कह दिया लेकिन साधारण और गरीब आदमी के लिये क्या सुविधा है? आप यदि बीमार पड़ेंगे तो सब लोग देख लेंगे।

श्री मोहनलाल छंगाणी : आम आदमियों के लिये ही कहा है। माननीय सदस्य, कभी बीमार पड़ जाय तो उनको सुविधा उपलब्ध होगी पर हम जो भी व्यवस्था कर रहे हैं वह सब आम आदमी के लिए कर रहे हैं।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : भोजन की व्यवस्था के बारे में नहीं बतलाया। सवाई मानसिंह अस्पताल में खाने की बड़ी हालत खस्ता हो रही है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह निश्चित रूप से सही है कि किचिन की व्यवस्था मेरे

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

हिसाब से भी ठीक नहीं है लेकिन अध्यक्ष महोदय इस व्यवस्था को सुधारने के लिये अभी कम से कम 8-10 लाख रुपया चाहिये जब भी प्रावधान होगा तो इस व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश की जायेगी।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री पल्लीवाल जी ने सवाई मानसिंह हास्पिटल के बारे में जो आरोप लगाये हैं वे बिल्कुल सही हैं। खाने की व्यवस्था नहीं है, पट्टियों की व्यवस्था नहीं है, आप ईयर की व्यवस्था करें वह ठीक है लेकिन आप कहते भविष्य में सुधार लाया जायगा। क्या मैं जान सकता हूं जो व्यवस्था में खामी है, इसके क्या कारण है। कभी मंत्री महोदय ने इसके बारे में गहराई से विचार किया कि पट्टियां क्यों नहीं है, खाना सब स्टेण्डर्ड क्यों मिलता है। यह सब धनाभाव के कारण ही हुआ हो, मेरे ख्याल में धनाभाव का कारण नहीं हो सकता है। आपके इन्तजाम की कमी है। एस.एम.एस. की हालत दिन ब दिन गिरती जा रही है। माननीय मंत्रीजी को चाहिये गंभीरता पूर्वक विचार करें। राजधानी का बहुत बड़ा अस्पताल है और अगर इस अस्पताल में दिये तले अंधेरा हो जाय तो....

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मैं भी एक निवेदन करना चाहता हूं एस.एम.एस. की व्यवस्था सुधारना चाहते हैं, यह ठीक है लेकिन आज प्रशासनिक दृष्टि से व्यवस्था नहीं हो रही है। आज किसी प्रकार की दवा वहां नहीं मिलती है, डिस्टिल्ड वाटर तक नहीं मिलता है। डॉक्टर लोग मरीजों के साथ समय पर लापरवाही करते हैं कई बार डाक्टर नोवलजीन की गोली देकर मरीज को भेज देते हैं। इस सारी व्यवस्था को आप ठीक करें। मैं समझता हूं आप सारी व्यवस्था को सुधारने में ध्यान देंगे।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जो बातें कही और डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एस.एम.एस. की दिन ब दिन गिरती हुई व्यवस्था का जिक्र किया—भोजन सब स्टेण्डर्ड नहीं मिलता है दूध, खिचड़ी, चावल वगैरह यह सिर्फ पकाने का जो तरीका है उसको सुधारने का है। मैंने आते ही कहा है भोजन की व्यवस्था को स्ट्रीम लाइन करने की आवश्यकता है मगर भोजन अच्छा नहीं मिल रहा है, यह मैं मानने को तैयार नहीं हूं। मेरे ख्याल से कोई डॉक्टर हार्ट पेशेन्ट जैसे रोगी को टाल दें, यह भी समझ में आने वाली बात नहीं है। हजारों का ट्रीटमेंट होता है, यह ठीक है कि एस.एम.एस. की व्यवस्था ठीक रहे। हिन्दुस्तान के अच्छे से अच्छे हास्पिटल को ले लें बम्बई के हास्पिटल को ही ले लें उसमें भी खामियां हैं। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है तब जाकर यह व्यवस्था ठीक हो सकती है और जो भी व्यवस्था का प्रश्न है उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। अभी वर्तमान में पट्टियां मिल रही है, दवाइयां मिल रही है। अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन में मंजूर किया है, मैंने कभी डिनाई नहीं किया है जहां भी मुझे किसी बात कमी की नजर आयेगी उसको सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय मेरे पास नाम भी है लेकिन मैं कहना नहीं चाहता हूं इस सदन में कई बार मरीज

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

को नोबलजीन की गोली देकर भेज दिया जाता है, निश्चित रूप से डाक्टरों की लापरवाही है और दवाओं का अभाव है। मैं आपको नाम भी बताऊंगा···

श्रीमती जमुना सोलंकी (केकड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं मरीजों को आज भी पट्टियां समय पर नहीं मिलती हैं। अभी 26 तारीख को ही मेरे लड़के के हाथ के चोट आई थी एमरजेन्सी में मालूम किया पट्टियां बिल्कुल नहीं है और बाजार से यह व्यवस्था करनी पड़ी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

स्टेट मोटर गैरेज द्वारा स्पेयर पार्ट्स की खरीद

805. **श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी नगर, जयपुर)** : क्या मोटर गैरेज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. वर्ष 1972-73 व 1973-74 में स्टेट मोटर गैरेज द्वारा स्पेयर पार्ट्स के लिये कब कब निविदा आमंत्रित किये गये ?

2. किन किन फर्म्स ने किस किस दर के निविदा प्रस्तुत किये और किन किन फर्म्स के किस किस दर के निविदा स्वीकृत हुये ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

3. स्वीकृति दर से किस किस आईटम को किस किस फर्म की दरें कम थी और उनको स्वीकार नहीं करने के क्या कारण थे ?

4. जिन निविदा को स्वीकार किया गया है क्या वह फर्म्स स्वयं ऐसे निर्माण का कार्य करती है ? यदि हां, तो कौन-कौन और यदि नहीं तो यह फर्म्स किन-किन निर्माणकर्त्ता फर्म्स से यह सामान खरीदती है ?

5. जिन फर्म्स के निविदा स्वीकार नहीं किये गये उनमें कौन कौन फर्म्स ऐसी है जो यह स्पेयर पार्ट्स उन्हीं निर्माणकर्त्ता फर्म्स से लाती है जिनके स्पेयर पार्ट्स को उस फर्म्स ने खरीदा है जिनकी दरें स्वीकृत हुई हैं ?

राज्य मंत्री यातायात (श्री मुन्शीलाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न में जो सूचना चाही गई है वह अभी उपलब्ध नहीं हुई है। इसलिए कृपा करके इसको स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : पोस्टपोन।

नेक्स्ट। श्री नानालाल।

उदयपुर भीलवाड़ा मार्ग पर निगम की बसें।

806. **श्री नानालाल (राजसमन्द)**: क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

1. क्या यह सही है कि उदयपुर से भीलवाड़ा मार्ग का राष्ट्रीयकरण हो गया है ? यदि हां, तो कब तथा निगम ने इस पर कब से बसें चालू कर दी है ?

2. उक्त मार्ग पर पहले प्राईवेट आपरेटरों द्वारा चलाई जाने वाली बसों का क्या क्या टाईमिंग्स था ? तथा इस समय राजस्थान परिवहन निगम की बसें किस किस

Page No 18

(१८)

(श्री नानालाल)

टाईमिंग्स पर चल रही है ? दोनों की अलग अलग सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

3. क्या यह भी सही है कि निगम की बसों का कोई समय निर्धारित नहीं है ? इससे जनता में काफी असन्तोष फैला हुआ है ? यदि हां, तो इसकी उचित व्यवस्था क्यों नहीं की गई है ? इसके लिए कौन दोषी है तथा व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

4. क्या यह सही है कि उदयपुर भीलवाड़ा मार्ग पर कुरज गांव भी शामिल है ? यदि हां, तो क्या वहां पर बसें बराबर जाती आती है ?

राज्य मन्त्री, यातायात (श्री मुन्शीलाल):
(1) जी हां। इस मार्ग पर निगम द्वारा दिनांक 5 अगस्त, 1974 से बस संचालन प्रारम्भ किया गया।

(2) इस मार्ग पर निजी वाहन मालिकों व निगम द्वारा संचालित बसों की समय सारिणी सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। निगम की बसें निर्धारित समय सारिणी के अनुसार संचालित की जाती है। यदा कदा यांत्रिक खराबी अथवा विद्यार्थियों द्वारा उपद्रव के कारण बसें समय पर नहीं पहुंचती।

(4) कुरज गांव उदयपुर भीलवाड़ा मार्ग पर स्थित नहीं है। मार्ग से थोड़ा हट कर है। प्राईवेट आपरेटर्स अपनी 3 वाहनें कुरज गांव होकर चलाते थे जबकि निगम की 3 वाहनें उदयपुर भीलवाड़ा एवं 2 वाहन उदयपुर गंगापुर कुरज गांव से होकर चलती हैं।

(सारिणी के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री नानालाल : अध्यक्ष महोदय, आपने प्रश्न दो में जो सूची है उससे आपके प्राईवेट बसों से बहुत अधिक प्रोग्रेस कर ली है। यह तालमेल कर लिया है और आपके कर्मचारी और भेजे गये लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है यह आपको भी मालूम है और अगर मालूम है तो बताइये।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय मैंने निवेदन किया पहले तीन प्राईवेट आपरेटर तीन फेरे करते थे और पांच करते हैं। मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि और अधिक करें। निगम की बसें पांच फेरे करती है। मेरे ख्याल से नाथद्वारा काण्ड के बाद थोड़ी डिले हो गई है। मगर पांच फेरे होते हैं निगम की बसों के।

श्री नानालाल : ··· (अश्रव्य) ··· आपने 13 की पहले और 17 की बाद में लिस्ट दी है। यह कभी नहीं हुआ है। यह मैं आपको साफ तौर से बताता हूं यह अव्यवस्था उदयपुर-भीलवाड़ा मार्ग पर मंजूर कर रहे हैं और वास्तव में निगम में गाड़ियां नहीं होने की वजह से सुविधा नहीं दे पा रहे हैं और आपने कहा बहुत ज्यादा कर दिया, हम मानते है अगर गाड़ियां नहीं है तो यह कहिये कि व्यवस्था हो जायगी।

आपने कुरज गांव के लिए बताया तीन बसें चलती थी अब चार बसें चलती हैं। कांकरोली से कुरज, कपासन से कुरज और

(श्री नानालाल)

गंगापुर से कुरज होकर जाती है। इससे कोई तकलीफ नहीं थी। एक गाड़ी सुबह साढ़े पांच बजे चलती थी दूसरी साढ़े दस बजे तो एक गाड़ी नहीं मिले तो 10 घण्टे तक आदमी बैठा रहेगा। मेहरबानी करके इसमें सुधार कीजिये।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय एक बस जाती है सुबह साढ़े पांच बजे भीलवाड़ा से उदयपुर और दूसरी बस जाती है साढ़े दस बजे लेकिन माननीय सदस्य तो कुरज गांव को इतनो इम्पोरटेन्स देते हैं जैसे अजमेर से जयपुर जुड़ा हुआ है। इसके बावजूद भी अगर टाइम टेबिल में कुछ रद्दोबदल कर सकते हैं तो जैसा आप बतायेंगे उसमें उस प्रकार की व्यवस्था करने पर विचार किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री नन्दलाल।

केशवरायपाटन में आयुर्वेदिक औषधालय

807. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या जिला बूंदी की तहसील हैडक्वार्टर केशवरायपाटन में आयुर्वेदिक औषधालय की व्यवस्था है? यदि नहीं तो क्यों?

2. क्या सरकार केशवरायपाटन की जनसंख्या को मद्दे नजर रखते हुए यहां आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक?

राज्य मन्त्री आयुर्वेद (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

श्री नन्दलाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय एक तहसील हैडक्वार्टर पर औषधालय नहीं है तो क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि कब तक खोल दिया जायगा।

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष जी वहां पर एल्योपैथिक डिसपेन्सरी पहले से ही काम रही है इसलिये फिलहाल कोई औषधालय खोलना सम्भव नहीं है। जहां जहां कुछ भी चिकित्सा की सुविधा नहीं है वहां पहले खोलने की प्राथमिकता दी जायगी।

श्री नन्दलाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय वहां के लोग कोटा वगैरह जाकर इलाज कराते हैं इसलिए इस सत्र के बाद खोलने का मंत्री महोदय आश्वासन दे दें।

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि वे भी अपने क्षेत्र में जहां 5-7 मील में कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है वहां औषधालय खुलाने पर जोर दें तो ज्यादा सुविधा उपलब्ध हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

टपूकड़ा जाने वाली निगम की बसें।

808. श्री रतीराम यादव (तिजारा): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि अलवर तिजारा और तिजारा से रेवाड़ी वाया टपूकड़ा मोटर मार्ग पर लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व अलवर से टपूकड़ा तक राजस्थान राज्य पथ परिवहन

(श्री रतीराम यादव)

की एक गाड़ी आती जाती थी ? यदि हां, तो यह बन्द क्यों की गई ? और अब पुनः चालू करने का कब से विचार है ?

यातायात मन्त्री (श्री मोहनलाल छंगाणी) : जी हां । किन्तु उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण वाहन संचालन 25 दिन उपरान्त स्थगित करना पड़ा । स्थगन आदेश अभी यथावत है ।

श्री रतीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं क्या इस कानूनी खामी की वजह से यह स्थगन आदेश मिला है और क्या उस खामी का पहले ज्ञान नहीं था और अगर था तो गाड़ी शुरू करने से पहले उस कमजोरी को दूर क्यों नहीं किया ?

श्री मोहन लाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, जो भी खामी के कारण थे अभी स्टे वेकेट नहीं हुआ है और जब तक स्टे वेकेट नहीं होगा हाई कोर्ट से तब तक····

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जिस आधार पर स्टे मिला है जिसकी वजह से बन्द करना पड़ा । किस ग्राउन्ड पर स्टे मिला है ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उसका बेक ग्राउन्ड यह था जो प्राईवेट आपरेटर थे उनके साथ एक स्कीम बनी थी । अभी उस की पूरी डिटेल मेरे पास नहीं है लेकिन उसी के कारण 25 दिन बसें चलाई और उसके बाद ज्यों ही प्राईवेट आपरेटर हाई-कोर्ट से स्टे ले आये तो जो उसमें संशोधन करना था वह कर दिया अब जब वेकेट होगा तब चालू कर देंगे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या गवर्नमेंट की तरफ से स्टे आर्डर वेकेट कराने के लिए मूव किया गया था ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : वह कार्यवाही चल रही है । हमारी अपीलें चलती हैं और जब भी अपील का नम्बर आ जायेगा और स्टे वेकेट हो जायेगा हम चालू कर देंगे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक तो रेगुलर अपील की सुनाई होती है और दूसरे यह स्टे आर्डर जारी हुआ तो आपको एपियर होने का मौका मिला तो स्टे आर्डर वेकेट कराने की दरख्वास्त कर सकते थे वह की क्या ?

श्री मोहन लाल छंगाणी : वह नहीं किया । लेकिन हमारा केस बहुत स्ट्रांग है और वह जल्दी ही पेशी लगने वाली है । एक आब्जेक्शन रेज कर दिया है और हीयरिंग आते ही हमारा स्टे वेकेट हो जायेगा और ऐसी उम्मीद है कि स्टे वेकेट होते ही हम चालू कर देंगे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो स्टे वेकेट कराने की कोशिश क्यों नहीं की । इसका मतलब यह है कि प्राईवेट ओनर्स की सरकार मददगार हो रही है । पेशी पड़ चुकी है और आप कह रहे हैं कि स्ट्रांग केस है तो आपको स्टे वेकेट कराने की कोशिश करनी चाहिए ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : स्टे वेकेट कराने का प्रासीजर होता है । अब जब भी

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

पेशी पड़ेगी हम एपीयर हो जायेंगे और स्टे-आर्डर वेकेट हो जायगा और हम चालू कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट

श्री माणकचन्द सोगानी।

सीमान्त कृषकों को सुविधा

809. **श्री माणक चन्द सोगानी** (अजमेर पूर्व) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि सीमान्त कृषकों के कल्याण के लिये अजमेर जिले में अभिकरण कार्य कर रहा है ?

2. यदि हां, तो उसकी स्थापना के बाद कितने कृषकों को कितना कितना व किस किस काम के लिये ऋण व अनुदान दिया गया है ? कृपया सहकारी बैंकों तथा व्यवसायिक बैंकों द्वारा दी गई सहायता की सूची सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) जी हां।

(2) अभिकरण की स्थापना के बाद 3218 सीमांत कृषक व भूमि श्रमिकों को 54.70 लाख रुपये के ऋण पशुपालन, भेड़ पालन, मुर्गी पालन, बैल, कुए, पम्पसेट बैलगाडी व पुराने कुओं की मरम्मत आदि प्रयोजनों के लिये सहकारी व व्यवसायिक बैंकों द्वारा प्रदान किये जा चुके हैं। उक्त ऋण के साथ 19.99 लाख रुपये का अनुदान भी अब तक वितरित किया जा चुका है। सहकारी बैंकों तथा व्यवसायिक बैंकों द्वारा दी गई सहायता की प्रयोजन वार सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री माणक चन्द सोगानी : अध्यक्ष महोदय, यह सूची पढ़ने से ज्ञात होता है कि उद्योगों के लिए सहकारी बैंकों द्वारा कुछ भी राशि नहीं दी गई और जो व्यवसायिक बैंकों के द्वारा दिया गया है उससे लाभान्वित लोगों की संख्या 43 है और उनमें केवल 40 हजार रुपया बांटा गया। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में जो भी सरकार का कार्य हुआ है वह बहुत ही कम हुआ है। आगे इसमें क्या तरक्की होने वाली है उससे मंत्री महोदय अवगत करायें।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि कामर्शियल बैंकों से जितनी अपेक्षा की जाती थी उसके अनुकूल इन सारी योजनाओं में पूरा योगदान नहीं दिया है और सारी की सारी इसकी जिम्मेदारी आई है वह सहकारी संस्थाओं के ऊपर आई है चाहे अल्पकालीन ऋण के लिए वह कोआपरेटिव बैंक हो या मीडियम टर्म और लांग टर्म क्रेडिट के लिए हमारी कमर्शियल बैंक हों। इसकी जिम्मेदारी हमारी सहकारी संस्थाओं के ऊपर आयी है। हम कोशिश करते रहे हैं कि कामर्शियल बैंकों का भी योगदान हो और मेरे लेवल पर और फाइनेन्स मिनिस्टर के लेवल पर थोड़े दिन पहले ही राजस्थान के अलग-अलग बैंकों के रीजनल मैनेजर्स से उनकी मीटिंग बुलाई थी और अलग अलग प्राजेक्ट के कार्यों को रिव्यू किया है और मुझे आशा है कि जितना भी हमारा

Page No 22

(22)

(श्री शिवचरण माथुर)

डेडलाक रह गया है उसको अधिक से अधिक पूरा करने की चेष्टा करेंगे ।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : आपने जो ऋण दिया है किसानों को और खास तौर से दूध उत्पादन के लिए क्या उस ऋण के साथ यह कन्डीशन थी कि वह अमुक स्थान से जानवर खरीदेगा या अमुक आदमी से यह जानवर खरीदेगा और इस किस्म की प्रक्रिया अजमेर में चालू है तो आप उसको नियमित मानते हैं या अनियमित ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक सवाल है । आपने कहा कि यह डेडलाक रह गया तो आपने बैंकों को कोई टारगेट्स फिक्स करके दिये हैं या उनकी मर्जी पर ही छोड़ा है कि चाहे तो दे नहीं तो नहीं दें

श्री माणकचन्द सोगानी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्नकर्त्ता की हैसियत से एक सवाल और पूछता हूं……

श्री शिवचरण माथुर : मैं जवाब दे देता हूं । जहां तक अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य के प्रश्न का जवाब है पशुओं के चुनने के लिए एक कमेटी है जिसमें वहां के पशुपालन विशेषज्ञ होते हैं और जहां अच्छी नसल के जानवर मिलते हैं वहां से लेने का सवाल आता है लेकिन अजमेर में कहीं कहीं ऐसी भी शिकायतें आई हैं कि स्थानीय तौर पर ही पशुओं की अदलाबदली हो गई है और जहां के बारे में हमको जानकारी मिली है उनके खिलाफ हमने कार्यवाही की है । उसकी डिटेल इस समय मेरे पास नहीं है लेकिन आपका संकेत उस ओर है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने ऐसे केसेज में कार्यवाही की है ।

जहां तक सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर है हमने अलग अलग बैंकों को निश्चित रूप से जितने भी कमर्शियल बैंक थे उनको प्राजेक्ट की शुरूआत के पहले लक्ष्य निश्चित कर दिये थे । अपनी मर्जी से देने का सवाल नहीं है । हमारी कोआपरेटिव बैंक कितना लक्ष्य पूरा करेगी और कमर्शियल बैंक कितना लक्ष्य पूरा करेंगे । यह लक्ष्य निर्धारित किये थे । लेकिन उन्होंने लक्ष्य की पूर्ति नहीं की और राजस्थान के उच्च अधिकारी हैं उनसे बातचीत की है और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से कहा है कि बैंकों के चेयरमैन हैं उनसे कहा कि जो उनके लिए निर्धारित लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति के लिए वह आगे कदम उठायें ।

श्री माणकचन्द सोगानी : अध्यक्ष महोदय, इसमें निवेदन है कि जहां तक कमर्शियल बैंक के बारे में आपने कहा कि उन्होंने पूरा योगदान नहीं दिया यह तो समझ में आता है लेकिन मैं सूची को देखता हूं तो सहकारी बैंकों के द्वारा तो उद्योगों में एक धेला भी नहीं लगाया इसके लिए मंत्री महोदय को क्या कहना है ?

श्री केशरीमल : मेरा भी एक प्रश्न है । आपके पास में ऐसी शिकायत आई हैं कि पशु चिकित्सक ऐसी भेड़ों को दिला रहे हैं जो बिलकुल बीमार हैं और जाते ही मरती हैं और कुछ लोगों को पटा रखा है जिससे नुकसान हो और आपके पास लिखित में शिकायत आई है। तो क्या इसके लिए आपने कुछ किया है ?

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, जैसाकि मैंने प्रश्न में निवेदन किया कि अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किये गये थे। इसमें हमारा मैन थ्रस्ट ओवरआल डवलपमेन्ट के ऊपर है और विलेजेज में जो इन्डस्ट्रीज हैं, रूरल इन्डस्ट्रीज हैं उसमें कर्ज देने वाली बात आती है और यह सही है कि इसमें उद्योगों के क्षेत्र में कुल मिलाकर 43 व्यक्तियों को 40 हजार रुपये की राशि दी गई लेकिन इसमें मेन थ्रस्ट रूरल डवलपमेन्ट पर है और अन्डर ग्राउन्ड वाटर पर है उसको यूटीलाइज करने की बात है, कुए और डेरी के विकास पर हमारा मेन थ्रस्ट है और हर क्षेत्र में जितना लक्ष्य निर्धारित किया था उससे कम हुआ है और इसके कारण मैंने बताये कि जहां तक ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य का सवाल है मैंने पहले भी निवेदन किया कि ऐसी जानकारी एक दो जगहों के लिए मेरे पास आई है। शायद जवाजा पंचायत समिति के लिए थी कि भेड़ों को खरीद के बारे में कुछ गड़बड़ी हुई थी और हमने निश्चित रूप से उसमें कार्यवाही की है। इस समय मेरे पास विशेष डिटेल्ल इस बारे में नहीं है लेकिन हमने निश्चित रूप से कार्यवाही की है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रामगोपाल

बारां के डाक्टरों के विरूद्ध शिकायतें

810. **श्री रामगोपाल** (किशनगंज) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सत्य है कि डा. टी. एम. जैन राजकीय अस्पताल बारां जिला कोटा के विरुद्ध शिकायतें जनता द्वारा राज्य सरकार के पास आ चुकी है? यदि हां, तो किस किस ने कब की, कब थी और उस पर सरकार ने क्या क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

राज्य मन्त्री, चिकित्सा (श्रीमती कमला बेनीवाल) : जी हां, शिकायतों का विवरण निम्न प्रकार है:—

1. दिनांक 14-9-74 को श्री मदन महाराज, संगठन मन्त्री, जिला युवक कांग्रेस द्वारा श्री जनार्दनसिंह गहलोत, अध्यक्ष, प्रदेश युवक कांग्रेस को निजि सचिव स्वास्थ्य मन्त्री को।

2. दिनांक 23-10-74 को अध्यक्ष, नगर पालिका कर्मचारी संघ बारां द्वारा निजि सचिव, मुख्यमन्त्री को।

3. दिनांक 1-11-74 को श्री कृष्ण कुमार दायमा, अध्यक्ष, किसान मजदूर कांग्रेस बारां द्वारा निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्थान, जयपुर को।

इससे पूर्व श्री रामस्वरूप शर्मा, अध्यक्ष नगरपालिका कर्मचारी संघ बारां तथा श्री अनिलकुमार अध्यक्ष कालिज यूनियन बारां के भी तार एवं पत्र द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा को डा. जैन के खिलाफ जांच के लिये लिखा गया था।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा द्वारा की गई जांच रिपोर्ट दिनांक 1-11-74 के अनुसार डा० जैन को दोषी नहीं पाया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

Page No 24

(24)

श्री रामगोपाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी जानकारी चाहूंगा और मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि डाक्टर थानमल जैन के कार्य से असन्तुष्ट होकर जनता ने सरकार को रिपोर्ट की और स्थानीय विधायकों से भी मिले और राज्य सरकार को जानकारी दी। पांच वर्षों के बाद उसको उसी स्थान पर वापिस लगा दिया तो माननीय मन्त्री महोदय से मैं यह पूछना चाहूंगा कि डाक्टर जैन यह कहते हैं कि मैंने मेरे एक महीने की तनखा और खत्म की है और तीन विधायक मेरी जेब में है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानकारी चाहूंगा कि क्या सरकार को धोखा देने वाले अधिकारी के खिलाफ कोई कदम उठायेंगे।

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न अभी उठाये हैं उसका सन्दर्भ इस प्रश्न में नहीं है। प्रश्न में यह है कि क्या क्या शिकायतें की गई और इस वक्त जो सन्दर्भ है कि एक मरीज के मर जाने से जो स्थिति उत्पन्न हुई उसके बारे में पूछा गया था कि किस किस की शिकायतें थी, उसके बारे में क्या जांच हुई और जांच रिपोर्ट में क्या आया। इसके बारे में माननीय सदस्य ने जो और बातें बताई हैं, विधायकों ने और ग्रामवासियों ने जो शिकायतें की, उन पर अलग से कार्यवाही की जायगी।

श्री रामगोपाल : (व्यवधान-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर
बाली में रेफरेल अस्पताल

802. **श्री मोहनराज** (बाली) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

1. क्या यह सही है कि बाली (जिला पाली) में अभी गत वर्ष ही चौपड़ा राजकीय चिकित्सालय एवं श्रीमती हंजाबाई जनाना अस्पताल हेतु नये भवन बना कर राज्य सरकार को भेंट किये गये हैं ?

2. क्या यह भी सही है कि पाली जिले के गोडवाड कहे जाने वाले पूरे क्षेत्र में बावजूद कई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व चिकित्सालयों के भी कोई रेफेरेल अस्पताल नहीं बनाया गया है इस कारण इस क्षेत्र की करीब 5 लाख जनता को चिकित्सा के उपलब्ध उत्तम व उन्नत साधनों से महरूम रहना पड़ता है।

3. क्या यह सही है कि भवनों की सुविधा, भौगोलिक स्थिति, सबडिविजनल मुख्यालय, आवागमन के साधन एवं जनसंख्या को देखते हुए बाली अस्पताल को रेफरेल अस्पताल में क्रमोन्नत करने के लिये उपयुक्त स्थान है ?

4. क्या यह सही है कि कुछ समय पूर्व जिलाधीश पाली व जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी ने बाली में रेफरेल अस्पताल खोले जाने की सिफारिश की थी ?

5. क्या सरकार आगामी वित्तीय वर्ष से बाली के अस्पताल को रेफरेल अस्पताल में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ?

(उत्तर)

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

वृद्धावस्था पेन्शन

508. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** (हवामहल जयपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या राज्य सरकार वृद्धावस्था पेन्शन के नियमों में सरलीकरण किया है ?

2. क्या राज्य सरकार विधवाओं को जो आश्रयहीन हों को पेन्शन देने का इरादा रखती है या नहीं ?

3. क्या उक्त नियमों में भी अपाहिजों को सहायता करने का प्रावधान है ?

(4) वृद्धावस्था पेन्शन के कितने कितने प्रार्थना-पत्र जिला अनुसार कब से सरकार के विचाराधीन है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) ऐसा कोई प्रस्ताव अभी समाज कल्याण विभाग के विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं। निराश्रित अपाहिज व्यक्तियों को पेन्शन स्वीकृत करने के अलग नियम बने हुये हैं।

(4) वांछित सूचना जिलाधीशों से एकत्रित की जा रही है।

सालपुरा से छीपा बड़ौद बस मार्ग

509. **श्री रामगोपाल** (किशनगंज, कोटा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सालपुरा से छीपा-बड़ौद जिला कोटा बस मार्ग पर प्रतिदिन होने वाली असुविधाओं को दूर करने के लिये राज्य सरकार को लिखित में पत्र प्राप्त हुआ था ? क्या इसकी प्रतिलिपि यातायात निदेशक व आर. टी. ओ. कोटा को भी प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आज तक क्या क्या कदम उठाये गये हैं ?

उत्तर

पत्र की निश्चित तिथि उपलब्ध नहीं होने से उसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी। इस मार्ग पर बस सेवा की सुविधा हेतु निम्न प्रयास किये गये इस मार्ग पर एक बस सेवा की सुविधा हेतु निम्न प्रयास किये गये इस मार्ग पर एक बस दो रिटर्न ट्रिप कर रही थी किन्तु स्कोप के अनुसार एक बस का अनुज्ञा पत्र दो रिटर्न ट्रिप और करने के लिये श्री रमेश चन्द्र को प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार कोटा की बैठक में प्रस्ताव संख्या 133 दिनांक 9-2-72 के द्वारा स्वीकृत किया गया। किन्तु निर्धारित समय में परमिट नहीं उठाने के कारण स्वीकृति निरस्त हो गई। नये परमिट देने की कार्यवाही एस०टी०ए०टी० के स्टे आज्ञा दिनांक 1-8-72 के द्वारा स्थगित हो गई। तत्पश्चात् प्रस्ताव संख्या 12 दिनांक 15-1-74 द्वारा एक परमिट

Page No 26

(26)

(यातायात मंत्री)

श्री रमेशचन्द्र शर्मा को दिया गया। वह परमिट नहीं उठा सका। फलस्वरूप अस्थाई अनुज्ञापत्र श्री श्यामसुन्दर को दिया गया। इस मार्ग पर स्थायी अनुज्ञापत्र के के लिए प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये गये थे और इसे मार्च की बैठक में विचारार्थ रखा गया था और इस मार्ग का एक अस्थाई अनुज्ञापत्र श्री याकूब मोटर्स को प्रदान किया गया है।

मार्गों के राष्ट्रीयकरण की योजना

510. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर, जयपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

1. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के गठन से लेकर आज तक किन किन मार्गों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में कब कब योजनायें प्रकाशित की गई ?

2. क्या यह सही है कि मोटर व्हीकल्स एक्ट एवं नियमों के अन्तर्गत उन मार्गों पर परमिट दिये जाने व परमिटों को रिन्यू करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है क्योंकि राष्ट्रीयकरण की योजना प्रकाशित होने के पश्चात् योजना में उल्लेखित मार्गों पर न तो नया परमिट ही दिया जा सकता है और न पुराने परमिटों का ही रिन्युल ही किया जा सकता है ?

3. यदि हां, तो उक्त योजना प्रकाशित होने के पश्चात् ऐसे कौन कौन से मार्ग अब तक रहे हैं जिन पर न तो नये परमिट ही दिये जा सके और न ही पुराने का रिन्यूअल ही किया जा सका ? कृपया सूची मय उन तारीखों के जिस दिन परमिटों की अवधि समाप्त होती है दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखी जाये।

(स्थगित किया गया)

समाज कल्याण विभाग में आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्तियां

511. श्री जनार्दन सिंह गहलोत (गांधीनगर, जयपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. समाज कल्याण निदेशालय में वर्तमान में किस किस वर्ग में कितने कितने अधिकारी व कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ? उनमें से कितने कितने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के हैं ?

2. समाज कल्याण विभाग में नियोजन व शिक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना कब हुई ? इस प्रकोष्ठ की स्थापना के पश्चात् कितने कर्मचारियों को आरक्षित रिक्तियों पर किस किस वर्ग में नियोजित कराया गया ? इस में कितने अनुसूचित जाति व जन जाति के थे ?

3. क्या यह सच है कि राज्य सरकार ने आरक्षित रिक्तियों की देख रेख का दायित्व इस प्रकोष्ठ पर रखा है ? यदि हां, तो राज्य में कितने अनुसूचित जाति व जन जाति के व्यक्ति किस किस शैक्षणिक स्तर के बेरोजगार हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। राज्य में किस किस विभाग में किस किस वर्ग में कितनी कितनी आरक्षित रिक्तियां अनुसूचित जाति व जनजाति के लिये अवशिष्ट हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

(1) आरक्षित अवशिष्ट रिक्तियों की आपूर्ति के लिए क्या राज्य सरकार अनुसूचित जाति और जन जाति के निमित्त बैन उठाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची (1) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) समाज कल्याण विभाग में नियोजन एवं शिक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना दिनांक 1-4-70 से की गई है। इस प्रकोष्ठ की स्थापना के पश्चात् विभिन्न विभागों से प्राप्त छः माही प्रतिवेदन के आधार पर 30-9-74 तक की वांछित सूचना परिशिष्ट 2 सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। राज्य सरकार ने आरक्षित रिक्तियों की देख-रेख का दायित्व इस प्रकोष्ठ पर रखा है। अनुसूचित जाति व जन जाति के व्यक्ति किस किस शैक्षणिक स्तर के बेरोजगार हैं, उसकी सूची 3 सदन की मेज पर रख दी गई है।

राज्य में किस किस विभाग में किस वर्ग की कितनी कितनी आरक्षित रिक्तियां अनुसूचित जाति व जन जाति के लिये अवशिष्ट है, इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है।

(4) इस प्रश्न का सम्बन्ध सामान्य प्रशासन विभाग। कार्मिक विभाग से है।

(कृपया परिशिष्ट - 6 देखिये)

रटलाई के डाक्टर का स्थानान्तरण

512. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि डाक्टर कमल शंकर का रटलाई से असनावर (जिला झालावाड़) तबादला किया गया ? यदि हां, तो कब ?

2. क्या यह भी सही है कि 15 दिन में ही उनको तबादला असनावर से वापस रटलाई कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

3. क्या यह भी सही है कि उक्त डाक्टर के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है ?

उत्तर

(1) जी हां, दिनांक 4-9-74 को स्थानीय मांग पर उनका स्थानान्तरण किया गया था।

(2) दिनांक 28-11-74 को स्थानीय मांग के आधार पर ही इन्हें पुनः रटलाई स्थानान्तरण करना पड़ा।

(3) जी हां।

ए. एन. एम. की ट्रेनिंग शुदा लड़कियां

513. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. राज्य में जनवरी, 1972 से फरवरी, 1975 तक ए. एन. एम. की ट्रेनिंग कितनी लड़कियों ने प्राप्त की औ

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

इसमें कितनी राजस्थानी थी एवं कितनी दूसरे प्रान्त की ? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

2. उक्त ट्रेनिंग शुदा लड़कियों में से कितनी लड़कियों को रोजगार मिल गया है एवं कितनी अभी बेकार है जो कि राजस्थान की रहने वाली हैं ? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

3. उक्त ट्रेन्ड लड़कियां अब कब तक नियुक्त हो जाएंगी ?

उत्तर

(1) 1894 लड़कियों ने प्रसाविका का प्रशिक्षण प्राप्त किया। जिसमें 479 राजस्थानी एवं शेष 1415 अन्य प्रान्तों की थीं।

(2) राजस्थान की रहने वाली कुल 479 प्रशिक्षित लड़कियों में से 163 को नौकरी दे दी गई है। शेष बेकार हैं।

(3) जहां तक सरकारी नियुक्ति का प्रश्न है जैसे जैसे प्रसाविकाओं के रिक्त पद उपलब्ध होंगे इनकी नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं नियम, 1965 के अनुसार तथा समय समय पर प्रसारित शासकीय निर्देशों एवं नियमों को दृष्टिगत रखते हुए की जायेगी।

पिड़ावा से झालावाड़ मार्ग पर बस

514. **श्री हाजीखान मोहम्मद** (पिड़ावा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि पिड़ावा से कोटा, झालावाड़ ट्रान्सपोर्ट की बस चलती थी और इस मार्ग के राष्ट्रीयकरण के बाद परिवहन निगम की बस चलाई गयी थी ? यदि हां, तो इसे कब और क्यों बन्द किया गया ? क्या भविष्य में इसे चलाये जाने की आशा है ?

2. क्या यह भी सही है कि पिड़ावा से दूसरी बस 9 बजे झालावाड़ के लिये जाती थी ? यदि हां, तो इसे क्यों बन्द किया गया ? क्या इसको भी दुबारा चलाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां। राष्ट्रीयकरण के उपरांत इस मार्ग पर निगम की बसें बराबर संचालित की जा रही हैं।

(2) जी हां। पिड़ावा से झालावाड़ के लिये नौ बजे वाहन सेवा यथावत संचालित की जा रही है।

अजमेर जयपुर मार्ग पर निगम की बसें

515. **श्री शंकरसिंह रावत** (नसीराबाद) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि अजमेर-जयपुर मार्ग पर प्रति घन्टे निगम की बसें आती जाती हैं ?

2. क्या यह सही है कि अजमेर से जयपुर का किराया सात रुपये बीस पैसा है और जयपुर से अजमेर का किराया सात रुपये दस पैसे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

Page No 29

(२९)

(श्री शंकरसिंह रावत)

3. क्या यह सही है कि अजमेर से ग्राम गगवाना का निगम की बसों का किराया अस्सी पैसा है जबकि गगवाना से किशनगढ़ का किराया पचेहत्तर पैसा है जबकि अजमेर से गगवाना 11 किलो मीटर है तथा गगवाना से किशनगढ़ 14 किलोमीटर है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, निगम की वाहनों का जयपुर अजमेर मार्ग पर प्रति घन्टा अथवा इससे भी कम समय में आवागमन होता है।

(2) जयपुर से अजमेर का किराया न तो सात रुपये बीस पैसे है और न सात रुपये दस पैसे बल्कि सात रुपये तेईस पैसे हैं।

(3) अजमेर से गगवाना की दूरी 14 किलोमीटर तथा गगवाना से किशनगढ़ की दूरी 15 किलोमीटर है। अजमेर से गगवाना का किराया 0-77 पैसा व गगवाना से किशनगढ़ का किराया 0-83 पैसे है।

जयपुर से मनोहर थाना की बस

516. **श्री भैरूंलाल (अकलेरा) :** क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि जयपुर से पाटन के लिये रात्रि 9-30 पर एक बस जाती है।

2. क्या यह सही है कि उक्त बस पहले मनोहर थाना तक चलती थी ?

3. क्या यह भी सही है कि उक्त बस मनोहर थाना तक के लिए ही चालू की गई थी ?

4. क्या यह सही है कि उक्त बस को अब केवल झालरापाटन तक ही चलाई जाने एवं मनोहर थाना तक चलने से बन्द कर दिये जाने के कारण मनोहर थाना अकलेरा से जयपुर कोटा आने वाले यात्रियों को भारी कठिनाई हो गई है और निगम को भी आर्थिक हानि होती है ?

5. क्या इस विषय की शिकायतें अकलेरा मनोहर थाना की जनता की ओर से सरकार को प्राप्त हुई है ? अगर हां, तो उन्हें तत्परता से दूर करने के लिए क्या निगम की उक्त बस को अकलेरा मनोहर थाना तक बढ़ाने का विचार रखती है और कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। उक्त बस को मनोहर थाना तक परीक्षण के तौर पर बढ़ाया गया था।

(3) जी नहीं। उक्त बस को पाटन तक के लिए ही चलाया गया था और केवल परीक्षण के लिए मनोहर थाना तक बढ़ाया गया था।

(4) जी नहीं। पाटन से अकलेरा एवं मनोहर थाना तक यात्रियों के आने जाने के लिये रात्रि सेवा से सम्पर्क सेवायें उपलब्ध हैं इसके कारण निगम को कोई आर्थिक हानि नहीं होती है।

(5) निगम को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई किन्तु निगम द्वारा पाटन से अकलेरा व मनोहर थाना तक सम्पर्क सेवायें उपलब्ध करा दिये जाने के कारण इस सेवा को मनोहर थाना तक ले जाने का कोई विचार नहीं है।

Page No 30

(30)

डाक्टरों को ग्रामीण भत्ता

517. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या राज्य सरकार की सेवा में डाक्टर गांवों में जाकर सेवा करते है, उन्हें सरकार की ओर से ग्रामीण भत्ता 75/– रु मासिक कब से देना तय किया ?

2. क्या यह सही है कि इस भत्ते का भुगतान मार्च, सन् 1972 से बन्द कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्यों ? क्या अब इसका भुगतान करवाया जा रहा है ?

3. अब तक कितने लोगों को भुगतान करवाने के आदेश हुए व कितनों के नहीं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

4. जिन डाक्टर्स को भुगतान के आदेश नहीं हुए उसका क्या कारण है, जबकि अन्य डाक्टर्स को भुगतान का आदेश हो चुका है?

5. क्या सरकार शेष डाक्टर्स को शीघ्र भुगतान करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां । दिनांक 17–7–58 से ।

(2) जी हाँ । महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर के द्वारा आपत्ति की गई थी कि जनगणना 1971 के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों की नवीन सूची तैयार होने पर ही उक्त भत्ता दिया जाना है । उक्त सूची विभाग के पत्र क्रमांक 46 (38) वोल्यूम-3/12787 दिनांक 14-6-74 के द्वारा भेज दी गई जिसके आधार पर राज्य सरकार ने स्वीकृति क्रमांक एफ 13 (4) (2) एम. पी. एच./57/ग्रुप-2 दिनांक 15-7-74 के द्वारा दी गई किन्तु महालेखाकार राजस्थान, जयपुर ने इस पर भी दिनांक 2-9-74 के द्वारा आपत्ति उठाई जिसका निराकरण विभाग के पत्र क्र. स्टे/जनरल/7369 दिनांक 30-12-74 के द्वारा किया जा चुका है ।

(3) ग्रामीण भत्ते के भुगतान हेतु पे स्लिप महालेखाकार द्वारा जारी की जाती है । वहां से अभी तक सम्पूर्ण सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है ।

(4) इस सम्बन्ध में महालेखाकार द्वारा उठाई आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है ।

(5) जी हां ।

इण्डस्ट्रीज ट्रिब्यूनल के समक्ष रेफ्रेन्स केसेज

518. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. श्री उपदेश नारायण माथुर, जज इन्डस्ट्रीज ट्रीब्यूनल के समक्ष 1 जनवरी 1974 को कितने रेफ्रेन्स केसेज थे और किस किस साल से पेंडिंग थे ? उनके पास इस साल 1974 में और कितने नये केस रेफर होकर आये ?

2. उक्त जज ने सन् 1974 में कितने रेफ्रेन्स केस निपटाये ? इनमें कितने केसेज मैरिट से फैसला होकर निपटे और कितनों में नो डिस्प्यूट अवार्ड हुआ ?

Page No 31

(31)

उत्तर

(1) 1 जनवरी 1974 को श्री उपदेश नारायण माथुर, जज, इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास 240 रेफेरेन्स केसेज विचाराधीन थे वे किन किन सालों से विचाराधीन थे की सूची संलग्न है। सन् 74 में उन्हे 69 केसेज रेफर किये गये।

(2) सन् 1974 में उन्होंने 103 केसेज निपटाए जिनमें 30 मेरिट के आधार पर व 73 में नो डिस्पूट अवार्ड पास किये गये। (सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

प्रतापगढ़ तहसील के अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों को बैंक से ऋण

519. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति एवं जन जाति का व्यक्ति अगर किसी बैंक से ऋण लेता है तो उस राशि का ब्याज समाज कल्याण विभाग द्वारा अदा किया जाता है ? यदि हां, तो यह स्कीम कब से लागू हुई है ?

2. जिला चित्तौड़गढ़ तहसील प्रतापगढ़ में कुल कितने बैंकों द्वारा उक्त जाति के कितने लोगों को कितना ऋण दिया गया व उक्त ऋण राशि का ब्याज समाज कल्याण विभाग द्वारा कितना अदा किया गया ? कृपया बैंक वाईज बताने की कृपा करें।

उत्तर

(1) वस्तु स्थिति यह है कि केवल कृषि कूप निर्माणार्थ एवं मरम्मत हेतु अनुसूचित जाति एवं जन जाति के कृषकों द्वारा बैंक से लिये गये ऋण के ब्याज का पुनर्भुगतान समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। यह सुविधा अनुसूचित जाति व जन जाति के उसी कृषक को दी जाती है जिसके पास असिंचित 10 एकड़ कृषि भूमि से अधिक भूमि नहीं हो।

(2) चित्तौड़गढ़ जिले की तहसील प्रतापगढ़ की बैंकों को अनुसूचित जाति व जन जाति के कृषकों द्वारा लिये गये ऋण राशि पर वर्ष वार निम्न प्रकार से ब्याज का पुनर्भुगतान किया गया है :—

क्रम संख्या	नाम बैंक	वर्ष	ब्याज की राशि जिसका पुनर्भुगतान समाज कल्याण विभाग द्वारा किया गया रुपयों में		
			अनु. जाति के कृषकों के लिए	अनु. जन जाति के कृषकों के लिए	योग
1	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर ब्रांच प्रतापगढ़	73-74	187.42	628.55	815.97
2	,, ,, ,,	74-75	139.28	—	139.28
3	प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक प्रतापगढ़	74-75	135.36	369.46	504.82

मैला ढोने की कुप्रथा

520. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. राजस्थान सरकार ने चौथी पंच-वर्षीय योजना के पांच सालों में मैला ढोने की कुप्रथा को बन्द करने के लिए विभिन्न जिलों में क्या क्या कदम उठाये और उन पर किस किस मद पर क्या क्या व्यय हुआ? प्रत्येक जिले का विवरण प्रस्तुत करें।

2. राज्य सरकार ने राज्य के सभी शहरों और नगरों मे उक्त कुप्रथा को खत्म करने के लिये पांचवी पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि का प्रावधान किया ? क्या राज्य सरकार पांचवी पंचवर्षीय योजना काल में उक्त कुप्रथा को हमेशा के लिये खत्म कर देगी ? यदि नहीं, तो क्या कठिनाईयां हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान सरकार ने चौथी पंच-वर्षीय योजना में सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा को समाप्त करने के लिये एक विस्तृत योजना बनाई जो भंगी कष्ट मुक्ति योजना के नाम से जानी जाती है। इस योजना के तहत कुल 76,94,750 रु० विभिन्न नगर-पालिकाओं को आवंटित किये गये। यह रुपये मुख्यत: यांत्रिक उपकरण खरीदने, निजी व सार्वजनिक सूखे शौचालयों को फ्लश में बदलने हेतु दिये गये।

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष वाईज विभिन्न मदों पर जो रुपया आवंटन किया गया उसका विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	यांत्रिक उपकरण क्रय करने हेतु	निजी सूखे शौचालयों को फ्लश में बदलने हेतु	सार्वजनिक सूखे शौचालयों को फ्लश में बदलने हेतु	योग
1969—70	20.45	15.35	10.00	45.80
1970—71	10.35	6.30	2.55	19.20
1971—72	2.04	4.02	3.23	9.29
1972—73	00.40	00.40	00.30	1.10
	33.24	26.07	16.08	75.39
पायलेट प्रोजेक्ट स्कीम के अन्तर्गत				1,55,750
			योग	76,94,750

वर्ष वार तथा जिले वार विभिन्न नगर-पालिकाओं को भंगी कष्ट मुक्ति योजना के अन्तर्गत आवंटित राशि की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिये कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। भारत सरकार ने इस कार्य का उत्तर दायित्व समाज कल्याण विभाग पर न मान कर स्वायत्त शासन विभाग का माना है। धनराशि के अतिरिक्त इस कार्य की सफलता स्वयं सेवी संस्थाओं एवं कर्मठ सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के सहयोग पर आधारित होगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कोटा जिले के बस मार्ग

521. **श्री रामगोपाल** (किशनगंज, कोटा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जिला कोटा में बस मार्गों पर नये गांव जोड़ने के लिये राज्य सरकार को प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे? यदि हां, तो कब और अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

हां। यह सही है कि राज्य सरकार को जिला कोटा में बस मार्गों पर नये गांव जोड़ने के लिये प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे जिन पर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार द्वारा विचार किया गया। प्रस्तावों की सूची परिणाम सहित संलग्न की जा रही है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

असनावर से झालरापाटन का बस किराया

522. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि असनावर से झालरापाटन का बस किराया 1)25 पैसा या 1)20 पैसा प्रति सवारी वसूल किया जा रहा है ?

2. क्या यह भी सही है कि टिकट पर केवल स्थान का नाम होता है व पैसों का इंद्राज नहीं किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

3. क्या यह सही है कि असनावर से झालरापाटन का वाजिब किराया 1)05 पैसा ही है परन्तु उपरोक्त मनमाना किराया लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

4. क्या यह सही है कि इसकी शिकायत डिपो झालावाड़ में करने के बाद भी यही किराया 1)20 या 1)25 लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। असनावर से झालरापाटन का किराया 1)05 पैसे ही है, और इतना ही किराया यात्रियों से वसूल किया जाता है।

(4) जी नहीं। ऐसी कोई शिकायत आगार प्रबन्धक झालावाड़ के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है।

डीडवाना तहसील के रिटेलर

523. **श्री भोमाराम चौधरी** (डीडवाना) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. डीडवाना तहसील के शुगर, खाद्य एवं केरोसिन के किन किन रिटेलरों को किन किन कारणों से 73-74 में हटाया और उन ग्रामों में क्या क्या प्रबन्ध किया गया ?

2. उक्त क्षेत्र में सन् 73-74 में जो रिटेलर हटाये गये हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

Page No 34

(34)

उत्तर

(1) डीडवाना तहसील में 73-74 में जिन 2 शुगर, खाद्यान्न, एवं केरोसिन डीलरों को हटाया गया तथा उनके स्थान पर किये गये प्रबन्ध की सूची तैयार कर संलग्न है।

(2) प्रश्न के भाग (1) के उत्तर में प्रस्तुत सूची में अंकित कर दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

ग्राम बूटोली में गेहूं की लेवी का भुगतान

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

524 श्री रामचन्द्र पटेल (सिकराय): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

1. ग्राम बूटोली के सर्व श्री राम किशोर व श्रवण शर्मा से गत रबी फसल में कितना गेहूं लेवी में वसूल किया गया तथा इसकी कीमत का भुगतान कब किया गया?

2. क्या गेहूं तुलवाते ही कीमत का भुगतान होना जरूरी था? यदि हां, तो क्या उक्त व्यक्तियों को भी तुरन्त भुगतान किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ग्राम बूटोली के श्री रामकिशोर पुत्र मुन्नालाल से 3.05 कि० तथा श्रवण शर्मा पुत्र बद्री से 1.95 कि० गेहूं गत रबी फसल में लेवी में दिनांक 31-7-74 को वसूल किया गया। इसकी कीमत का भुगतान दिनांक 26-11-74 को क्रमश: 320.25 एवं 204.75 किया गया।

(2) गेहूं तुलवाते ही कीमत का भुगतान जरूरी था परन्तु इन्होंने लेवी समय पर नहीं दी इसलिए इनके विरुद्ध पुलिस में एफ. आई. आर. दी गई। बाद में उन्होंने खाद्य विभाग को सीधे लेवी तुलवाई जिसका भुगतान खाद्य निगम द्वारा सीधा ही उन्हें करना चाहिए था परन्तु खाद्य निगम के माननीय इन्सपेक्टर ने उसी वक्त भुगतान न कर तहसील से बिल बनवाकर लाने को कहा भुगतान जल्द कराने की दृष्टि से तहसील से बिल बनवाया गया तब इस बिल का भुगतान हुआ। उपरोक्त स्थिति में इनकी कीमत के भुगतान में विलम्ब हुआ।

दी मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर

525. श्री गणेशलाल (गंगरार) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. दी मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर द्वारा सन् 1965 से अब तक कितने टन शक्कर उत्पादन किया गया है? वर्ष वाईज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

2. क्या यह सही है कि उक्त शुगर मिल को शक्कर का फ्री सेल करने का भी अधिकार है? यदि हां, तो कितने प्रतिशत।

3. क्या यह सही है कि जो शक्कर शुगर मिल द्वारा बेची जाती है उसका बिक्री कर भी चुकाया जाता है? यदि हां, तो कितना? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

Page No 35

(35)

(श्री गणेशलाल)

4. क्या यह भी सही है कि बिक्री कर की रकम उक्त शुगर मिल में बकाया है ? यदि हां, तो कितनी व कब से और अब तक नहीं चुकाने का क्या कारण है ?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

कृषि मुख्यालय में कार्य कर रहे कर्मचारियों की नियुक्ति तिथि

526. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. कृषि मुख्यालय में कौन कौन कर्मचारी कार्य कर रहे हैं जिन्होंने पुरानी रियासतों में मिलट्री में नौकरी शुरू की और बाद में जिन्हें सिविल महकमों में काम पर लिया गया ? ऐसे कर्मचारियों की जन्म तारीख वर्तमान कार्यालय में व मिलट्री की व अन्य विवरण सहित सूची सदन के पटल पर रखने का कृपा करें।

2. क्या यह सही है कि ऐसे कर्मचारियों की जन्म तिथि जो कि मिलट्री में दर्ज थी राजस्थान बनने पर बदल दी गई ? यदि हां, किन नियमों के अन्तर्गत और क्यों ?

3. क्या यह भी सही है कि ऐसे व्यक्तियों को वरिष्ठता साढ़े तेरह साल की उम्र से ही गिनी गई है ? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत और क्यों ?

4. क्या यह भी सही है कि ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति की तारीख भी वास्तविक नियुक्ति की तारीख से 3–4 साल पीछे से मानी गई है ?

5. क्या बदली गई जन्म तिथियों की जांच कर वास्तविक जन्म तिथि दर्ज करा कर इस प्रकार अनियमित कार्य करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी हां। हाई स्कूल प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर उनके आधार पर सही जन्म तिथि अंकित की गयी।

(3) राजस्थान मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज आफ कन्वीनेन्टिग स्टेट्स के कार्यकर्ताओं की वरिष्ठता टोटल लेन्थ आफ सर्विस से मानी गयी थी न कि उम्र के हिसाब से।

(4) बीकानेर स्टेट ने श्री लक्ष्मीचन्द बंसल जितने समय मिलट्री की एक्टिव सर्विस में रहे, उस कार्य की महत्ता को मानते हुए उस कार्यकाल को सेवा अवधि के लिए दुगुना माना है। इसीलिए सेवा काल अभिलेखों में वास्तविक सेवाकाल से चार वर्ष की वृद्धि हो गयी।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

जयपुर जिले में राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय

527. श्री जयकिशनलाल तोषावड़ा (फागी) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जयपुर में कितने राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय हैं ? श्रेणी-वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(आयुर्वेद मंत्री)

उत्तर

जयपुर जिले में कुल 211 आयुर्वेदिक औषधालय हैं। श्रेणी वार सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

कोटा जिले में धान की लेवी

528. श्री रामगोपाल (किशनगंज): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

इस वर्ष कोटा जिले मे धान लेवी वसूली का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था? क्या यह वसूली का लक्ष्य पूरा किया जा चुका है?

उत्तर

राज्य सरकार द्वारा लेवी की वसूली का राज्य स्तर पर अथवा जिले वार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था। कोटा जिले में अब तक 1754-3 टन लेवी वसूल की गई है।

राजस्थान कृषि उद्योग निगम द्वारा बीजों का वितरण

529. श्री हनुमान सहाय व्यास (बैराठ): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सच है कि उन्नत एवं प्रमाणित बीज वितरण का कार्य राजस्थान कृषि उद्योग निगम द्वारा प्रदेश में किया जा रहा है? यदि हां, तो कब से?

2. क्या बीज वितरण कार्य में निगम ने सफलता प्राप्त की है यदि हां, तो पंचायत समितियों की डिमाण्ड क्या थी और कितना कितना बीज कब कब सप्लाई किया गया?

उत्तर

(1) जी हां। उन्नत एवं प्रमाणित बीजों में से कुछ निर्धारित फसलों का वितरण किया गया, जैसे संकर बाजरा, मक्का, ज्वार, धान, गेहूं, जौ व चना। यह कार्य निगम द्वारा मार्च 1974 से प्रारम्भ किया गया है।

(2) जी हां। कुछ पंचायत समितियों की मांग एवं उनके विरुद्ध जितना बीज दिया गया है वह परिपत्र 'अ' पर है। शेष के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित होने पर उपलब्ध करवाना सम्भव होगा।

(परिपत्र विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

भेड़ व ऊन विभाग द्वारा ऊन की खरीद

530. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या मंत्री भेड़ एवं ऊन विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. राजस्थान में देश की कितनी प्रतिशत ऊन पैदा होती है? इसकी क्या वजह है और इसमें से भेड़ व ऊन विभाग कितनी क्रय करता है?

2. उक्त विभाग ने पिछले चार वर्षों में और वर्तमान वर्ष में कितनी ऊन कितने मूल्य की क्रय की? क्या यह समस्त ऊन ग्रेडिंग करके बेची गई।

3. उपरोक्त वर्षों में विभाग को पूरी लागत कीमत पर ब्याज देने के पश्चात् कितना शुद्ध लाभ व हानि हुई? कृपया

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

लागत कीमत, ब्याज की दर व ब्याज की रकम, अन्य खर्चा, विक्रय का मूल्य और शुद्ध लाभ व हानि की पूर्ति सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) राजस्थान में देश की लगभग 40 प्रतिशत ऊन पैदा होती है जो लगभग 1,08,13,579 किलो ग्राम होती है। विभाग द्वारा जो ऊन क्रय की गई है, उसका विवरण तालिका 'अ' में दिया गया है।

तालिका 'अ' संलग्न है।

(2) जी हां, ग्रेडिंग करके ही बेची जाती है।

(3) तालिका 'ब' संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

पंचायत समिति छीपा बड़ोद का फील्डमैन

531. श्री राम गोपाल (किशनगंज): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि श्री घासीलाल कृषि क्षेत्रपाल (फील्डमैन) पंचायत समिति छीपा बड़ोद, जिला कोटा को इसी पंचायत समिति में कार्य करते हुए लगभग पांच वर्ष हो गये हैं?

2. क्या यह सही है कि पंचायत समिति क्षेत्र में किसानों के बीच में यह सम्पर्क नहीं करता है, और समिति के कार्यालय के सामने चाय का रेस्टोरेन्ट खोल कर बैठा रहता है, तथा अपनी डायरी में फील्ड में घूमने का कार्यक्रम झूठा लिखा लेता है और क्षेत्रीय चुनावों में खुल कर भाग लेता है?

3. क्या यह सही है कि पंचायत समिति छीपा बड़ोद में अभी भी किसानों को यह मालूम नहीं है कि इस पंचायत समिति में फील्डमैन है या नहीं है तथा विकास अधिकारी के कृषि कार्य हेतु कहने पर भी उसकी आज्ञा की अवहेलना करता है?

4. क्या यह सही है कि दिनांक 20-1-75 को अध्यक्ष मार्केटिंग सोसायटी छीपा बड़ोद का चुनाव हुआ था जिसमें इस फील्डमैन ने खुले रूप में भाग लिया और श्री कजोड़लाल डायरेक्टर मार्केटिंग सोसायटी छीपा बड़ोद निवासी ग्राम राई को अपहरण करके ले गया था तथा उससे कहा था कि अगर तुम मेरे कहे अनुसार मतदान नहीं करोगे तो इसका दुष्परिणाम होगा?

5. क्या यह सही है कि इस फील्डमैन की लिखित शिकायतें राज्य सरकार एवं सम्बन्धित कृषि विभाग के जिला अधिकारियों तथा क्षेत्रीय पंचायत समिति के विकास अधिकारी को दी जा चुकी है? यदि हां, तो अब इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। विभाग द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके आधार पर उक्त क्षेत्रपति द्वारा पंचायत समिति कार्यालय के सामने स्वयं द्वारा रेस्टोरेन्ट चलाया

Page No 38

(३८)

(कृषि मंत्री)

जाना प्रमाणित नहीं होता है तथा किसी क्षेत्रीय चुनाव में भाग लेने के सम्बन्ध में भी कृषि विभाग को कोई जानकारी नहीं है।

(3) जी नहीं। आज्ञा की अवज्ञा करने की शिकायत प्रमाणित रूप में विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

(4) श्री घासीलाल क्षेत्रपति के विरुद्ध कोई ऐसी शिकायत की पूरी जानकारी कृषि विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

(5) ऐसी कोई शिकायत कृषि विभाग की जानकारी में नहीं है।

बून्दी जिले में सीमेंट के कोटे का वितरण

532. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन): क्या खाद्य एवं नागरिक रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. बून्दी जिले में 1973-74 का एवं 1974-75 का सीमेंट का कितना कोटा कायम किया गया है और किस किस एजेन्ट को कितना कितना सीमेंट का कोटा दिया गया था? एजेन्ट वाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

2. क्या यह सही है कि जिले में तहसील एवं पंचायत समिति स्तर पर सीमेंट के एजेन्ट कायम किये गये हैं? यदि हां, तो कौन कौन सी तहसील एवं पंचायत समिति स्तर पर कहां कहां सीमेंट के वितरण केन्द्र कायम किये हुये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें?

3. क्या यह भी सत्य है कि जिले में सीमेंट वितरण केन्द्र केवल लाखेरी एवं बून्दी में ही है? यदि हां, तो क्यों?

4. क्या यह सही है कि राज्य सरकार प्रत्येक तहसील एवं पंचायत समिति के स्तर पर सीमेंट केन्द्र कायम किये जाने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

5. सीमेंट के वितरण हेतु किस प्रकार कहां कहां और ज्यादा से ज्यादा कितने सीमेंट के परमिट जारी किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बून्दी जिले को वर्ष 1973-74 में 2065 टन तथा वर्ष 74-75 में 1420 टन सीमेंट का कोटा निश्चित किया गया था। सीमेंट वितरण की एजेन्ट वाईज सूची संलग्न है।

(2) तहसील हिन्डौली, नैनवा व केशोरायपाटन तथा पंचायत समिति मुख्यालय तालेड़ा में सीमेंट विक्रय केन्द्र कायम है।

(3) सीमेंट का वितरण फैक्ट्रीज द्वारा नियुक्त स्टॉकिस्ट द्वारा किया जाता है। जिलाधीशों को निर्देश दिये हुये हैं कि यदि कहीं केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता हो तो वे सम्बन्धित फैक्ट्रियों के व्यवस्थापकों को आवश्यक व्यवस्था करने हेतु कहें।

(4) जी नहीं। सीमेंट का वितरण बून्दी, लाखेरी, केशोरायपाटन व नैनवा केन्द्र पर हो रहा है। तहसील मुख्यालय हिण्डौली व पंचायत समिति तालेड़ा में

(खाद्य एवं रसद मंत्री)

सीमेंट विक्रय हेतु किसी डीलर द्वारा लाईसेन्स का आवेदन नहीं किया गया, अतः हिण्डोली व तालेड़ा में कोई एजेन्ट नहीं है परन्तु इन स्थानों पर क्रमशः मेसर्स बलदेव बजरंगलाल लाखेरी व न्यू बिजनेस कोरपोरेशन बून्दी को सीमेंट विक्रय की व्यवस्था हेतु जिलाधीश बून्दी द्वारा आदेश दिये गये हैं।

(5) सीमेंट का वितरण जिला रसद अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका, प्रधान पंचायत समिति, प्रमुख जिला परिषद एवं सरपंचों द्वारा जारी किए गए परमिटों पर किया गया है। लघु उद्योगों के लिए जिला उद्योग अधिकारी द्वारा जारी परमिटों पर सीमेंट का वितरण किया गया है। परमिट कम से कम एक थैले से लेकर 600 तक व्यक्तिगत कार्य, राज्य कार्य व संस्था के कार्य हेतु जारी किए गए हैं। 50 थैले से ऊपर की मात्रा पर जारी किए गए परमिटों की सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखिये)

राजस्थान में कन्ट्रोल का अनाज

533. **श्रीमती भगवती देवी** (भिनाय, अजमेर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. गत तीन वर्षों में राजस्थान में कन्ट्रोल का गेहूं और मोटा अनाज राज्य सरकार द्वारा कितनी मात्रा में वितरित करवाया गया ? जिलेवार आंकड़े सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें ?

2. क्या यह सही है कि शहरों में गेहूं का वितरण प्रति वर्ष गांवों से अधिक किया गया ? क्या यह भी सही है कि उतनी ही मात्रा में प्रति व्यक्ति मोटा अनाज भी गांवों में वितरित नहीं किया गया ?

3 क्या ग्रामीण और शहरों के बीच यह भेदभाव अनुचित नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस भेदभाव पूर्ण नीति को बदलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) वर्ष 1972-73, 73-74 व 74-75 में कन्ट्रोल के गेहूं एवं मोटे अनाज के जिलेवार वितरण के आंकड़े संलग्न सूची में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) शहरों में प्रतिवर्ष गांवों की अपेक्षा गेहूं अधिक वितरण कराया गया है। क्योंकि वहां किसी भी प्रकार का अनाज उत्पन्न नहीं होता। और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन अच्छा होने पर साधारण रूप से अनाज उपलब्ध हो जाता है कठिनाई के समय वहां भी उपलब्धि के आधार पर खाद्यान्न वितरण कराया जाता है।

(3) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज के वितरण में भेदभाव का कोई प्रश्न नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखिये)

बीकानेर जिले के ऊंटों में रोग

534. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

1. क्या बीकानेर जिले के मवेशियों की चिकित्सा ऊंटों में प्रतिवर्ष रोग में उपयोगी इन्जेक्शनों का भी गत तीन वर्षों में उपयोग किया गया है ? यदि हां, तो कब कब और किन किन मालिकों के ऊंटों के लिए ? कृपया समस्त विवरण सहित मय तिथि अंकित करते हुए सदन की मेज पर रखें।

2. क्या सरकार द्वारा बीकानेर जिले के ऊंटों, भेड़ एवं मुर्गे-मुर्गियों के विकास हेतु गत तीन वर्षों में कोई कदम उठाये गये हैं ? यदि हां, तो उसकी समस्त जानकारी देने की कृपा करें।

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

बीकानेर जिले के कृषकों को खाद

535 श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राजस्थान नहरी क्षेत्र के कृषकों को बीकानेर जिले में खाद दिये जाने से वंचित रखा गया है ? यदि नहीं, तो सन् 1972 से दिसम्बर 1974 तक खाद वितरण किये जाने की सूचना, माध्यम एवं किस्म की जानकारी, अंकित करते हुए सम्पूर्ण सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

उत्तर

जी नहीं। वर्ष 1972-73 से दिसम्बर 1974 तक निम्नानुसार खाद वितरण किया गया।

माध्यम	खाद की मात्रा व नाम (मे. टनों में) यूरिया	सी.ए.एन.
1. विकास अधिकारी बीकानेर	10.00	—
2. मै. कल्याणी फरटी लाइजर्स बीकानेर	18.80	20.00
3. कृषि सहायक बीकानेर	—	20.00
4. मै० बीकानेर ओटो एग्रो सेन्टर बीकानेर	33.95	—
5. मे० खेमाराम पूगल (बीकानेर)	29.50	—
योग....	92.25	40.00

मोअत्तिल डी० एस० ओज

536. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि 1970-71 पूरे राज्य में कई डी. एस. ओ. मोअत्तिल किये हुए हैं ? यदि हां, तो कौन कौन कब कब मोअत्तिल किये गये तथा प्रत्येक को चार्जशीट किस तिथि को दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

2. उपरोक्त अधिकारियों को लम्बे समय तक मोअत्तिल क्यों रखा जाता है ? अब इन अधिकारियों के मामलों का फैसला कब तक कर दिया जायगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। केवल वर्ष 1974 में दिनांक 5-3-74 से रामेश्वर लाल पुरोहित, जिला रसद अधिकारी, चुरू को मौत्तिल किया गया था। उन्हें चार्जशीट दिनांक

(खाद्य मंत्री)

12/12/74 को दी गई थी। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त अधिकारी को 5-3-74 को निलम्बित किया गया था। श्री पुरोहित को चार्जशीट दी जा चुकी है। तथा अग्रिम कार्यवाही शीघ्र की जावेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखिये)

जयपुर जिले में किसानों को बीज का वितरण

537. श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा (फागी): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. जयपुर जिले में कृषि विभाग द्वारा कितना बीज बांटा गया? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

2. क्या यह सही है किसानों को समय पर बीज उपलब्ध नहीं हो सका? यदि हां, तो क्यों?

3. क्या राज्य सरकार भविष्य में समय पर बीज वितरण करने की व्यवस्था करेगी?

उत्तर

(1) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, हां।

(तालिका के लिए कृपया परिशिष्ट 16 देखिये)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई:—

1. श्री गोपालसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से सीकर जिले की खण्डेला, श्री माधोपुर व नीम का थाना पंचायत समितियों के बिजली उपभोक्ताओं, किसानों को बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा वसूली का कोटा पूरा करने के उद्देश्य से झूठे बिल दिये जाकर सामूहिक तौर पर किसानों के बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, इस विषय में। इस प्रश्न पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

2. श्री गुरदयालसिंह सन्धु, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान में सन् 73 तथा 74 में वसूल की गई लेवी के बोनस का भुगतान न करने के कारण आगामी लेवी की वसूली में कठिनाई होने की संभावना है, इस विषय में,

3. श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान सरकार की आबकारी नीति के कारण तीन करोड़ रुपये का नुकसान होने जा रहा है, इस विषय में,

ये दोनों ही प्रश्न किसी घटना विशेष से सम्बन्धित नहीं है और भावी आशंका पर आधारित है।

4. श्री मोहरसिंह (सादुलपुर), सदस्य विधान सभा की ओर से किसान सत्याग्रह के अन्तर्गत गत 24 मार्च को किये गये

(श्री अध्यक्ष)

विशाल प्रदर्शन के बाद पेश की गई एक याचिका के सम्बन्ध में। यह प्रश्न भी किसी घटना विशेष से सम्बन्धित नहीं है और जिस याचिका का उल्लेख किया गया है उसमें एक से अधिक प्रश्न समाविष्ट हैं,

5. श्री भानुकुमार शास्त्री, सदस्य विधान सभा की ओर से 5 नवम्बर, 1973 को सुप्रीम कोर्ट बेंच द्वारा टाइम बार्ड क्लेम्स के प्रावधान को हटाने के आग्रह के बावजूद राज्य सरकार द्वारा उसे न हटाने के विषय में। यह एक कानूनी मुद्दा है।

6. श्री मोहम्मद गफ्फार अली, सदस्य विधान सभा की ओर से राज्य सरकार द्वारा टैक्सी, साइकिल चलाने वाले व मरम्मत करने वाले साइकिल दुकानों पर काम करने का समय निश्चित कर देने के विषय में। यह एक नीति विषयक प्रश्न है,

7. श्री रतिराम यादव, सदस्य विधान सभा की ओर से गत 17 सितम्बर को अलवर के भूतपूर्व महाराज कुमार द्वारा दो वकीलों को अपनी कोठी में बुलाकर डराने धमकाने के विषय में। यह व्यक्ति विशेष से सम्बन्धित पुरानी घटना से सम्बन्धित है और प्रश्न का विषय है,

8. श्री निरंजननाथ आचार्य, सदस्य विधान सभा की ओर से मेवाड़ शुगर मिल, भोपालसागर द्वारा उदयपुर क्षेत्र के सब प्रकार के गन्ने की खरीद प्रारम्भ न होने के विषय में। इसी सत्र में पूर्व में इसी विषय पर एक स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार किया जा चुका है।

9. श्री मनोहरलाल, सदस्य विधान सभा की ओर से नगरपालिका कामां द्वारा बस स्टैण्ड बनाने पर नगरपालिका के धन का दुरुपयोग किया जा रहा है, इस विषय में,

10. श्री मूलचन्द सामरिया और श्री मीठालाल, सदस्य विधान सभा की ओर से हरिजन व कमजोर आदिवासियों की भूमि की गलत गिरदावरियां अन्य लोग अपने नाम से करवा रहे हैं, इस विषय में,

ये सब प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सरकार ने अभी कुछ जमीनों के गलत गिरदावरियों के सम्बन्ध में जो आदेश निकाले हैं उनकी वजह से गरीब हरिजनों को बहुत नुकसान हो रहा है और जो प्रभावशाली लोग हैं, जिनके पास अधिक भूमि होती है, जिनके पास सत्ता होती है, जिनके पास अधिक पैसा होता है, जो राजनीतिक दृष्टि से बड़े प्रभावशाली आदमी होते हैं उनके दबाव से स्थानीय पटवारी लोग गरीब हरिजनों को और आदिवासियों को, जिनके पास छोटे-छोटे जमीनों के टुकड़े हैं, गलत तरीके से बड़े लोग अपने नाम ट्रान्सफर करवा लेते हैं और इसका नतीजा यह होता है कि सरकार ने शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को और आदिवासियों को जो भूमि अलाट की है और बड़े लोगों पर ट्रान्सफर की जो पाबन्दी लगाई है उसका गलत प्रयोग हो रहा है और गरीब लोग को बेदखल किया जाता है। जो लोग दस-

(श्री मूलचन्द सामरिया)

दस साल से, पांच साल से काश्त कर रहे हैं वहां पर शक्तिशाली लोग कमजोर लोगों को बेदखल कर देते है और इस तरह से प्रभावशाली लोग बकंती करते हैं। पुलिस में रिपोर्ट भी करवाते हैं तो एक मात्र पटवारी की रिपोर्ट पर अदालत में नहीं जा सकते हैं। इस तरह की मैं कई मिसालें दे सकता हूं। बिडोली में भी इस तरह का केस हुआ है। वहां पर गरीबों पर डाका डाला गया है, उन लोगों के अपील करने पर भी कुछ नहीं किया तहसीलदार ने। इस तरह से अध्यक्ष महोदय, गरीब लोगों की जमीनों पर शक्तिशाली लोग कब्जा करते हैं और नाजायज तरीके से उनको बेदखल करते हैं और उनकी जमीनों को हड़प रहे हैं। मैं समझता हूं कि प्रेक्टिकल तरीके से सरकार भी इसमें सहयोग दे रही है और भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दे रही है। इससे नतीजा यह हो रहा है कि गरीब लोगों की जमीनें मालदार लोगों के कब्जे में जा रही हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार इस ओर ध्यान दे और इस तरीके पर रोक लगाये।

श्री अध्यक्ष : यह तो मैं नहीं चाहता कि आप नहीं बोलें लेकिन एक एक स्थगन प्रस्ताव पर दस दस मिनिट ले लिए जावें तो फिर तो काम पूरा हो नहीं सकता। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप बोलें जरूर लेकिन बहुत सूक्ष्म में अपनी बात कह दें।

श्री मीठालाल।

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य सामरियाजी ने मामला उठाया है आज के समय में गश्त गिरदावरी और उसके आधार पर वसूली गरीब काश्तकारों के लिए एक बहुत गम्भीर समस्या बन गई है। क्योंकि पहले यह नहीं था और गत वर्ष से यह गश्त गिरदावरी का निर्णय लिया गया है और गरीबों से और खास कर गरीब काश्तकारों से जो वसूली कर रहे हैं, जो स्थानीय पटवारी हैं, उन पटवारियों के द्वारा लूट खसोट और अनियमिततायें करने और भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा साधन गश्त गिरदावरी बन गया है। कुछ दिनों पूर्व राजस्व मंत्रीजी से इस बारे में मेरी बात हुई थी और उन्होंने भी इस बात को माना था कि इस वर्ष गश्त गिरदावरी के होने से भ्रष्टाचार बढ रहा है। इस नियम के लागू होने से काफी अनियमिततायें बढ रही हैं और स्थानीय पटवारी लोग काश्तकारों को परेशान कर रहे हैं। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि इस मामले में शीघ्र निर्णय लें और इस गश्त गिरदावरी से पहले जो व्यवस्था चल रही थी वही व्यवस्था चलती रहे और इसमें गरीब काश्तकार वगैरा को परेशान किया जा रहा है और पटवारियों में जो इससे भ्रष्टाचार बढ रहा है उसको तत्काल बन्द करायें और गरीबों को राहत दिलायें यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री गुरदयालसिंह।

श्री गोपालसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपालसिंह।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले चार पांच दिनों से

Page No 44

(४५)

-(श्री गोपालसिंह)

राजस्थान के सीकर जिले में 'खण्डेला, श्री माधोपुर और नीमकाथाना क्षेत्रों में बिजली के कनेक्शन बड़ी मुस्तैदी के साथ सामूहिक तौर पर कट रहे हैं और माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि एग्रीकल्चर के लिहाज से आगामी पांच सात दिन ही जिले में बहुत इम्पोर्टेंट स्टेज हैं किसानों के लिए यदि इस वक्त पानी देना सरकार ने बन्द कर दिया तो यह जो आई हुई फसल है, फसल पक कर तैयार हुई है और अब कटने के लिए तैयार है पानी बन्द कर दिया गया है तो बहुत बड़ा नुकसान किसानों का तो होगा ही साथ ही बड़ा भारी लोस राष्ट्र को भी होने वाला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हजारों लोगों को दो दो हजार, तीन तीन हजार रुपयों के इकट्ठे बिल दे दिए गए हैं और उनको कहा जा रहा है कि हमारा कोटा फिक्स कर दिया गया है कि इतना टार्जेट है, इतना पैसा वसूल करना है और इसलिए वे कोई जस्टीफिकेशन नहीं देखते हैं और किसानों की दिक्कतों को देखे बिना कैसे भी वसूल करना है, इसलिए वसूल कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि साल के बारह महीने गुजर गए, हर महीने उनसे वसूली हो रही थी। अब उनसे कहा जा रहा है कि तुमने मीटर तोड़ दिया, तुम्हारे पाईप में छेद हो गया और इसलिए इस तरह से बिना सोचे समझे इस प्रकार से बिल दिए जा रहे हैं। महीने के महीने उनका हिसाब होकर कार्यवाही हो रही थी, उनसे वसूली हो रही थी लेकिन अब साल के आखिर में एक साथ हजारों रुपयों का बिल देकर, दो दो हजार, तीन तीन हजार का बिल देकर उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इनमें किसानों का तो बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जब तक उनकी फसल कटे तब तक के लिए तो पूरी कार्यवाही मेहरबानी करके रोक दें और बाद में उनका हिसाब देकर वसूली कर लें। इस तरह से उनकी बिजली का कनेक्शन काटकर फसल नुकसान करने से न तो यह आपके लिए अच्छा है, न समाज के लिए अच्छा है और न गरीबों के लिए अच्छा है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि इस हाई टाईम पर जब फसल पक चुकी है इस समय बिजली का कनेक्शन नहीं काटें और बाद मे वसूली करलें हिसाब से।

श्री अध्यक्ष : श्री गुरदयालसिंह संधु।

श्री सांवरमल मौर (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी इसी सम्बन्ध में एक निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : आप भी बोलना चाहते हैं।

श्री सांवरमल मौर : मैं बहुत थोड़े में निवेदन कर देता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्रीसांवरमल मौर।

श्री सांवरमल मौर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास में अभी एक तार आया है कि :

"सीकर जिले में बिजली अधिकारियों द्वारा राजस्व का कोटा पूरा करने के लिए उपभोक्ताओं को झूठे बिल देकर जबरदस्ती वसूली की कोशिश की जा रही है। पकने वाली फसल के कुओं के कनेक्शन काटने में

(श्री सांवरमल मोर)

जबरदस्ती की जा रही है। झूंठी वसूली तुरन्त रुकवायी जावे।"

कृषक वर्ग श्री माधोपुर तहसील। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो समस्या सारे हिन्दुस्तान में अनाज की, बड़ी काफी दिक्कत है ऐसी परिस्थिति के अन्दर पकी हुई फसल के समय कनेक्शन काटे जाते हैं तो इससे बड़ी दुखदायी बात कोई नहीं होगी। इसलिए मैं आपके द्वारा अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय बिल्कुल बिजली के कनेक्शन नहीं काटे जावें और फसल पकने के बाद में जो भी वाजिब वसूली है उसकी फसल कटने के बाद कार्यवाही की जावे।

श्री अध्यक्ष : श्री गुरदयालसिंह।

श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव लेवी के सम्बन्ध में है। लेवी से जो गेहूं की वसूली की जाती है, किसानों की आम तौर पर यह शिकायत है कि हम से सस्ते भाव से लेवी ली जाती है, मगर इसके बाद जो बोनस के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें पैसा मिलता है, राज्य सरकार स्वयं हजम कर जाती है और किसानों को वह पैसा नहीं मिलता है। पिछले साल रबी 73 में किसानों को करीब साठ लाख रुपया बोनस के रूप में देने के लिए राजस्थान सरकार को मिला जिसमें से ढाई लाख रुपया सिर्फ गंगानगर जिले के लिए ही था लेकिन राजस्थान सरकार ने वह पैसा किसानों को नहीं दिया और पिछली लेवी जो धान की वसूली की गई है उस पर पंजाब गवर्नमेन्ट को साढ़े पांच रुपया प्रति क्विन्टल रकम मिली है और राज्य सरकार को भी, राजस्थान सरकार को भी जरूर मिली होगी यह अपेक्षा करनी चाहिए लेकिन क्या कारण है कि यहां के राजस्थान के किसानों को वह रकम नहीं दी जाती है। इसका यह मतलब हुआ कि एक तरफ तो हमारा अनाज सस्ता लिया जा रहा है और दूसरी तरफ सेन्ट्रल गवर्नमेंट से जो रकम मिलती है वह किसानों को नहीं मिले तो हम इसका विरोध करेंगे। हम सरकार को कहेंगे कि अगर सरकार को आयन्दा लेवी लेनी है तो उससे पहले जो पिछला बोनस उसका मिला हुआ है, जो उन्होंने प्राप्त किया है वह शीघ्र किसानों को दे दें अन्यथा किसान मजबूर होकर आइन्दा लेवी नहीं देंगे, यह मेरा प्रस्ताव है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को अनुरोध करूंगा कि उनको बोनस का वह रुपया किसानों को शीघ्र दे देना चाहिए। जनता के नाम पर वसूल की गई रकम आज तक नहीं देना कोई इन्साफ नहीं है। यह अन्याय है।

श्री अध्यक्ष : श्री गफ्फार अली।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जोहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है वह जो छोटे कारबार करने वाले हैं उनके सम्बन्ध में है। अध्यक्ष महोदय, जयपुर में कमोवेस छः सात सौ ऐसे लोग हैं जो आठ आठ, दस दस साईकिलें रखे हुए हैं और उन साईकलों को किराये पर चलाते हैं और कुछ मरम्मत कर देते हैं, पंचर सुधार देते हैं और उसी में वह अपना गुजर बसर करते हैं और मुश्किल से पांच सात रुपया रोज कमाते हैं। अभी फरवरी के महिने में उनको जो एजम्शन मिला

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

हुआ था राजस्थान सरकार की ओर से और वह एग्जम्पशन विथड्रा कर लिया है। अब उनके ऊपर यह पाबन्दी लगा दी गई है कि दूसरे दुकानदारों की तरह से रोजाना मुकर्रर वक्त पर बन्द करें। इससे उनकी सैंकड़ों दिक्कतें बढ़ जायेंगी। अध्यक्ष महोदय, उनकी साइकिलें जो किराये पर जाती हैं वह नहीं जा सकेंगी क्योंकि जिस वक्त उनकी दुकानें खुलेंगी किराये लेने वाले चले जायेंगे और जिस वक्त दुकानें बन्द करने पर मजबूर होंगे उस वक्त तक साईकिलें वापस ला नहीं सकेंगे इसलिए उनका कारोबार अब बिल्कुल ठप्प हो गया है। अध्यक्ष महोदय, जो छोटा मोटा कारोबार करने वाले लोग हैं, मैं चाहूंगा कि इसमें कोई एतराज नहीं है कि अगर कोई मुलाजिम रखता है और छुट्टी नहीं देता है तो उसके साथ पाबन्दी लगाई जावे, उनके साथ सख्ती की जाय लेकिन जो लोग छोटा मोटा व्यापार करते हैं, छोटे 2 लोग आठ दस साईकिलें रखते हैं इन पर पाबन्दी लगाना उचित नहीं है और इससे उनकी तकलीफें बहुत बढ़ जायेंगी।

इसी तरह से जो कन्फेक्शनरी वाले हैं, बिस्कुट, डबल रोटी वाले है उन पर टैक्स लगा दिया है और अध्यक्ष महोदय, टैक्सेशन के लगाने के वक्त यह लगाना कि यह इस टाईम पर दुकान खोलें और इस टाईम पर बन्द करें यह उचित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि कम से कम यह जो छोटे साईकिल का कारोबार करते हैं, साईकिलें किराये पर चलाते हैं और जो आठ दस साईकिलें लिए बैठे हैं उनको तो कम से कम इस प्रकार की सीमा से एग्जम्प्ट किया जावे। और मैं यह भी सुझाव देता हूं कि यह जो कन्फेक्शनर्स हैं, बिस्कुट वाले है, बेकरी वाले हैं, डबल रोटी वाले है, उनके लिए भी मेरा सुझाव है कि उनको इन सीमाओं से मुक्त किया जावे तब तो ठीक हो सकेगा, यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहरलाल।

श्री मनोहरलाल (कामां) : अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका का यह काम नहीं है कि वह मोटर स्टैंड बनाये। अध्यक्ष महोदय, कामां की नगरपालिका का जो काम है, आज कामां की नालियां साफ नहीं होती हैं, गलियां साफ नहीं होती हैं, कामां में गलियां सड़ रही हैं, और नालियां सड़ रही हैं जिसकी वजह से बीमारियां फैलने वाली हैं वहां पर इसकी कोई व्यवस्था नहीं हैं। गलियों में रोशनी नहीं है, इसके बावजूद अध्यक्ष महोदय, वहां पर प्रशासक मोटर स्टैंड पर लाखों रुपया खर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर काम शुरू कर दिया गया है। मोटर स्टैंड जहां पर यह सवारियों से सम्बन्धित है जो बाहर से आने जाने वाले लोग हैं उनसे सम्बन्धित है लेकिन नगरपालिका कामां में कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता है। वहां पर छः महीने से कामां में, अध्यक्ष महोदय, कोई अधिशासी अधिकारी नहीं है। तहसीलदार प्रशासक है, उनको कामां के बारे में कोई जानकारी नहीं है। प्रशासक जो अधिशासी अधिकारी है उसका कार्य वहां के कर्मचारी करते हैं और पार्टीबन्दी में उलझे हुए हैं और पूंजी का नुकसान हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वहां पर तुरन्त कोई अधिशासी अधिकारी भेजें।

(श्री मनोहर लाल)

अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं। माननीय संधु साहब ने अभी 2 लेवी के बारे में निवेदन किया था····

श्री अध्यक्ष : आप अपने स्थगन प्रस्ताव के बारे में ही कहें। यह नार्मल प्रेक्टिस नहीं है, कभी कभी तो हो सकता है लेकिन हर समय नहीं हो सकता !

श्री मनोहरलाल : व्यवस्था का प्रश्न है अध्यक्ष महोदय। उन्होंने भी कहा और स्थगन प्रस्ताव भी रखा है और खास आर्गुमेंट भी दिए हैं और मंत्री महोदय ने बयान भी दे दिया है पहले। तो मैं, अध्यक्ष महोदय, आपसे ही निवेदन करना चाहता हूं, बहुत विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत अहम मसला है और यहां पर माननीय सदस्य श्री सांवरमल जी ने जो मसला उठाया है, वह सही है। पटवारी लोगों को, किसानों को तंग कर रहा है, रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को यह देखना चाहिये कि पटवारी इस तरह से लोगों को तंग न करे।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो लेवी का मसला है, इस पर स्थगन प्रस्ताव दिया गया है और माननीय मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में सरकार की नीति की घोषणा की है। इसलिए इसके उपर विचार करने के लिए कोई समय निर्धारित होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज····(शोर-गुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, हमने भी एक स्थगन प्रस्ताव दिया था इसके बारे में विचार विमर्श होना चाहिये। ··

श्री अध्यक्ष : मैं आपकी राय से सहमत हूं। इस पर 31 तारीख को बातचीत करेंगे और समय निर्धारित करेंगे।

श्री मोहरसिंह (सादूलपुर) : अध्यक्ष महोदय, 24 तारीख के जन प्रदर्शन की मांगों के मुत्तलिक मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं एक दो दफे पूर्व में भी यह जानकारी सदन को दे चुका हूं, किसान संघर्ष समिति द्वारा जो सत्याग्रह किया गया और उसके उपरान्त जो चर्चाएं चलीं, उसके मुत्तलिक हमें आज तक सदन की तरफ से या मुख्य मंत्री की तरफ से, या मंत्री मंडल की तरफ से माकूल जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद 24 तारीख को 25 हजार आदमियों द्वारा एक अनुशासित प्रदर्शन जयपुर शहर में किया गया और काफी लोगों के हस्ताक्षर से युक्त एक याचिका भी प्रस्तुत की गई आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय को। मुख्य मंत्री मजदूरों, किसानों और मेहनतकश लोगों की मांगों के ऊपर गौर करें और गौर करके इन लोगों को तसल्ली दें। लेकिन आज तक इस सम्बन्ध में हम को कोई जानकारी नहीं दी गई है और सदन की कार्यवाही 31 मार्च को स्थगित हो रही है। अध्यक्ष महोदय, यह विचारणीय विषय है। मैंने अपने इलाके में जाकर देखा है। जो उनकी मांग है वह वाजिब है अकाल के सम्बन्ध में। उसके लिए जो धनराशि रखी गयी है वह बहुत ही थोड़ी है। जिस तरह से पांच आदमियों की मृत्यु का सवाल यहां

Page No 48

(४८)

(श्री मोहरसिंह)

पर आया है, वह इस सदन के सामने है और दूसरी मौतें भी वहां पर हो रही है। यह राजगढ तहसील जिला चुरू का गांव है। इसके बारे में मेरे पास जानकारी है और बहुत से लोगों ने बताया भी है। यह जीवनाराम हरिजन है, उम्र 40 साल, इस तरह से एक चमार है····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर लम्बी बहस करने का यह समय नहीं है। आप जल्दी समाप्त करें।

श्री मोहरसिंह : 26 तारीख को इन लोगों की मृत्युएं हुई हैं····

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य मैं आपसे यह निवेदन कर दूं कि आपकी पिटीशन में तो बहुत से मसले हैं, इन पर डिस्कशन करने के बजाय जनरल वे में आप सब इस सम्बन्ध मे अभी कह दें।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त वह यह है कि राजस्थान के 23 जिलों में अकाल है। यह सबसे बड़ा अहम् मुद्दा है। मैं इसके सम्बन्ध में, मेरे क्षेत्र के अकाल के मुतल्लिक निवेदन करना चाहता हूं 26 तारीख को वहां पर मौतें हुई·····

श्री अध्यक्ष : हरेक इश्यू पर आप कहेंगे तो बहुत समय लग जायेगा. आप तो अकाल, अनइम्पलायमेन्ट, कच्ची बस्ती मोटे मोटे मुद्दे के बारे में जनरल वे में कहें।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को बराबर ऐसे समाचार मिल रहे है और सरकार इस ओर आंख मूंद कर बैठी है। यह गम्भीर मसला है। सरकार अकाल राहत के काम नहीं खोल रही है। इसका कोई न कोई निराकरण, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत होना चाहिये। अगर विरोधी पक्ष कोई बात यहां पर कह रहा है और वह गलत है तो इसकी जांच होनी चाहिये। यह तो सरकारी दिमाग है कि कोई व्यक्ति राजस्थान में भूख से नहीं मर रहा है। यह एक गंभीर मसला है। और सरकार की ओर से कोई न कोई स्पष्टीकरण सदन के सम्मुख आना चाहिये।

श्री मोहरसिंह : यह हालात मैं अपने जिले में देख कर आया हूं। एक दिन के बाद असेम्बली बन्द होने जा रही है और इसके बाद 6 महीने बाद हम मिलेंगे। इस की जांच करायी जानी चाहिए कि वहां पर क्या हालात है। मैंने यहां पर पहले भी निवेदन किया था कि तहसीलदार, एस. डी. ओ., कलेक्टर जो समाचार देते हैं, वह तो यही समाचार देते है कि यह व्यक्ति बीमारी से मर गया जबकि हकीकत यह है कि वह भूख से मरा है। भूख से इन हरिजनों की मौतें हुई हैं। पहले भी मैंने यहां पर कहा था कि यह व्यक्ति मौत की सांसें गिन रहा है और वह इस 26 तारीख को खत्म हो गया। रोजाना ऐसे समाचार आ रहे हैं। इसके बाद भी सरकार आंख मूंद कर यहां बैठी है और कोई जवाब नहीं दे रही है। अध्यक्ष महोदय, यह इतना अहम् प्रश्न है, हरिजनों को काम देने का सवाल है। 8 लाख की वहां पर बस्ती है और 4 लाख को आप काम देने जा रहे हैं। यह बड़ी मुश्किलात है। 4 लाख आदमियों को काम देंगे, यह बहुत ही हास्यास्पद बात है। अकाल के सम्बन्ध में किसी भी तरह से इस समस्या के निराकरण के बारे में यहां पर

Page No 49

(४९)

(श्री मोहरसिंह)

विचार गौर किया जाना चाहिये। कल की छुट्टी है और फिर इसके बाद 31 तारीख को हम मिलेंगे और फिर 6 महीने बाद मिलेंगे। इस बारे में कोई बात अभी तक मुख्य मंत्री महोदय ने नहीं कही है। हालात ऐसे हैं जिन पर शीघ्र ध्यान दिया जाना चाहिए। यह विचित्र बात है। इस समस्या पर कोई विचार नहीं हो रहा है और हालात बिगड़े तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? आप तो यह कह दगे कि ये मौतें बीमारी से हो रही है, भूख से नहीं हुई है। आखिर में इस चीज का कोई हल भी होगा ? अकाल इस साल सब से जबरदस्त है। इसके अलावा वहां पर खाने को अनाज भी नहीं है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं यह निवेदन करूंगा कि इतना समय हो गया, काफी समय हो गया है। आपकी 15 मांगे हैं और प्रत्येक मांग पर यदि आप तीन तीन मिनिट बोलेंगे तो आपको अकेले ही 45 मिनिट लग जायेगें। यह मेरे लिए संभव नहीं हैं।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, समय तो लग सकता है। परन्तु इसका कुछ न कुछ तो माकूल जवाब मिलना चाहिये। मुख्य मंत्री की ओर से इसका जवाब आना चाहिये इसकी कोई मर्यादा होनी चाहिए या इसी प्रकार से यह यूं ही चलती रहेगी, लोग आते जाएंगे, प्रदर्शन करते जाएगें, लोगों का लाखों रुपया खर्च हो रहा हैं ? आखिर इसका कुछ न कुछ तो हल निकाला जाना चाहिये। लोगों ने यहां पर अहिंसक प्रदर्शन किया है। उन्होंने अपना एक मांग पत्र पेश किया है। लाखों रुपया खर्च करके लोग अपनी मांगों पर सरकार से विचार करने के लिये कहने आये थे। इस पर सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। यहां पर आते हैं, प्रदर्शन करते हैं और सरकार के कानों पर जूं भी नहीं रेंगती है। अध्यक्ष महोदय, जो प्रदर्शन के समय मांगें थी वे सारी की सारी याचिका के रूप में यहां पर प्रस्तुत हुई हैं, वह हस्ताक्षर युक्त हैं इसलिए आप सरकार को मजबूर करें कि वह इसका जवाब दें। हमारी याचिका के सम्बन्ध में मुख्य मंत्रीजी को यहां पर जवाब देना चाहिये। वरना लोगों को फिर प्रदर्शन करना पड़ेगा, सत्याग्रह करना पड़ेगा। यदि मुख्य मंत्री द्वारा इन मांगों का माकूल जवाब नहीं दिया गया तो। इसकी कोई लिमिट होनी चाहिए। 31 तारीख को असेम्बली बन्द हो रही है। लाखों लोग भूखे मर रहे हैं। आप कल्पना कीजिये, अभी तो मई, जून के महीने बाकी पड़े हैं। इन हालातों को नहीं रोक सकते हैं तो लोगों का क्या हाल होगा ? सरकार इस बात की परवाह नहीं कर रही है, कोई गौर नहीं करती है। गांवों का क्या होगा ? क्या लोग मर जाय ? क्या आप इन हालतों को लोगों को भूख से मरते नहीं बचा सकते ? आप क्या करने जा रहे है यह बताएंगे ? लोग हम से पूछते हैं, एम. एल. ए. क्या करने जा रहे हैं ? 23 तारीख को मौते हुई हैं। यह समाचार आये हैं। इस पर सरकार को कुछ न कुछ प्रकाश डालना चाहिये। वरना लोग आपको घेरेंगे। उनके भूखें बच्चों को आप रोजगार दें। सरकार की कोई न कोई बात सामने आनी चाहिये। इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, मजदूरों का प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया है, जल्दी समाप्त करे, इतना समय नहीं है।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, आज लाखों लोग बेरोजगार है · · · · ·

(समय समाप्ति सूचक अनवरत घंटी)

इस प्रकार के हालात बढ़ते जा रहे हैं और इधर असेम्बली 31 तारीख को समाप्त हो रही है। आखिर लोग किस को क्या कहें। कौन उनकी बात को सुनेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि राजस्थान के अकाल की समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में गौर किया जाना चाहिए। इसके बाद 6 महीने बाद आप मिलेंगे। तो क्या जनता 6 महीने तक इसी तरह से दुख सहन करती रहेगी। क्या आप उन लोगों को मुक्ति नहीं देंगे। इतना कहने पर भी इस सरकार की कान पर जूं नहीं रेंगी। यह हालात कब तक चलती रहेगी। इतना बड़ा जन प्रदर्शन हो चुका। उसकी यह मांगें हैं। इसका जवाब मुख्य मंत्री की ओर से आना चाहिये परन्तु वह जवाब नहीं आ रहा है और समय पर नहीं आ रहा है लोग भूख से मर रहे हैं। यह हम नहीं देख सकते है। इस पर गौर नहीं किया गया तो लोग मिनिस्टरस के उपदेश नहीं सुनेगें · · · · ·

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री मोहरसिंह : लोग मिनिस्टर की परवाह नहीं करेंगे। हम भी लोगों को भूख से नहीं मरने देंगे। मेरे इलाके को नहीं मरने दूंगा और यह चेतावनी के रूप में कह देना चाहता हूं।

तो, अध्यक्ष महोदय, हमारी मांगे हैं। 10 मांगे आपके सामने याचिका के रूप में रखी हैं। आप सी० एम० से कहिये कि हाउस खत्म होने से पहले कुछ जवाब दें, वर्ना सदन की गरिमा जनता जानती है। फिर भी हम आपसे निवेदन करते है (समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)। सदन का महत्व रखते हुए विधान सभा में इसी बात पर टिके हुए हैं कि यहां पर कोई साल्यूशन निकालें। हम बाहर नहीं जाना चाहते हैं। अगर यहां पर कुछ नहीं होता है तो जनता किस तरह से सन्तुष्ट रह सकेगी ? इन्हीं शब्दों के साथ मैंने यह गुजारिश पेश की है। आपके माध्यम से सी. एम. से पूछना चाहता हूं कि असेम्बली में इसका फैसला होना चाहिए जिससे जनता को राहत मिले और जनता जिन्दा रह सके। अगर यही हालत रही तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अप्रेल में और मौतें होगीं। पिछले साल जो मौते हुई हैं उसी तरह से होगी और दो महीनों के अन्दर आपको पता लगेगा। आप कहते हैं कि बीमारियों से मर रहे और मैं कह रहा हूं कि भूख से मर रहे हैं। आप अच्छी तरह से हिसाब लगाकर देख लें। पिछले साल भी मौते हुई हैं और इस साल भी भूख से मौते हो रही है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि सी. एम. साहब की तरफ से जवाब आना चाहिए, साल्यूशन निकाला जाना चाहिए, और जनता के लिए ज्यादा से ज्यादा काम और ज्यादा से ज्यादा राहत दी जाय।

श्री गुरदयाल सिंह संधु : मैं अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में दो ही शब्द कहना कहना चाहता हूं · · ·

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारी लाल भार्गव।

श्री रामकिशन : इस पर हमारा बोलने का नहीं है लेकिन सरकार का जो

(श्री रामकिशन)

रहा है इस संबंध में वह बड़ा निराशाजनक है।

श्री अध्यक्ष : आप क्यों मजबूर करते हैं इस मामले में। मैं आपको समय दूंगा लेकिन आपका ही ज्यादा समय जायगा। आपकी तरफ से मुद्दा आगया है कह दिया है सब लोगों ने। मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आपके ही हित की वजह से कहता हूं। समय बच जायगा आपका।

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु : मैं दो ही मिनिट लूंगा।

श्री अध्यक्ष : दो मिनिट कोई लेता नहीं है। मोहरसिंहजी भी दो मिनिट ही बोलने वाले थे।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : इस मामले में इनको इतनी जानकारी नहीं है जितनी मुझे है।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि 21 तारीख को चीफ मिनिस्टर साहब ने इस सदन के अन्दर यह विश्वास दिलाया था कि गंगानगर की भूख हड़ताल समाप्त कर देना चाहिए और हम लोग आपस में वार्तालाप करके आपकी बातों का जवाब दूंगा ...

श्री अध्यक्ष : कौन से स्थगन प्रस्ताव पर बोल रहे हैं। इनका तो यह नहीं है।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : उसी पर 22 तारीख को ... ...

श्री अध्यक्ष : कोई मर्यादाएं नहीं रखेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जायगा।

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु : मैं 22 तारीख को चीफ मिनिस्टर साहब से उनकी कोठी पर मिला। उन्होंने हमें 27 तारीख को बातचीत करने के लिए बुलाया। 27 तारीख को मदेरणा साहब से बातचीत हुई, लेकिन 19को बातचीत करने के बजाय 25को मैंने सदन के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी से अर्ज किया कि आपको निर्णय देना चाहिए। जो हमारी बातचीत हुई है उसके बारे में क्या जवाब देना चाहते हैं, तो मुझे यह कहा कि कल मिल लेना। मैं 26 तारीख को मिलने के लिए गया।

श्री अध्यक्ष : आपका वक्तव्य इस स्थगन प्रस्ताव से कहां ताल्लुक रखता है ?

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु : इसी प्रस्ताव के सम्बन्ध में है।

श्री अध्यक्ष : आप किस मुद्दे पर कह रहे हैं। इनका तो अकाल का है।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : मैं उसी बात पर कह रहा था। अभी तक तो खत्म कर देता।

मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं मुख्य मंत्रीजी से मिला और मुख्य मंत्रीजी का जो रवैया था और जो कुछ बरताव था कि वह किसानों की हमारी बात को सुनना नहीं चाहते हैं। मैं फिर आपके द्वारा अपील करूंगा कि उनको चाहिए कि 31 तारीख को जो भी वार्तालाप हुआ है उसका सन्तोषजनक उत्तर दें। अगर उनका उत्तर नहीं मिलेगा तो फिर कहना चाहूंगा कि हम लेवी नहीं देंगे, बिलकुल नहीं देंगे, और सरकार के

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)

पास जो कुछ साधन है वह काम में लायें लेकिन हम लेवी नहीं देंगे। यह मैं कहना चाहता हूं और आपके द्वारा अपील करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने जब वार्तालाप का मौका दिया तो उत्तर मिलना चाहिए। उत्तर न देना मैं समझता हूं राजस्थान के सारे किसानों की तौहीन है। यही शब्द कहते हुए मैं बैठता हूं।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं लेवी के संबंध में दो शब्द निवेदन कर दूं।

श्री अध्यक्ष : लेवी के सम्बन्ध में एलाउ नहीं करूंगा। 31 तारीख को रखा है।

श्री लक्ष्मणसिंह : अगर सरकारी वक्तव्य 31 तारीख को लेवी के सम्बन्ध में है तो अच्छी बात है। अगर नहीं होगा तो इस सम्बन्ध में माननीय सन्धु साहब ने......

श्री अध्यक्ष : है, रखा है।

श्री लक्ष्मण सिंह : काल अटेन्शन मोशन है, जिस रूप में भी हो। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि समृद्ध किसानों से लेवी ली जाय तो एक हद तक उसका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन गरीब किसान जो अपने परिवार का पोषण नहीं कर सकता है उससे लेवी लेना और लेवी की दर आपने 105 रुपये क्विन्टल रखी है जब कि बाजार का भाव 225 और 210 रुपये क्विन्टल रखी है। ऐसी परिस्थिति के अन्दर मैं समझता हूं कि लेवी की व्यवस्था खास तौर से गरीब किसानों से लेवी लेना अत्याचार की पराकाष्ठा है।

तो यह अकाल का साफ पता नहीं है कि सितम्बर-अक्टूबर में फसल आयेगी, इस दरम्यान में क्या होने वाला है? माननीय सदस्य जो सादुलपुर से आये हुए हैं उन्होंने वहां प्रदर्शन हुआ उस संबंध में, ध्यान आकर्षित किया। सरकार 1,2 मुद्दों पर 5 मुद्दों पर जो कुछ भी जवाब देना चाहे जवाब दे। मौन व्रत धारण करके बैठे रहना ठीक नहीं है। दिन प्रति दिन स्थिति बद से बदतर हो रही है। लोगों को नाज नहीं मिल रहा है। लोग भूखे मर रहे हैं और दरअसल मर रहे हैं। सरकार ने यह रवैया अख्त्यार कर रखा है कि किसी भी हालत में इस बात को नहीं मानना कि भूख से मरे हैं और वास्तविक स्थिति यह है कि भूख से मर रहे है, और भूख से मरने वालों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ रही है। यही की यही व्यवस्था रही तो क्या होगा? सरकार के पास नाज नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है तो क्यों न केन्द्र के पास जाये और गरीब जनता के प्रश्न को लेकर सरकार केन्द्र को प्रभावित करके अनुदान के रूप में और राहत कार्य खोलने के रूप में कोई न कोई व्यवस्था सरकार नहीं करेगी तो दरअसल यह बिल्कुल निकम्मी है, और मैं क्या निवेदन करूं?

श्री अध्यक्ष : श्री रतीराम यादव।

श्री रतीराम यादव (तिजारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैने अलवर के भूतपूर्व महाराजकुमार श्री प्रतापसिंह द्वारा 17 सितम्बर को अलवर शहर के दो प्रमुख

(श्री रतीराम यादव)

एडवोकेट श्री कैलाशनाथ भार्गव और श्री फकीरचन्द रस्तोगी को अपनी कोठी में धोखे से बुलाकर बन्दूक और अन्य हथियारों के बल पर जबरदस्ती एग्रीमेंट करवाने के संबंध में स्थगन प्रस्ताव रखा है।

मान्यवर, अलवर के श्री कैलाशनाथ भार्गव, एडवोकेट, ने भूतपूर्व महाराजकुमार प्रतापसिंहजी और उनके पिताजी तेजसिंह, भूतपूर्व महाराजा के साथ स्वरूप विलास कोटी का डेढ़ लाख में एक सौदा किया था, और उस सौदे के अन्दर उन्होंने 25 हजार रुपये भी बयाने के रूप में दिये जिसकी रसीद महाराजकुमार से उन्होंने प्राप्त कर ली। बाद में महाराजकुमार के मन में सौदे को कैन्सिल करने की बात आई और उन्होंने वह 25 हजार रुपये श्री फकीरचन्द रस्तोगी, एडवोकेट के द्वारा श्री कैलाशनाथ भार्गव के पास भिजवा दिये, लेकिन श्री कैलाशनाथ भार्गव ने वह रुपये लेने से इन्कार कर दिया और बदले में एक नोटिस महाराजकुमार और महाराजा को दिया कि एग्रीमेंट को शीघ्र पूरा करें। उसके बाद 17 सितम्बर को महाराजकुमार ने कैलाशनाथ भार्गव के पास यह खबर भिजवाई···

श्री अध्यक्ष : मुख्तसर में कहें।

श्री रतीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के लोकतन्त्र में। उसको मैं बहुत संक्षेप में रख रहा हूं।

उन्होंने उनके पास यह खबर भिजवायी, आप मेरे निवास स्थान फूल बाग कोठी पर आ जायं और अपने साथ सारे कागजात ले आयं। मैं एग्रीमेंट पूरा करने को तैयार हूं। इसके अनुसार लगभग साढ़े छः बजे कैलाशनाथ, फकीरचन्द और उनका लड़का, सतीश कुमार रस्तोगी—वह कोठी पर गये। महाराज कुमार ने जाते ही कहा, यह एग्रीमेंट को कैंसिल करिये। जब कैलाशनाथ तैयार नहीं हुए तो महाराजकुमार उन्हें एक कमरे में छोड़कर वहां से चले गये। उनके जाने के फौरन बाद सात आदमी आये, जिनमें चार आदमियों के पास बन्दूक थी, दो के हाथों में तलवार थी और एक के हाथ में भाला था। उन्होंने अपना चेहरा कपड़े से ढका हुआ। वह कमरे में आये और उनके साथ में खूंखार शिकारी कुत्ता और एक छोटी कुतिया आयी। वह कुत्ता कैलाशनाथ को सूंघने लगा तो तलवारधारी लोगों ने म्यान से तलवार निकाल ली और तभी पन्ना नाम का व्यक्ति कमरे में ऐन्टर हुआ, उसने कैलाशनाथ को कहा, अपना एग्रीमेंट कैंसिल करिये और पच्चीस हजार रुपये की रसीद आपको दी थी वह वापिस दे दीजिये। कैलाशनाथ ने आतंक की स्थिति देखकर पत्नि के नाम पत्र लिख दिया और रसीद मंगवा ली। उसके बाद कैलाशनाथ से यह लिखवा लिया, सौदा कैंसिल कर दिया और फकीरचन्द से लिखवाया कि पच्चीस हजार रुपया कैलाशनाथ को दे दिया। उसके बाद डरा-धमका कर रात के साढ़े दस बजे वहां से बाहर निकाल दिया और चलते वक्त चेतावनी दे दी, खबरदार ? इस केस को रजिस्टर करवाया तो उसके गम्भीर परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। उसके दूसरे दिन मास्टर भोलानाथ का देहावसान हो गया। इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री राजबहादुर पधारे। कैलाशनाथ और फकीरचन्द ने सारी घटना उनके सामने रखी और वहां पर जिलाधीश और भूतपूर्व एस.पी. खन्ना साहब

Page No 54

(54)

(श्री रतीराम यादव)

मौजूद थे, उनको सारी घटना की जानकारी दी। इतना ही नहीं, राजनैतिक पार्टी के लोग शव यात्रा में शामिल हुए, उनको घटना की जानकारी दी गई। उसके बाद वहां के एम.एल.ए. श्री रामानन्द अग्रवाल ने 6 अक्टूबर को माननीय मुख्य मंत्री को सारी घटना की जानकारी देते हुए पत्र लिखा और उसमें इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करने को लिखा। उसका उत्तर माननीय मुख्य मंत्री ने श्री रामानन्द अग्रवाल को लिखा, हम शीघ्र इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, आज के लोकतांत्रिक समाज के अन्दर, जब कि सत्ताइस साल हो गये हैं आजाद हुए, जबकि हमने राजाओं के राज्य खत्म कर दिये, जागीरदारों की जागीरें खत्म कर दीं, राजाओं के प्रीवीपर्स खत्म कर दिये, जमींदारों की जमींदारी खत्म कर दी, ऐसे अवसर पर राज्य सरकार सामन्तों को इस प्रकार बर्दाश्त करती है-यह बड़े शर्म की बात है। उसके लिए मैं सीधा आरोप लगाता हूं, गृह मंत्री पर। यह घटनायें यहां पर बार बार जगह जगह पर हो रही है। अलवर के अन्दर अभी जब भूतपूर्व जिलाधीश चन्द्रप्रकाश मौजूद थे, वहां पर इस महाराज कुमार ने सिटी पैलेस का कीमती सामान, संगमरमर की....

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव है उस तक सीमित रहें।

श्री रतीराम यादव : समाप्त कर रहा हूं।

जालियां और कीमती सामान निकाल लिया बन्दूक के बल पर, हथियारों के बल पर। इतना ही नहीं, राजमहल के ऊपर हाथी और बन्दूकधारी को ले जाकर पचरंगा झण्डा फहराया। उसके विरोध में तत्कालीन जिलाधीश ने राज्य सरकार को लिखा, पुलिस के अंदर रिपोर्ट दर्ज करायी, लेकिन आज तक उस पर राज्य सरकार की तरफ से एक्शन नहीं हुआ है। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार से पूछना चाहूंगा, राज्य मंत्री गृह यहां पर सदन में मौजूद हैं, उनसे मैं पूछना चाहूंगा, आखिर आपकी नियत क्या है? आप समाजवादी समाज की बात करते हैं, राजाशाही के खिलाफ, सामन्तों के खिलाफ, बड़े बड़े जागीरदारों के खिलाफ एक्शन लेने की बात करते हैं, लेकिन यह केवल कागजों के अंदर है लेकिन अमल में और कुछ नजर आ रहा है। यह जो असली चेहरा है, जो दिखाई पड़ रहा है उसके बारे में क्या कहना है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस सारे मामले के अन्दर अपनी स्थिति को साफ करें सदन के अंदर तभी जाकर हमें संतोष मिल सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह घटना मेरे क्षेत्र से सम्बन्धित है और एक पत्र जो मुख्य मंत्री को लिखा, उसका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है....

श्री अध्यक्ष : ब्रीफ में कहें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ब्रीफ में कहूंगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं इस घटना के सम्बन्ध में मैंने कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी श्री छोटूसिंह और भूतपूर्व एम. पी. रामचन्द्र उपाध्याय, दोनों से मिल कर दोनों महा–

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नुमाइयों के पास जाकर सारे तथ्यों को बताया। मैं समझता हूं, इस सदन के जो माननीय सदस्य अलवर जिले से आते हैं, उनको सारे तथ्य मालूम हैं, मिनिस्टर साहब जो वहां पर मास्टर भोलानाथ के कन्डोलेंस में गये, उनको सारे तथ्य मालूम हैं और मुख्य मंत्री को खुद मैंने पत्र लिखा और व्यक्तिगत रूप से मिला भी और यह कहा, इस तरह की घटना होने से वास्तव में राजाओं और सामन्तों का लोगों पर जबर्दस्त आतंक है। इस तरह की घटनायें होंगी तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी उनके खिलाफ खड़े होने की, या जो जुर्म करते हैं उनके खिलाफ आवाज उठाने की। इसके बावजूद आश्वासन के बावजूद, अध्यक्ष महोदय, अभी तक, जहां तक मुझे जानकारी है, इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस सदन में मेरे कई प्रश्न इन घटनाओं से सम्बन्धित, राजकुमार, महाराज कुमार, महाराजा से संबंधित आये हैं, उनके खिलाफ खुद भूतपूर्व कलेक्टर ने केस दर्ज कराया है, गवर्नमेंट ने स्वीकार किया है कि केस दर्ज है लेकिन उस केस के अन्दर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इन्होंने हाथी और बन्दूक के बल पर पचरंगा झण्डा लहराने की कोशिश की, उस महल पर वापिस अपना कब्जा स्टेट फोर्सेज से कन्फ्रन्ट्रेशन करके लेने की कोशिश की। चीफ सेक्रेटरी ने उस पर आर्डर कर दिया कि इनको गिरफ्तार किया जाय। लेकिन वह आर्डर बीच में रोक दिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि यह जबर्दस्त क्रिमिनल एक्टीविटीज इस महाराजकुमार की तरफ से लगातार हो रही हैं। इसके बावजूद भी सामान्य नागरिक के खिलाफ जो कानून इस्तेमाल होना चाहिए, इन महाराज कुमार के खिलाफ नहीं होते हैं, जिससे उसका हौसला बढ़ता है। मैं चाहूंगा गवर्नमेंट की तरफ से इस सम्बन्ध में पूरा वक्तव्य दिया जाय, सारी स्थिति पर प्रकाश डाला जाय और अच्छा हो, माननीय राज्य मंत्री गृह यहां पर मौजूद हैं, मैं समझता हूं यह मामला उनके नोटिस में पहले से है, मुख्य मंत्री ने जरूर उनको रेफर किया होगा। खैर। उनके नोटिस में होना चाहिए, अगर गृह मंत्री की जिम्मेदारी को अनुभव करते हैं तो उनके नोटिस में इतना इम्पार्टेन्ट मामला अवश्य होना चाहिए और इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। अलवर जिले के कांग्रेस के जो एम. एल.ए. आते हैं, मैं समझता हूं, उनको भी इस बारे में, क्योंकि यह सारा जन जीवन का सवाल है, प्रजातांत्रिक प्रश्न उपस्थित होता है, और तथ्यों के बारे में उनकी जानकारी है, उनको भी इस सम्बन्ध में स्थिति के ऊपर प्रकाश डालना चाहिए और वस्तु स्थिति को इस सदन के सामने रखते हुए गवर्नमेंट की तरफ से कार्यवाही करानी चाहिए ताकि आयन्दा इस प्रकार की घटनाओं का रिपीटीशन नहीं हो इसलिए जो क्रिमिनल है, क्रिमिनल एक्ट के अनुसार उसके खिलाफ कार्यवाही करायी जाय। अध्यक्ष महोदय, आज इस तरह की घटनायें हो रही हैं, यह जासूसी नोवल, अय्यासी के नोवल में घटनायें पढ़ी है लेकिन इस तरह की बात-देखने-सुनने में नहीं आयी हैं। अलवर के महाराज कुमार की तरफ से जो घटनायें हुई हैं, सब लोगों ने सुनी हैं, जानी है और सब लोग भौचक्के रह गये हैं। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार की तरफ से

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कार्यवाही नहीं हुई तो अबेटमेंट होगा क्रिमिनल को। इसलिए राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में वक्तव्य देना चाहिए। अच्छा हो, राज्य मंत्री गृह जानकारी करके आये होंगे, उनको जितनी जानकारी हो उस हद तक जानकारी सदन को दे दें।

श्री अध्यक्ष : (श्री रामकिशन के खड़े होने पर) किस पर बोलेंगे ?

श्री रामकिशन : इस पर एक मिनिट ?

अध्यक्ष महोदय, अलवर के भूतपूर्व महाराजा की एक्टिविटीज इस प्रकार की हैं कि जिनको कानून इजाजत नहीं देगा। कानून की नजर में चाहें कितना बड़ा आदमी हो, उसका फर्ज है कि उसे कानून का सम्मान करना चाहिए। जहां तक महाराज कुमार का सम्बन्ध है, वह अपनी जगह पर है। मुझे राज्य सरकार पर हंसी आती है, इस प्रकार की घटनायें इस सदन में दोहरायी जाती हैं, सदन में चर्चा होती रहती हैं इससे साफ स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार इन घटनाओं को नजर अन्दाज करती है और ऐसे लोगों को प्रतिष्ठित करती है। ऐसी स्थिति रही तो शहरों में तो कुछ लोग ऐसे आदमी का मुकाबला भी कर जायेंगे लेकिन गांवों में ऐसे तत्वों ने ऐसी शक्ल ग्रहण कर ली तो गरीब आदमियों का रहना मुश्किल हो जायगा और उनकी जिन्दगी दूभर हो जायगी। मैं लम्बी चौड़ी बात नहीं कह कर निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार को वक्तव्य नहीं दे कर इस पर कार्यवाही करनी चाहिये। कार्यवाही करके वक्तव्य दें, वरना वक्तव्य का कोई मतलब नहीं है, उस वक्तव्य की कोई कीमत नहीं है। सरकार यहां पर आश्वासन दे देती है लेकिन उसका कुछ परिणाम नहीं निकलता है। यह एक क्रिमिनल एक्ट है, और क्रिमिनल एक्ट पर कार्यवाही होनी चाहिए और कार्यवाही करके राज्य सरकार को शीघ्र वक्तव्य देना चाहिए।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव, यह बात सही है, भविष्य की नीति को लेकर है पर बड़ी अहमियत का प्रश्न है, वह यह है, राजस्थान सरकार की आबकारी की नीति क्या है ? आबकारी की मांग इस वर्ष के बजट में है वह डिस्कस हुई, इसलिए यह मालूम नहीं कि क्या नीति रहेगी ? मेरी इस प्रकार की चेतावनी राज्य सरकार को है कि राज्य सरकार की वर्तमान की आबकारी नीति रही तो माननीय वित्त मंत्री ने जो यह कहा कि टैक्स नहीं लगाया है, संतुलित बजट है, लेकिन राज्य सरकार को आगामी वित्तीय वर्ष में 3 करोड़ रुपये का निश्चित रूप से घाटा होगा ...... फिर वित्त मंत्री अपना अध्यादेश निकाल कर राजस्थान की जनता पर फिर टैक्स लगायेंगे। कई घोटाले होंगे और गड़बड़ियां होंगी। आज हालत यह है कि सरकार ने जब पिछले साल गंगानगर में दुकानें खोली वहां पर भी शराब में पानी पड़ा हुआ मिला। आज जयपुर में 1.26 करोड़ का घाटा अंकित हुआ, कोटा में 6 लाख रुपये का, तो इस तरह दो करोड़ रुपये का घाटा हो गया। आबकारी कर अलग हैं, सेल्स टैक्स कर अलग है। सरकार किसी तरह से शराब का ठेका चलाने के लिए सक्षम नहीं है। पिछली बार गंगानगर में 50 परसेंट का नुकसान हुआ, इसका मतलब 25 लाख रुपये का नुकसान हुआ। पिछली बार सदन

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

में चर्चा हुई थी रैगरों की कोठी की घटना के बारे में जिसमें अधिकारियों की गल्ती के कारण 13 व्यक्ति, विषैली शराब पीने के कारण, मर गए। आश्वासन मिला था कि सरकार जांच करेगी और मुआवजा देगी, पर खेद का विषय है कि उन 12-13 व्यक्तियों के परिवारों के लोग आज भी बेचारे दर दर घूम रहे हैं और सरकार ने उसकी कोई मदद नहीं दी। राज्य सरकार हरिजनोंके बारे में कई बातें कहती हैं परन्तु शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स मोहल्लों में शराब के ठेके नहीं चलेंगे, सरकार ने यह बात आज तक नहीं कहीं और रेगरों की कोठी जहां पर 13 व्यक्ति मरे, वहां पर राज्य सरकार ने पिछले साल और इस साल अपनी स्वयं की दुकानें चलाई और फिर दुकानें चलाने जा रही हैं। मैंने कहा था कि ठेके लिये जा रहे हैं और राज्य सरकार ने कहा था कि इस ठेके में 6 लाख रुपये की आय होनी चाहिये लेकिन रेगरों की कोठी पर एक लाख रुपये की आय हुई। इस प्रकार के कई मुकद्में आए हैं जहां शराब में मिलावट सरकार ठेकेदारों से मिलकर 3 करोड़ का नुकसान भुगतेगी और लोगों को विषैली शराब मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा था कि मन्दिर मस्जिद के पास ये दुकानें नहीं होगी। आज चांदपोल दरवाजे के पास हनुमान जी के मन्दिर के पास चलाई जा रही हैं, लाल कोठी के पास मन्दिर हैं उसके पास शराब की दुकान चलाई जा रही हैं। 3 करोड़ का नुकसान राज्य सरकार को है। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं और जब आबकारी विभाग की मांगें डिसकस नहीं हुई हैं तो आज नहीं तो 31 तारीख को सरकार का वक्तव्य हो कि मन्दिरों और मस्जिदों के पास में, सार्वजनिक स्थानों पर होंगी या नहीं, राज्य सरकार किस प्रकार चलायेगी, क्या तीन करोड़ का नुकसान होगा, या निश्चित रूप से होने वाला है, राज्य सरकार को अपनी आबकारी नीति के बारे में एक वक्तव्य 31 तारीख को देना चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था आप करें।

सदन की संभावित कार्यसूची

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं जानना चाहूंगा, सरकार ने आश्वासन दिया था कि उदयपुर सीमेंट फैक्ट्री के सम्बन्ध में जो घटनायें वहां पर हुई हैं मजदूरों के साथ, उन पर स्टेटमेंट देंगे। मैं आशा करता था कि वह आज एजेंडा में आयेगा उसका स्टेटमेंट आज नहीं तो 31 तारीख को आएगा।

श्री अध्यक्ष : मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री रामकिशन : आश्वासन दिया है।

श्री केदार नाथ : कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग 3–4 बजे बुलाई गई है। शिड्यूल्ड कास्ट्स कमीशन की रिपोर्ट पर बहस नहीं हो पाई, शराब की नीति है, क्योंकि केन्द्रीय वित्त मंत्री से बातचीत हो गई है, तो राज्य सरकार क्या नीति एडाप्ट कर रही है, सदन स्थगित होने से पहले, इन बातों की जानकारी होनी चाहिए।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : जब कोई वाद विवाद होता है तब व्यवस्था का प्रश्न होता है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं नम्र निवेदन कर रहा हूं। व्यवस्था आपसे इसलिए चाहता हूं कि सदन 17 फरवरी को प्रारंभ हुआ था, अब एक दिन और चलेगा। कल तक की तारीख में कुल 184 स्थगन प्रस्ताव आपके पास आए, जितने विधान सभा के सदस्य हैं ...

श्री अध्यक्ष : चेम्बर में जानकारी ले लें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : 10 और आ गए हैं तो 194 हो गए। इनमें से 85 प्रस्ताव आपने सरकार के पास जानकारी के लिए भेजे हैं। उन पर जब सदन में जानकारी आ जाए तब सदन में सुनाई जाए, उन सदस्यों को बोलने का अवसर मिले। तो इन 85 स्थगन प्रस्तावों पर आज तक जानकारी नहीं आई हैं। इसके लिए अध्यक्ष महोदय, आप सरकार को ताड़ना दें ताकि भविष्य में निश्चित समय में जानकारी सदन में आ जाए, उसके बाद वह सदन में सुनाई जाए और माननीय सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिले। लेवी नीति के सम्बन्ध में नियम 226 के तहत मैंने प्रस्ताव पेश किया है, आपने कहा विचार कर रहा हूं, इस बारे में भी स्टेटमेंट आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : अगर इस बारे में माननीय सदस्य मुझ से चेम्बर में बात कर लेते तो यहां पर कहने की आवश्यकता ही नहीं रहती। मैंने कई बार माननीय सदस्यों से निवेदन किया है कि स्थगन प्रस्ताव पर साधारणतः बोलने का अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी मैं उनको बोलने की सुविधा बराबर देता रहा हूं। मैंने यह बात कही थी कि एक बार बोलना चाहिए। या तो जिस समय स्थगन प्रस्ताव आए या जब सरकार से जानकारी आ जाए उस समय। अगर पहले बोल लिया जाता है तो दुबारा वह सदन में नहीं आएगा। बाद में बोलना है तो पहले नहीं आएगा। आप सभी सहमत थे कि एक विषय पर एक बार ही चर्चा होनी चाहिए तो जिन विषयों पर मैंने जानकारी चाही है और जिन पर आप बोल चुके हैं, उन पर दुबारा चर्चा नहीं हो सकती। जिन स्थगन प्रस्तावों पर जानकारी आ गई उनके निर्णय की सूचना माननीय सदस्यों को भेज दी गई है। जो स्थगन प्रस्ताव जानकारी के लिए भेजा हो और आप नहीं बोले हैं, उसको जरूर सुनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, एक भी स्थगन प्रस्ताव ऐसा नहीं है जिस पर न बोला गया हो। बोलना एक बार ही पड़ेगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जिनमें आपने जानकारी चाही है और माननीय सदस्य नहीं बोले हैं, उनकी व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने जो आदेश दिए हैं वैसे तो शिरोधार्य हैं परन्तु हम यह महसूस करते हैं कि इस व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। कई महत्वपूर्ण विषय होते हैं जिन पर आपने सरकार का जवाब मांगा है, थोड़ी बहस उस पर होती है, आगे के लिए जैसे व्यवस्था करें। जैसे लेक्चरार्स के प्रस्ताव पर बोलने के बाद भी आपने आज्ञा दी, सरकार के वक्तव्य आने के बाद भी आपने मौका दिया है। तो ऐसे जो इम्पार्टेंट विषय हैं जो जन महत्व के हैं उन पर सरकार का वक्तव्य दिलाने की कार्यवाही करें।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जैसे गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, हमारा दल भी महसूस करता है कि 31 तारीख को सत्र का अन्त हो रहा है। आप सरकार से इस बारे में बात करें, बी० ए० सी० की मीटिंग बुलायें, कुछ दिन और सत्र बढ़ाना नितान्त आवश्यक है। पहले भी सरकार ने 8 तारीख तक इसको रखने की बात कही थी। अभी भी ऐसे इम्पार्टेंट इश्यूज हैं जो करीब-करीब हरेक बजट सेशन में डिस्कस हुआ करते थे, वह अब की बार डिस्कस होने से रह गए हैं।

इसमें अभी अध्यक्ष महोदय एक तो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब कमेटी की रिपोर्ट भी डिस्कस नहीं हुई है और इसी प्रकार कच्ची बस्तियों के बारे में भी यहां पर डिस्कस नहीं हुआ। इसके अलावा हर साल यहां पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बजट रिपोर्ट डिस्कस होती है और इस साल तो इसमें काफी चेन्जेज हुए हैं तो उसमें डिस्कसन होना बहुत जरूरी था। कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं। इसलिये विद्युत बोर्ड का बजट यहां पर डिस्कस होना चाहिये था। इसी तरह से और भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न है जो यहां पर हर साल डिस्कस होते हैं पर इस साल उन पर विचार नहीं हुआ है। जो कि इम्पोर्टेन्ट ईश्यूज हैं। इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पर भी डिस्कसन नहीं हुआ, अकाल के बारे में तथा लेवी के बारे में भी सदन में कोई विचार नहीं हुआ है। इसके अलावा पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के बारे में भी यहां पर विचार विमर्श होना था तो मेरा निवेदन है कि विधान सभा की कार्यवाही एक सप्ताह के लिये बढ़ायी जाय ऐसा मेरा सुझाव है। इसलिये आप आज ही शाम को चार बजे बिजनेस एडवाईजरी कमेटी की मीटिंग बुलाकर इस पर कार्यवाही करने की कृपा करें ताकि इन सभी बातों पर सदन में विचार विमर्श किया जा सके।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री गुमानमल लोढ़ा।

श्री **गुमानमल लोढ़ा** (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर एक स्थगन प्रस्ताव स्वर्गीय श्री चिम्मनसिंह भाटी की मृत्यु के संबंध में आया था उस पर अभी तक आपने जो निर्णय दिया था कि जानकारी चाही है वह प्राप्त नहीं होने की वजह से सदन के सदस्यों के मन में काफी शंका बनी हुई है कि आया उनकी मृत्यु किस प्रकार से हुई ? क्या उनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ उसके कारण हुई या और कोई कारण उनके मृत्यु का था इसके अलावा जैसाकि माननीय सदस्य अलवर से आने वाले हैं उन्होंने बताया है उसी के अनुरूप मैं भी आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कई मसले जो आमतौर पर हमारे विधान सभा में डिस्कस होते हैं वह रह गये हैं। मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता लेकिन एक टिनेन्सी बिल जो कि हमारे यहां पर सलेक्ट कमेटी को दिया हुआ है आज कई अर्से से वह पड़ा हुआ है जिसके कारण हमारे यहां पर किसानों के मन में काफी उग्रता है आज जो खातेदारी राईट्स का सवाल है लोगों को इसमें किस प्रकार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे उसकी रिपोर्ट भी आकर अगर वह बिल पास हो जाये तो काफी लोगों को राहत मिलेगी। इसलिये आप आज बिजनेस एडवाईजरी कमेटी को बुलाकर 7–8 या दस

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

दिन या पन्द्रह दिन जो भी हो वह तय करले और हमारे विधान सभा की मीटिंग को एक्सटेन्ड कर दें तो यहां पर सदन में उन पर विचार विमर्श हो जाये। अन्यथा यही होगा कि एक औपचारिक रूप से जो सदन को बुलाया जाता है वह औपचारिकता आपने पूरी करली और बजट पास कर लिया। लेकिन जो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने नगरपालिकाओं के संबंध में और पंचायतों के बारे में बातचीत करने का आश्वासन दिया था उसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। इसी प्रकार कच्ची बस्तियों के बारे में जो मुख्य मन्त्रीजी ने यह कहा था कि मैं आपको साथ लेकर बात करूंगा वह भी बात नहीं हो सकी। मुख्य मन्त्री जी तो दिल्ली चले गये हैं अभी कोई बात-चीत नहीं हो सकी है। भूख से मरने के बारे में जो इस पक्ष और उस पक्ष में आपस में चेलेन्ज की बात हुई थी वह सभी बातें हवा में रह गई हैं इसी प्रकार का प्रश्न हमारे यहां पर अभी लेवी का है उस पर भी कोई विचार विमर्श नहीं हुआ राज्य सरकार की क्या पोलिसी लेवी के बारे में है वह घोषित नहीं हुई है। तो इसी प्रकार कई महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स हैं जो कि आमतौर पर हमारे यहां सदन में डिसकश होती है जैसे शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज की रिपोर्ट है, पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट है यह सभी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर कि यहां पर सदन में कोई डिसक्शन नहीं हुआ है। इसके लिए जैसा कि अलवर से आने वाले सदस्य ने सुझाव दिया कि बिजनेश एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाकर उसमें इन सभी मुद्दों पर गम्भीरता से विचार करें और फिर सदन की कार्यवाही आगे एक्सटेन्ड करे ताकि इन सभी बातों पर सदन में विचार हो सके।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपकी जानकारी क्या है आप क्या चाहते हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी चाहता हूं कि आज सदन में एक बिल आने वाला है शायद पशु बलि निषेध। तो आपको क्या बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के द्वारा इस सदन की बलि करने के लिए कोई बिल ले आवे क्योंकि आप जिस तरह से इस सदन में एक एक दिन में 6-6 बिल लेकर पास किये और ...

श्री अध्यक्ष : यह किस प्रकार की जानकारी चाहते हैं आप।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, एक एक दिन में 6 6 बिल यहां पर पास किये हैं और इस कारण कई इपोर्टेन्ट इश्यूज इस सदन में एडजोर्नमेंट मोशन के अन्तर्गत आये वह भी डिसकश नहीं हुए इसमें जो हरिजनों के नोखा में 200 परिवारों के साथ अन्याय हुआ उसके बारे में जो कोई स्टेटमेंट नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। आप वही बातें दोहरा रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, कई इम्पोर्टेन्ट इश्यूज है। तो मेरा निवेदन यह है कि आप पशु बलि निषेध बिल ला रहे हैं उसमें आप विधान सभा भवन की बात तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि यह तो आपने एक रुपया माहवार में जयपुर महाराजा से

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

किराये पर ले रखा है लेकिन आप विधान सभा भंग बिल ले आयें क्योंकि एक एक दिन में 6–6 बिल पास हुए हैं और अभी तक यहां पर पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट डिसकश नहीं हुई। विद्युत् मण्डल का बजट डिसकश भी नहीं हुआ है और आदिवासियों की रिपोर्ट भी डिसकश नहीं हुई है तो मेरा निवेदन है कि इस बारे में आप विचार करें।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। आप वही बात दोहरा रहे हैं। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह मैं समझ गया हूं। इसके लिए मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि जहां तक स्थगन प्रस्तावों का सवाल है उसमें, जैसा कि माननीय सदस्यों ने राय जाहिर की कि जानकारी प्राप्त नहीं हुई है या और कोई बात आप कह रहे हैं तो इसके लिए तो मैं आप सभी लोगों को बोलने का मौका देता हूं। जिसमें जानकारी चाही गई हैं उसमें भी और जिस पर सदन में स्टेटमेंट हुए हैं उस पर भी। मैंने हमेशा से ही सदन में स्थगन प्रस्तावों के बारे में या तो स्टेटमेंट दिलाये हैं या फिर सदन की कार्यवाही में और किसी जरिये चर्चायें हुई हैं। मैंने आप लोगों को मौका दिया है। यहां पर वह स्थगन प्रस्ताव किसी न किसी फार्म में आवे है और मेरी कोशिश भी यही रहती है कि वह यहां पर किसी न किसी रूप में आजायें। तो मैं खुद ही उनको किसी न किसी फार्म में चाहे वक्तव्य दिलाकर, चाहे और किसी फार्म में उनको ले जाता हूं। ऐसी मैंने यहां पर परम्परा बना दी है कि उन स्थगन प्रस्तावों पर एक बार तो आप लोगों को बोलने का मौका मिल ही जाता है। जहां तक दूसरी बात का सवाल है बिजनेस एडवाईजरी कमेटी की मीटिंग बुलाने के बारे में उसके लिए तो मैं आज शाम को चार बजे बिजनेस एडवाईजरी कमेटी की मीटिंग बुला लूंगा।

विशेषाधिकार प्रश्न पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि सर्वश्री गुमानमल लोढ़ा, भानुकुमार शास्त्री, गिरधारीलाल भार्गव, अजीतसिंह, लक्ष्मणसिंह, भोमाराम, गोरधनसिंह, मोहरसिंह (सादुलपुर) तथा गुरदयालसिंह संधु, सदस्य विधान सभा द्वारा एक विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दिनांक 25 मार्च को दी गई, जिसमें कहा गया कि विधायक श्री मूलचन्द सामरिया द्वारा अपने कर्त्तव्य की पालना में राज्य मन्त्री श्री मुन्शीलाल महावर द्वारा पहले ही मंगवा लिया गया और उन्हें निन्दा प्रस्ताव प्रस्तुत न करने के लिए इन्टीमीडेट किया। इस प्रकार श्री महावर विशेषाधिकार हनन के दोषी हैं।

विधान सभा की नो पक्ष की लाबी में जो टाईपिस्ट लगा हुआ है वह मेरे सचिवालय का ही एक कर्मचारी है अतः मेरे लिये इस बात की जांच करना आवश्यक था कि यदि प्रस्ताव में उल्लिखित घटना हुई है तो क्या उसके किसी हद तक उक्त कर्मचारी की गलती है अथवा नहीं ? जो जानकारी मैं कर पाया हूं उससे तो यही प्रतीत होता है कि उक्त टाईपिस्ट का इस घटना में कोई हाथ नहीं है फिर भी इस प्रकार की कोई घटना न हो इसके लिये मैंने भविष्य में अपने सचिवालय को सतर्क कर दिया है।

जहां तक उपरोक्त माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये विशेषाधिकार प्रस्ताव का प्रश्न है मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता

(श्री अध्यक्ष)

हूं कि अभी तक मेरे पास श्री मूलचन्द सामरिया की ओर से ऐसे किसी निन्दा प्रस्ताव की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। जिसका उल्लेख उक्त स्थगन प्रस्ताव अथवा विशेषाधिकार प्रस्ताव में किया गया हो। मैं इस बात को मानने के लिये भी तैयार नहीं हूं कि यदि श्री मूलचन्द सामरिया के किसी ऐसे निन्दा प्रस्ताव की, जिसकी सूचना देने का उन्होंने इरादा किया हो, उसकी कोई प्रगति उक्त सूचना देने से पूर्व सम्बन्धित राज्य मंत्री के पास किसी माध्यम से पहुंच भी गयी तो भी श्री सामरिया उस प्रस्ताव की सूचना मुझको देने से वंचित हो गये हों। यदि थोड़ी देर के लिये यह तर्क भी मान लिया जाय कि श्री सामरिया को उक्त निन्दा प्रस्ताव की सूचना देने का इरादा करने पर ऐसा प्रस्ताव न प्रस्तुत करने के लिये डराया धमकाया गया हो और इस कारण उन्होंने ऐसा कोई प्रस्ताव दिया ही नहीं है तो भी यह बिलकुल स्पष्ट है कि इस प्रकार की कोई शिकायत स्वयम् माननीय सदस्य अर्थात श्री मूलचन्द सामरिया ही करते न कि अन्य कोई माननीय सदस्य।

इस सम्बन्ध में दिनांक 21-8-74 को इसी सदन के एक अन्य माननीय सदस्य के सम्बन्ध में दिये गये विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना के विषय में दी गयी अपनी व्यवस्था की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करूंगा जिसमें मैंने अन्य बातों के साथ ब्रिटिश हाउस ऑफ कामन्स के मि० स्पीकर द्वारा दी गई एक व्यवस्था को उद्धृत किया था। उस व्यवस्था में भी यही कहा गया था कि जिस माननीय सदस्य के विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उठाया गया है वह स्वयम् ही इस प्रश्न को उठा सकते थे।

"As for any question or breach or Privilege by the usual channels, if that be the proper term the only Hon. member who could complain about it with real knowledge is the Hon. Member for Lanark himself."

चूंकि इस मामले में श्री मूलचन्द सामरिया की तरफ से न तो मुझे उक्त निन्दा प्रस्ताव की प्रति प्राप्त हुई है और न ही इस प्रकार की कोई शिकायत कि उन्हें उक्त प्रस्ताव को न प्रस्तुत करने के लिये डराया धमकाया है। अतः मैं इस विशेषाधिकार की सूचना को ग्राह्य नहीं मानता और फलतः उसमें अपनी स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर घटना है जिसे मैं राजस्थान सरकार द्वारा विरोधी पक्ष के सारे सीक्रेट्स को योजनाबद्ध तरीके से स्पाई करने का चार्ज लगाता हूं और जो एक छोटे स्वरूप में मीनी वाटर काण्ड के रूप में हमारे सामने आया है, लीकेज हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैंने उसके लिये स्थगन प्रस्ताव दिया था और विशेषाधिकार का प्रस्ताव भी दिया था।

विशेषाधिकार प्रस्ताव के सम्बन्ध में और स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में यह जो सारी घटना घटी है, उसके सम्बन्ध में, इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

श्री मूलचन्द जी सामरिया ने यहां पर सदन में माननीय राज्य मंत्री श्री मुंशीलाल जी महावर पर कई बार डिबेट के दौरान में इस सत्र के अन्दर, अपने भाषण के दौरान में आरोप लगाने के लिये यहां पर निवेदन किया था, और अध्यक्ष महोदय, श्री सामरियाजी ने, जो इस विधान सभा के माननीय सदस्य हैं, कई बार इस बात को सदन के अन्दर कहा। इसलिये मैं यह सब कहना चाहता हूं कि इससे इस विषय की गम्भीरता का पता लगेगा। यह जो स्पाइंग है, पिलफॅरा है, स्मगलिंग या बर्गलिंग या क्या कहा जाय यह सब उसकी भूमिका थी। तो अध्यक्ष महोदय, कृषि विभाग की मांगों पर और बजट की बहस के दौरान श्री मूलचन्दजी सामरिया ने यह आरोप लगाया था माननीय राज्य मंत्री श्री मुंशीलालजी महावर के खिलाफ कि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एन्ड जयपुर से तीन हजार रुपया आठ साल के बच्चे के नाम पर कर्ज के तौर पर उठाया। 420, 120 बी 467, 68 आई.पी. सी. में चालान हो रहा था लेकिन उसको वापिस ले लिया गया और उसको इन्वेस्टिगेशन में डाल दिया गया। उन्होंने यह भी मंत्री महोदय के खिलाफ चार्ज लगाया कि माननीय मंत्री महोदय ने यही रुपया नहीं उठाया है किन्तु दौसा बुनकर सहकारी संघ लि० में 60 हजार का गबन हुआ और उन्होंने यह भी चार्ज लगाया कि एजुकेटेड अनएम्पलोयड से तीन तीन हजार रुपया लेकर उसको एपोइन्टमेंट दिलाये। यह चार्ज लगा कर आसन से कहा गया कि निन्दा प्रस्ताव के रूप में लाइये तो निन्दा प्रस्ताव के रूप में वे लायें। यह 21 तारीख की बात है। इस निन्दा प्रस्ताव को टाइप करने के लिये उन्होंने ना पक्ष की लोबी के टाइपिस्ट को टाइप करने के लिये दिया। और वह टाइप भी हो गया। इससे पहले कि टाइप होकर निन्दा प्रस्ताव मूलचन्दजी सामरिया के पास आता राज्य मंत्रीजी की ओर से श्री मूलचन्जी सामरिया को बुलावा आया बार बार उन्होंने टालने का प्रयत्न किया इसकी साफ साफ मंशा यही थी कि प्रस्ताव उनके पास आने वाला है। बार बार टाला लेकिन फिर वे गये। मोटे तौर पर बताया कि मुझे यह पता है कि यह प्रस्ताव आने वाला है। इन्टीमिडेशन किसी प्रकार से हो सकता है, उनको प्रेम से कहा गया या दबा कर कहा गया, मैं नहीं कह सकता।

यह बात तो साबित हो चुकी है कि टाइपिस्ट ने इस बात को स्वीकार किया है चार कापी मैंने रखी थीं टाइप करके उसमें से एक गायब हो गई है। अध्यक्ष महोदय, यह तो एक कागज ही पकड़ा गया है कई प्रकार के हमारे पत्र होते हैं, बातचीत होती है, कितना स्पाइंग भयंकर रूप से होता होगा, इसका राज नहीं खुलेगा तो यह बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह बन कर रह जायगा। उन्होंने स्वीकार किया है कि एक प्रति गायब हो गई। मूलचन्द जी सामरिया ने जब उस टाइपिस्ट से कहा कि कैसे गायब हो गई है तो उन्होंने कहा कि चार पांच मिनिट के लिए मैं बाहर गया था तो इस बीच में गायब हो गई है। यह सर्वथा सिद्ध हो चुका है, कि माननीय राज्य मंत्रीजी का जवाब आया है उसमें भी और स्वयं से मेरी बात हुई है, तो उन्होंने स्वीकार किया था कि निन्दा प्रस्ताव की एक प्रति उनको किसी ने लाकर दे दी। इस स्वीकारोक्ति

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

के बाद सारी बातें गौण हो जाती हैं कि निन्दा प्रस्ताव किस प्रकार से है और उसमें क्या था ? उन्होंने कहा था कि एक कार्यकर्त्ता था जो चोला और कुर्ता पहिने हुए था ? यह कार्यकर्त्ता कौन था ? यह ना पक्ष की लोबी में कैसे पहुंच गया ? माननीय मंत्री महोदय के पास कैसे पहुंच गया ? उसको यह कैसे पता लगा कि निन्दा प्रस्ताव टाइप करने के लिए दिया हुआ है ? उसको यह भी कैसे पता लग गया कि वह टाइपिस्ट के पास पड़ा हुआ है और टाइपिस्ट पानी पीने के लिए बाहर गया हुआ है ? यह भी कैसे उसको पता लगा कि निन्दा प्रस्ताव अपने इन्ट्रेस्ट में है और राज्य मंत्री मुंशीलाल जी महावर को देना चाहिए। राज्य मंत्री ने उसको अपनी जेब में रख लिया और मूलचन्द जी को बताकर कहा कि यह प्रस्ताव है जिसको वापिस ले लीजिये। यह कार्यकर्त्ता कौन था ? कोई स्पाई था ? क्या गवर्नमेंट के द्वारा रखे हुए लोग है जो ना पक्ष की लोबी में रहते है, जो वहां की बातों को ओवर हीयर करते हैं ? वाटर गेट क्या था ? चुनावों का मामला था। चुनाव होने वाले थे उससे पहले वोटिंग का सवाल था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अपोजिशन के वर्किंग पर, इसको गम्भीरता से सोचना पड़ेगा, कि हम यहां पर टाइप भी करायें या नहीं। लोग बात करते हैं आपस में, उसको ओवर हीयर किया जाता है, या क्या है ? हमें मालूम होने से पहले ही सरकार को मालूम हो जाता है यह बड़ा ही गम्भीर प्रश्न है।

मेरा निवेदन यह है कि विशेषाधिकार का हनन तो प्राइमाफेसी बनता है और इस से बढ़कर कारण नहीं हो सकता है। राज्य सरकार के मन्त्री इस प्रकार के स्पाइंग किये हुए कागज से स्पाइंग करें, वह हां बता सकते हैं कि कागज उन्होने किससे एक्सेप्ट किया, उन्होंने वह कागज मंगवाया या नहीं बहुत से कागज उनके पास जाते हैं और कहीं इस प्रकार की स्पाइंग तो नहीं होती है ? आपने विशेषाधिकार के प्रश्न पर, व्यवस्था दी है कि विशेषाधिकार का प्रश्न इसलिये नही बनता है कि मूलचन्द जी ने स्वयं ने कम्पलेन्ट नहीं की। मूलचन्द जी स्वयं हस्ताक्षर करना चाहते थे, लेकिन सारे विधायकों के हस्ताक्षर थे इसलिए नहीं किए। उनके अब हस्ताक्षर करा रहे हैं।

उसके बाद 24 तारीख को जब मूलचन्द जी सामरिया बस में आ रहे थे तो सारा का सारा बस्ता गायब हो गया। यह कोई इन्सीडेन्स था या क्या था ? मैं नहीं कह सकता कि जो व्यक्ति यहां आया था और जिसने कापी लाकर मंत्री महोदय को दी थी, वहां पर भी वह ही व्यक्ति था, उसी ने सैंडोइंग किया था और पूरा का पूरा बस्ता गायब कर दिया था। जिससे निन्दा प्रस्ताव रहे नहीं और आये नहीं। ....कि वह व्यक्ति था या और कोई दूसरा व्यक्ति था लेकिन बस में 24-3-75 को श्री मूलचन्द जी सामरिया के साथ घटना घटी। सारा बस्ता उठा लिया गया। बहुत महत्वपूर्ण घटना है अध्यक्ष महोदय। वैसे आपने जो निर्णय दिया है उसकी पालना के अनुसार रख देंगे लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : बहुत हो गया है। सारा डिस्कसन ..

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं आपकी जो आज्ञा है, सिरोधार्य है लेकिन अध्यक्ष महोदय इसमें यह लिखा हुआ है····

'Question of privilege— A member may with the consent of the Speaker raise a question involving a breach of privilege either of a member or of the House or of a Committee thereof.'

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं सारे हाऊस के साथ में हुआ है। यह ब्रीच आफ प्रिविलेज केवल मूलचंन्द जी के साथ ही नहीं है सारे माननीय सदस्यों के साथ है। इस ब्रीच आफ प्रिविलेज की सारी कन्डीशन फुलफिल होती है। यह जो रामचन्द्र की प्रिविलेज की किताब है साफ लिखा हुआ है···· ···

····obstruct the members of the either House or influencing their conduct by improper means...'

श्री अध्यक्ष : मैं यह निवेदन कर रहा था यह सारा डिस्कस हो चुका है····

(अश्रव्य)

और कोई बात करनी है वह करलें

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं तो इसके आगे बात नहीं करूंगा। आपने मूलचन्द जी के लिये जो बताया है। उनके सिगनिचर करा कर प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं यह सबके इन्टरेस्ट में है। आप इसको किस प्रकार इन्वेस्टीगेशन कराना चाहते हैं, यह आप पर है। विधान सभा के स्टाफ ने स्पाई किया हो, यह बात नहीं है लेकिन यह मामला गंभीर है। माननीय मंत्री जी को उसी समय कापी मिल गई, यह किस प्रकार मिली, कैसे आपके चैम्बर में घुस आये, यहां किस प्रकार घूमते रहा, महत्वपूर्ण विषय है। निन्दा का प्रस्ताव है आप किसी तरह डील करें, मेरा ऐडजोर्नमेंट मोशन था लेकिन मैं चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से और मुख्य मंत्री महोदय स्वयं से हाऊस के स्पाई का सवाल है। यह मिनि वाटर काण्ड अपोजीशन का है। माननीय राज्य मंत्री महोदय को वक्तव्य देना चाहिये और अगर नहीं देते हैं तो उसके इम्प्लीकेशन्स यह होंगे और अब तक कई बार इस प्रकार की बातें हुई होंगी लेकिन डिटेक्ट नहीं हुये हैं। अब यह पहली बार अपोजीशन के ध्यान में आया है और इसको गम्भीरता से सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में फंक्शन कर रहे हैं और हमको यह भी सुविधा नहीं रहे कि हम कोई कार्यवाही कर सकें। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मसला है। मुख्य मंत्री जी को और राज्य मंत्री जी को स्पष्टीकरण करना चाहिये यह उनके खुद के इन्टरेस्ट के लिये है, डेमोक्रेसी के इन्टरेस्ट के लिये है और विधान सभा के डेकोरम मेन्टेन करने के लिये है इसलिये स्पष्टीकरण होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री केसरीमल (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन करना है मेरे पास एक टेलीग्राम आया है उसमें यह बात कही गई है··

श्री अध्यक्ष : कोई दूसरा मसला है क्या ?

श्री केसरीमल : मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं····

श्री अध्यक्ष : जीरो अवर तो खतम हो गया आपका।

श्री केसरीमल : मेरा यह निवेदन करना है, माननीय अध्यक्ष महोदय कि यह घटना फिर उदयपुर की फैक्टरी के साथ घटी है··

(व्यवधान, अश्रव्य)

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जो मामला आया है मैं उसका स्पष्टीकरण करूं।

श्री अध्यक्ष : स्पष्टीकरण की स्टेज नहीं है अभी।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, मेरे स्पष्टीकरण करने से बहुत से सवालों का समाधान होगा और उनकी हरकतों का भी पता लगेगा। अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव के द्वारा तथा जब कभी मुझे डिबेट में बोलने का मौका मिला तो मैंने श्री महावर के खिलाफ जो कुछ उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एन्ड जयपुर से रुपये लिये हैं और रुपये लेने के बाद····

श्री अध्यक्ष : जब एलीगेशन लगाने हैं तो आपने लिखकर भी नहीं दिया है····

श्री मूलचन्द सामरिया : उनके लिये एलीगेशन नहीं है, मैं तो बता रहा हूं कि····

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह तो एलीगेशन की भूमिका है, एलीगेशन कहां है ?

श्री मूलचन्द सामरिया:···· (अश्रव्य) किसी के कागजात मंत्री महोदय ले जायं और····

श्री अध्यक्ष : यह एलीगेशन की भूमिका है तो एलीगेशन क्या होंगे ?

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, 8 साल के बच्चे के नाम ऋण लिया था यह 420, 467. 468 और 120 (बी) का केस है। पुलिस के थानेदार को दबाव डाला जा रहा है और इस तरह × × × × × × × अध्यक्ष महोदय, दौसा में एक बुनकर सहकारी संघ समिति लिमिटेड है उसमें 60 हजार का गबन घोटाला है। मैंने क्वेश्चन भी पूछा है···

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में कहें।

श्री मूलचन्द सामरिया : आज वे पावर में हैं। मैंने कभी कुछ नहीं कहा है। जैसे एक लाट में गेहूं देखकर छांटे जाते हैं वैसे ही तीन एलीगेशन मैंने छांटकर उसके बाद निन्दा प्रस्ताव दिया है और जब टाइप कराने के लिये दिया तो स्वतन्त्र पार्टी के आफिस में टेलीफोन आता है और वह टेलीफोन दूसरे ने अटेन्ड किया। मुझे बताया गया और जब मेरे से इस प्रकार की बात की तो मैंने इन्कार कर दिया। वहां कुछ पत्रकार भी थे, उस दिन जन सम्पर्क की मांग थी। अध्यक्ष महोदय, इस तरह की जानकारी मिले जिससे कन्क्रीट बातें कह सकूं। उसके बाद उनकी तरफ से एक आदमी आता है। उन्होंने कहा है मेरा मित्र

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री मूलचन्द सामरिया)

है और मुझे भी आगे चलकर क्या करना है निन्दा प्रस्ताव है । हमारे क्षेत्र के मंत्री महोदय हैं हम तो उनको मंत्री बनायेंगे केबिनेट स्तर के और जितनी ज्यादा क्वालिफिकेशन बढ़ेगी उतनी ही ज्यादा मंत्री पद की मान्यता बढ़ेगी । मैं तो कहता हूं उनको चिन्तित नहीं होना चाहिये ।

This is the qualification of the Minister.

जाते ही उन्होंने सबसे बड़ी ताज्जुब की बात की है जो निन्दा प्रस्ताव था यह देखकर कहा यह क्या कर रहे हैं । मुझे हर तरह से दबाया और फोर्स डाला और जब मैंने वह कागज देखा तो मुंह सफेद हो गया और सोचा इतने तेज तर्राट हो सकते हैं, × × × × × × मैंने अवाइड करने के लिये कहा कि मैंने तो सेक्रेटरी और स्पीकर साहब को पेश किया है । हालांकि मैं जानता था, तो क्या वहां से ले आये लेकिन उन्होंने बताया जहां टाइप हो रहा था वहां से ले आये । फिर मैंने भी कहा मैंने पेश नहीं किया है मैं तो वैसे ही कह रहा हूं । मैंने ताज्जुब किया, आ कैसे गई यह कापी । मेरे पर दबाव डाला और जबसे प्रश्न इनके खिलाफ रखा है भेड़ और ऊन के खिलाफ जो व्यक्ति दमेल सिंह राठौड़ है वाई फेस मैं उसको आज तक जानता नहीं और न ही वह बाई फेस मुझे जानता है । आज तक मैंने उनको नहीं देखा और न आज तक उन्होंने मुझे देखा है–थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास सबका एक साथ ट्रान्सफर कर दिया.... (-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करें ।

श्री मूलचन्द सामरिया : और अध्यक्ष महोदय, यह सरदर्द पैदा कर दिया कि कोई ट्रान्सफर की बात हो तो कहें कि सामरिया से कहलावें । अब मैं एक वर्ड भी नहीं बोलूं इसलिये × × × × × × × × × × और इस तरह सारे लोगों को ट्रान्सफर करके यह कह दिया कि मूलचन्द सामरिया से कहलाओ । मेरे से इस बात का प्रयास किया गया अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके कहने से ट्रान्सफर रद्द कर सकते हैं लेकिन मैंने कहा जितना रगड़ना चाहते हैं उतना रगड़ लो और चाहे उनको नौकरी से निकाल दो मैं तो एक शब्द भी नहीं कहूंगा । शर्म होगी तो इस्तीफा दे देंगे । इसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं दौरा गया, बच्चे साथ में आये थे, उनको लेकर जाता हूं तो वह बस्ता और एफ. आइ. आर 1974 जिसमें 420, 467 468 और 120 के मामले के कागज थे और वह स्टेटमेंट जो स्टेट बैंक आफ बीकानेर एन्ड जयपुर में दिया उसकी कापी लेकर और सारा रेकार्ड और इसके अलावा जो मेरी फाइल में था जब मैं उतरता हूं तो मेरी फाइल नहीं मिल रही थी । बहुत कोशिश करने पर भी नहीं मिल रही है और किसी तरह से मिल सके तो आप जानकारी करें । उनका जवाब आया है कोई जानकारी नहीं है । मेरे पास पूरी जानकारी है और पूरी फाइल भी है लेकिन निन्दा प्रस्ताव की कापी गायब है । पहले वाले निन्दा प्रस्ताव की तो गायब हो ही चुकी थी । यह मिनि क्या फुल फ्लेज्ड वाटरगेट काण्ड है ।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें ।

श्री मूलचन्द सामरिया : मेरी कन्क्लुडिंग दो लाइन हैं । एक छोटे से

: × × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाले गये ।

(श्री मूलचन्द सामरिया)

अपोजीशन में भी जिन लोगों की हरकतों के बारे में आपके द्वारा प्रदत्त प्रक्रिया का सहारा लेकर हमने कुछ कहा और उसके अन्दर भी दबाया जाये और हमारे कागजों की चोरी की जाये और वह भी असेम्बली के प्रांगण पर लाबी में की जाये तो हम असुरक्षित हैं। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन करूंगा कि जनतंत्र की रक्षा और वाटरगेट काण्ड जैसे में जब किसी राष्ट्र का अध्यक्ष अलग हो सकता है और अलग ही नहीं बल्कि बीमार होकर मरणासन्न हो सकता है तो इस सरकार को भी गैरत होगी तो मैं समझता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके आदेशों के द्वारा कोई न कोई एक्शन लेंगे। इसलिए आप विवश करें कि इसकी विस्तृत जांच हो और महावर साहब ने कागज जिनके अ॰ मंगवाये हैं उसको उचित दण्ड दिया जाये और हमें सुरक्षा दिलवायें कि हमारे कागजों की चोरी नहीं होगी और हमारे मामलों का रहस्योद्घाटन किसी भी अधिकारी के द्वारा नहीं हो सके ऐसी व्यवस्था आप करायेंगे। मुझे आपसे पूरी आशा ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है। नहीं तो इसके बिना जनतंत्र समाप्त होगा। इस वाटरगेट काण्ड के लिए आप अवश्य डिसीजन दें।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, यह अपनी तरह की पहली घटना है....

श्री अध्यक्ष : आप भी बोलना चाहते हैं। इसमें और भी बातें कही जा चुकी है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह दो हो गये हैं। बस में से गायब हो गया।

श्री अध्यक्ष : फरमायें आप और कुछ नयी बात कहनी है तो।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, हाउस में इस प्रकार का प्रसंग ध्यान में लाया जाये तो फिर इसमें जांच के आपके माध्यम से आदेश होने चाहिए। यह छोटी मोटी घटना नहीं है।

श्री अध्यक्ष : निर्णय दिया वह सुना नहीं। लीगली गलत हो तो मुझे समझा दिया जाये। मैं यहां पर फिर कह देता हूं कि जो निर्णय मैंने सुनाया है इसमें कहीं कानूनी मिस्टेक हो तो समझा दें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपके निर्णय के बारे में निवेदन नहीं कर रहे हैं। एक एडजर्नमेन्ट मोशन भी इसके संबंध में दिया था।

श्री अध्यक्ष : आप (श्री रामकिशन) फरमाइये।

श्री रामकिशन : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न अपनी तरह का राजस्थान विधान सभा में पहली बार आया तो मैं तो केवल आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि न तो मैं आपके निर्णय के लिए पुनर्विचार के लिए निवेदन कर रहा हूं और गणेश जी को बुद्धि कौन दे इसलिए ऐसी क्षमता तो हमारी नहीं है लेकिन एक चीज साफ है कि कागज चुराये गये और आपने जैसा कहा है कि कागज चुराने वालों में सेक्रेटेरियट का कोई कर्मचारी नहीं है तो फिर यह घटना और भी गम्भीर बन जाती है और जब यह घटना और भी अधिक गम्भीर है आप खुद महसूस कर रहे हैं कि इस प्रकार से अपोजीशन के लोगों की पत्रावलियों को

(श्री रामकिशन)

चुराया गया तो लोकतंत्र में जो थोड़ी बहुत अपोजीशन इस दल के लोग करना चाहते हैं वह भी नहीं कर पायेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सिद्धान्त का सवाल है तो मैं तो चाहूंगा कि जैसी आपने व्यवस्था दी है कि वह खुद उसको प्रस्तुत करें। उस सूरत मे इसको प्रिवलेज कमेटी को जरूर रेफर करना चाहिए और उसके बाद कागजों की चोरी होना और सदस्य को बुलाकर धमकाना और स्वतंत्रता का अपहरण यह खुद अपने आप में बहुत गम्भीर मामला है और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को नहीं रोका गया तो अपोजीशन का काम करना मुश्किल हो जायेगा। इसलिए इस दृष्टि से आप पुनर्विचार कर सकें तो सदन के लिए और सदन की मर्यादाओं के लिए और सेक्रेटेरियट के लिए भी ज्यादा बढ़िया होगा।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं तो दो ही शब्द कहूंगा...

श्री अध्यक्ष : वैसे आपके दल के माननीय सदस्य बोल चुके हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह : ...मैं दोहराना नहीं चाहता लेकिन मैं समझता हूं कि यह महत्वपूर्ण और सिद्धान्त का सवाल है। इसको प्रिवलेज कमेटी को रेफर किया जाये कम से कम। इतना ही मेरा निवेदन है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री केशरीमल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह घटना फिर उदयपुर में घटी है और यह मेरे पास तार है। रात को उस जगह जहां पहले घटना घट चुकी थी और जहां मजदूरों की मीटिंग थी और वहां पर मैनेजमेन्ट के गुण्डे लोगों ने मजदूरों के सिर फोड़े थे पहले उसी जगह मजदूरों ने धरना दे रखा था...

श्री अध्यक्ष : नियमों के अन्तर्गत जिस रूप में ला सकते हैं लाइये।

श्री केसरीमल : इनफर्मेशन दे रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : दे दीजिए।

श्री केसरीमल : बहुत ही अहम मसला है और ऐसी घटनायें घटती जायेंगी और सरकार करेगी नहीं तो मजदूर कहां जायेंगे? मजदूर यहां हजारों की तादाद में आ रहे हैं। सरकार ने आखिर क्या किया? पहली घटना की ओर जब सरकार का ध्यान आकर्षित किया था तब भी सरकार ने कुछ नहीं किया और दूसरी घटना घटी उस समय भी कुछ नहीं किया और यह घटना और घट रही है। वहां टेन्ट लगा हुआ था उसको जला दिया। उन लोगों को ठोका जो वहां धरने पर बैठे हुए थे। 200 के करीब गुण्डे और असामाजिक तत्व वहां पहुंचे और वहां आग लगा दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कहां जायेंगे यह और क्या करना चाहती है सरकार?

श्री अध्यक्ष : यह बात माननीय अग्रवाल साहब कह चुके हैं।

श्री केसरीमल : यह घटना तो बिलकुल अलग है अध्यक्ष महोदय। यह तो कल की घटी हुई है...

श्री अध्यक्ष : कुछ प्रासीजर होते हैं ।

श्री केसरीमल : ... लोग इतने नाराज हो रहे हैं और वह हजारों की तादाद में आ रहे हैं । हम मांग करना चाहते हैं कि आखिर सरकार मैनेजमेन्ट के गुण्डों को रोकने में असमर्थ क्यों है ? या सरकार मैनेजमेन्ट के हाथों बिलकुल बिक गई है या उनको मजदूरों को मारना पीटना शुरू कर दिया है । उसकी छुट्टी दे दी है या मजदूरों का चाहे जिस तरह से दमन हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके जरिये से सरकार इस बात को रोकने का प्रयास करे और आज जो मजदूर आये हैं उनको इस बात का आश्वासन दे कि ऐसी घटना को हम रोकेंगे। और नहीं रोकेंगे तो भयंकर रक्तपात होगा और जिसकी जिम्मेदारी सरकार की है । न सरकार बोलती है और न बयान ही देती है और लगातार घटनायें इस तरह की घटती चली जायें और मजदूर बिलकुल असुरक्षित हों और चाहें जब उनको ठोका जाये और लाठियों से मारा जाये और उनके केम्प को आग लगा दी जाये इससे भयंकर बात और क्या हो सकती है ? ...

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें ।

श्री केसरीमल : इसलिए मेरा निवेदन है कि आज ही इस पर कुछ बयान दिलायें नहीं तो बहुत ही भयंकर परिणाम होंगे। हजारों मजदूर यहां आये हैं।

श्री केदारनाथ : मान्यवर, मुझे तो इतना सा अर्ज करना है कि राज्य गृह मंत्री जी ने यह निवेदन किया था कि डी.आई.जी. को भेज दिया है स्पाट पर और जो भी जानकारी वह दे । अगर स्टेटमेन्ट आ जाता तो यह और घटना नहीं घटती । यह बहुत बड़ा असाल्ट है ट्रेड यूनियन पर इसलिए आज सिटिंग एडजर्न होने से पहले पहले बयान दे दें तो अच्छा हो ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है कि सवेरे के बाद में मेरे पास टेलीग्राम आया है, मैं उसको पढ़कर सुना दूं....

"About two hundred persons and Anti Social elements thrown and burnt the tent where workers are sitting on Dharna at Udaipur Cement Works with the help of management. Several workers seriously injured. Workers at Udaipur division are very much agitated. Details will be conveyed."

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना है कि उस दिन 24 तारीख के सम्बन्ध में इसका उल्लेख किया गया है और उसमें सरकार की ओर से और मुख्य मन्त्री जी की ओर से उदासीनता दिखाई गई है । उसमें चाहा यह गया था कि सरकार की ओर से कोई फौरन कार्यवाही की जाय और जिन लोगों ने हमला किया उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की जाती । लेकिन इस तार से मालूम पड़ता है कि सरकार की तरफ से उदासीनता दिखाई गई है और इस प्रकार से सन्तोषजनक तरीके से जो डेमोक्रेटिक रूल्स का एक्सरसाइज कर रहे थे और धरना दे रहे थे उन पर 200 की तादाद में हमला किया गया और सरकार की ओर से उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई यह बहुत ही खेदजनक और चिन्ताजनक बात है । अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पांच सौ

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मजदूर. इन्टक और एटक के रूप में आज प्रदर्शन करने आये हैं जलूस लेकर । सीमेंट फैक्ट्री, उदयपुर के मसले को लेकर और उनकी दूसरी मांगों को लेकर, तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि माननीय गृह राज्य मन्त्रीजी के पास जो भी सूचना प्राप्त हुई हो, उसके सम्बन्ध में हाऊस में एक वक्तव्य दें और जो वर्कर्स आये हुए हैं उनके सामने जाकर भी एक वक्तव्य दें और उनको सांत्वना दें कि सरकार इस मामले में जागरूक है और हमलावरों के खिलाफ कार्यवाही करना चाहती है वरना यह मामला बहुत ज्यादा बढ़ेगा और इसके कई गम्भीर परिणाम होंगे । तो अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह राज्य मन्त्री जी यहां मौजूद हैं और जितनी भी इन्फोर्मेशन उनके पास है वह हाऊस को देवें, और जो मजदूर तिरंगे झण्डे लेकर आये हैं, जिसकी सरकार है इससे भी आपका नैतिक और राजनैतिक दायित्व हो जाता है कि आप उनके हितों की रक्षा करें। पहले भी मैंने निवेदन किया था कि सरकार इस ओर बिल्कुल उदासीन है और मालिकों के साथ सरकार का गठबन्धन है, ऐसा लगता है । इसलिये मैं माननीय गृह राज्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे बाहर जाकर मजदूरों को सम्बोधित करेंगे और जो स्थिति है उससे उनको अवगत करायेंगे और हाउस को भी जानकारी देंगे ।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, वे कुछ बोलें तो सही, उप नेता महोदय मौजूद हैं उन्होने स्टेटमेंट देने के लिए भी कहा था ।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उपनिवेशन विभाग की अधिसूचना ...

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप सूचना दे रहे हैं या वक्तव्य दे रहे हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : मुझे आसन से आदेश हुआ है कि उपनिवेशन विभाग की अधिसूचना को सदन की मेज पर रखूं ।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : मैं यह कह रहा था कि गृह राज्य मन्त्री जी अगर वक्तव्य देना चाहें तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होने स्टेटमेंट देना स्वीकार किया था ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा था स्टेटमेंट अवश्य देंगे ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मन्त्री गृह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के लिए नहीं, मैंने यह कहा था कि इस सदन को मैं जो भी स्थिति है वह स्पष्ट करूंगा । कई नये पोइन्ट्स रेज किये गये हैं उनकी इन्फार्मेशन मेरे पास नहीं थी, इसलिये सूचना मिलने पर स्टेटमेंट देने के लिए कहा था ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, उप नेता महोदय ने यह कहा था कि गवर्नमेंट जरूर इस विषय पर वक्तव्य देगी ।

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, युनिवर्सिटी टीचर्स ने भी धरना शुरू कर

(श्री केदारनाथ)

दिया है और मुख्य मन्त्री जी ने जो 25 तारीख को स्टेटमेंट दिया था उससे उनको बड़ी निराशा हुई है। इसलिये कि उनका स्टेटमेन्ट फाइनल न हो और कोई बीच का रास्ता निकल सके, इसलिए मेरा निवेदन है कि अब भी मुख्य मन्त्री जी 31 तारीख को उनके प्रतिनिधियों से बातचीत करके कोई सम्मानजनक बीच का रास्ता निकालें तो ठीक रहेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी ने यह स्पष्ट कहा था कि मेरे दिमाग में कोई अस्पष्ट बात नहीं है। लेकिन खेद है कि अभी तक उनके प्रतिनिधियों से बात नहीं की गई। उनके रिजोल्यूशन में है कि गवर्नमेंट का स्टेटमेंट नाकाफी है, इसलिए वे घरणे पर और भूख हड़ताल पर बैठ रहे है। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार को तुरन्त बातचीत करनी चाहिए और जो स्टेटमेन्ट दिया है उस पर रिजिडिटी नहीं करनी चाहिए और खुले वातावरण में उनसे बातचीत करनी चाहिए। 8 तारीख से विद्यार्थियों के एग्जामिनेशन शुरू होने वाले हैं। इसलिए इस मामले में टालमटोल नहीं करके उनके प्रतिनिधियों से बातचीत करिये और प्रिन्सिपली उनकी बात को स्वीकार करिये, पांच-सात स्टेट्स ने उसको स्वीकार भी कर लिया है। मैं समझता हूं कि यह एक बहुत ही सम्मानजनक तरीका है और इससे समस्या हल हो सकेगी। और कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समस्या के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर में भी लाखों विद्यार्थियों का प्रश्न है। वे इस चिन्ता में हैं कि उनकी परीक्षा होगी भी या नहीं होगी। इसलिए मुख्य मन्त्री जी ने जो इफ्स एन्ड बट्स लगाये हैं उनको हटाकर यू. जी. सी. के ग्रेड्स को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और कमेटी को उसके इम्प्लीमेन्टेशन के लिये नियुक्त कर देना चाहिए जिससे यह डेड लोग समाप्त हो जायगा। यही राजस्थान की सारी जनता और विद्यार्थियों के हित में होगा और कन्फन्ट्रेशन को अवाइड करने के लिये भी। प्रोफेसर केदार ने भी कहा है, मुख्य मन्त्रीजी इस पर पुनर्विचार करें और आखिर में इस समस्या को फेश करना चाहिए, हल करना चाहिए। यह सोचते हैं कि 31 तारीख को सदन का सत्र समाप्त हो जायेगा और फिर कोई आवाज नहीं उठेगी, यह ठीक नहीं है। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि मन्त्रिमन्डल में इस पर पुनर्विचार किया जायगा और उनकी मांगों को स्वीकार किया जायगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय राजस्व मन्त्रीजी।

सदन की मेज पर रखा गया पत्र
अधिसूचना

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मन्त्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उपनिवेशन विभाग की अधिसूचना संख्या 3 (अ)(56) राज/उप/74 दिनांक 21 मार्च, 1975 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी जो प्रश्न चल रहा था, वह गवर्नमेन्ट की नीति से सम्बन्धित है और बहुत

(श्री लक्ष्मणसिंह)

महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका सुलझाव होना चाहिए। इसके लिए 31 तारीख को माननीय मुख्य मन्त्री महोदय को बयान देना चाहिए।

समिति का प्रतिवेदन

जन लेखा समिति का १०वां व ११वां प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष: प्रतिवेदनों का उपस्थापन: श्रीमती प्रभा मिश्रा।

श्रीमती प्रभा मिश्रा (सभापति, जन लेखा समिति): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जन लेखा समिति के 1974–75 के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करती हूं:

(1) अकाल सहायता, उद्योग, राणाप्रताप सागर एवं जवाहरसागर बांध, वन तथा सिंचाई विभागों के बारे में विनियोग व वित्त लेखे 1970–71 तथा वर्ष 1970-71 के लेखाओं पर अंकेक्षा प्रतिवेदन से सम्बन्धित जनलेखा समिति का दसवां प्रतिवेदन।

(2) विनियोग लेखे 1970-71 में बताए गए दत्तमत अनुदानों तथा प्रभृत विनियोगों में अतिरेक के मामलों पर जन लेखा समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन।

आश्वासन समिति का तीसरा प्रतिवेदन

श्री गंगाराम चौधरी (सभापति, आश्वासन समिति): अध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति–1974-75 के तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

याचिका समिति का चौथा प्रतिवेदन

श्री गुमानमल लोढ़ा (सभापति, याचिका समिति): अध्यक्ष महोदय, मैं याचिका समिति 1974-75 के चौथे प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

बिहार जन आन्दोलनावधि में राजस्थान पुलिस को बिहार भेजने सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री गुमानमल लोढ़ा।

श्री गुमानमल लोढ़ा: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी का ध्यान राजस्थान से बिहार जन आन्दोलन को दमन करने के लिये आर. ए. सी. की बटालियन भेजने और उसके द्वारा जनता का दमन किये जाने की ओर आकर्षित करता हूं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मंत्री, गृह) माननीय अध्यक्ष महोदय ··

श्री रामकिशन: यहां मुख्य मंत्रीजी नहीं है !····

(व्यवधान – अश्रव्य)

हम मानते हैं कि मंत्रीमण्डल की सामूहिक जिम्मेदारी है, कोई भी मंत्री जवाब दे सकता है लेकिन सदन की मान्य परम्पराओं के अनुसार ऐसे मौकों पर मुख्य मंत्रीजी को यहां पर उपस्थित रहना चाहिए। वह कहां हैं ?

श्री अध्यक्ष: मुझे भी उतनी ही जानकारी है जितनी आपको है।

Page No 74

(74)

श्री रामकिशन : जानकारी का प्रश्न नहीं है ...

श्री गुमानमल लोढ़ा : पिछले समय यहां मुख्य मंत्री महोदय ने स्वयं ने विशेष-तौर पर यह रिक्वेस्ट की थी कि मैं स्वयं उपस्थित रहना चाहता हूं। इस सारे संदर्भ में स्वयं उपस्थित रहना चाहते थे।

श्री अध्यक्ष : आ जायेंगे।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली जा रहा हूं इसलिए इसको पोस्टपोन कर दिया जावे।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मंत्री, गृह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार जन आन्दोलन का दमन करने हेतु राजस्थान पुलिस को भेजे जाने से उत्पन्न स्थिति बाबत ध्यान आकर्षित प्रस्ताव के तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार हैं :

आठवीं बटालियन आर. ए. सी. जो इंडिया रिजर्व बटालियन है, को तारीख 21-3-1974 को जोधपुर से बिहार भारत सरकार के आदेश से भेजा गया था। यह बटालियन मुजफ्फरपुर से दिनांक 16-8-74 को त्रिपुरा भेजी गई है।

आठवीं बटालियन इंडिया रिजर्व है और इसका समस्त खर्चा भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। केन्द्रीय सरकार के निर्देशानुसार ही इस बटालियन का गठन किया गया था। इस बटालियन का डिप्लोयमेंट भारत सरकार ही करती है तथा वह बिहार और त्रिपुरा भारत सरकार के आदेशानुसार गई है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, सर्व प्रथम....

श्री अध्यक्ष : इसमें यह है कि समय की कमी को देखते हुए अगर सभी बोलना चाहें तो सभी दलों की तरफ से एक एक दल से एक एक सदस्य बोल लें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं यह निवेदन करना चाहता कि राजस्थान आर्म्ड पुलिस का गठन, राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबलरी एक्ट, 1950

(1.50 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

जिसको कि राजस्थान की विधान सभा ने बनाया है और अध्यक्ष महोदय, इसके नीचे आर.ए.सी. बटालियन, जिसको बिहार में दमन के लिए यहां से भेजा जाना बताया जाता है उसका सारा एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन 3 में हैं उसके अनुसार होता है :

"Raising of Rajasthan Armed Constabulary. There shall be raised and maintained by the Government, a force to be called the Rajasthan Armed Constabulary and it shall be constituted in one or more in such manner and for such period as may be prescribed."

और सेक्शन 3 (ए) में है Control over and Administration of the Rajasthan Armed Constabulary—The control and direction of the Rajasthan Armed Cons-

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

tabulary which vest in the Inspector General and in such Dy. Inspector General as the State Government shall direct.'

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं सबसे पहले यह कि जो माननीय राज्य मंत्री महोदय ने इस आर्म्ड कान्स्टेबलरी को केन्द्रीय सरकार द्वारा रेज किया हुआ और उसका खर्चा करने की बात कही है, मैं समझता हूं कि वह भ्रम में डालने वाली बात इसलिए है कि खर्चा कोई भी वहन करे, यहां पर जो बार बार यह कहा जाता है और जिसके बारे में वेरी कमीशन की रिपोर्ट में भी जिक्र किया गया है कि 7 तारीख को जो पुलिस यहां आई उत्तर प्रदेश की, खर्चा तो वही सरकार वहन करती है जिसके द्वारा दमन के लिए उसको काम में लिया जाता है, लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां जो मसला सदन के सामने है वह खर्च से सम्बन्धित नहीं है। मसला यह है कि राजस्थान की पुलिस है, राजस्थान के अफसर हैं, राजस्थान की आर्म्ड कांस्टेबलरी है उन्होंने वहां पर गोलियां चलाई हैं जो लोगों पर गोलियां दागी हैं, जो हथियारों का प्रयोग किया है, लाठियां बरसाई हैं, बिहार की गरीब जनता पर, जो व्यक्ति वहां पर कमाण्ड कर रहा था वह राजस्थान का है और सारी आर्मी राजस्थान की है इसलिए खर्चे के बहाने से इस दोष से मुक्त होना चाहें या इससे बचने का प्रयास करें तो मैं समझता हूं कि यह उनका असफल प्रयास है। विधान सभा को कम से कम भ्रम में डाल नहीं सकते।

अब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां सबसे पहले उन्होंने यह स्वीकार किया कि राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबलरी, आर.ए.सी. की पुलिस बिहार में गई और उन्होंने यह भी बताया उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सदन को विदित है, हमें इस बात पर विचार करना होगा और वेरी कमीशन ने भी यह बात कही है कि यदि कोई पुलिस, दूसरे प्रदेश को आती है तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसका वहां का कम्पोजीशन, उसका डिसिप्लीन, उसकी मान्यतायें, उसका तौर तरीका वह सब अपना होता है और दूसरे प्रदेश में आने के कारण जिस प्रकार 7 मार्च 67 को जयपुर में हुआ, जिस प्रकार जौहरी बाजार में गोली काण्ड हुआ, वेरी कमीशन ने निश्चित रूप से यह कहा है कि यह अनावश्यक था और बिल्कुल ही अनधिकृत भी था। तो इस प्रकार से जैसे राजस्थान की पुलिस बिहार में गई और बिहार में जाकर विभिन्न स्थानों पर और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके कहने के अनुसार ही वहां पर पांच महीने तक रही, जैसी कि आपने डेट दी हैं उन डेट्स के अनुसार ही अगर मान लिया जाय तो मार्च के महीने से लेकर अगस्त 74 तक पूरे पांच महीने तक पुलिस ने वहां पर यह कार्य किए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चम्पारन के बेतिया गांव में जहां पर बीस पच्चीस हजार छात्र आन्दोलन के रूप में लोगों ने प्रदर्शन किया और, उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर मार्च के महीने के अन्दर जिसमें सरकार की घोषणा के अनुसार ही 65 राउण्ड गोली चलाई गई है छात्रों पर

Page No 76

(76)

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

18 लोग मरे हैं और वास्तव में 30 लोग मरे हैं। इसी प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, फिर इसके बाद इसी मार्च के महीने में पटना और बिहार बंद रहा और वहां पर काला दिवस मनाया गया और इसी मार्च के महीने में 22 लाख बांस बल्लियें बांध कर विधान सभा को घेर लिया और वहां पर सारे रास्ते बन्द कर दिए गए और फिर 155 राउण्ड गोली चलाई छात्रों व जनता पर इसी मार्च के महीने के अन्दर जिसमें कि 60 लोग मरे। तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह सारा फायरिंग हुआ और गोलियां चलाईं और यह साठ लोग मरे पटना के अन्दर और 155 राउण्ड गोली चलाई गई और उपाध्यक्ष महोदय, उसी रोज वहां जो सर्च-लाईट और प्रदीप का जो आफिस है असामाजिक तत्वों ने लूटा जिसमें सी.पी.आई. के लोगों को प्रोसीक्यूट किया जा रहा है और उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से तीन सौ राउण्ड गोली फिर चली जिसमे तीन सौ लोग घायल हुए और सौ आदमी मरे। यह गोली काण्ड बिहार में मुजफ्फरपुर नगर में हुआ। आप जानते हैं बेतिया और मुजफ्फरपुर में गोलियां चलाई गईं। इसके अलावा सहरसा, मोतिहारी, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, बरौनी, खगडिया, पूर्णिया, आरा, बक्सर, डालमियानगर, भागलपुर, मुंगेर, धनबाद, बांका इन तमाम जगहों पर तीन सौ राउण्ड गोलियां चलाईं और सौ लोग मरे और तीन सौ लोग घायल हुए। मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस प्रकार से बर्बरता के साथ में अत्याचार किया जावे और हमारी पुलिस का दुरुपयोग हुआ यह हमारे लिए शर्मनाक स्थिति पैदा हो जाती है। और मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बाद में अनसन कार्यक्रम में जो जेल भरो अभियान था, पांच पांच हजार लोगों के जुलूस पर सारा दमन हुआ। वे कह रहे थे कि हमारा जयप्रकाश ने नेतृत्व किया है, जयप्रकाश ने बुनियादी प्रश्नों को लेकर, भ्रष्टाचार के खिलाफ, आमूलचूल परिवर्तन शिक्षा पद्धति में करने के लिए और गरीबी हटाने के नाम पर जिस प्रकार से जनता के साथ धोखाबाजी की गई, दगा किया गया है उसके विरुद्ध जनता के वास्तविक आक्रोश और असन्तोष को लेकर और सही रूप के अन्दर वास्तव में गरीबों की वास्तविक समस्याओं को लेकर जयप्रकाश ने जो आन्दोलन प्रारम्भ किया, उस सम्बन्ध में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पांच पांच हजार लोगों का जुलूस निकला और हमारी पुलिस वहां पर रही। लोगों ने नारा दिया-सच कहना यदि बगावत है, फिर कह दो हम भी बागी हैं। जेल भरो अभियान के साथ लोगों ने नारा दिया। और अब, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 5 जून, 74 को जब कि आर. ए. सी. वहां पर थी, 5-6-74 को, उपाध्यक्ष महोदय, दस लाख लोगों ने, जे. पी. लोगों ने मांग पर प्रस्तुत किया, वहां पर गए और आपको जानकर बड़ा दुःख होगा, बड़ी वेदना होगी कि आर. ए. सी. वहां पर तैनात थी, उस समय के अन्दर उन लोगों ने इन्दिरा ब्रिगेड के लोगों ने जो जयप्रकाश का जुलूस निकल रहा था उसके ऊपर फायरिंग किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आर. ए. सी. वहां पर क्या कर रही है। कानून को हाथ में लेती है इन्दिरा ब्रिगेड जिसमें 17 लोग घायल हुए और 5-6-74 को इसी प्रकार से वहां पर, बिहार में घटना हुई। जे. पी. समर्थकों की ओर से यह कहा गया कि

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

हमला चाहे जैसा होगा हाथ हमारा नहीं उठेगा। इससे बढ़ कर अहिंसक प्रदर्शन और क्या हो सकता है जयप्रकाश नारायण के समर्थकों का। नब्बे परसेन्ट छात्रों ने बहिष्कार किया और हमारी पुलिस ने उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया। अगस्त, 74 में उनको गिरफ्तार किया। 15 अगस्त को वहां पर शहीद दिवस मनाया गया। काला बाजार करने वाले ब्लेक मार्केटियर्स इनके खिलाफ जे. पी. के समर्थकों ने नारे लगाये। उस दिन कोई दुर्घटना नहीं हुई और यह 3, 4, 5, अक्टूबर को घटना है। उस दिन सारा का सारा बिहार बन्द होने को था। बिहार बन्द का नारा था और सरकार की ओर से गाड़ियां नहीं चलीं और उपाध्यक्ष महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो 90 परसेन्ट नौकाएं थी, जो पटना शहर के किनारे पर खड़ी थी उनको डूबो दिया गया ताकि कोई भी व्यक्ति पटना शहर में नहीं आ सके। रेलें बन्द कर दी गई इस तीन, चार और पांच अक्टूबर को। फिर भी, उपाध्यक्ष महोदय, लोग मुर्दे लेकर, करीब 200 मुर्दे लेकर बिहार, पटना पहुंचे। जब सी. आई. डी. को, पुलिस को पता लगा कि ये लोग तो जयप्रकाश नारायण के समर्थक हैं तो उन मुर्दों को हटाना पड़ा। वास्तव में वे आंदोलनकर्ता थे। इस तरह से आर. ए. सी ने नौकाएं डूबो दीं, गाड़ियां बन्द करा दीं और उसकी आपको कोई खबर नहीं, पटना जाने के रास्ते बन्द कर दिये-उपाध्यक्ष महोदय, यह तो आपको पता होगा कि यह कितना विशाल प्रदर्शन हुआ और उसके बाद यह निवेदन करना चाहता हूं हमारे मंत्री महोदय को इस आर.ए.सी. को यहां से बिहार भेजने की क्या तुक थी? इसी तरह से वहां 4 नवम्बर, 74 को एक बड़ा दृश्य उपस्थित किया गया जिसमें 70 परसेन्ट से भी अधिक नौकाओं को पानी में डूबो दिया गया इस सरकार के द्वारा। इतना ही नहीं शाम को मीटिंग गांधी मैदान में हुई थी और हजारों लाखों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। इस कांग्रेसी सरकार द्वारा एक नई घटना उस दिन की गई। जो अंग्रेजों के जमाने में भी कभी नहीं हुई थी। हवाई जहाज से उन पर अश्रु गैस छोड़ी गई। इसी तरह से जयप्रकाश नारायण पर भी अटेक किया गया। नानाजी देशमुख ने उनका बचाव किया वरना हमारा जो स्वतन्त्रता सैनानी था और जो देश की आजादी का अगुवा था, जिसने देश की तरुणाई को, सन् 1942 के आन्दोलन के अन्दर, अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा किया था, जिसने उस समय इतना बड़ा आन्दोलन किया था, उस व्यक्ति पर इस प्रकार प्राणघातक हमला किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं और माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि आपको यह आर.ए.सी. इन प्रसंगों पर काम आती है—गोलियां चलाने, लाठियां चलाने के लिए वहां काम आती है। मैं यह कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर 8 तारीख को सी. पी. आई. की रैली हुई और धारा 144 हटा दी गई और जयप्रकाश नारायण के समर्थन में रैली हुई तो धारा 144 लागू कर दी। कर्फ्यू लगा दिया। नौकाओं को डूबो दिया गया। पटना शहर की चारों तरफ से घेरा बंदी कर दी गई और हवाई जहाज से अश्रुगैस छोड़ी गयी। 65 राउन्ड और 100 राउन्ड गोलियां वहां पर चलाई गई। यह सब जयप्रकाश नारायण की रैली के साथ किया गया।

(श्री गुमानमल लोढा)

वहां की सरकार के द्वारा और जब सी. पी. आई. की रली हुई तो यह सब हटा दिया गया। यह कहा गया कि लोग ट्रेन और बस में मुफ्त में आ जा सकते हैं। उनको लाने में हजारों रुपया खर्च किया गया। कांग्रेस सरकार का भी यह प्रयत्न रहा कि किसी से कम्युनिस्ट जयप्रकाश नारायण आन्दोलन का मुकाबला करने के लिए आगे आ जावें। इस आंदोलन के विरुद्ध किस को खड़ा किया जावे, इसके लिए कांग्रेस ने कम्युनिस्टों को तैयार किया और कम्युनिस्टों की सहायता के लिए सत्ता का हर प्रकार से दुरुपयोग किया गया। इतना ही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, इन लोगों को शराब, पुड़ियां मुफ्त में दी गयी। मैं यहां पर मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस वक्त आपकी आर. ए. सी. इनको क्यों नहीं रोक सकी? उसको इन लोगों को रोकना चाहिए था। लोग टिकटलैस ट्रेवलिंग कर रहे थे। इसको रोकने के लिए वहां पर जनता चेकिंग की गई। तो आपकी पुलिस ने इन जनता चेकिंग वालों को गिरफ्तार किया। उन पर हमला किया गया परन्तु दूसरी ओर सी. पी. आई. के लोग जो टिकटलेस ट्रेवलिंग कर रहे थे उनको पुलिस ने नहीं रोका। और जनता गई तो उनको पुलिस वालों ने रोका। उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में स्पष्टीकरण करना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि हमारी पुलिस फोर्स का, आर. ए. सी. को रखने का परपज क्या है? यह आर. ए. सी. किस परपज के लिए है? क्या इसीलिए है कि वह बिहार में जाकर जन आन्दोलन को रोके? उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर सदन में एक बात कही गयी राय-सिहनगर में हरिजन सम्मेलन हुआ, वहां पर धोखाधड़ी हुई। यह आरोप लगाया गया कि लाखों रुपये किसी के नाम पर इकट्ठे किये गये। प्रत्यारोप भी लगाया गया माननीय सदस्य रामचन्द्रजी चोधरी की ओर से हमारे से भी ज्यादा धोखाधड़ी दूसरे पक्ष ने की है। कम्युनिस्ट पार्टी ने बाबू जगजीवन राम का नकली बुत बनाकर पर्चियां बांटी गई। इस तरह इन लोगों ने जनता के साथ कांग्रेस से ज्यादा धोखाधड़ी की। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब राजस्थान के एक हिस्से में धोखा-धड़ी हो रही है, लोगों को फर्जी बाबू बना कर धोखा दिया जा रहा है, उस समय आपकी यह आर. ए. सी., पुलिस कहां चली गई? आपकी पुलिस ने फर्जी बाबू जगजीवन राम को क्यों नहीं पकड़ा? उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? 420 का मुकद्दमा उस पर क्यों नहीं चलाया? आपकी आर ए. सी. वहां पर क्यों नहीं गयी.... (समय समाप्ति सूचक घंटी) उसने लोगों की रक्षा क्यों नहीं की? यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न यहां पर आ रहा है। इस देश में लोकतन्त्र को बचाने का, संवैधानिक परम्पराओं को कायम रखने का जयप्रकाश के आन्दोलन कर्ता और लाखों लोगों की यह दलील है कि यह आन्दोलन अधिनायकवाद को समाप्त करने के लिए है, फासिस्टवादी ताकतों के विरुद्ध दृढ मोर्चा है और इसके विरुद्ध वे जम कर संघर्ष करना चाहते हैं और जयप्रकाश के आन्दो-लन के खिलाफ कोई आन्दोलन होता है तो वह आन्दोलन फासिस्टवाद को खत्म नहीं होने देना चाहता है।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ समय पहले 21 तारीख को राजस्थान में लोग रेल से और बसों से जयपुर में आये। यह नारा दिया

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

गया यह कम्युनिस्ट पार्टी का नारा था। उन्होंने कहा एक पैर रेल में और एक पैर जेल में। इन लोगों ने बिना टिकट यात्रा की। जयपुर में 21 तारीख को कम्युनिस्ट पार्टी का प्रदर्शन हुआ और यह ऐलान किया गया कि हमारे आदमी हैं, बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : You confine yourself to your own motion.

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : इस किस्म की बात कह कर ये माननीय सदस्यों को प्रोवोक करना चाहते हैं। असल में यह भी यह चाहते हैं कि इनका जो कच्चा-चिट्ठा है, वह यहां पर खोला जाये ....

श्री उपाध्यक्ष : It is not the subject matter of your motion.

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : ये आपका कहना नहीं मानेंगे, उपाध्यक्ष महोदय........

श्री उपाध्यक्ष : I am already requesting the Hon'ble member.

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सब्जेक्ट मैटर आपका नहीं है। यह पुलिस का प्रश्न है। आपकी पुलिस बिहार में जा कर उन लोगों को रोके जो जनता चेकिंग के लिए जा रहे हैं। और जनता चेकिंग की तरफ से कोई व्यक्ति आता है तो उसको रोकती है, उसका सिर फोड़ देती है। उसको थाने में बन्द कर देती है और यह कहती है वह रेल्वे स्टेशन पर जनता का बचाव कर रही थी क्योंकि लोग पत्थर फेंक रहे थे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस हमारी रक्षक है। यह हमारा सब्जेक्ट है आज के काल अटेन्शन का। आपने राजस्थान की आर. ए. सी. को बिहार भेजा-- कानून की स्थिति को बनाये रखने के लिए। क्या यह पुलिस का काम नहीं है कि कोई व्यक्ति टिकटलेस ट्रेवलिंग करे तो उसको नहीं रोका जावे और लोग हजारों की तादाद में जाते हैं और जनता चेक करती है तो उनको पीटे और उसके बाद हमारे मन्त्री महोदय किसी प्रकार का एक्शन नहीं लेवे। लोग उनको रोकते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी ओर विद्यार्थी खड़े होकर पटना शहर में यह कहते हैं आज की शिक्षा पद्धति में बदलाव हो क्योंकि इससे बेरोजगारी बढ़ रही है, काम नहीं मिलता है। इसलिए ऐसी शिक्षा पद्धति में आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। यह गफूर सरकार भ्रष्टाचारी है। और राजस्थान की आर्म्ड कान्स्टेबुलरी उन विद्यार्थियों पर गोलियां चलाती है--तो यह राजस्थान की सरकार और राजस्थान की जनता के लिए एक शर्मनाक स्थिति है। यहां तो रक्षक ही भक्षक हो गये। रक्षा करने का जहां सवाल है वहां उल्टे लूटपाट आप करवा रहे हैं। अभी चौमू के अन्दर लूटपाट हुई परन्तु मंत्री महोदय की ओर से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। कोई जवाब नहीं है। मंत्री महोदय इस बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहते हैं। पुलिस क्यों नहीं जागरुक है? सीकर, रींगस में दुर्घटनाएं हुई हैं। सारे राजस्थान के टिकटलेस ट्रेवलिंग हुई, उसकी रोकथाम के लिए आप कुछ नहीं करना चाहते हैं। इसका आपने कोई उत्तर नहीं दिया। तो यह मिली जुली भगत है, कान्सप्रेसी है, आपस में कोलोब्रेशन है। आप दोनों मिल कर इस

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

प्रकार जो कानूनी व्यवस्था है, उसको भंग करना चाहते हैं और हिन्दुस्तान में फासिस्ट-वाद लाना चाहते हैं और जे० पी० के आन्दोलन में जो लोकतन्त्र की रक्षा करने वाले लोग हैं उनको समाप्त करना चाहते हैं। क्या आप यह सोचते हैं कि इस तरह से, इस दमन चक्र से यह जन आन्दोलन रुक जायेगा ? अभी तक 300/400 लोगों ने बिहार में कुर्बानी दी है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि इस तरह से आप आर्म्ड कान्स्टेबुलरी को कहां कहां भेजेंगे ? यह तो जनता का ज्वार है जो उफनता ही जायेगा और जनता का यह ज्वार इस अत्याचारी, भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ उठ खड़ा है, इस ज्वार को अब आप नहीं रोक पायेंगे। मेरा एक सीधा प्रश्न है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने यह आर. ए. सी. की बटालियन बिहार क्यों भेजी ? आप यह कह सकते हैं कि केन्द्रीय सरकार का आदेश था, इसलिए वहां बिहार में भेज दी ? यह बात आज के जमाने के साथ मौजू नहीं हो सकती है। अगर ऐसा है तो यह अकबर के फतवे के समान बात हो गई जैसे कि पुराने जमाने में हम सुनते थे। अकबर ने कोई फतवा दे दिया कि वहां पर सेना भेजी जावे और उसका यह फतवा उसके सूबेदार, मनसब-दारों को होता था और वे सूबेदार, मनसब दार अपनी अपनी सेनाओं को लेकर वहां पर चले जाते थे। तो अकबर ने कहा कि यहां पर हमला करो, वहां पर हमला करो तो वहां पर चले गये। क्या आपने अपना ईमान बेच दिया, क्या आपने अपनी इज्जत बेच दी, क्या आपने अपने उसूल बेच दिये, क्या आपने अपने सिद्धान्त बेच दिये ? आप कहते हैं कि राजस्थान का एक भी सिपाही, राजस्थान की पुलिस का एक भी व्यक्ति जिसने राणा प्रताप से प्रेरणा ली है, जिसने आजादी की जंग लड़ी है, जिसने स्वाधीनता की लड़ाई में देश की अगुवाई की है, वह राजस्थान का इन्सान बिहार की जनता के खिलाफ हाथ नहीं उठायेगा, राजस्थान की जनता का हाथ बिहार की जनता के खिलाफ नहीं उठेगा.......

व्यवस्था का प्रश्न

विषयांतर चर्चा

श्री यशवन्तसिंह नाहर : ओन ए पाइंट आफ आर्डर, सर। मैं कभी भी आपके बीच में बोलने की इच्छा नहीं रखता.... ...

श्री रामकिशन : हिन्दी में।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं हिन्दी में ही बोल रहा हूं।

श्री रामकिशन : आप पहले अंग्रेजी में बोले थे।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैंने सिर्फ पाइंट आफ आर्डर कहा था।

श्री गुमानमल लोढ़ा : व्यवस्था का प्रश्न कह दें।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : बिहार में क्या हुआ, हमारी पुलिस ने क्या किया, यह इस सदन के सब्जेक्ट मेटर से परे है। उसके बाद यहां की लोकल पुलिस ने क्या किया। इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि बिहार की घटनाओं को लेकर यहां पर कहना यह इस सदन की क्षमता के बाहर है। यह मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

श्री दीपंकर : उपाध्यक्ष महोदय, लोढ़ा साहब ने यह फरमाया है कि राजस्थान के लोग गये बिहार में...... पुलिस का सवाल वहां पर जायेगा। आज आप प्रजातन्त्र को खत्म करना चाहते हैं........

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य........

श्री दीपंकर : जय प्रकाश नारायण देश को नहीं रखना चाहते हैं........

श्री उपाध्यक्ष : नाट टू बी रेकार्डेड।

श्री दीपंकर :— — — — —

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवस्था सूचक घंटी)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप तो होली के × × × हैं।

श्री दीपंकर : आप × × × हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आप होली के × × × हैं।

श्री दीपंकर : आप × × × हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, यह इस प्रकार का जो वाद-विवाद कर रहे हैं होली के × × × और × × × उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आप उस वातावरण में हिस्सा ले रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उपाध्यक्ष महोदय, यह नाथूराम जी और बोहरा जी कहां से आ गये ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री यशवन्तसिंह जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि काल अटेन्शन मोशन का सबजेक्ट मेटर है उसमें बिहार की घटनाएं वह इस तरह से विशेष रूप से उल्लेखित नहीं होनी चाहिए। मैंने जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन किया था कि काल अटेन्शन मोशन है उस पर बोलते समय घटनाओं के बारे में और कुछ अपनी अभिव्यक्तियों के बारे में माननीय सदस्यों को संयम की आवश्यकता है। ऐसी अभिव्यक्तियों को जो वहां की सरकार, वहां के सदन और वहां के विशेष रूप से एडमिनिस्ट्रेशन से संबंध रखती हों या उनके ऊपर प्रभावशाली हो सकती है उनको माननीय सदस्यों को अपनी अभिव्यक्तियों में नहीं लाना चाहिए और इसको ध्यान में रखे तो अच्छा रहेगा।

श्री केदारनाथ : पाइंट आफ आर्डर रूल आउट हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : हां।

बिहार जन आन्दोलनावधि में राजस्थान पुलिस को बिहार भेजने सम्बन्धी

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार के बारे में यहां पर कुछ कहने का मेरा प्रयोजन नहीं है और आवश्यकता भी नहीं है। मैं तो राज्य सरकार ने निकम्मे तरीके से जनता द्रोही रवैया अपनाया है उसके बारे में कहना चाहता हूं। बिहार सरकार के बारे में तो बिहार की जनता में हो रहा है और जो वहां पर

— — —अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किये गये।

× × × ये शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार कार्य विवरण से निकाले गये।

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

हो रहा है वह सारे हिन्दुस्तान के लिए एक अच्छी दशा का परिचायक है। क्या मुख्य मंत्री जी को सांप सूंघ गया है? आपने क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया? आपने क्यों नहीं कहा कि राजस्थान की पुलिस ऐसे काम के लिए नहीं जायगी। जयप्रकाश जी के ऊपर लाठी चलाने के लिए नहीं जायगी जिसने सन् 42 में सारे देश को आजादी के लिए खड़ा किया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : और 48 में आप उसको गालियां दे रहे थे।

श्री दीपंकर : उन्होंने आपकी दलाली की और आपकी मुनीमी की है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो इनके नेता ही इस बात को कहते हैं कि तुम भगवान के लिए जे० पी० के खिलाफ कुछ न कहो। जगजीवनरामजी कहते हैं कि जे० पी० के लिए कुछ न कहो। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, वह अपनी × × को बताना चाहते हैं। आप कुछ भी कहें तो भी हम जयप्रकाश को गालियां बोलेंगे····

श्री दीपंकर : गालियां नहीं बोल रहे हैं। हम जयप्रकाश जी की रीति-नीति से सहमत नहीं है इसलिए बोलना चाहते है और यह बोलने का हमारा अधिकार है जैसे कि आप बोल रहे हैं कि बिहार में राजस्थान की पुलिस सर तोड़ रही है····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

(व्यवस्था सूचक घंटी)

श्री दीपंकर : बिहार सरकार के बारे में राजस्थान में पूछेंगे यही आपका ईमान है? आप इस तरह से बोलते हैं उसका विरोध नहीं करें तो····

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आगरे के लिए भिजवा दिया जाय माननीय सदस्य को।

श्री गुमानमल लोढ़ा : पुलिस को यह कहना चाहता हूं कि यहां पर प्रश्न उठाया गया है कि आपके खिलाफ सदन में आरोप लगाये गये हैं कि आपने हजारों रुपयों का चन्दा किया और एस० पी० ने रिपोर्ट बनाकर भेज दी है जिसमें बताया गया है कि एक बी० डी० ओ० से आपको 5 हजार रुपये ट्रान्सफर के नाम पर मिले हैं····

श्री दीपंकर : यह बिल्कुल गलत है। आप जांच करवाइये।

(व्यवधान)

···आप उसकी जांच करवाइये मैं आपको चैलेन्ज देता हूं। मैं पहले भी हाउस में चैलेन्ज दे चुका हूं और अब भी दे रहा हूं। आप बिल्कुल सरासर झूठ बोलते हैं। हमने किसी अधिकारी से चन्दा नहीं लिया है····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री दीपंकर : यह फालतू की बातें महज इसलिए करते हैं कि विरोधी पक्ष के नाते आपको 5 गालियां निकालनी हैं सर-

---

× × × यह शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेश से निकाला गया।

Page No 83

(83)

(श्री दीपंकर)

कार को और वह गालियां निकालने के नाम पर इस प्रकार की बातें करते रहते हैं•••

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री दीपंकर : जो मरजी आये वह कहते रहें । एक जिम्मेवार दल के नेता और एक वकील होते हुए भी कोई कायदा नहीं जानते हैं, कानून नहीं जानते हैं····

श्री मनोहरलाल : आप जानते हैं•••

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य•••

श्री दीपंकर : यह कौन सा तरीका है। आपकी समझ में ही नहीं आता है। आप किस भाषा में बोलते हैं

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री दीपंकर : आप जिस हलके तरीके से बातें करते हैं वह आपसे आशा नहीं की जा सकती है•••

श्री मनोहरलाल:बोलने का ···(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय उपाध्यक्ष, पाइंट आफ आर्डर ···

श्री गुमानमल लोढ़ा : सच्चाई हमेशा बुरी लगती है। रिपोर्ट एस० पी० की आई है····

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पाइंट आफ आर्डर रेज किया है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : एस० पी० की रिपोर्ट आ चुकी है····

श्री दीपंकर : उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाय····

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैंने पाइंट आफ आर्डर रेज किया है।····

श्री दीपंकर : मुकद्दमा दर्ज किया जाना चाहिए, कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री श्रीराम गोटेवाला: माननीय उपाध्यक्ष, मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है लोढ़ा साहब एक मिनिट के लिए निवेदन कर रहा हूं। माननीय लोढ़ा साहब ने माननीय सदस्य पर आरोप लगाये हैं क्या उसकी लिखित में आसन को सूचना दे दी गई है ?

श्री मनोहरलाल : आप उनसे पूछना चाहते हैं, पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं आसन से पूछ रहा हूं। यदि आप इसके बारे में अधिकारी हों व्यवस्था के बारे में तो मैं आपसे पूछ सकता हूं। मैं आसन से व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आसन को लिखित सूचना नहीं दी लेकिन जो सूचना माननीय सदस्य ने सदन में दी लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने उस सूचना को स्वीकार करते हुए माननीय सदस्य ने जवाब दे दिया।

श्री गुमानमल लोढ़ा : खत्म हुआ। मैं इस विषय पर बोलना नहीं चाहता था लेकिन माननीय सदस्य ने डिस्टर्ब किया तो मैंने कहा कि पुलिस का काम था कि जब रिपोर्ट आ चुकी है तो•••••

श्री दीपंकर: जो अधिकार इस सदन में आपका है यह अधिकार हमारा भी है। अगर सरकार के बारे में गलत तरीके से आप कहने की कोशिश करेंगे तो हम आपको बोलने नहीं देंगे और बराबर लड़ेंगे और बराबर....

श्री मनोहरलाल : अभी तक तो........ (व्यवधान, अश्रव्य)

.... आपके खिलाफ आरोप सच्चे हैं.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री दीपंकर : कार्यवाही करें.........

एक माननीय सदस्य (कांग्रेस) : आरोप लगाये हैं तो आपस में निपट लें।

(व्यवधान)

श्री मनोहरलाल : आरोप सच्चे हैं (व्यवधान, अश्रव्य)

श्री दीपंकर : यह कोई तरीका नहीं है। आपको बोलना नहीं आता है....

श्री मनोहरलाल : आप ××× की बातें करते हैं ......

श्री दीपंकर : तुम × × ×

श्री उपाध्यक्ष : Not to be recorded.

श्री मनोहरलाल : + + +

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मनोहरलाल : + + +

श्री दीपंकर : + + +

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री दीपंकर : + + +

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह नशा करके आये हैं, भांग पीकर।

श्री दीपंकर : हम लोग नशा करके नहीं आये हैं। आप लोग भांग पीकर आये हैं।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जिस प्रकार बहस चल रही है उसको देखकर लगता है, प्रश्न, विषय बिल्कुल दूसरा है और हम बहस को दूसरे विषय पर इस ढंग से ले जाने की कोशिश करते हैं। प्रश्न तो आर. ए. सी. की एक बटालियन को बिहार में भेजे जाने का था। मैं नहीं जानता, लोढ़ा साहब ने किस प्रकार, कैसे दूसरे प्रश्न को इसमें डालने की कोशिश की........

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : बहुत से डाले हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यहां दरभंगा आया, मधुबनी आ गई, चम्पारन आ गया, बिहार के बहुत से आगये, फिर चौमूं आगया, सब आ गये ......

श्री हरिदेव जोशी : मैं थोड़ी देर से आ गया।

××× ये शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेश से निकाले गये।

+++ ये वाक्यांश अध्यक्षपीठ के आदेश से अंकित नहीं किये गये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप लेट आये इसलिए चौमू चर्चा करते रहे ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप तब आये जब चौमू आया था ।

श्री हरिदेव जोशी : चौमू राजस्थान में है । आया कहां से ? है ही ।

मैं निवेदन कर रहा था, माननीय सदस्य प्रश्न पर बात करें तो उसका उत्तर दे दिया जाय । फिर बिहार में बटालियन भेजने के प्रश्न में ज्यादा इन्ट्रेस्टेड हैं और आगे आने वाला बिजनेस है, उसमें कम इन्ट्रेस्टेड हैं तो हाउस का बिजनेस इसी प्रकार से चले—मुझे एतराज नहीं है । वरना आप इस प्रश्न पर कह दें तो उसका उत्तर दे दें ।

श्री मनोहरलाल : दीपंकर को समझा दें ।

श्री उपाध्यक्ष : सदन के नेता महोदय ने अपील की, उस अपील को ही मैं दोहराना चाहता हूं । मैंने पहले भी निवेदन किया था और अब फिर निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य अपना भाषण इस मुद्दे तक ही सीमित रखें । और माननीय सदस्यों से भी निवेदन है कि आगे आने वाला बिजनेस है, विधेयक है, उस पर विचार करने के लिए इस प्रश्न पर बोलने में सीमा रखें ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : और कितना टाइम लेना चाहते हैं ? पैंतालीस मिनिट का वक्त तो जाया कर चुके हैं । अब और कितना टाइम लेना चाहते हैं ?.... ..

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है.......

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : दुनियां भर की बकवास करते हैं लेकिन आप दखल नहीं करते हैं । हमारी दिक्कत है कि आगे का बिजनेस लेना है, उस पर राज्य सरकार का जवाब लेना है ।

श्री रामकिशन : माननीय दीपंकर ने ××× शब्द कहे हैं वह प्रासिडिंग में से निकाल दिये जायं ।

श्री दीपंकर : ×××.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : स्वयं के लिए कहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : ××× ××× से ज्यादा मधुर है । यही क्यों बच्चा गधे का भी खूबसूरत होता है ।

श्री उपाध्यक्ष : अभी भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने असंसदीय शब्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया है । अभी सूचना मिली है, वास्तव में इस प्रकार के शब्द प्रासिडिंग में आये हैं । तो××× मैं इन शब्दों को असंसदीय मानता हूं और व्यवस्था देता हूं इन शब्दों को प्रासिडिंग में से हटा दिया जाय ।

श्री मीठालाल : इन्होंने×××कहा है, वह रहने दें ।

श्री दीपंकर : जय हो×××की ।

××× ये शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेश से निकाले गये ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, अभी सदन के नेता महोदय ने कहा, मैं भी एक व्यवस्था का प्रश्न रेज करना चाहता हूं। सदन के नेता ने एक ओर देखा है, मैं बराबर देखता आया हूं, मैं कोई मुद्दे पर बोलता हूं तो बराबर इन्टप्ट करके डाइवर्शन करने का प्रयत्न किया जाता है। लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा, जब कि बिहार की चर्चा चल रही थी, बार बार इन्टप्ट किया गया, उनको न आसन की ओर से रोका गया और न उनके खिलाफ कार्यवाही की गई। सदन के नेता ने कहा, आपको अपने विषय पर रहना चाहिए। उन्होंने ठीक कहा है, मैं उनकी भावना के साथ सहमत हूं, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहूंगा। लेकिन लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने अनधिकृत रूप से जो इन्ट्रप्ट किया है और उससे सदन का जो समय वेस्ट हुआ है, उसके बारे में क्या व्यवस्था है? हमारे लिए मुश्किल यह है, उपाध्यक्ष महोदय, जो बात कही जाय, उसका जवाब न दें तो। वह आरोप लगायें, इन्टप्ट करें, उसको छोड़ कर मैं आगे चला जाऊं तो वह आरोप अनरिफ्यूटेड रह जायेंगे मैं माननीय मुख्य मन्त्री से कहूंगा कि वह एक बात का जवाब दें, क्या यह सही नहीं है, आप राजस्थान की बात करना चाहते हैं, तो मंगलपुर काण्ड का यहां विवरण दिया गया तो क्या लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य का इस मुकद्दमे में, एफ. आई. आर. में नाम है, और वह गिरफ्तार किये जाने को नामजद हैं? क्या कारण है कि इस सदन के अन्दर दो घण्टे तक उस पाइन्ट पर डिस्कशन हुआ, लेकिन न माननीय सदस्य ने बताया, कि मुझ पर इल्जाम है और न मन्त्री महोदय ने। मंत्री महोदय द्वारा दूसरी एफ. आई. आर. पढ़ दी गई और जानबूझ कर इस मामले को चबा गये। यह नहीं बताया कि लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य पर यह इल्जाम है कि वहां जाकर इन्होंने तोड़ फोड़ कराई और पट्टे शुदा जमीन के ऊपर जाकर हमला कराया। माननीय मुख्य मंत्री इसका स्पष्टीकरण दें, जब उत्तर दें, कि एफ. आई. आर. में इनका नाम है तो सदन से क्यों छिपाया? आपने छिपाया तो यह छिपाना आपके लिए शोभाजनक नहीं है। अपना बचाव करने के लिए सारे सदन को भ्रमित करके, गुमराह करके उन्होंने ऐसे प्रश्न को उठाया जिसके कारण से पुलिस भयभीत होकर इनके खिलाफ कोई कार्यवाही न कर सके। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, यह प्रसंग की बात नहीं है कि बार बार यह इन्टप्ट करते हैं। हम कहते हैं कि एस. पी. की रिपोर्ट आ गई है, उसे सदन पटल पर रखा जाय। उसमें क्या है? मेरे पर यह आरोप लगाया कि इस प्रकार की बात कहां करता हूं तो मैं माननीय मुख्य मंत्री से जानकारी चाहूंगा, क्या यह सही नहीं है कि एस. पी. ने जांच की है? दूसरे मैं यह जानना चाहूंगा कि उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें एक बात लिखी है कि बी. डी. ओ. से कुछ हजार इस बात के लिये गये हैं कि उनका ट्रांसफर किया गया वह रुक जायगा इसी प्रकार जुआरियों से, सीमेन्ट के व्यापारियों से पैसा इकट्ठा किया गया है। वह पैसा इकट्ठा किया—यह सारी बात सदन में आनी चाहिए। मैंने प्रश्न पहले उठाया लेकिन उसका जवाब नहीं आया। मगर यह कहा जाता है कि यह आरोप सही नहीं है। क्या यह पुलिस का काम नहीं है? पुलिस का यह फिल्ड है, यह काम है, वह इस काम को करते हैं।

एक माननीय सदस्य : वह (श्री दीपंकर) वाक आउट कर रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने पंजाब सरकार को प्रार्थना की....

श्री दीपंकर : आप बैठिये। आप सुन लीजिये, उपाध्यक्ष महोदय ..

श्री गुमानमल लोढ़ा : I am holding the floor. गंगानगर में जब किसानों का आन्दोलन हुआ था तो राजस्थान सरकार ने पंजाब सरकार को पुलिस भेजने की प्रार्थना की, लेकिन पंजाब के मुख्य मंत्री ने यह कह कर इन्कार कर दिया, यह किसानों का आन्दोलन है....

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : यह व्यवस्था का प्रश्न है ? माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया, उस पर क्या व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया, मैं ऐसा समझता हूं, आज के विषय से उनका सीधा सम्बन्ध नहीं है। अगर वह इसका प्रोपर नोटिस देते तो मैं उत्तर दे देता। मैं ऐसा समझता हूं, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, चाहे कोई भी विधान सभा सदस्य होवे अथवा कोई होवे, कोई भी स्पेसिफिक चार्ज किसी के खिलाफ है तो गवर्नमेंट निश्चित तौर से एक्शन लेती है। हमने किसी आदमी को स्पेअर नहीं किया है। इसलिए आप जो फर्मा रहे हैं मैं समझता हूं, आप इस वक्त जिस पार्टी के नेता हैं, आपकी पार्टी ने कार्बिनेट होकर अपना दूसरा नाम रख लिया हो, लेकिन बाहर तो जनसंघ है। मैं समझता हूं, इस वक्त एक विषय पर बात हो रही है, आप उछल कर हमला करने की बात करते हैं तो उससे मालूम पड़ता है कि आपके पास डिफेन्स नहीं है इसलिए ऐसी बात कह रहे हैं। आपको इस प्रश्न को नहीं लाना चाहिये था। मै माननीय सदस्यों को भी निवेदन करूंगा, माननीय यहां पर कोई बात कहते हैं तो उन्हें डेमोक्रेसी में कहने का राइट है। वह सरकार के खिलाफ कहते हैं तो उनको कहने दीजिये। सरकार क्षमतावान है, उसका उत्तर दे देगी।

बिहार में आर. ए. सी. की बटालियन भेजकर गवर्नमेंट ने गलती नहीं की है। आयन्दा भेजनी पड़ेगी तो फिर भेजेंगे। इस बात को मैं स्पष्ट कहता हूं। इसलिए आपको सरकार के डिफेन्स में आने की जरूरत नहीं है। यह सरकार कमजोर हो, इसे डिफेन्स की जरूरत हो—इस प्रकार की बात नहीं है।

श्री दीपंकर : नेता महोदय आज्ञा दें, तो मैं स्पष्टीकरण कर दूं।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने स्पेसिफिक उत्तर दे दिया है। जो बात कही गई है वह इर्रेलेवेन्ट है। आपका इससे ताल्लुक नहीं है।

श्री मनोहर लाल : बिहार दीपंकर को भेज दें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय मुख्य मंत्रीजी आप लेट आये थे, आपको पता नहीं है कन्टेक्स्ट का, किस कन्टेक्स्ट में बात कही गई।

श्री उपाध्यक्ष : आप कन्क्लूड कर दीजिये।

Page No 88

(88)

श्री गुमानमल लोढ़ा : उसका उत्तर तो देना पड़ेगा जो माननीय नेता महोदय ने बात कही है …

श्री हरिदेव जोशी : आप ऐसा करिये, यही विषय चलता रहे। दूसरे जो मुद्दे हैं, आज का जो बिजनेस है वह बिजनेस न आये और इसी विषय में समय खत्म हो जाय। आप कुछ कहेंगे, फिर मुझे जवाब देना पड़ेगा। इसे ही चलने दीजिये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : ऐसे नहीं चलने देंगे।

श्री रामकिशन : आप जवाब दीजिये तो इकट्ठा दीजिये। बीच बीच में जवाब मत दीजिये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : पांच मिनिट में मैं समाप्त कर देता हूं। हाउस का बिजनेस चलता है, समाप्त होता है-यह आपके और हमारे सबके देखने की बात है। मैं पांच मिनिट में समाप्त कर देता हूं।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, मैं उदाहरण दे रहा था, जिस समय राजस्थान सरकार ने पंजाब सरकार को यह प्रार्थना भेजी जिस समय हमारे यहां गंगानगर में किसान आन्दोलन चल रहा था, कि हमारे यहां पुलिस की आवश्यकता है। उस समय पंजाब सरकार ने इन्कार कर दिया और उसने कहा, यह जन आन्दोलन है, इसके बीच में आगे आकर किसी प्रकार हमारी पुलिस दमन नहीं करना चाहती। आपने यह कहा, माननीय सदन के नेता ने कहा, राजस्थान की पुलिस जायेगी और जाती रहेगी दमन करने के लिए, लाठी चलाने के लिए, गोली चलाने के लिए, अश्रु गैस चलाने के लिए बिहार में नहीं सब जगह जायेगी। आपकी यह घोषणा है। पहले मंत्री महोदय ने एपोलोजिकल तरीके से कहा, केन्द्र ने भिजवायी है, केन्द्र ने किया है। पर आज आप अडिग तौर पर स्टेण्ड लेना चाहते हैं कि हमारे राजस्थान की पुलिस दमन करने के लिए बाहर जायगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि राजस्थान की पुलिस बिहार या किसी स्थान पर जन आंदोलन के दमन के लिए जाएगी तो पुलिस का भी घेराव किया जाएगा और आपका भी घेराव किया जाएगा। लेकिन हमारी पुलिस को, गोलियों को और हथियारों को कभी भी राजस्थान की पुलिस बाहर जाकर जनता पर दमन के लिए जो आपने नीति अपनाई है, उसको एप्रूव नहीं कर सकते और जनता उसका निश्चित रूप से जवाब देगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन।

श्री हरिदेव जोशी : अब बोलने की क्या आवश्यकता रह गई है ?

श्री रामकिशन (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जिस प्रकार से सदन में लाया जा रहा है, मैं समझता हूं, सभी दलों के माननीय सदस्यों को सीरियसली ले लेना चाहिए। जहां तक राज्य सरकार के अधिकार का सवाल है, मुख्य मंत्री का जवाब हो चुका कि हमने पुलिस भेजी है और भविष्य में भेजते भी रहेंगे। अब यह अधिकार सरकार से तो केवल जनता ही छीन सकती है, सदन में उधर बैठने वाले माननीय सदस्य तो छीन नहीं सकते। लेकिन मैं आपके विवेक से पूछना चाहता हूं। जब मुख्य मंत्री इस तरह का जवाब देते हैं तो हम सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि यह आंदोलन जिस

(श्री रामकिशन)

कारण से देश में चालू हुआ, इसके कारण दूसरे है । आज बिहार में जो कुछ हो रहा है, आप इस आन्दोलन से सहमत हों या नहीं, उनके तरीके को पसंद करें या नहीं, कोई इसको फासिस्ट आंदोलन कह दे या कोई और नाम कह दे लेकिन एक बात स्पष्ट है । भ्रष्टाचार है, शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है, बेरोजगारी है, तो ये सब काम केवल सरकार के हैं, दूसरों के नहीं है । मैं पूछना चाहता हूं कि 27 साल राज करने के बाद भी आप जब किसी समस्या का समाधान न कर सके तो लोकतंत्र में कोनसा तरीका रह जाता है जनता के पास समाधान करने का ? कांग्रेस दल के माननीय सदस्य कहते हैं कि यह आंदोलन लोकतंत्र विरोधी आंदोलन है । लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, उनको मालूम नहीं ? लेकिन एक बात साफ है–आप बहुमत से जीते और जिन वायदों को देकर जीते उनको निभाना आपका काम है । दुनिया के दूसरे देशों में जहां सरकार अपने वायदों को पूरा नहीं कर सकी, वहां स्तीफा दिया । लेबनान के प्रधान मंत्री ने कुछ दिन पहले त्याग पत्र दिया है । लोकसभा में उनके खिलाफ जो बहस हुई, उसको वह बरदाश्त नहीं कर सके । लेबनान सरकार के खिलाफ आरोप लगे उनको वह सरकार बरदाश्त नहीं कर सकी और इसलिए प्रधान मन्त्री ने त्यागपत्र दिया और दुबारा चुनाव की मांग की । आपकी पार्टी ने एक घोषणा पत्र जनता के सामने रखा, आपके वायदों ने जनता को प्रभावित किया लेकिन आप अपने वायदों को निभा नहीं सके और उसके सही कारण नहीं बता सके । उसके बाद यदि जनता शांतिपूर्ण आंदोलन करे, उसे फैसिस्ट आंदोलन कहें, तो फिर इसका मतलब फासिज्म की परिभाषा आप नहीं जानते । आज अफसोस इस बात का है कि हमारे देश में लोकतंत्र करीब समाप्त हो चुका है, केवल कहने के लिये लोकतंत्र है लेकिन जो लोकतंत्र की मर्यादायें हैं, जो उसका आचरण है, अगर हम देखें तो देश में निराशा नजर आती है, चाहे राजस्थान को लें, चाहे बिहार को लें चाहे गुजरात को लें । सारे देश में निराशा इस बात से है कि सरकार जो कुछ कहती है, उस वायदे को पूरा नहीं करती । आपने पुलिस भेजी, गृहमन्त्री ने तो जवाब पढ़कर सुनाया, जैसे मास्टर बच्चों को दो लाइनें बुलवा लेता है उसके बाद चुप हो जाता है । आपने पुलिस जिस काम के लिए भेजी है, क्या आपका फर्ज नहीं है, चाहे बिहार सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो, उसका फर्ज नहीं है कि उन समस्याओं का निराकरण करें ? जयप्रकाशजी उसके प्रतीक हैं । जयप्रकाशजी ने जो आंदोलन खड़ा किया है, जो समस्यायें पैदा हुई हैं उनके निराकरण के लिए, जो सहारा लिया है आपकी प्रधान मन्त्री और कांग्रेस अध्यक्ष मानते हैं कि बात सच्ची है और आपके दल में भी चिंतन हो रहा है । उसके प्रतीक हैं मोहन धारिया, चन्द्रशेखर, चाहे कृष्णकांत हों । वे कहते हैं कि सरकार इन समस्याओं का निराकरण नहीं कर पाई है । जब निराकरण नहीं होगा तो जन आंदोलन होना लाजमी है ।

मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात पर होता है कि सरकार अपनी असलियत को समझने की कोशिश नहीं करती । हम गांधीजी की बहुत चर्चा करते हैं, मैं नहीं चाहता कि यह चर्चा हो क्योंकि उपयुक्त नहीं होगा । एक गांधीजी जो मौन व्रत–

(श्री रामकिशन)

धारण करे दूसरा गद्दी नशीन। दोनों ने मिलकर गांधीजी को मारा है। गांधीजी ने कहा था कि जब तक दुनियां में अन्याय रहेगा उसको मिटाने के लिए मानव शक्ति चाहिए। क्या आज अन्याय समाप्त हो गया है? तब तो गांधीजी की जरूरत नहीं। अगर अन्याय है तो हिन्दुस्तान के संविधान के अनुसार हमें अधिकार दिया गया है कि हम शांतिपूर्ण तरीकों से सारे मामलों का निराकरण करें। बहस से मामले तय नहीं हो पाते, विधान सभाओं और लोकसभा में स्थिति यह है कि आज के बहस को कितनी गम्भीरता से राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार लेती है, वे खुद सोच लें। प्रधान मन्त्री, मुख्य मन्त्री, और मंत्रीगण सदनों में ज्यादातर हाजिर नहीं रहते, जो बात कही जाती है उसका जवाब नहीं दिया जाता है। उसके बाद हम कहते हैं कि लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। तो कोई परम्परा आप बतायें। शब्दों को सुनें नहीं, आंदोलन को मानें नहीं, प्रदर्शन की परवाह नहीं करते, हड़ताल के अधिकार को आप छीन लें तो कौनसा तरीका दुनियां में लोकतंत्र को जिंदा रख सकेगा? इसको जिंदा रखने की जिम्मेदारी हम से ज्यादा कांग्रेस दल पर है। आप आयेंगे, बड़ी बात नहीं है लेकिन देश में लोकतंत्र रहना चाहिए, राष्ट्रीयता रहनी चाहिए। हम जो कुछ कह रहे हैं उसके पीछे यह भावना है। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस तब होता है जब ऐसे लोग जे० पी० को लेकर ऊटपटांग बात कहते हैं। मैं कई बार कहता हूं कि जयप्रकाशजी से सहमत होना जरूरी नहीं है। लेकिन बुद्ध ने भी कहा है कि बड़ा आदमी किसी बात को कहता है, उसको स्वीकार ही करें यह मूर्खता है। सरकार हर बात को हल्के ढंग से लेती है, इसके लिए क्या करना चाहिए? लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जयप्रकाशजी बिरला के दलाल है, इसका जवाब तो जयप्रकाशजी ही देंगे। अगर वह बिरला के दलाल रहे हैं तो सम्पूर्ण कांग्रेस पार्टी क्या है? कांग्रेस पार्टी का मूल्यांकन आपने नहीं किया, कम्यूनिस्ट पार्टी किस दृष्टि से क्या करती आई है, अगर विवेचन समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझेंगे कि बिरला, डालमियां और सिंघानिया आपकी ही देन है। देश में पून्जीवाद को आपने पनपाया है। आज पून्जीवाद की व्यवस्था को सम्पूर्ण रूप से आपने प्रौढ़ किया है, कांग्रेस के 27 सालों के शासन ने किया है।

इससे और भी लोग प्रभावित हुए हैं। इससे कांग्रेस पार्टी, कम्यूनिस्ट पार्टी और दूसरे चाहे आप किसी को लेलें चाहे वह समाजवादी हो चाहे वह कोई हो हर स्तर पर किसी न किसी सीमा तक इसका प्रभाव जरूर पड़ा है। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं कांग्रेस पार्टी, जो कि सत्ता में है और देश की सबसे बड़ी पार्टी है उसको यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस ओर गम्भीरता से विचार करे। नहीं तो वह समझ रही है कि आज यहां पर जनसंघ और कम्यूनिस्ट पार्टी वाले उनके झगड़े को देख कर खुश हो रहे हैं और यह सोचते हैं कि यह दोनों के बीच लड़ाई है यह बात उनके लिये कभी घातक सिद्ध होगी। इस संबंध में मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर कम्यूनिस्ट पार्टी के लोग कांग्रेस और कम्यूनिस्ट पार्टी के सिवाय सभी को फासिस्ट बता रहे है और आज जो जयप्रकाशजी का आन्दोलन बिहार में

(श्री रामकिशन)

कारण से देश में चालू हुआ, इसके कारण दूसरे हैं। आज बिहार में जो कुछ हो रहा है, आप इस आन्दोलन से सहमत हों या नहीं, उनके तरीके को पसंद करें या नहीं, कोई इसको फासिस्ट आंदोलन कह दे या कोई और नाम कह दे लेकिन एक बात स्पष्ट है। भ्रष्टाचार है, शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है, बेरोजगारी है, तो ये सब काम केवल सरकार के हैं, दूसरों के नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि 27 साल राज करने के बाद भी आप जब किसी समस्या का समाधान न कर सके तो लोकतंत्र में कौनसा तरीका रह जाता है जनता के पास समाधान करने का ? कांग्रेस दल के माननीय सदस्य कहते हैं कि यह आंदोलन लोकतंत्र विरोधी आंदोलन है। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, उनको मालूम नहीं ? लेकिन एक बात साफ है–आप बहुमत से जीते और जिन वायदों को देकर जीते उनको निभाना आपका काम है। दुनिया के दूसरे देशों में जहां सरकार अपने वायदों को पूरा नहीं कर सकी, वहां स्तीफा दिया। लेबनान के प्रधान मंत्री ने कुछ दिन पहले त्याग पत्र दिया है। लोकसभा में उनके खिलाफ जो बहस हुई, उसको वह बरदाश्त नहीं कर सके। लेबनान सरकार के खिलाफ आरोप लगे उनको वह सरकार बरदाश्त नहीं कर सकी और इसलिए प्रधान मन्त्री ने त्यागपत्र दिया और दुबारा चुनाव की मांग की। आपकी पार्टी ने एक घोषणा पत्र जनता के सामने रखा, आपके वायदों ने जनता को प्रभावित किया लेकिन आप अपने वायदों को निभा नहीं सके और उसके सही कारण नहीं बता सके। उसके बाद यदि जनता शांतिपूर्ण आंदोलन करे, उसे फैसिस्ट आंदोलन कहें, तो फिर इसका मतलब फासिज्म की परिभाषा आप नहीं जानते। आज अफसोस इस बात का है कि हमारे देश में लोकतंत्र करीब समाप्त हो चुका है, केवल कहने के लिये लोकतंत्र है लेकिन जो लोकतंत्र की मर्यादायें हैं, जो उसका आचरण है, अगर हम देखें तो देश में निराशा नजर आती है, चाहे राजस्थान को लें, चाहे बिहार को लें चाहे गुजरात को लें। सारे देश में निराशा इस बात से है कि सरकार जो कुछ कहती है, उस वायदे को पूरा नहीं करती। आपने पुलिस भेजी, गृहमन्त्री ने तो जवाब पढ़कर सुनाया, जैसे मास्टर बच्चों को दो लाइनें बुलवा लेता है उसके बाद चुप हो जाता है। आपने पुलिस जिस काम के लिए भेजी है, क्या आपका फर्ज नहीं है, चाहे बिहार सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो, उसका फर्ज नहीं है कि उन समस्याओं का निराकरण करें ? जयप्रकाशजी उसके प्रतीक हैं। जयप्रकाशजी ने जो आंदोलन खड़ा किया है, जो समस्यायें पैदा हुई हैं उनके निराकरण के लिए, जो सहारा लिया है आपकी प्रधान मन्त्री और कांग्रेस अध्यक्ष मानते हैं कि बात सच्ची है और आपके दल में भी चिंतन हो रहा है। उसके प्रतीक हैं मोहन धारिया, चन्द्रशेखर, चाहे कृष्णकांत हों। वे कहते हैं कि सरकार इन समस्याओं का निराकरण नहीं कर पाई है। जब निराकरण नहीं होगा तो जन आंदोलन होना लाजमी है।

मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात पर होता है कि सरकार अपनी असलियत को समझने की कोशिश नहीं करती। हम गांधीजी की बहुत चर्चा करते हैं, मैं नहीं चाहता कि यह चर्चा हो क्योंकि उपयुक्त नहीं होगा। एक गांधीजी जो मौन व्रत–

(श्री रामकिशन)

धारण करे दूसरा गद्दी नशीन। दोनों ने मिलकर गांधीजी को मारा है। गांधीजी ने कहा था कि जब तक दुनियां में अन्याय रहेगा उसको मिटाने के लिए मानव शक्ति चाहिए। क्या आज अन्याय समाप्त हो गया है ? तब तो गांधीजी की जरूरत नहीं। अगर अन्याय है तो हिन्दुस्तान के संविधान के अनुसार हमें अधिकार दिया गया है कि हम शांतिपूर्ण तरीकों से सारे मामलों का निराकरण करें। बहस से मामले तय नहीं हो पाते, विधान सभाओं और लोकसभा में स्थिति यह है कि आज के बहस को कितनी गम्भीरता से राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार लेती है, वे खुद सोच लें। प्रधान मन्त्री, मुख्य मन्त्री, और मंत्रीगण सदनों में ज्यादातर हाजिर नहीं रहते, जो बात कही जाती है उसका जवाब नहीं दिया जाता है। उसके बाद हम कहते हैं कि लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। तो कोई परम्परा आप बतायें। शब्दों को सुनें नहीं, आंदोलन को मानें नहीं, प्रदर्शन की परवाह नहीं करते, हड़ताल के अधिकार को आप छीन लें तो कौनसा तरीका दुनियां में लोकतंत्र को जिंदा रख सकेगा ? इसको जिंदा रखने की जिम्मेदारी हम से ज्यादा कांग्रेस दल पर है। आप आयेंगे, बड़ी बात नहीं है लेकिन देश में लोकतंत्र रहना चाहिए, राष्ट्रीयता रहनी चाहिए। हम जो कुछ कह रहे हैं उसके पीछे यह भावना है। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस तब होता है जब ऐसे लोग जे० पी० को लेकर ऊटपटांग बात कहते हैं। मैं कई बार कहता हूं कि जयप्रकाशजी से सहमत होना जरूरी नहीं है। लेकिन बुद्ध ने भी कहा है कि बड़ा आदमी किसी बात को कहता है, उसको स्वीकार ही करें यह मूर्खता है। सरकार हर बात को हल्के ढंग से लेती है, इसके लिए क्या करना चाहिए ? लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जयप्रकाशजी बिरला के दलाल है, इसका जवाब तो जयप्रकाशजी ही देंगे। अगर वह बिरला के दलाल रहे हैं तो सम्पूर्ण कांग्रेस पार्टी क्या है ? कांग्रेस पार्टी का मूल्यांकन आपने नहीं किया, कम्यूनिस्ट पार्टी किस दृष्टि से क्या करती आई है, अगर विवेचन समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझेंगे कि बिरला, डालमियां और सिंघानिया आपकी ही देन है। देश में पून्जीवाद को आपने पनपाया है। आज पून्जीवाद की व्यवस्था को सम्पूर्ण रूप से आपने प्रौढ़ किया है, कांग्रेस के 27 सालों के शासन ने किया है।

इससे और भी लोग प्रभावित हुए हैं। इससे कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरे चाहे आप किसी को लेलें चाहे वह समाजवादी हो चाहे वह कोई हो हर स्तर पर किसी न किसी सीमा तक इसका प्रभाव जरूर पड़ा है। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं कांग्रेस पार्टी, जो कि सत्ता में है और देश की सबसे बड़ी पार्टी है उसको यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस ओर गम्भीरता से विचार करे। नहीं तो वह समझ रही है कि आज यहां पर जनसंघ और कम्यूनिस्ट पार्टी वाले उनके झगड़े को देख कर खुश हो रहे हैं और यह सोचते हैं कि यह दोनों के बीच लड़ाई है यह बात उनके लिये कभी घातक सिद्ध होगी। इस संबंध में मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर कम्यूनिस्ट पार्टी के लोग कांग्रेस और कम्यूनिस्ट पार्टी के सिवाय सभी को फासिस्ट बता रहे है और आज जो जयप्रकाशजी का आन्दोलन बिहार में

(श्री रामकिशन)

चल रहा है उसको फासिस्ट बता रहे हैं तो मेरा निवेदन यह है कि जहां तक फासिस्ट या फासिज्म की परिभाषाओं का संबंध है वह तो आज तक बदलती रही है इस दुनियां में। क्या आप हिटलर की एक्टीविटीज को फासिस्ट नहीं मानते, जिस तरह से हिटलर पावर में आया था क्या वह फासिस्ट तरीका नहीं था ? उस वक्त दूसरे युद्ध में पहले रूस ने हिटलर के साथ सन्धि की। तो क्या यह फासिज्म को साथ नहीं दिया इस प्रकार द्वितीय महायुद्ध के समय कम्यूनिस्टों अंग्रेजों की मदद जब महात्मा गान्धी, जवाहरलाल व देश के बड़े बड़े नेताओं ने की तो इनको फासिस्ट नहीं कहा गया। तो खैर मैं इनमें ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं। आज जो जयप्रकाश जी आन्दोलन कर रहे हैं मै यह नहीं कहता कि आप सभी बातों पर उनका समर्थन करें या सभी बातों में वह सही होंगे लेकिन कुछ विशेष बातों पर तो आपको उनका समर्थन करना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात तो निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि जयप्रकाशजी का जो आन्दोलन है उसमें एक बात तो हुई है वह है कि आज भारत का नौजवान सड़क पर आगया है। और उसके सड़क पर आजाने से आज कांग्रेस वाले यहां पर मरे हुए गान्धी को वापिस पुनर्जीवित कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज की कांग्रेस पार्टी जो सहारा लेती है अपने को सत्ता में रखने के लिये वह लेती है अन्तर्राष्ट्रीय सहारा। इस संबंध में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय और अराष्ट्रीय में फर्क हो जाता है दोनों का अलग अलग महत्व है। आज लोग हर बात में राष्ट्रीयता का खतरा बताते हैं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जयप्रकाशजी की एक्टीविटी अराष्ट्रीय नहीं है और अगर आज जयप्रकाशजी इस मौके पर हमारे सामने नहीं आते तो हमारे हिन्दुस्तान की जो हालत खराब हो रही है जो भूख और महंगाई की ज्वाला हमारे यहां पर पनप रही है वह इसको समाप्त कर देती और हमारे देश में एक हिन्सा की स्थिति पैदा हो जाती। आज जो बिहार में आन्दोलन हो रहा है वह आन्दोलन हिन्सात्मक नहीं है। इसलिये आपका वहां पर पुलिस भेजने का जो सवाल है वह गलत है। आपको पुलिस वहां पर भेजनी चाहिये जहां कोई बलवा हो, जहां पर कोई मार पिटाई हुई हो लेकिन जहां ऐसा वातावरण नहीं है वहां पर आप अपनी पुलिस क्यों भेजते हैं ? इसलिये मैं मुख्य मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने इस फैसले पर पुनर्विचार कर लें। उपाध्यक्ष महोदय, आज यहां, पर मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अंग्रेजों ने यहां पर 150 साल राज्य किया और हमारे भारतवर्ष को आजाद हुए या यों कहिये कि कांग्रेस राज्य को आये हुए 27 साल हो गये हैं। जितनी गोली अंग्रेजों के राज्य में नहीं चली उतनी कांग्रेस के 27 साल के राज्य में चली है। सन् 42 के अन्दर जितनी गोलिया चली उससे कई गुना ज्यादा आज कांग्रेस के राज्य में गोली चली हैं। तो आप यह क्या कह रहे हैं जिसके लिये आपने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। क्या इसलिये आप अपनी जनता पर गोली चलायें जिसके लिये आपने इतने आन्दोलन किये ? क्या यह सभी इसी दिन के लिये किया था ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस पार्टी को इस सन्दर्भ

(श्री रामकिशन)

में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जबसे कांग्रेस और कोम्यूनिस्टों का गठबन्धन हुआ है उस दिन से कांग्रेस ने तो लोकतन्त्र को समाप्त करने की कार्यवाही शुरू करदी और जो पार्टी हमेशा से लोकतन्त्र को समाप्त करती थी वह आज लोकतन्त्र की बातें करने लग गयी हैं। इसके लिये मैं कांग्रेस पार्टी को बधाई देता हूं। लेकिन मैं एक बात कांग्रेस वालों को कह देना चाहता हूं कि कम्यूनिस्ट पार्टी कभी भी लोकतन्त्र की हामी नहीं रही है। हो सकता है कि आज वह उनके साथ हो गयी है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, हमने आज तक बिना किसी लोभ लालच के जब जब भी कांग्रेस पार्टी ने प्रगतिशील नीतियों की क्रियान्विति की उसका हमने समर्थन दिया चाहे वह बैंक का नेशनलाईजेशन हो, चाहे प्रिवीपर्सेज का सवाल हो, चाहे बीमा का राष्टीयकरण हो। हमने हमेशा से उनका साथ दिया। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि आज से पांच साल पहले कोम्यूनिस्ट पार्टी जब कांग्रेस का विरोध कर रही थी तब क्या उनकी फासिस्ट प्रवृतियां नहीं थीं जब आपने सन् 67 में दूसरी पार्टीज के साथ मिलकर गठबन्धन कर संयुक्त सरकारें बनायीं तब क्या उनकी एक्टीविटीज फासिस्ट नहीं थीं? आपने सन् 67 में केरल में, यू. पी. में, मद्रास में डी. एम. के के साथ गठबन्धन किया तब आप फासिस्ट नहीं थे। आज जो फासिस्ट प्रवृत्ति की बात आप करते हैं कहां पर इस प्रकार की डेफीनेशन फासिज्म की लेलिन या मार्कस ने दी हैं। आज जब भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ी जा रही है उस वक्त आप यह कहते हैं कि फासिस्ज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह भ्रष्टाचार तब तक नहीं मिटेगा जब तक कि वहां पर पून्जीवादी व्यवस्था रहेगी। और यह पून्जीवाद की जो देन है वह है कांग्रेस सरकार की देन। और इस पर भी कम्यूनिस्ट पार्टी का कांग्रेस पार्टी का समर्थन करती है। तब मुझे हंसी आती है। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं यह बात कम्यूनिस्ट पार्टी से कहना चाहूंगा वह यह कि कोम्यूनिस्ट पार्टी मुझे कांग्रेसपार्टी का मूल्यांकन करके बतादे। एक तरफ कांग्रेस पार्टी पून्जीवाद को बढावा देती है दूसरी तरफ कोम्यूनिस्ट पार्टी उनका समर्थन करते है। यह क्या है। तो इसके लिये मैं कांग्रेस पार्टी को एक बात समझा देना चाहता हूं वह यह कि कांग्रेस पार्टी को कोम्यूनिस्टों से सम्भल कर रहना चाहिये। क्योंकि कोम्यूनिस्ट पार्टी का हमेशा से ही एक इतिहास रहा है वह चाहे किसी के साथ समझौता करे तो उसको धोखा देगी। जैसे कि चीन में उसने पहले कोमिटांग वालों से समझौता किया और बाद में उसी को पावर से हटा दिया। उसी तरह और भी कई देशों में इन्होंने यही किया है। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि आप इनका ध्यान रखे। इसके अलावा मैं यह भी कहूंगा कि जहां तक देश में आन्दोलन हो रहा है उसमें जो आप बिहार में आर.ए.सी. भेज रहे हैं उसमें ध्यान से काम करें। आप इन्दिरा गांधी की लाल 2 आंखों से घबराये नहीं उनसे डरे नहीं यह मुख्य मन्त्री पद तो आते जाते रहते हैं। लेकिन आपको इस संबंध में ध्यान रख कर काम करना चाहिये। वैसे आप करेंगे तो वही जो आपके मन में है और चूंकि हमारे पास बहुमत है नहीं जिससे कि हम आपके

(श्री रामकिशन)

खिलाफ में अविश्वास का प्रस्ताव ला सकें। इसलिये मैं आपसे फिर यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप जन आन्दोलन को कुचलने के लिये हमारे यहां की पुलिस को नहीं भेजें। बस इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने बिहार आन्दोलन को दबाने के लिये राजस्थान सरकार की तरफ से आर.ए.सी. भेजने के बारे में संकल्प सदन में आया है उस पर मैं अपने विचार सदन में रखना जरूरी समझता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जयप्रकाश नारायण की देश में जो आज गलत परम्परायें हैं, देश में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ में आन्दोलन चला रहे हैं, उनमें एक हद तक मेरा और मेरी पार्टी का समर्थन उनको है। इसमें कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनमें हम उनका समर्थन करते हैं। इसमें मुख्य भ्रष्टाचार, महंगाई वगैरहा जो कि जन समस्या है। इसके आगे भी समाजवाद हमारे देश में सही ढंग से आये उसके लिये भी 6 अप्रेल को कार्यवाही कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हम उसका समर्थन करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश में जो व्यवस्था चल रही है उससे हमारे देश में समाजवाद नहीं आ सकता। और न ही हमारी जन समस्याओं का कोई हल ही निकल सकता है। आज एक तरफ हमारे देश में महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसी के साथ भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज उसी के खिलाफ में जनता को प्रेरणा सही ढंग से जयप्रकाश जी दे रहे हैं। उन्हें समझा रहे हैं उनकी अगुवाई कर रहे हैं, मैं ऐसा समझता हूं कि बिहार में ऐसा जो आन्दोलन चलाया गया है उसको इस प्रकार पुलिस फोर्स भेज कर अमानुषिक तरीके से, दमन के तरीके से दबाना, यह लोकतन्त्रवादी तरीका नहीं है और न ही यह समाजवाद के अनुकूल है।

उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में कुछ इस प्रकार की दशा में गड़बड़ आ रही है उसको हमें मान लेना चाहिये कि उसके मूल में कारण क्या हैं कांग्रेस के कुछ साथी भी यह मानने लगे हैं कि देश के अन्दर गरीबी अधिक बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। देश में एक तरफ समाजवाद का नारा लगाते हैं और दूसरी तरफ गरीबी अधिक बढ़ती जा रही है उस ओर आंख मूंद लेते हैं। तीन वर्ष पहले 40 परसेन्ट के आंकड़े थे वे अब 66.7 परसेन्ट हो गये हैं, 66.7 परसेन्ट जनता गरीबी के कगार पर पहुंच गयी है। एक तरफ समाजवाद का नारा लगाया जाता है और दूसरी तरफ गरीबी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यदि यही हाल रहा तो 80 परसेन्ट पहुंच जावेगी और कई जगह तो पहुंच चुकी है। जब जयप्रकाश जी यह कहते हैं कि यह समाजवाद का तरीका नहीं है, यह समाजवाद का रास्ता नहीं है, धोखा दे रहे हैं जनता को, मुखौटा समाजवाद का लगा रखा है और तरीका जो है वह पूंजीवादी है तो वे बुरा नहीं करते हैं वे देश की सही परिस्थितियों को सामने रख रहे हैं। लोकतन्त्र का सवाल आता है। शासन द्वारा लोकतन्त्र को किस प्रकार से उभाड़ कर कहा जा रहा है, मैं उनको साफ तौर से पूछना चाहता

(श्री मोहरसिंह)

हूं कि जयप्रकाशजी क्यों इस बात को कह रहे हैं कि लोकतन्त्र को सही ढंग से चलाने के लिये, सही ढंग से चुनाव हो जनता सही ढंग से लोगों को चुन कर भेजे और वे चुने हुए प्रतिनिधि जनता का सही ढंग से प्रतिनिधित्व करे और जो सही ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं उनको जनता को वापिस बुलाने का हक होना चाहिये, इसमें कहां बुरा कहते हैं ? उनका तरीका है वह प्रजातन्त्र के अनुकूल होगा। इसमें क्या बुरा कहते हैं ? एक तरफ हम लोकतन्त्र की दुहाई देते हैं, आखिर हम किस प्रकार का प्रजातन्त्र देश में कायम करना चाहते हैं और किस प्रकार के प्रजातन्त्र को देश में आगे बढाना चाहते हैं। कुछ दिन पहले माननीय सदस्य हमारे विरोध में बैठने वाले, वे उधर चले गये, क्या यह प्रजातन्त्र में स्वस्थ तरीका है ? इधर से उनको उधर मिलना था तो उनको चाहिये था कि वे इस्तीफा देते। उन्होंने किस मुंह से जनता से वोट मांगे और अब किस मुंह से जनता को धोखा देकर उधर चले गये हैं और प्रजातन्त्र की दुहाई देते हैं ? यह प्रजातन्त्र का तरीका नहीं है। यदि जयप्रकाशजी हकुमत के साथ हों, उसको अच्छा कहेंगे तो आप कहेंगे समाजवादी है जयप्रकाश। और सरकार के खिलाफ जयप्रकाशजी बोल देते हैं तो फासिस्टवादी हैं, उग्रवादी हैं, वह खराब हैं, बुरे हैं, मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय यह तरीका सही नहीं है।

हर तरह से देश में महंगाई बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, महंगाई को तो सब महसूस करने लगे हैं। कांग्रेस वाले भी इसको जानने लगे हैं। लेकिन जब इसके कहने का सवाल आता है तो चुप हैं। प्रधान मंत्री ने पार्लियामेंट में कहा था कि यह तो इन्टरनेशनल सवाल है। दुनिया भर का सवाल है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं वे हमको आंकड़ों से यह प्रकट करें कि समाजवादी देशों में कितनी महंगाई आयी है और पूंजीवादी देश में कितनी आयी है ? एक तरफ दबाव की बात करते हैं और दूसरी तरफ छूट है। आपको यह मालूम होगा कि गरीब लोग अधिक गरीब होते जा रहे हैं और धनी अधिक धनी होते जा रहे हैं। पूंजीवादी देश अधिक धनी होते जा रहे है और अपने सेल्फ इंट्रेस्ट में ये महंगाई बढ़ाते हैं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इस प्रकार की बातें यदि जयप्रकाशजी कह रहे हैं तो क्या गुनाह कर रहे हैं। वे सही बात कह रहे हैं। मैं कह देना चाहता हूं कांग्रेस वाले कांच के महलों में बैठे हैं। जनता बैचेनी से देख रही है। फासिज्म से बचाना चाहते हैं मुल्क को तो सही रास्ते से चलना होगा। मेरे इलाके में भुखमरी फैली हुई है, आपने जबाव दिया था तो क्या कोई सही जवाब दिया था ? यह फासिस्ट तरीका नहीं तो और क्या है ? प्रदर्शन निकल चुके, लाठियां पड़ चुकीं, जेलों में जा चुके मेमोरेन्डम दे दिये गये। सब तरह से कोशिश करली। लेकिन तरीका बदला नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, इससे अधिक और फासिज्म क्या हो सकता है ?

देश को सही रास्ते पर ले जाने के लिए जयप्रकाशजी कदम उठा रहे हैं। उसका बिहार में पुलिस भेजकर दमन किया जाय, उसको कुचला जावे, यह न लोकतन्त्र को

(श्री मोहरसिंह)

बचाने का प्रश्न है और न ही समाजवाद की ओर बढ़ने का तरीका है। जो गान्धी आयी थी उसका असली रूप आज हमारे सामने आ रहा है। जयप्रकाश जी सही रूप से बता रहे हैं। जनता ही प्रजातन्त्र में सार्वभौम सत्ता है, जनता जिस आदमी को चुन कर भेजती है, उसको वापिस भी बुलाने का हक है। चुनाव की प्रक्रिया में परिवर्तन आना चाहिये, भ्रष्टाचार और महंगाई को रोकना चाहते हैं और फंडामेंटल राइट्स की आजादी चाहते हैं, मैं समझता हूं कि देश की समस्याओं के बारे में उनका कदम सही कदम है। न लेफ्ट और राइट का प्रश्न है। मेरी पार्टी तो सशंकित होकर इस धारणा को लेकर चलती है कि कहीं यह देश दक्षिण पक्ष की ओर न मुड़ जाय? इसलिए जनतन्त्रीय और जनता की समस्याओं को हल करने के लिए जयप्रकाश जी ने जो कदम उठाये हैं उसके लिए

(अनवरत समय समाप्ति सूचक घन्टी)

जनता उनका साथ दे रही है। बिहार में जो आर.ए.सी. भेजी है उसकी मैं निन्दा करता हूं और जो संकल्प प्रस्तुत किया है और जो सही दृष्टिकोण है उसका समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस प्रश्न के साथ कुछ गम्भीर प्रश्न भी जुड़े हुए हैं और कुछ विभिन्न राजनैतिक पार्टियों की नीतियों के प्रश्न भी इसमें निहित है। बिहार में आर.ए.सी. को भेजने का प्रश्न कुछ संवैधानिक है और कुछ इसके साथ भी जुड़ा हुआ है।

मैं समझता हूं, हमारे देश में हमने एक फेडरल टाइप आफ कोन्स्टिट्यूशन मंजूर किया है और उसमें केन्द्र को अलग अलग राज्य में भी वहां कोई व्यवधान पैदा हो जाय तो उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार भी है और उनको दूसरी स्टेट्स से मदद मांग कर पुलिस फोर्स को भेजने का अधिकार भी है।

मैं समझता हूं, जिन माननीय सदस्यों ने बिहार में आर.ए.सी. भेजने का विरोध किया है, उनको भी शायद इस संवैधानिक अधिकार की आपत्ति नहीं होगी और न ही उनका यह कहना होगा कि किन्हीं हालत में भी किसी भी स्टेट को दूसरी स्टेट में अपनी पुलिस फोर्स नहीं भेजी जानी चाहिए। मेरे खयाल से यदि तमिलनाडू में डी.एम.के. यह घोषणा करें कि तामिलनाडू स्वतन्त्र घोषित होगा आन्दोलन खड़ा कर दे कि पृथक देश बनायेंगे और इस रूप में जनता भाग लेती है, वह जनता का आंदोलन भी है परन्तु मेरे खयाल से जनता दल के माननीय सदस्य और सोशलिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य भी इस प्रकार का स्टेप शायद न लें कि ऐसी हालत में किसी भी प्रान्त में, दूसरे प्रान्त से आर०ए०सी० नहीं भेजनी चाहिए। इसलिए मेरा खयाल है उनकी आपत्ति राजनीतिक दृष्टिकोण से उस आन्दोलन को, जिस आन्दोलन के लिए आर० ए० सी० भेजी गई, उस आन्दोलन को एक उचित आन्दोलन मानते हैं और इसलिए यह कहना है कि आन्दोलन के मुकाबले पुलिस नहीं भेजी जानी चाहिये। इसलिये मुख्य प्रश्न यह आता है कि बिहार में श्री जयप्रकाश

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नारायण द्वारा चलाया जा रहा आन्दोलन उचित है या अनुचित है, उसको पसन्द करें अथवा पसन्द न करें और इसलिये हमारे दल का इस मामले में यह दृष्टिकोण, अगर हम इस प्रकार का आन्दोलन दूसरी स्टेट में हो जिसे आम जनता विरोधी मानती है तो स्टेट भेजती है, बुरा नहीं मानते हैं और भेजा जाना चाहिये संवैधानिक अधिकार भी है।

अगर इस प्रकार का आन्दोलन जन हित के लिए लड़ा जा रहा हो तो उसमें हस्तक्षेप करना अनुचित मानते हैं। इस लिये इस मामले में जहां तक बिहार का ताल्लुक है श्री जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में हम अपनी पार्टी का दृष्टिकोण बार बार स्पष्ट कर चुके हैं। हम उस आंदोलन को दिखावटी रूप में चाहे वह महंगाई खत्म करने के लिये हो, दिखावटी रूप में चाहे भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हो, दिखावटी रूप में चाहे लोकतन्त्र कायम करने के लिये हो या रक्षा करने के लिये हो लेकिन हमारी दृढ़ मान्यता है ये सब ऊपरी दिखावटी बातें है और उसकी असलियत देश को लोकतंत्र से बचाना नहीं है। लोकतंत्र प्रणाली जिसको हम परफेक्ट नहीं मानते हैं, जिसमें सुधार करने की आवश्यकता महसूस करते हैं उसको समाप्त करके एक प्रकार की शासन प्रणाली को तैयार करना है जिसका अन्ततोगत्वा नतीजा एक मिलिट्री शासन में परिवर्तन करना है और उसका नतीजा निकलेगा, जैसा कि पाकिस्तान में हुआ या चिल्ली में हुआ। चूंकि हम उस आंदोलन को इस रूप में मानते हैं इसलिये हम सरकार द्वारा आर० ए० सी० को भेजना अनुचित नहीं मानते हैं। मैं यह समझता हूं कि सरकार को भेजनी चाहिये थी। उनका यह कहना कि हम क्या करें, केन्द्र ने हुक्म दिया है और हमें हुकुम मानना ही पड़ता है जैसे कि सरकार की इच्छा न हो, मुझे पता नहीं स्टेटमेंट क्या है लेकिन सरकार को इस मदद के लिए आर० ए० सी० भेजनी चाहिये थी और वह उचित थी चूंकि वहां का आन्दोलन जनता के हित का आंदोलन नहीं है बल्कि जनता के विरोध का आंदोलन है। इसलिये चाहे कोई मतभेद हमारे केन्द्र की सरकार से हों लेकिन ऐसे इश्यू पर जहां पर जनता के हित में कोई काम करें, जनता के हित में कोई कदम उठायें, हम उसका स्वागत करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में बहुत सी चर्चायें श्री जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के मेरिट्स और डिमेरिट्स पर हुई और भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने हमारी पार्टी की नीति, कांग्रेस दल की नीति और हमें भी शिक्षा दी कि तुम अपनी क्रांतिकारिता छोड़ रहे हो। और कांग्रेस दल को कहा कि तुम कम्युनिस्टों को समझते नहीं हो ये खा जायेंगे, इस तरह की कोशिश उन्होंने की है। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं आप दूसरों को शिक्षा देने से पहले अपने साथियों को तो शिक्षा दो। इस शिक्षा को देते देते आपका क्या हाल हो गया, राजस्थान में आप पांच आये थे, तीन आप में से चले गए। आप पांच को नहीं रख सकते तो फिर आप शिक्षा देने का सामर्थ्य नहीं रखते हो। ऐसी शिक्षा का असर किसी पर जमेगा नहीं। असर उसका चल सकता है जो एकता को कायम रख सके, असर उसका चल सके जिसने दुनियां में कुछ करके

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

दिखाया हो जिसका रोल ही फूट पैदा करना हो, गलत धारणायें पैदा करना हो जिसका परिणाम उनका स्वयं का दल भुगत रहा है। पहले सोशलिस्ट पार्टी थी फिर उसके बाद संयुक्त सोसलिस्ट पार्टी बनी और अब भालोद में आ गई। इसमें भी अब माननीय रामकिशन जी का झुकाव भालोद की तरफ है तो माननीय केदार जी का झुकाव दूसरी तरफ है। इसलिए मैं देखता हूं केदार जी ने आज तक कम्युनिस्ट पार्टी, सोवियत रूस वाली पार्टी का विरोध नहीं किया जब कि रामकिशन जी का फासिस्ट वाद, सोवियत रूस और कम्युनिस्टों का विरोध किया है। यह समझ है उनकी, मुझे कोई शिका-नहीं है। लेकिन उन दोनों माननीय सदस्यों के विचारों में बुनियादी मतभेद है। माननीय रामकिशन जी इस बात का नोट ले लें कि वे हिन्दुस्तान के पैमाने पर अपने साथियों को साथ नहीं रख सकें, राजस्थान में नहीं रख सकें तो मैं समझता हूं इस भालोद के भी तीन नहीं 10 टुकड़े होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जहां तक श्री जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में माननीय सदस्य यह कहते हैं कि देश में महंगाई है, देश में भ्रष्टाचार है, देश में करप्शन है, जनता में निराशा है इसका इलाज क्या है? मैं निवेदन करना चाहता हूं जहां तक स्थिति का मूल्यांकन करने का सवाल है कम्युनिस्ट पार्टी का मतभेद नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी के नीति संबंधी प्रश्न और प्रस्ताव इस बात को स्पष्ट कहते हैं कि आज देश में महंगाई है, आज देश में बेरोजगारी है, आज देश में भ्रष्टाचार जबरदस्त रूप में है और शासन वर्तमान नीतियों से उनको हल नहीं कर सका। लेकिन हम इसका कारण किन्हीं व्यक्तियों को मानते हैं, बुनियादी फर्क है। ये माननीय सदस्य, वे माननीय सदस्य और इस अधिकतर बेचैनी का कारण कुछ व्यक्तियों को मानते हैं जैसा खुद श्री जयप्रकाश नारायण ने अपने स्टेटमेंट में कहा है। इन्दिरा गांधी देश को डुबो देगी और कई कांग्रेस के नेताओं से यह कहा आओ आप जनतन्त्र को बचा सकते हो। कांग्रेस से असन्तुष्ट नहीं है और न कांग्रेस से अविश्वास है केवल प्रधान मन्त्री में विश्वास नहीं है केवल प्रधान मन्त्री की नीतियों में विश्वास नहीं है इसलिए उनका झगड़ा कांग्रेस की नीति से न होकर कांग्रेस के कुछ नेताओं से हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा साफ कहना है कि आज देश में महंगाई हैं, आज देश में बेरोजगारी है, आज देश में भ्रष्टाचार है या आर्थिक संकट है इसका बुनियादी कारण देश के अन्दर कांग्रेस सरकार द्वारा पूंजीवादी तरीके से देश का विकास करना है। यह पूंजीवादी व्यवस्था तमाम बुराइयों की जड़ है। अगर इन मुद्दों के खिलाफ लड़ना, महंगाई के खिलाफ लड़ना, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना, बेरोजगारी को खत्म करना तो हमें पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करने की व्यवस्था करनी होगी। हमारा श्री जयप्रकाश नारायण का इत्तफाक इस बात का है कि वह आवाज भ्रष्टाचार के खिलाफ लगाता है, आवाज बेरोजगारी के खिलाफ लगाता है, महंगाई के खिलाफ आवाज लगता है, लोकतन्त्र की रक्षा के लिये आवाज लगाते हैं लेकिन जो इसकी मां है-पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसको खत्म करने की आवाज नहीं

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

लगाते हैं, बल्कि यह सब कुछ पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था को कायम रखने के लिये कर रहे हैं। जो देश की शक्तियां पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था के खिलाफ है। जयप्रकाश नारायण उनकी खिलाफत करते हैं। सोवियत रूस जिन्होंने देश में भ्रष्टाचार समाप्त करके, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ अपना दृष्टिकोण रखा उनके विरोधी हैं और श्रीमती इन्दिरा गांधी से सबसे बड़ी शिकायत यह है कि उससे 20 साल की सन्धि क्यों कर ली और देश को इतना सशक्त क्यों कर लिया कि 93 हजार पाकिस्तानियों के हथियार डलवा दिये तो उपाध्यक्ष महोदय, हमारा यह निवेदन करना है, हमारी यह समझ है और हम दुनियां भर के अनुभवों से इस बात को कह सकते हैं कि हर जगह फासिस्ट लीडरों ने, फासिस्ट शक्तियों ने इस प्रकार के नारे, जो जनता को लुभावने हों इस प्रकार के नारे दिये दिये हैं चाहे वह हिटलर आया या कोई भी आया। हिटलर ने कहा कि मैं राष्ट्रीय समाजवाद लाऊंगा। क्योंकि पहले समाजवाद पापुलर था और समाजवाद के लिये जर्मनी की जनता और नौजवान लड़ रहे थे और उसने कहा कि मैं राष्ट्रीय समाजवाद लाऊंगा, करप्शन दूर कर दूंगा। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान है वहां के अय्यूब की बात आपको याद होगी। उसने भी करप्शन को खतम करने की बात कही थी और पावर में आते ही दस पांच लोगों को उसने जेल में भी डाला था लेकिन अंत में वह कहां गया? यह इतिहास आपको और हमको सबको बताता है। चिली की घटना बिल्कुल ही नजदीक की है। वहां पर देखिये वहां भी यही बात कहकर आन्दोलन खड़ा किया गया और आज जबरदस्त फासिस्ट रिजीम वहां पर कायम कर दी। जहां एक मजदूर को यूनियन बनाने का अधिकार नहीं, न प्रदर्शन करने का अधिकार है, न हड़ताल करने का अधिकार है। तो और अधिकारों की तो बात ही दूर रही। हमारा कहना है कि जयप्रकाश जी अन्तर्राष्ट्रीय रूप में उन शक्तियों के हाथ में है जो कि क्रांति के विरोधी हैं, समाजवाद के विरोधी हैं और साम्राज्यवादी शक्तियां जैसे अमरीका है उनके हाथ में हैं और राष्ट्रीय तौर पर श्री जयप्रकाश जी के साथ वह पार्टियां हैं जो कि समाजवादी विरोधी हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप इस सदन की शक्लों को नहीं भूले हैं। आज स्वतन्त्र पार्टी के महारावल साहब से यह उम्मीद करें कि यह समग्र क्रांति लायेंगे, रोजमर्रा वह इस बात को कहते रहते हैं कि इन 21 राजाओं के पीछे क्यों पड़े हुए हैं और चाहे प्रिवीपर्स का मामला आये या बैंकों के राष्ट्रीयकरण का सवाल आये, उन्होंने इनका डटकर मुकाबला किया और विरोध किया। भूमि सुधारों के प्रश्न पर भी और अनाज के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर उन्होंने सदा विरोध किया है। ऐसे प्रश्न हैं जो कि इजारेदारों के ऊपर टक्कर लगाते हैं, मुनाफाखोरों पर टक्कर लगाते हैं, जो सामन्तों को टक्कर लगाते हैं उन तमाम सवालों पर यह पार्टी जो आज जनता दल के रूप में इकट्ठी हुई है यह तमाम के तमाम सवालों पर साम्राज्यवादियों के साथ हैं, सामन्तों के साथ रही हैं. इजारेदारों के साथ रही है और चाहे जमाखोरों के खिलाफ सवाल उठाया कि यह कम्युनिस्ट्स लूट रहे हैं, अपने हाथ में कानून ले रहे हैं इस तरह की बातें कहकर चाहे भूमि सुधारों की बात थी तब भी यही कहा। इसलिए हमारा यह

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कहना है कि अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर जयप्रकाशजी और उनकी पार्टियां इन शक्तियों के साथ नहीं होकर जो समाजवाद की शक्तियों हैं उनके साथ हैं बल्कि जो साम्राज्यवाद की शक्तियां हैं, शोषण की शक्तियां हैं उनके साथ हैं। राष्ट्रीय तौर पर उनकी पार्टी मॉनोपालिस्ट्स के साथ, सामन्तों के साथ, इजारेदारों के साथ और तमाम जमाखोर हैं उनके साथ हैं। तो फिर लाजिमी तौर पर हिन्दुस्तान की जनता मैं समझता हूं कि इस तरह से उसको गुमराह नहीं किया जा सकता। तो क्या हिन्दुस्तान में जयप्रकाशजी इन शक्तियों को साथ लेकर अन्तराष्ट्रीय तौर पर साम्राज्यवादियों को साथ लेकर क्रांति करेंगे ? किस तरह की क्रांति होगी वह अपनी बात खुद अच्छी तरह से समझ में आ सकती है और क्रांति का मतलब साफतौर से ऐसी क्रांति है उसको हम प्रति क्रांति कहेंगे—जैसी इन्डोनेशिया में हुई, चिली में हुई। अगर सरकार को बदलना क्रांति है तो वह क्रांति का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन क्रांति का मतलब पूंजीवादियों से सत्ता लेकर समाजवाद के हाथ में देना है तो यह क्रांति नहीं होगी, प्रति क्रांति होगी। उसका मतलब सत्ता वही पिटे हुए राजाओं के हाथ में, पिटे हुए सामन्तों और इजारेदारों के हाथ में और इन्हीं लोगों के हाथ में जिनकी वजह से जनता परेशान है इनके हाथ में सत्ता जायेगी।....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो वर्तमान स्थिति है उससे कम्युनिस्ट पार्टी भी सन्तुष्ट नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी भी इसको बदलना चाहती है। लेकिन उसको बदलने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी आवश्यक समझती है कि इस प्रकार के लोग और इस प्रकार की पार्टियां और इस प्रकार का जो कार्यक्रम है जो इस पूंजीवादी रास्ते को छोड़कर गैर-पूंजीवादी रास्ते से चले, जो अन्ततोगत्वा समाजवाद की तरफ ले जाये। लेकिन बदलाव में कम से कम गैर-पूंजीवादी रास्ते के बजाय पीछे वापिस पूंजीवादी तानाशाह की तरफ जायें तो हम उसको खतरनाक महसूस करते हैं और वह मौजूदा परिस्थितियों से खराब परिस्थितियां मैं समझता हूं क्योंकि वर्तमान शासन के लिए हम यह मानते हैं कि यह शोषण पूंजीवादा शोषण हैं लेकिन इसमें संसदीय लोकतंत्र तो है। वह डिफेक्टिव है। इसमें हम सुधार चाहते हैं। सुधार चुनाव के तरीकों में हो और हमारी पार्टी ने सन् 1952 में कहा था। हमारी पार्टी ने रिकाल का प्रश्न और चुनावों का खर्चा देने और प्रपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन का तरीका हो और पहले ही चुनाव घोषणा पत्र में हमने मांग की थी। इन प्रश्नों पर हमारा मतभेद नहीं है। बात चीत कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए तैयार हैं लेकिन आप बात कहें करप्शन की और आप हवा में गोली चलाना चाहें तो हम समझते हैं कि जनता को मूर्ख बनाने वाली बात है। यह तमाम जो भ्रष्टाचार हैं यह इस शोषण के सिस्टम से पैदा हुआ है, जो कि ईमानदारी से रिश्वतखोरी को खतम करना चाहते हैं वह शोषण के समाजवाद के खिलाफ होगा। एक दम समाजवाद आ जाये ऐसा हमारा कहना नहीं है लेकिन कदम उस तरफ बढ़ें।

हमारा कहना है कि जयप्रकाश जी ने जो 6 मार्च को घोषणा पत्र जारी किया उसको आप पढ़ कर देख लें। उसमें

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ, जमाखोरों और तस्करों के खिलाफ, हिन्दुस्तान के मानोपालिस्ट्स के खिलाफ और हिन्दुस्तान के सामन्तों के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं लिखा है और लिखें तो मेरा ख्याल है कि महारावल साहब उसमें न रहें और फिर लोढा साहब उस छतरी के नीचे नहीं रह सकेंगे। तो एक अजीब तरह की देखने को मिली कि सादुलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि उन्होंने प्रेरणा दी। अमेरिका से प्रेरणा नहीं मिली, लेनिन से प्रेरणा नहीं मिली और अब जयप्रकाश जी से प्रेरणा मिलेगी जो कट्टर लाल झण्डे के नीचे रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि आपका जो पोलिट ब्यूरो है कहते हैं कि हम उसमें इसलिए शामिल नहीं होते थे क्योंकि जनसंघ उसमें है, प्रतिक्रियावादी पार्टी शामिल है इनको निकाल दो तो हम शामिल हो जायेंगे। लेकिन पता नहीं अब इनको कैसे इजाजत मिल गई....

श्री गुमानमल लोढा : 1967 में आप कहां थे जब महारावल साहब के साथ मिलना चाहते थे ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह बात अद्‌भुत लगती है कि उन क्रांतिकारी शक्तियों से जो कि देश में प्रतिक्रियावादियों का नेतृत्व कर रहे हैं आज उनके साथ गठबन्धन करें। वह इन फोर्सेस की बात करते हैं लेफटिस्ट यूनिटी हम बनायें सोशियेलिस्ट के साथ और उधर भी छोड़ें और इधर भी छोड़ें लेकिन उनको अपना ही नारा छोड़ना पड़ा। सोशियेलिस्ट पार्टी भी उनके साथ चली गई। हमारे साथ नहीं पटी तो वह उनके साथ शामिल हो गए तो हश्र जो 1971 में उनको हुआ है तो मेरा ख्याल है उनको ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिक्रियावादी शक्तियों के साथ मिल कर जो अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

चाइना का हाल हुआ है, चाइना से भी पहले प्रेरणा लेते थे और इसमें नई बात नहीं है आज चाइना भी अमेरिका के साथ है, आज चाइना पाकिस्तान के साथ भी है और उसने बंगला देश में मुक्ति आन्दोलन का विरोध किया और उस स्थिति में आप लगातार जा रहे हैं। आपका अन्य विरोध है। आपका कांग्रेस से भी विरोध नहीं है। और कांग्रेस से एक माननीय सदस्य आज संगठन कांग्रेस में चले जायें उससे आप संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए तैयार हैं प्रफुल सेन से आपने बंगाल में संयुक्त मोर्चा बना लिया है, कोई ऐतराज नहीं। मैं तो यह कहता हूं कि साथ में बैठे हुए हैं कांग्रेसी संयुक्त मोर्चा बना लिया। मैं यह कहूंगा कि चांग काई शेख उसका क्या हुआ ? हिटलर के खिलाफ सोवियत यूनियन, फ्रांस और ब्रिटेन ने संयुक्त मोर्चा कैसे बना लिया ? आखिर में हम कोई रिजिड नहीं है, हम डेमोक्रेटिक शोशियलिज्म में विश्वास करना चाहते हैं। तो मैं सादुलपुर से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि पार्टी के सिद्धान्तों की रक्षा करते हुए अगर कोई भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मगर उपाध्यक्ष महोदय, उनको बड़ा अजीब लगता है....

(व्यवधान-अश्रव्य)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आपके खोखलापन को जनता के सामने नंगा करके देखना चाहते थे ।

(व्यवधान-अश्रव्य)

हमने बहुत शान्ति से आपको सुना है । मेरे ख्याल से····

(व्यवधान-अश्रव्य)

मेरे ख्याल से गुमानमल जी साहब उस समय आपकी पैदाइश नहीं हुई थी, इनका आपको मालूम ही नहीं है ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : विधान सभा में आपने यह कहा कि कांग्रेस डूब रही है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपका तो हमेशा रवैया ही यह रहा है कि लोकतन्त्र इसी तरह से बचाया जा सकता है कि किसी की दलील सुनने ही नहीं दी जाय, किसी के कान में नहीं पड़े और जनता में यह दिखाया जाय कि हम रिश्वतखोरी के लिए और उनकी तकलीफों के लिये लड़ रहे हैं····

(व्यवधान-अश्रव्य)

आज अलवर के महाराजा के प्रश्न को लेकर जनता दल चुप रहा····

(व्यवधान-अश्रव्य)

तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि ये जो आज प्रश्न हैं, चाहे संयुक्त दल बना 1967 में, कम्युनिस्ट पार्टी ने कभी प्रगतिशील नहीं माना, कम्युनिस्ट पार्टी ने 17 पाइन्ट का अपना प्रोग्राम जिसके लिए वह लड़ती रही है, वह प्रोग्राम मन्जूर किया इसलिए कि इनको जनता में नंगा कर दिया जाय । जनता की यह आकांक्षा थी कि कोई बदलाव आवे और लोगों को इनकी असलियत का पता चल जावे । इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी के दिमाग में न किसी प्रकार का भ्रम पहले था और न आज है । माननीय रामकिशन जी ने, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियां क्या हैं, उसके क्या सिद्धांत हैं उनके बारे में कहा । मैं उनकी जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि विजयवाड़ा में जो रिजोलुशन हुआ उसकी प्रति वह चौड़ा रास्ता में जाकर पढ़ लें । मुझे खेद है, मैं समझता हूं और समझ कर ही कुछ कह रहा हूं, आपको अवश्य ही पता लग जायगा कि- कभी वह हमारे पास आ सकते हैं या हम भी उनके पास जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है ।

(व्यवधान—अश्रव्य)

उपाध्यक्ष महोदय, अब यह हमारे से सवाल कर रहे हैं कि हम कांग्रेस में प्रगतिशील और प्रतिक्रियावादी का फर्क क्यों करते हैं ? चाहे चन्द्रशेखर हो, कृष्णकान्त हो, मिनिस्टर साहब हो, चाहे बरखास्त हुए, उन्होंने क्या किया । जयप्रकाश ने कहा कि कांग्रेस मत छोड़ना, उसके अन्दर ही रहना और उनको कोई शिकायत भी कांग्रस से नहीं है । आखिर में एक सेन्टेन्स से खत्म किया—हम कम्युनिस्ट लोग कांग्रेस से चिपट गये, उनको छोड़ना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने बताया । उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं हमने साफ तौर से हमारे रिजोलूशन में कहा है कि कांग्रेस का जन्म इम्पीरियलिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिये हुआ । मैं नहीं कहता कि सारे लोग ही

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इसमें ईमानदार हैं, ऐसे भी लोग हैं जो ईमानदार भी हैं, कुछ पूंजीवादी आस्था रखने वाले भी हैं। इन्दिरा गांधी और बरुवा साहब कहते हैं कि ऐसे लोगों को कांग्रेस से निकाल दिया है और अब कांग्रेस बहुत ईमानदार है। हम समाजवाद को चाहते हैं, गरीबों का उत्थान करना चाहते हैं, इसके लिए हम उनसे एकता करते हैं और हमने आश्वासन दिया है और हम यह नहीं समझते कि मार्क्सवादी हमेशा के लिए गये गुजरे हो गये हैं, वे भी कभी रास्ते पर आयेंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि और स्पष्टरूप से कहना चाहता हूं कि जयप्रकाश नारायण का आन्दोलन देश के अन्दर गरीब लोगों की भावना को एक्सप्लाइट करेगा, नौजवानों की भावना को ठेस पहुंचायेगा और देश को एक नया नारा देकर देश को फासिस्टवाद की तरफ ले जाना चाहता है इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। इसके अलावा जो लोग न्यूटरल हैं हम उनको भी पसन्द नहीं करते हैं। दुनिया का इतिहास बताता है कि कई देशों से फासिस्टवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। वह समाजवाद को खत्म करने के लिए है लेकिन जो शक्ति थी डेमोक्रेटिक, जो लोकतन्त्र में विश्वास करती थी उन्होंने इकट्ठा होकर फासिज्म को हराया और हिन्दुस्तान में भी उसका यही नतीजा सामने आया। हिन्दुस्तान की यह परम्परा रही है कि फासिज्म का विरोध किया जाय और आज भी करेंगे और जगह-जगह पर इसका विरोध किया जायगा और कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियां, कांग्रेस पार्टी की नीतियां, इन्डिपेन्डेन्ट सभी मिलकर एन्टी फासिस्ट मोर्चा बना रहे हैं उससे ये लोग दब रहे हैं। गांवों और शहरों में ये लोग गुमराह कर रहे हैं

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य मन्त्री जी।

श्री मोहरसिंह : अब आप क्या बोलेंगे जो बुलाना था वह तो आपने बुला दिया।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं यहां पर सदन में नहीं था, उस दिन बिहार में आर. ए सी. को भेजे जाने के प्रश्न पर काफी हीटेड डिस्कशन्स हुए थे, उस समय मुझे ऐसा लगा था कि क्या इसकी उपयोगिता थी? किन्तु बिहार में आर. ए. सी. को भेजना एक प्रश्न था। आज उसी प्रश्न ने राजस्थान की प्रतिनिधि सभा के अन्दर एक दिलचस्प, राजनैतिक और आज के समय की अत्यन्त आवश्यक चर्चा को छेड़ दिया है और इसलिए मैं परोक्षरूप में, जिन माननीय सदस्यों ने विशेषकर अपोजिशन, हमें यह अपोर्च्यूनिटी दी कि हम इस प्रश्न के ऊपर क्या विचार रखते हैं, क्या हमारे खयालात हैं, उनके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय आर. ए. सी. की बटालियन तो एक माध्यम है जिसके द्वारा आज के इस ज्वलन्त प्रश्न के ऊपर प्रत्येक पार्टी ने अपनी राय दी है, ऐसा मानकर मैं चलता हूं और इसलिए इस एक प्रश्न को मैं अन्त में लूंगा—आर. ए. सी. के प्रश्न को। मगर मूल रूप में जो चर्चाएं हुई उसके बारे में अपने विचार और कांग्रेस के विचारों को मैं रखने की कोशिश करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर यह कहा गया है कि कांग्रेस डेमोक्रेसी को खतम कर रही है श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व के अन्दर

(श्री हरिदेव जोशी)

और बिहार में जो एक सिम्बोलिक आन्दोलन चल रहा है, वह आन्दोलन एक प्रकार से इस देश के अन्दर प्रजातन्त्र को बचाने के लिए और फासिज्म को खतम करने के लिए किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी अपने मन में बहुत ही स्पष्ट है। जयप्रकाश-नारायण और उनके साथ में जो भी सहयोगी हैं, वे क्या चाहते हैं? कुछ महीनों तक जयप्रकाश नारायण कहते थे? मेरा राजनीति से कोई वास्ता नहीं है और मैं इसे एक नैतिक आन्दोलन के रूप में ले रहा हूं। इसके बाद उन्होंने, श्री जयप्रकाश नारायण से किसी एक अखबार वाले ने पूछा तो कहा—I am very much in politics because I want to change और उपाध्यक्ष महोदय, जो लोग आज श्री जयप्रकाश नारायण के साथ में हैं, जो उन्हें बल दे रहे हैं; उसको भी देखने की आवश्यकता है कि वे लोग कौन हैं? उपाध्यक्ष महोदय, श्री जयप्रकाश नारायण, जो कि चुनाव के जरिए किसी भी जगह पर नहीं आए, वे देश के अन्दर एक नये प्रकार की समग्र क्रान्ति लाना चाहते हैं। इस समग्र क्रान्ति को लाने के पहले उन्होंने यह नहीं बताया है कि उनकी यह समग्र क्रान्ति क्या है? उन्होंने अलग अलग मौकों पर अलग अलग बातें कही हैं किन्तु जो माननीय सदस्य यहां पर बोल चुके हैं; मुझे पता नहीं था कि वे आज इस प्रश्न के ऊपर कुछ कहेंगे। अगर यह मालूम होता तो मैं उन सब चीजों को यहां पर लाता और उन्हें बताने की कोशिश करता।

उपाध्यक्ष : महोदय, श्री जयप्रकाश नारायण एक वेटरन कांग्रेसमेन रहे हैं—लम्बे अर्से तक कांग्रेस में रहे हैं और दूसरे आजादी के संघर्ष में वे हमारे श्रद्धा के केन्द्र रहे हैं और जो कांग्रेस में एक प्रकार की विचारधारा थी, उसमें डाक्टर राम मनोहर लोहिया, श्री जयप्रकाश नारायण, श्री अच्युत पटवर्धन, आचार्य नरेन्द्र देव वगैरह लोग थे—वे एक साथ चलने की बात कहते थे। देश की आजादी के बाद में, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य, क्योंकि वे इस बात को जानते हैं, मैं उनके विचार जानना चाहता हूं, उस समय लोहिया जी ने श्री जयप्रकाश नारायण के बारे में क्या कहा था? मेहरबानी करके डाक्टर लोहिया की वह राय सदन को सुना दें?....

श्री निरंजननाथ आचार्य : बिना आसन की आज्ञा के या आपकी आज्ञा से?

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य आज भी डा. लोहिया को अपना मसीहा मानते हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं....

श्री रामकिशन : केवल उनके लिए ही है?

श्री हरिदेव जोशी : केवल उनके प्रति ही वे श्रद्धा रखते हैं और जिस प्रकार से साम्यवादी कार्ल मार्क्स और लेनिन के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं, उसी प्रकार से वे लोहिया जी के प्रति श्रद्धा की भावना रखते हैं। मैं आपसे यह अपेक्षा करके चलता था कि जब जयप्रकाश नारायण जी का आप विवेचन करेंगे; उस समय आप लोहियाजी के विचारों को भी सदन के समक्ष रखने की

(श्री हरिदेव जोशी)

कोशिश करेंगे। मैं नहीं जानता आपने ऐसा क्यों नहीं किया ? शायद आपको यह सूट करता हो तो कि आप उन विचारों को आज यहां पर न कहें।

उपाध्यक्ष महोदय, एक अच्छी सी और दिलचस्प बहस आज इस सदन में यहां हुई—डेमोक्रेसी और फासिज्म के ऊपर बात चली। डेमोक्रेसी क्या है ? माननीय सदस्यों ने इस बात को नहीं कहा—सादुलपुर से आने वाले माननीय सदस्य डेमोक्रेसी पर भिन्न राय रखते हैं, इसका पता नहीं है····

श्री मोहरसिंह : इसीलिए सादुलपुर से आया हूं····

श्री हरिदेव जोशी : मेरी बात को सुनने की कोशिश करें···

श्री मोहरसिंह : बाद में मुझे टाइम नहीं मिलेगा···

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तिजारा में भी उसी समय चुनाव हुआ था, यह तो आपको मालूम होगा····

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे कोई ऐतराज नहीं है, आप अपनी बात कहें परन्तु इस देश ने आपका स्वरूप पहचान लिया है ?···

श्री मोहरसिंह : आपने क्या देखा है···· सी. पी. एम. के बारे में आप कुछ नहीं जानते ?····

श्री हरिदेव जोशी : देश की जनता ने सी. पी. आई एम का स्वरूप पहचान लिया है···

श्री मोहरसिंह : आपको यह भी पता नहीं है, यह जानकारी नहीं है कि यह 64 में बनी है या 62 में ?

श्री हरिदेव जोशी : मुझे कोई ऐतराज नहीं है आप अपनी राय जाहिर करें। परन्तु आपका चेहरा क्या है, इसके प्रति जनता जागरूक है···

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मोहरसिंह : आप नहीं जानते हैं।····

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, इस देश के अन्दर, 27 वर्षों की आजादी के अन्दर जब विपक्ष जीत कर आया, इसी इलेक्शन सिस्टम से तब तो प्रजातन्त्र जिन्दाबाद हो गया ? प्रजातन्त्र की जीत हो गई ? और राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय कारणों से 1971 और 1972 के अन्दर कांग्रेस बहुत बड़े पैमाने पर जीत कर आयी तो आपकी थीसीस बदल गई। आपकी थ्योरी बदल गई। उपाध्यक्ष महोदय, 1952 के अन्दर विपक्षी लोग भी जीत कर आये थे और कांग्रेस के लोग भी जीत कर आये थे। 1962 के अन्दर कांग्रेस के लोग भी जीत कर आये और कांग्रेस के कई लोग भी हारे। इस राजस्थान के अन्दर जोधपुर के महाराजा जयपुर की महारानी। बीकानेर के महाराजा जब जीते उस समय प्रजातन्त्र नहीं हारा ? और आज आपकी निगाह में प्रजातन्त्र हार गया···

श्री मूलचन्द सामरिया : जब गोलियां चलवाई तब हार गया ?

श्री हरिदेव जोशी : जहां कहीं राजा, रानी, सेठ, साहूकार नहीं जीते और 1972

(श्री हरिदेव जोशी)

में जब टाटा हार जाता है, बिरला हार जाता है, राजा महाराजा, रानी, महारानियां हार जाती है तब तो आपको प्रजातन्त्र की हार दिखाई देती है। इसलिए आपको यह लगता है कि इनकी आज आवाज पार्लियामेंट नहीं है परन्तु आपके रूप में उनकी आवाज आज भी वहां पर है, यह हम जानते है उपाध्यक्ष महोदय, यह एक स्थिति है, माननीय सदस्य किस चीज को प्रजातंत्र कहते हैं। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कांग्रेस के स्पिल्ट के बाद में जनता से मेन्डेट मांगा तब सारी की सारी विरोधी पार्टियां एक चौगुटा बना कर मैदान में आयी और आज वे ही विरोधी पार्टियां जयप्रकाश नारायण के चारों तरफ घूम रही है। ये ही विरोधी पार्टियां आज कह रही है इन्दिरा गांधी गलत काम कर रही है, इस देश को दूसरे रास्ते पर, गलत रास्ते पर ले जा रही हैं देश में उनकी आवाज को खत्म कर दिया गया और इन्दिरा गांधी को बहुत बड़ा बहुमत दिया। आपको इस समय लगा? और, उपाध्यक्ष महोदय, आज सभी पार्टियां जब चुनकर एक सरकार बनाती है वहां पर अपनी बातों को ठीक नहीं कह पाने के कारण, अपनी इन्कम्पीटेन्सी से जनता को प्रभावित नहीं कर सकी तब वह यह कहती है कि वह किसी भी रूप में चुनकर बेलट बाक्सेज के जरिये नहीं आ सकते हैं तो एक राउडिज्म के जरिये सरकार को गिराकर हुकूमत के अन्दर आजायं इसको वे प्रजातन्त्र मानते हैं? हम को वह प्रजातन्त्र का विरोधी मानते हैं। कांग्रेस की सभाओं के अन्दर हुड़दंग मचाकर, कांग्रेस के नेताओं पर पत्थर मारकर, उनका केरेक्टर एसेसिनशेन करते हैं इसको वह फासिज्म का विरोधी मानते हैं, जनता के प्रतिनिधि चुनकर नहीं आ सके, उनकी आवाज जनता तक नहीं पहुंच सके इसको वह फासिज्म का विरोधी मानते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कहा यह जा रहा है कि देश के अन्दर प्रजातन्त्र समाप्त है इसलिए...

श्री मोहरसिंह : इनकी बातों को हम कैसे बरदाश्त करते जायेंगे? हम बरदाश्त नहीं करेंगे।

श्री हरिदेव जोशी : अपको बरदाश्त करना पड़ेगा। यू हैव बीन रिजेक्टेड बाई दी पीपल आफ इण्डिया। प्रजातन्त्र के मायने बरदाश्त करना है, मेरे मित्र।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : बरदाश्त करना होगा।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे मालूम है कि प्रजातन्त्रिक माद्दा आपमें नहीं है। जिसके अन्दर प्रजातंत्र का माद्दा है वही बरदाश्त कर सकता है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप बरदाश्त नहीं कर सकते क्योंकि आपने प्रजातन्त्र का माद्दा नहीं है। मैंने तो सदन के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, जनसंघ के माननीय नेता को यहां पर बैठे बैठे सुना। मैंने मार्क्सिस्ट कम्यूनिस्ट पार्टी के नेता को यहां पर बैठे बैठे सुना, मैंने सोशियेलिस्ट पार्टी के नेता को सुना है....

श्री मोहरसिंह : मार्क्सिस्ट पार्टी आप से गुमराह नहीं होगी....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मोहरसिंह : गुमराह किया गया

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मेहरबानी करके आप माननीय सदस्य को

(108)

(श्री हरिदेव जोशी)

यह हिदायत करे कि वह मुझे सुनें अगर वह प्रजातन्त्र में विश्वास करते हों तो। वैसे यहां पर भी समय है और अगर वह यह समझते हो तो कि यहां पर समय सीमित है तो बाहर प्लेटफार्म बहुत बड़ा पड़ा हुआ है जहां पर वे अपने व्यूज को अच्छी तरह से रख सकते हैं।

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता था कि दरअसल आज प्रजातन्त्र की हत्या कौन कर रहा है ? क्या प्रजातन्त्र की हत्या बैलट बाक्सेज के द्वारा आकर हुकुमत के अन्दर बैठे हुए हैं वह कर रहे हैं अथवा प्रजातन्त्र की हत्या बैलट बाक्सेज के द्वारा नहीं चुने जा सके हैं वह लोग सड़कों में और गलियों में प्रजातन्त्र के नाम के ऊपर, प्रजातन्त्र की रक्षा के नाम के ऊपर यह कहते है कि अगर एम० एल० ए० इस्तिफा नहीं दें तो उसकी गाल पर चपत मार दो यह कहने वाले इस प्रजातन्त्र की हत्या कर रहे हैं ? आप क्या कहते हैं अगर मैं आपसे यह कहूं कि आप सादुलपुर से चुनकर तो आ गये हैं मगर 40 लड़के आते हैं और वह आपसे कहते हैं कि आप इस्तिफा दे दें और अगर आप इस्तिफा नहीं दें तो मैं यह कहूं कि आपकी गाल पर चपत लगाओ और 40 लड़के आपकी गाल पर एक एक थप्पड़ मारते हैं तो यह आपको बरदाश्त होगा। आप यह करना चाहते हैं इस मुल्क के अन्दर। मैं आपकी इस राय से सहमत नहीं हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, कहा यह जा रहा है कि देश के अन्दर समग्र क्रान्ति हो रही है। भ्रष्टाचार है उसको मिटाओ। इलेक्शन के अन्दर यहां पर कोई मेल-प्रेक्टिसेज हों तो उनको मिटाइये, मगर एक बात मैं कहना चाहता हूं कि क्या केवल सरकार के बदल देने से या विधान सभा के सामने धरना देने से एक नये प्रकार की क्रान्ति आती है सामाजिक क्रान्ति जब तक जड़-मूल से समाज के अन्दर नये प्रकार की भावनाएं पैदा नहीं की जा सके तब तक नहीं आ सकती है। मैं समग्र क्रान्ति का आपसे पूछना चाहता हूं कि जयप्रकाश के आन्दोलन के पीछे कौन सी ट्रेड यूनियनें हैं। आज जो लोग इस आन्दोलन को लीड कर रहे हैं उनके साथ में कितने किसान-आन्दोलन हैं ? आज मैं यह जानना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए यह आन्दोलन करने वाले भाई कितने ब्लेकमार्केटियर्स के दरवाजों पर धरना देकर बैठे है ? इन्होंने किसी एम० एल० ए० का घेराव किया होगा, इन्होंने किसी एम० पी० का घेराव किया होगा, क्या इन्होंने किसी ब्लेकमार्केटियर का घेराव किया है ?

श्री मोहरसिंह : ब्लेकमार्केटियर को पकड़वाते है तो आप संरक्षण देते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : आज यह इल्जाम लगा रहे है कि यह आन्दोलन ब्लेकमार्केटियर्स और प्राफिटियर्स की बदौलत चल रहा है, इसको कहीं डिनाई किया गया है ? कभी यह नहीं कहा गया कि अमुक आदमी इस आन्दोलन को फाइनेन्स नहीं कर रहा है ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं कि दरअसल में बिहार में क्या स्थिति है, क्या नहीं है यह मैं नहीं जानता.....

श्री मोहरसिंह : जानना भी नहीं चाहते।

श्री हरिदेव जोशी : जयप्रकाशजी ने कुछ बातें एनाउन्स की थीं कि उनका आन्दोलन इन इन स्टेजेज पर चलेगा। उन्होंने कहा था कि विद्यार्थी एक वर्ष तक कालेजेज छोड़ देवें। आज मुझे मालूम नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, कि बिहार के अन्दर कितने कालेजेज बन्द हैं। माननीय सदस्य जो भरतपुर से आ रहे है वह बहुत नजदीक है जयप्रकाशजी के उन्हें पता होगा। उन्होंने नहीं बताया कि कितने कालेजेज बन्द हैं बिहार के अन्दर। उन्होंने यह कहा कि विद्यार्थी समग्र क्रान्ति के अन्दर लग जायं। आज कितने विद्यार्थी समग्र क्रान्ति के अन्दर वहां पर लगे हुए हैं मैं नहीं जानता। दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने वहां पर कहा था कि अब आपका दूसरा फेज बिहार में नो रेंट कैम्पेन का होगा। हमने उसी बिहार के अन्दर एक आन्दोलन चम्पारन के अन्दर देखा था, हमने इस देश के अन्दर एक आन्दोलन बिजौलिया के अन्दर देखा था, हमने एक आन्दोलन इस हिन्दुस्तान के अन्दर गुजरात के खेड़ा जिले के अन्दर देखा था। उनके अन्दर नो रेन्ट कैम्पेज हुआ था। कहीं पर पूरा हुआ कहीं पर अधूरा हुआ। मैं नहीं जानता कि बिहार की ट्रेजरीज के अन्दर कितना पैसा आया, कितना नहीं आया, परन्तु आजकल उसकी कोई बात नहीं हो पाती है......

श्री रामानन्द अग्रवाल : गोयनका ने नहीं दिया।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, आज स्थिति यह है कि जब एक तरफ तो पोलिटिशियन्स के ऊपर एक प्रकार के चार्जेज लगाये जा रहे हैं दूसरे किसी पर नहीं जयप्रकाशजी के आन्दोलन के अन्दर जो लोग लगे हुए हैं उनके ऊपर यह चार्जेज लगाये हैं कि इतना पैसा इकट्ठा हुआ और पैसा पूरा मेरे पास नहीं आया.......

श्री रामानन्द अग्रवाल : 18 लाख।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : राइट।

श्री हरिदेव जोशी : आखिर यह सब कुछ क्या है? यह क्या बतलाता है? यह यह बतलाता है कि किस प्रकार की अपमानजनक स्थिति है। हम न तो यहां पर जनसंघ को कहने के लिए खड़े हैं न किसी पार्टी को उसको करने के लिए खड़े हैं, मगर एक चीज मैं निश्चितरूप से कहना चाहता हूं और वह यह है कि अगर आप कांग्रेस के लिए यह सोचते हैं कि कांग्रेस ने अपने कार्यक्रम को पूरा नहीं किया इसलिए आज देश के अन्दर बेरोजगारी और यह सब चीजें हैं, तो मैं भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि जो चौखटा आज बी० एल० डी० के रूप में बनी है अथवा जो चौखटा आज जयप्रकाश जी के चारों तरफ बना है उसने क्या कुछ तय किया है? कुछ एनाउन्स किया है क्या? कांग्रेस ने जिसने आजादी का संघर्ष लड़ा उसने एक मोडल कान्स्टीट्यूशन हिन्दुस्तान का आज से कई वर्ष पहले आजादी के रख दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इस देश के पहले प्रधान मंत्री थे उन्होंने अपनी विचारधारा को इस मुल्क के सामने कई वर्ष पहले रख दिया था। वह किस प्रकार का देश इस देश को देखना चाहते थे। किन्तु यह जो आन्दोलन के प्रवर्तक भाई हैं, जयप्रकाशजी न रखें, लेकिन उनके

(श्री हरिदेव जोशी)

जो दायें और बायें लोग है वह दायें और बायें तो इस चीज को रखें। मैं उस चीज को वह नहीं कहता, पर मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपकी समग्र क्रान्ति जिसकी की बात अभी रखना चाहते हैं आज से थोड़े दिनों पहले जयप्रकाशजी जिस भूदान आन्दोलन में थे वह आपका लक्ष्य है? अगर वह है तो आप वह कहिये। अगर उसके सिवाय और कुछ हैं तो हमें यह तो बतलाइये कि आप वन पार्टी रूल, या नो पार्टी रूल है, यह नो पार्टी रूल का कौनसा रूल है? नो पार्टी रूल, आपके जयप्रकाश नारायण जी ने एक बार अयूब के पंचायत सिस्टम को कहा था, उसकी तारीफ की थी वह है…

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : लिमिटेड डेमोक्रेसी।

श्री हरिदेव जोशी : माने कोई चीज सामने आनी चाहिए। हमें एल्योरमेंट दिया है या आपने वोट लिया है कांग्रेस वालों का वह बताइये तो सही, एल्योरमेंट दिया है, तो बतायें तो सही, नो पार्टी रूल लिमिटेड डेमोक्रेसी, जिसकी जयप्रकाश नारायण ने तारीफ की थी, वह है··

श्री गुमानमल लोढ़ा : शशिभूषण जी ने कहा था। गलत ख्याल है।

श्री हरिदेव जोशी : वह भी मालूम है। आपका गलत ख्याल है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : शशिभूषण की थीम थी लिमिटेड डेमोक्रेसी की।

श्री दीपंकर : लिमिटेड डेमोक्रेसी में तो आप लोगों पर प्रतिबन्ध लगेगा।

श्री हरिदेव जोशी : मैं बोल रहा हूं। लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य, मैं बोल रहा हूं।

सो मैं निवेदन कर रहा था, शायद उन दिनों में जिस समय वहां था पंचायत सिस्टम, लिमिटेड डेमोक्रेसी वहां पाकिस्तान में थी, जयप्रकाश नारायण ने कहा था—तब माननीय सदस्य वकालत में थे, यहां नहीं थे। आपको पता नहीं है, कितनी तारीफ की थी उस समय देश की विभिन्न पार्टियों ने इन्क्लूडिंग माननीय सदस्य की पार्टी ने…

श्री गुमानमल लोढ़ा : उस समय का पता नहीं, लेकिन यह पता है कि बंगला देश में अभी हुआ है उसके लिए प्रधान मंत्री ने बधाई भेजी है।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे मालूम है, मैं निवेदन कर रहा हूं। मेरा निवेदन है, जो इश्यू है उस पर जयप्रकाश नारायण को सामने रख कर बात नहीं करनी चाहिए हमको, जो चीज हमारे सामने है उसको किस तरह निपटायें— उसको ध्यान में रख कर करने की बात है। मुझे कोई एतराज नहीं हैं, देश के लेवल के ऊपर इलेक्शन में सुधार लाने के बारे में, भ्रष्टाचार मिटाने के बारे में, सामाजिक सुधार करने के बारे में, आर्थिक सुधार करने के बारे में डिस्कशन शुरू होता है तो हम उसका वेलकम करेंगे ईलीट राजनैतिक पार्टी के रूप में हमें उसका वेलकम करना चाहिए। लेकिन पालिटिकली मोटिवेटेड हो, कोशिश की जाय हम पर हमला करने की और कांग्रेस मन जाल में फंस जायं तो मैं कांग्रेस की अक्लमंदी नहीं मानूंगा।

(श्री हरिदेव जोशी)

यहां कांग्रेस विस ए विस कम्युनिस्ट पार्टी की बात कही गई। माननीय सदस्यों को मैं एक बात कहना चाहता हूं, यह तो एक सिम्पल उसकी बात है, कांग्रेस ने जब एक प्रोग्राम अनाउन्स किया, कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया ने उस प्रोग्राम के अन्दर कुछ अच्छाई देखी। इसलिए वह कहते हैं कि हम इस प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं। अब आप हमसे यह चाहते हैं कि देश की नेता इन्दिरा गांधी को हटा दिया जाना चाहिए, यह स्लोगन लेकर देश के अन्दर समग्र क्रान्ति का झण्डा लेकर आप जायं, तो हम कहें, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और कम्युनिस्ट पार्टी को कहें, यह बुरा कर रही है, यह गलत लोग हैं, और यह कहें, कम्युनिस्ट पार्टी खराब है। यह आप उम्मीद करना चाहें यहां बैठ कर। ऐं। यह बात रही न आपकी। तो इस बात को माननीय सदस्य को राजनैतिक ढंग से समझने की जरूरत है। हमारे ऊपर हमला होवे, यू. एन. ओ. के अन्दर तब वीटो का प्रयोग करके रूस हमारी मदद करे। रूस के नेता जब यहां पर आवें और कश्मीर में जायं, और पब्लिकली यह डिक्लेअर करें कि अगर इस देश के ऊपर हमला हो, तब आप आवाज दीजिये, आपका मित्र पहाड़ी के उस तरफ बसता है....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : हिअर ! हिअर !

श्री हरिदेव जोशी : तब हम कहें, नहीं यह तो गलत है। एक जमाने में हमारे लोग बाग यह कहा करते थे कि रूस तो खराब है, उसके साथ नहीं घुलना चाहिए, अमेरिका के साथ में हमें क्यों नहीं दोस्ती करनी चाहिए। यह कहने वाले मित्र हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि हम भयंकर संकट के अन्दर थे, जिस समय बंगला देश का सवाल पैदा हुआ। हिन्दुस्तान की सीमाओं के ऊपर एक तरफ पाकिस्तान की सेनाएं आ रही थीं, बंगला देश का प्रेशर था, और दूसरी तरफ बे आफ बंगाल के अन्दर अमेरिका का सातवां बेड़ा था। उस समय अगर आपकी मदद के लिए कोई आया तो रूस आया....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : हिअर ! हिअर !

श्री हरिदेव जोशी : अगर हिन्दुस्तान की ताकत को, फौजी ताकत को बढ़ाने के लिए रूस मदद देवे तब भी हमको बुरा लगे। इस देश के रहने वाले लोगों को। हमको कम्पेअर करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। अगर एक बार दो बार, तीन बार, चार बार कश्मीर के ऊपर यू. एन. ओ. के अन्दर कभी सवाल आया तो किसी दूसरे ने वीटो रख कर हमारी मदद नहीं की इट वाज आनली यू. एस. एस. आर...

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : हिअर ! हिअर !

श्री हरिदेव जोशी : अगर किन्हीं भी स्थितियों के अन्दर हमारे विरोधियों को किसी ने मदद दी है, दुनियां के अन्दर खुले रूप में और बिल्कुल नग्न रूप के अन्दर तो वह अमेरिका और चीन हैं....

श्री रामानन्द अग्रवाल : शेम। शेम।

श्री हरिदेव जोशी : और आज भी हमारे इस देश के कई लोग अमेरिका और चीन की भक्ति से कतराते नहीं। यह इस देश की राष्ट्रीयता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : शेम ! शेम!

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, ताजा उदाहरण है, अमेरिकी साम्राज्यवाद ने पाकिस्तान को फिर से ताकतवर बनाने की कोशिश की है, जो एम्बार्गो हथियार का लगाया गया था उसको तोड़ दिया गया है—उसके मायने क्या हैं—इस बात को साफ साफ समझने की बात है अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र के अन्दर। वह यह है कि पाकिस्तान से, चीन से हमले से पहले इस देश का सैनिक बजट 250 करोड़ रुपये था, आज की स्थिति के अन्दर आपका सैनिक बजट लगभग 1250 करोड़ रुपये...

कई माननीय सदस्य : नहीं नहीं।

श्री हरिदेव जोशी : अठारह सौ, दो हजार ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : दो हजार।

श्री हरिदेव जोशी : दो हजार करोड़ रुपया है। पाकिस्तान को सोफिस्टीकेटेड वीपन देने का माने क्या है ? पाकिस्तान को सोफिस्टीकेटेड वीपन देने के माने यह है कि अगर इस सब-कान्टीनेट के अन्दर हिन्दुस्तान को सुरक्षित रूप से जाना है तो उसको अपना सैनिक बजट बढ़ाना होगा। अपनी सीमाओं की इन्टेग्रिटी को बचाना है तो आपको ज्यादा खर्च करना होगा। अगर अमेरिका ने और हथियार पाकिस्तान को न दिये होते तो वह पैसा बचकर आपके लोगों को अनाज के लिए, आपके उत्थान के लिए, आपकी तरक्की के लिए, या गरीबी मिटाने के काम में आता। लेकिन परोक्ष में अमेरिका ने यह एक्शन लिया है और हिन्दुस्तान को नितान्त गरीब रखने का षड़यंत्र किया है। इसको हमें स्वीकार करना चाहिए...

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : हिअर ! हिअर !

श्री हरिदेव जोशी : और यह मुल्क के जो दोस्त हैं उसको गाली देना चाहते हैं...

श्री रामानन्द अग्रवाल : कुछ लोग हैं।

श्री हरिदेव जोशी : जो दुश्मन हैं, विरोधी है उसकी तारीफ करना चाहते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऐसे कुछ ही लोग हैं।

श्री हरिदेव जोशी : हमको इन राष्ट्रीय तत्वों को समझने की आवश्यकता है और एक प्रकार से राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है। अगर यहां राष्ट्रीय एकता नहीं रही और हम लोग खेमों के अन्दर बंटे रहे तो हिन्दुस्तान की राजनीति कुछ चन्द लोगों के इर्द-गिर्द घूमने वाली राजनीति होगी। ऐशिया में जो हमारा असर पैदा होना चाहिए, वह असर पैदा नहीं होगा। इसलिए स्पष्टरूप से समझना है, दुनियां के अन्दर हमारे दोस्त हैं वह दोस्त हैं। और कांग्रेस को यह समझना है, इस देश के अन्दर हमारा जो दोस्त है वह हमारा दोस्त है। आज हमारे बीच के अन्दर, हमें क्या क्या कह कर एक दूसरे के बीच फूट फैलाने की कोशिश की जाती है। अगर कम्युनिस्ट पार्टी यह समझती है, वैसे मैं नहीं समझता कि

(श्री हरिदेव जोशी)

कम्युनिस्ट पार्टी यह समझती है कि वह हिन्दुस्तान की कांग्रेस को निगल जायेगी, तो मैं कम से कम कांग्रेस को इतना कमजोर नहीं समझता कि कोई पार्टी हिन्दुस्तान की कांग्रेस को निगल सकेगी। इसलिए जब हम लोग किसी के प्रति दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो उसे दोस्त समझकर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, उसके अन्दर रिजर्वेशन रखकर हाथ नहीं बढ़ाते हैं। इसलिए जो लोग कांग्रेस और उसके मित्रों के बीच फूट पैदा करने की कोशिश करते हैं वह व्यर्थ में, फ्यूटाइल एक्सरसाइज है—इसके सिवाय मैं कुछ नहीं मानता। मैं इसलिये कहता हूं इस बात को कि बाजे मरतबा कांग्रेस को और कांग्रेस लीडरशिप को कई लोग बहुत बचकाना समझते हैं। आज उसको खत्म किया जायेगा कांग्रेस के अन्दर। आज जयप्रकाश नारायण के साथ जो आवाजें लग रही हैं, वह कौनसी आवाजें हैं ? वे वह ही आवाजें हैं जो आपकी पार्टी छोड़कर जय प्रकाशजी के साथ गये थे और वहां पर भी अकोमोडेट नहीं हो सके तो वापिस कांग्रेस में आ गये। इसके सिवाय और कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है।

इस कांग्रेस की नेता इन्दिरा गांधी है और इस कांग्रेस की रीति नीति कांग्रेस वर्किंग कमेटी तय करती है। और जो रीति नीति कांग्रेस वर्किंग कमेटी निर्धारित करती है उसके खिलाफ जो कोई भी आदमी आवाज खड़ी करता है वह निश्चित ही कांग्रेस के खिलाफ और देश के खिलाफ आवाज खड़ी करता है। इसलिये कांग्रेसमेन को यह बहुत साफ तरह से समझना चाहिये। जयप्रकाश नारायण ने एक बार बहुत अनईकुईवोकल टर्म्स में कहा है कि जब तक इन्दिरा गांधी नहीं हटती, तब तक देश के अन्दर क्रान्ति नहीं आ सकती, अथवा उनकी पसन्द की क्रान्ति तब ही आ सकती है जब कि इन्दिरा गांधी नहीं रहे। आज जो लोग भी इसके खिलाफ आवाज खड़ी करते हैं, वह लोग बाहर से भले ही कुछ भी कहें हम इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में विश्वास रखते हैं, वह अपने आपको धोखा देते हैं और पूरी कांग्रेस को और देश को धोखा देते हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह रेडी साहब किसके धोखे में आ गये ?

श्री हरिदेव जोशी : आ गये तो आ गये। ऐसे कई हो सकते हैं। हिन्दुस्तान में कई लोग ऐसे हो सकते हैं कि धोखे में आ जायें।

श्री रामकिशन : वह तो रेडी साहब का चुनाव हुआ, उस सम्बन्ध में कह रहे हैं। उस समय आप धोखे में आ गये।

श्री हरिदेव जोशी : मैं भी धोखे में आ सकता हूं।

श्री मूलचन्द सामरिया : आप धोखे में आ गये क्या ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं यह कहना चाहता हूं कि हम स्पष्टरूप से समझ सकते हैं कि आज देश के अन्दर मत क्या है ? देश में मत हैं समग्र क्रांति वाद और समग्र क्रांति विरोध तीसरा कोई मत नहीं है। समग्र क्रान्तिवादी हम भी हैं लेकिन सो काल्ड समग्र क्रान्ति जो आप करना चाहते हैं, उसके हम विरोधी हैं। आप समग्र क्रान्तिवादी हो, हमें कोई ऐतराज नहीं पर अपनी समग्र क्रांति आप हमें समझा दीजिये। आज यह कहा जाता है कि गांधी

(श्री हरिदेव जोशी)

जी पुनः जन्म ले रहे हैं हिन्दुस्तान के अन्दर। बहुत खूब। गांधीजी को पीलू मोदी साहब ने पढ़ा, मैं नहीं कहना चाहता कि किन किन लोगों ने पढ़ा, एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि गांधीजी की हत्या एक बार नहीं, अनेक बार की गई इस मुल्क के अन्दर, और आज फिर की जा रही है।

श्री गुमानमल लोढा : गांधीजी ने तो कहा था कि कांग्रेस को भंग कर दो। जब आपने यह बात न मानी, उस समय ही हत्या हो गई गांधीजी की।

श्री हरिदेव जोशी : हमने न मानी, और आपने मान ली……

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : 30 जनवरी, 1948 का प्रायश्चित कर रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : It is an irony of fate for this country कि आज गांधीजी को इतना मिसइन्टरप्रेट किया जा रहा है जितना कि गुजरे 25 वर्ष में कभी नहीं हुआ। आज कहा यह जाता है कि यह आन्दोलन केवल जय प्रकाश नारायण के कारण अहिन्सक रहा है। मैं कोई वह नहीं करना चाहता, मगर एक जमाने में आर. ए. सी. वहां भेजनी पड़ी थी, और हिन्दुस्तान भर की पुलिस को वहां भेजना पड़ा था, यह एक हकीकत है। और आज वहां आर. ए. सी. नहीं है तो क्या फर्क पड़ गया? उस वक्त सारे हिन्दुस्तान की पुलिस को वहां क्यों भेजना पड़ा था? इसलिये कि प्रत्येक सरकारी आफिसर के घेराव करने की बात थी, इस्तीफा न देने वालों के घेराव करने की बात थी। मैं पूछना चाहता हूं भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य से कि वह मुझे और मेरी पार्टी को प्रभावित करना चाहते है, लेकिन जो लोग उनकी टिकट पर चुने गये, उनको वह प्रभावित कर पाए क्या? कम से कम वह तो प्रभावित हो जाते और बिहार असेम्बली से इस्तीफा दे देते। एक समय था जब बिहार में हिन्सा का वातावरण था, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता और सो काल्ड संघर्ष समिति ने ऐलान किया था कि वह पैरलल गवर्नमेंट बनायेंगे, सो काल्ड संघर्ष समिति ने यह ऐलान किया था कि हर ब्लाक लेवल के दफ्तर का घेराव किया जायेगा और प्रशासन खत्म कर देंगे। यह क्या गलत है?

एक माननीय सदस्य : मान गये साहब।

श्री हरिदेव जोशी : और अब आपका वह प्रोग्राम इम्प्लीमेंट नहीं हो सका तो अपने आप आर. ए. सी. और दूसरी चीजें विथड्रा कर दिये गये। इसलिये मैं भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि आप अभी तक जयप्रकाश नारायण के जाल से मुक्त थे और अब अगर किन्हीं कारणों से उसके अन्दर आ गये हैं तो मेहरबानी करके इस जाल को तोड़ दीजिये। यह मकड़ी का जाल है, इसको तोड़ने में ज्यादा जोर नहीं लगेगा, थोड़ा सा हाथ ऊंचा किया जाय तो जाल टूट जायेगा।

(श्री हरिदेव जोशी)

अब, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आर. ए. सी. की तरफ आना चाहता हूं। यह कहा गया कि हम आर. ए. सी. को क्यों भेजते हैं ? यह भी कहा गया कि पंजाब में जब अकाली दल की सरकार थी तो उसने अपनी पुलिस भेजने से इन्कार कर दिया था। मैं यह मानकर चलता हूं कि उनकी पुलिस शायद फ्री नहीं थी, इसलिये नहीं भेजी। लेकिन अगर फ्री थी और उसके बाद भी नहीं भेजी तो मैं उसको एक अच्छी और भली पालिसी की संज्ञा नहीं दे सकता। कारण यह है कि इस देश के अन्दर कोई भी राज्य सरकार यह चाहे कि वह अपनी आल टाइम के लिये जितनी भी जरूरत पड़े उसके लिये पुलिस फोर्स रख ले, तो वह उनके रिसोसिज के लिये सम्भव नहीं है। उसका खर्चा वह अपने रिसोर्सेज से मीट नहीं कर सकती। यही बात आर्मी के लिये भी है। इस देश के अन्दर आर्मी भी इतनी रेज नहीं की जा सकती जो आल टाइम के लिये पर्याप्त हो, और इसलिये पैरा आर्मी रहती हैं, दूसरे भी रहते हैं जो जरूरत पड़ने पर बिल्ड अप किये जा सकते हैं। पुलिस और आर्म्ड पुलिस के बारे में भी यही स्थिति है। और जहां तक इस बटेलियन का सवाल है, मोर आर लेस फार आल प्रेक्टिकल परपजेज, आर. ए. सी. की यह बटेलियन तो गवर्नमेंट आफ इन्डिया की बटेलियन है। यह केवल राजस्थान के लोगों से रेज की गई है, इतना ही है। तनख्वाह सारी की सारी भारत सरकार देती है। मूवमेंट का कन्ट्रोल भारत सरकार करती है। और जैसे आज वह त्रिपुरा में हैं, भारत सरकार उसको वहां से हटा देगी तो हमें केवल इतला आ जायेगी कि कहां है ? हमारे ऑफिसर जो उसमें लगे हुए हैं वे आर पेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया। मैं आपको एक सीमली तो उसे नहीं कहता लेकिन एक उदाहरण देता हूं। जिस तरह की पहले हमारे इन्डियन आर्मी के अन्दर नेपाली लोगों को भर्ती किया जाता था। उन लोगों को हमारी गवर्नमेंट पे करती थी। इस फौज को हमारे यहां के कमान्डर इन चीफ के नीचे माना जाता था उस फौज पर नेपाल गवर्नमेंट का कोई दखल नहीं था हालांकि वह लोग नेपाली थे। तो ठीक उसी तरह इस आर० ए० सी० की बटेलियन में हमारे लोग जरूर हैं लेकिन उस बटेलियन का खर्चा पूरा का पूरा भारत सरकार उठाती है। इसलिये भारत सरकार का ही उस पर कन्ट्रोल है। अपने यहां पर सिर्फ यह बटेलियन रेज हुई है हम उसको ना करने वाले कोई नहीं है। इसके अलावा मैं समझता हूं कि अगर हमारा कोई पड़ोसी राज्य हमारे यहां की पुलिस को बुलाये तो मैं समझता हूं कि हमें उसे भेजने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये। आज उनको जरूरत पड़ी है कल हमें जरूरत पड़ सकती है। सिर्फ कोई आन्दोलन के वक्त ही आर० ए० सी की जरूरत नहीं पड़ती। आज हमारा देश एक है हमारी एक फेडरल फार्म आफ गवर्नमेंट है जहां आज कांग्रेस का राज्य है हो सकता है कभी कोई दूसरी सरकार हो जावे। लेकिन जहां तक इनडिसीप्लेन का सवाल है उसको बढ़ावा देना मैं उचित नहीं समझता। हर सरकार अपनी अपनी फिलासाफी के अनुसार काम करती है हर एक सरकार का काम करने का ढंग अलग

(श्री हरिदेव जोशी)

अलग होता है पर इसका मतलब यह नहीं कि हमें अगर कोई पड़ोसी राज्य सरकार यह कहे कि आप आर. ए. सी. को भेजे तो हम नहीं भेजे। मैं समझता हूं कि यह किसी भी राज्य सरकार के लिये लाजिमी नहीं है कि वह मना करे। वैसे तो यह पूरा दायरा हमारा नहीं है इसके फेक्ट्स ज्यादा भारत सरकार के पास हैं लेकिन हमें इन्कार नहीं करना चाहिये। इसके लिये मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो लोग इस बारे में यह एडवाईस देते है कि हमारी आर. ए. सी. बिहार में नहीं जानी चाहिये या कहीं और नहीं जानी चाहिये तो वह उनकी एडवाईस मैं उचित नहीं मानता और मैं उनकी इस एडवाइस को अस्वीकार करता हूं।

एक माननीय सदस्य : इसका मतलब यह है कि यह अपना संकल्प विद्ड्रा कर लें।

श्री हरिदेव जोशी : अगर यह विद्ड्रा करते हैं तो मैं इनकी तारीफ करूंगा। जहां तक सवाल आर. ए. सी. को भेजने का है उपाध्यक्ष महोदय, आर. ए. सी. पहले यू.पी. में भी गयी, मध्य प्रदेश में भी गयी, सिर्फ ला एण्ड आर्डर मेनटेन करने के लिये ही नहीं पहले बिहार में जब बाढ़ आयी तब भी हमारी आर. ए. सी. वहां गयी थी। आर. ए. सी. का उपयोग तो कहीं भी हो सकता है। पंजाब में भी गयी थी हमको स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है। तो मेरा निवेदन यह है कि जहां तक सवाल बेटेलियन का है यह बैटेलियन भारत सरकार के नीचे ही आती है। उस पर हमारा कोई कन्ट्रोल नहीं है। और मैं ही नहीं बल्कि राज्य सरकार इस विचारधारा की है कि अगर कभी भी भारत सरकार या कोई भी राज्य सरकार आर. ए. सी. की मांग करेगी तो हम उसे हमेशा भेजेंगे। मैं माननीय सदस्यों की इस राय को नहीं मानता कि आर. ए. सी. को राज्य सरकार ने जन आन्दोलन को कुचलने के लिये भेजा है। हमने तो भारत सरकार ने जो आदेश दिया है और बिहार सरकार ने भारत सरकार से आर ए. सी. की मांग की थी तो हमने उनको वहां पर भारत सरकार की एडवाईस से भेजा है। मैं समझता हूं कि मैंने जो उत्तर दिया है वह काफी होगा।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप इसी के बारे में बोलना चाहते है तो मैं आपको परमीशन नहीं दूंगा।

श्री रामकिशन : मैं तो एक ही बात निवेदन करना चाहता हूं कि लोहियाजी ने जय प्रकाशनारायण जी को एक पत्र लिखा था उसमें यह कहा कि आपमें देश के तख्त को हिलाने की ताकत है पर आप यह ध्यान रखना कि आप उसमें मत हिल जाना।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय मुख्य मन्त्रीजी ने जो स्टेटमेन्ट दिया है उसमें मुझे एक तुलसीदासजी का दोहा याद आ गया है उसमें उन्होंने कहा है कि 'फूले फले न बेत चाहे जलद बरसे सुधा', बस इतना ही कहूंगा आगे नहीं बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री लक्ष्मण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं। सिर्फ पांच मिनट निवेदन करना चाहता हूं। मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। अगर आप मुझे मौका दें तो आपकी मेहरबानी होगी।

श्री उपाध्यक्ष : आप अगर इसी सन्दर्भ में बोलना चाहते हैं तो मैं माफी चाहता हूं।

श्री लक्ष्मण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो सिर्फ पांच मिनट ही निवेदन करना चाहूंगा।

श्री खेतसिंह : आप डेमोक्रेटिक परम्पराओं के विपरीत बोल रहे हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय····

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य शोर गुल)

अशासकीय विधेयक

राजस्थान पशु एवं पक्षी बलि (निषेध) विधेयक 1973

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर प्लीज। विधायी कार्य। श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पशु एवं पक्षी बलि (निषेध) विधेयक, 1973 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आप जो विधेयक को विचारार्थ लेने का प्रस्ताव करते हैं उसमें आप थोड़ा संशोधन कर लें। आप उसमें यह कहिये कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयक जो राजस्थान पशु एवं पक्षी बलि (निषेध) विधेयक, 1973 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री भीमसेन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान पशु एवं पक्षी बलि (निषेध) विधेयक, 1973 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि राजस्थान पशु एवं पक्षी बलि (निषेध) विधेयक, 1973 को विचारार्थ लिया जाय?

श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोलूंगा। मेरा राइट है मैंने इस पर नोट आफ डिसेन्ट दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे इसका मालूम नहीं था कि आपका नोट आफ डिसेन्ट था। आप बोल लें।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस विधेयक का संबंध है यह विधेयक मानवता का विधेयक है और इसका मकसद बहुत पवित्र है। और हम सभी यह जानते हैं कि तीर्थ स्थानों पर इस तरह के बलिदानों को अपवित्र माना गया है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक बलिदान का प्रश्न है इस परम्परा पर हमारे देश में कई प्राचीनतम ग्रन्थ लिखे हुए हैं। इनमें से कई ग्रन्थ तन्त्र शास्त्र से संबंधित हैं। इस तन्त्र शास्त्र पर कई लोग सदियों से विश्वास करते आ रहे हैं

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

जो भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं। यह लोग हमेशा से ही इसमें अन्ध विश्वास करते बराबर आ रहे हैं। ऐसे लोग अपने देवी देवताओं के पशुओं का बलिदान चढ़ाते हैं। और उसे अपना कर्तव्य भी समझते रहे हैं। इसमें जो लोग माताजी के अथवा भैरव के भक्त होते हैं

(4·18 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

वह लोग बलिदान करते हैं। यह बलिदान उसी तन्त्र विद्या से जुड़ा हुआ है। और मैं समझता हूं कि उससे जुड़ा हुआ भी रहेगा। इसके साथ साथ में राजा महाराजाओं के जमाने में इस तन्त्र विद्या की विशेष उपलब्धि रही थी। जागीरदारों और सामन्तों तथा राजाओं के युग की यह प्रथा रही है। उनकी मान्यता के अनुसार बलिदान होना आवश्यक था। इस बलिदान के प्रश्न के साथ साथ यह भी बात जुड़ी हुई थी कि सामन्त और राजा महाराजा लोग अपने सामन्तों की शक्ति का भी परीक्षण इन बलिदानों के अवसर पर लिया करते थे। पर शनैः शनैः बलिदान प्रथा का अन्त जिस तरह राजा महाराजाओं और सामन्ती प्रथा का अन्त हुआ है उसी तरह शनैः शनैः बलिदान प्रथा का अन्त भी होता जा रहा है। अब जिस संख्या में राजस्थान में पहले राजशाही के युग में बलिदान किया जाता था उस मात्रा में अब बलिदान नहीं होता है। यह सीमित हो गया है। यह कम और सीमित होकर धार्मिक स्थानों में ही रह गया है। उदाहरण मैं नहीं देना चाहता क्योंकि बड़ा नाजुक प्रश्न है। कई लोगों की मान्यताओं का प्रश्न है। धार्मिक मान्यताओं का, परम्पराओं का प्रश्न है। इसलिए राजस्थान में कुछ थोड़े ही स्थल रह गए हैं जहां पर भक्त लोग, साधक लोग, मान्यता रखने वाले लोग वहां जा करके इस पशु का बलिदान कर समझते हैं कि हमने अपने परिवार की सुख-समृद्धि के लिए यह बलिदान किया है। यह एक सामाजिक कुरीति है। सभापति महोदय, सामाजिक कुरीति को हमारे राष्ट्र में कानून के द्वारा नियंत्रण करने का एक ढर्रा सा एक परम्परा सी बनती जा रही है। सामाजिक कुरीति समाज के द्वारा ही नियंत्रित होना चाहिए। ऐसी कुरीतियों को बन्द करने के लिए जनजागरण होना चाहिए। कुरीतियों को हटाने के लिए हजारों कार्यकर्ताओं के समूह द्वारा घर घर और गांव गांव फिर करके समझाये इससे हृदय परिवर्तन करने की आवश्यकता हुआ करती है। महात्मा गांधी के जमाने की स्मृति मैं नहीं दिलाना चाहता हूं जब सामाजिक परिवर्तन और राजनैतिक परिवर्तन के लिए लाखों कार्यकर्ता खपा करते थे। राजनैतिक परिवर्तन के साथ साथ समाज को विशुद्ध करने के स्तर पर कई कार्यकर्ताओं ने अपने को खपाया है। इस सेवा के लिए कई संस्थायें थीं। आर्य समाज और ब्राह्मन समाज उनमें से एक है। बंगाल में ऐसी कुप्रथायें, ऐसा अन्धविश्वास था उनको मिटाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता खड़े हुआ करते थे। लेकिन अब हमने एक तरीका और अख्तियार कर लिया है जिसमें परिश्रम नहीं होता जिसमें शक्ति नहीं लगानी पड़ती जिसमें निष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। वह तरीका है कानून के द्वारा सामाजिक कुरीतियों को बन्द कराना। सभापति महोदय, मैं इस विधेयक

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

का विरोध इस रूप में करना चाहता हूं कि विधेयक के द्वारा सामाजिक कुरीतियों को मिटाने की प्रवृत्ति राष्ट्र के हित में नहीं है और अगर मैं आपकी स्मृति और सजग करूं इस प्रश्न पर तो मैं पूछना चाहता हूं कि यह अतिथि नियंत्रण कानून बना लेकिन इसके लिए बने इस कानून का मखौल हुआ। मैं चाईल्ड मैरिज एक्ट के संबंध में निवेदन करूं, बाल विवाह— बाल विवाह का कानून कब से बना और उस कानून के अन्तर्गत समाज में यह सामाजिक कुरीति का अन्त हुआ या नहीं। बाल विवाह ऐसे ही होते रहे हैं जैसे पहले हुआ करते थे। यह कुरीति बन्द नहीं हो सकी। इसलिए बन्द नहीं हो सकी क्योंकि जनमत उसके पीछे नहीं था, जन आन्दोलन नहीं था। जनता, कार्यकर्त्ता इसको मिटाने के लिए खड़े नहीं हुए थे। इसी के साथ यह मौसर प्रथा जिसको हमने कानून के जरिये दबाना चाहा और यह समझ करके दबाना चाहा कि इसको करने वाले किसान गरीब हैं, सामान्य जन गरीब हैं, यह कुप्रथा है, प्रेतात्माओं को संतुष्ट करने का एक तरीका अन्ध विश्वास है। इसका कानून भी हमने निकाला लेकिन उस कानून का असर क्या हुआ यह राजस्थान की जनता जानती है! जैसे मौसर पहले हुआ करते थे कुछ अंशों में कम हो रहे हैं लेकिन चालू तो हैं। ऐसी स्थिति में सामाजिक कुरीतियों को हटाने का माध्यम कानून नहीं हो सकता है। यह व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के विरुद्ध है। यह धार्मिक स्वतन्त्रता के विरुद्ध है। इस बात को मैं मानता हूं कि स्थान छोटा या बड़ा हो लेकिन है पवित्र, जिनमें आस्थायें हैं सभी समाज के सभी वर्गों का विश्वास है उन पवित्र स्थानों को किसी ढंग से किसी अंध विश्वास से अपवित्र करने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। उस संदर्भ में सभापति महोदय, पवित्र स्थान पवित्र ही रहना चाहिए, बलिदान के द्वारा या और अंध विश्वास के द्वारा उसे अपवित्र नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन यह प्रवृत्ति और यह वृत्ति कानून के माध्यम से न बदला जाय। मैं तो यह कहूंगा सदस्यों को आपके माध्यम से सभापति महोदय, कि इस विधेयक को लाने के साथ उन्हें संकल्प लेना चाहिए कि जो भी कुरीतियां हैं, कुप्रथायें हैं वह चाहे छोटी हो या बड़ी, जो हैं वह अपने अपने इलाके में से उनको खत्म करने के लिए गांव 2 और घर घर जाकर समाज के हृदय का वे परवर्तन करें। माननीय सभापति महोदय, भीलवाड़ा के पास माताजी का एक मंदिर है वहां पर ऐसी कुप्रथा थी। बलिदान किए जाते थे और मुख्यतः बकरे का बलिदान किया जाता था। लिहाजा वहां के कार्यकर्त्ताओं ने एक संकल्प लिया, वहां के प्रधान ने एक संकल्प लिया और एक अर्से तक बराबर इस संकल्प के लिए प्रयत्न किया। बलिदान करने वाले को उस स्थान पर बलिदान करने से रोकने के लिए उनका हृदय परिवर्तन किया जाता रहा। मुझे इस बात की खुशी है उदाहरण के तौर पर कहने में कि उस क्षेत्र के लोगों ने एक संकल्प लिया और मान्यताओं में बराबर हृदय परिवर्तन हुआ और वहां पर सहज ही में बलिदान प्रथा, यह कुरीति बन्द हुई और आज माताजी के स्थान पर बोर्ड लगा हुआ है जिसमें उल्लेखित है कि जनता के सहयोग से, जनता के संकल्प से बलिदान करना यहां मना है। उसके पीछे जनता की पृष्ठ भूमि है, जनता का सम्बल है, जनता की

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

शक्ति है। इसलिए मैं चाहता हूं कि कहीं इस विधेयक पर राजस्थान में अन्य प्रतिक्रिया न पैदा हो, इसका मुझे भय है। मैं इस विषय की पृष्ठभूमि को यहां नहीं रखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि पवित्र स्थानों पर जिनकी मान्यतायें हैं, जिनके प्रति निष्ठा हर वर्ग की है, वहां बलिदान नहीं होना चाहिए। जो वर्ग अंधविश्वास नहीं रखता है और जो पवित्र स्थानों को पवित्र देखना चाहता है, ऐसे लोग बहुमत में हैं और जो बलिदान की कुप्रथा और अंधविश्वास में है जो इस पर डटे रहना चाहते हैं उनकी संख्या कम है। लेकिन कम संख्या वाले बहुमत को प्रभावित न करें इसका मुझे भय है। यह अंधविश्वास यह जड़ता का एक चिन्ह है और अंधविश्वास के आधार पर अल्पमत वाले जो विश्वास इसमें करते हैं कहीं आन्दोलन के माध्यम से इन पर ऐसा विश्वास जमाने की कोशिश न करें कि इस अंधविश्वास की, बलिदान की प्रथा को रोकने से समाज का अनिष्ट हो जाएगा। हमारे समाज से अभी कुरीतियां नहीं हटी हैं। अभी तक हम चेचक के रोग को माता मानकर चलते हैं और उसकी मनौती करते हैं। बीमारी को देवी प्रकोप मानते हैं। ऐसी स्थिति में यह विधेयक कहीं विकृतियां पैदा न कर दे समाज के मानस में, उसका ही मुझे भय है। लेकिन यदि माननीय सदस्यों को विश्वास हो कि नहीं यह विधेयक ऐसी विकृतियां पैदा नहीं कर सकेगा तो इसके समर्थन में मुझको आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं यह जानता हूं कि ऐसा विश्वास नहीं हो रहा है। आखिर विश्वास दिलाना चाहिए माननीय सदस्यों को जो इसके पक्ष में बोलना चाहते हैं, इस बलिदान को बन्द कराना चाहते हैं। जो विधेयक विरोध करने वाले हैं, या समर्थन करने वाले हैं वे संकल्प करें कि वे पूर्ण अहिंसात्मक वृत्ति से जनता के हृदय को परिवर्तन करने की चेष्टा करेंगे। संकल्प लें कि निष्ठा के साथ स्वेच्छा से उनके दिलों को बदलेंगे। इस संकल्प के साथ इस विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, तो इस मान्यता के साथ, इस निष्ठा के साथ कि माननीय विधायक इस कानून पर चिंतन करेंगे तो यह जनता के हित में होगा। यह समझ करके इस विधेयक को पारित किया जाय व निष्ठा और सेवा भावना से जनता को समझायेंगे, जनता के मन को बदलेंगे, हृदय परिवर्तन करेंगे और इस विधेयक का सहारा ज्यादा नहीं लेंगे तो मैं इस मान्यता का हूं कि इस विधेयक को पारित करने में कोई मेरी ओर से आपत्ति नहीं है। असहमति नहीं है। लेकिन मैंने अपना भय इस सदन को बतलाया है और मैं चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य इस विधेयक पर बोलें, वह जैसा अंधविश्वास को बन्द करने का यह विधेयक है वैसे ही अपनी मान्यतायें, रीति नीति में सहजता रखें।

हम इस विधेयक के माध्यम से बलिदान बन्द करेंगे। इसके बाद यदि हमारे मन में अहंकार आये और इस अहंकार ने विकृति पैदा की तो कहीं राजस्थान में विकृति न पैदा हो जाय। इसलिए नम्र सेवक के रूप में माननीय सदस्य इस पर गम्भीरता से सोचें और विधेयक के पहले संकल्प को दोहराते हुए। कानून बाद में और संकल्प पहले, हृदय परिवर्तन पहले, लोगों को समझाना और सही रास्ते पर लाना, अन्धविश्वासों का भंडाफोड़ करना यह निष्ठा और सेवा

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

पहले जागृत हो माननीय सदस्यों में; तो जनहित में श्रेयस्कर होगा। इस विधेयक के प्रति मेरा कोई विरोध नहीं है, बल्कि मेरा समर्थन है। कई साधु-सन्त चाहते हैं कि बलिदान बन्द होना चाहिए। लेकिन यह केवल जीव हिंसा का प्रश्न नहीं है। यह मंदिर और उस स्थल की पवित्रता का सवाल है। हजारों बकरे और भैंसे प्रतिदिन खुराक के लिए कटते हैं उससे सम्बन्ध नहीं हैं, किन्तु स्थान की पवित्रता से सम्बन्ध है और यह संकल्प सारे राजस्थान का एक संकल्प हो सकता है। उस स्थिति में, मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस कानून को पारित करने के बाद जनता के सामने माननीय सदस्य जायं। यदि उग्रता दिखाई जाती है तो निश्चित ही इसकी प्रतिक्रिया होगी और यदि एक शालीनता के साथ, प्रेम भाव से और निष्ठा और एक सेवा भावना के साथ इस विधेयक को एक सहारा मानकर, एक सम्बल मानकर, पवित्र स्थान को पवित्र रखने का संकल्प मानकर विधेयक पारित करेंगे, तो विश्वास है आपकी सेवा-भावनाओं से प्रतिक्रिया उत्पन्न न हो सकेगी। सारा राजस्थान देखेगा कि इस विधेयक का सहारा लेकर सदन ने एक संकल्प लिया है कुरीतियों को बंद करने का संकल्प लेकर यह चाहा गया है कि कुरीतियों को बन्द किया जाय; इसके पीछे सेवा भावना है, हृदय परिवर्तन की भावना है, एक निष्ठा है और यदि उसी निष्ठा से इसको पारित किया गया तो मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं है। मेरा कोई विरोध नहीं है। यदि विधेयक पारित किया जाय।

श्री **मनोहर कोठारी** : सभापति महोदय, 28 मिनिट रह गये हैं और समय इस दृष्टि से दिया जाय कि जिससे माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर सकें।

श्री **माणकचन्द सोगानी** : दो दो मिनिट ही दे दीजिये।

श्री **सभापति** : संक्षेप में ही कह दें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव

(जनमत जानने हेतु विधेयक परिचालित करने का प्रस्ताव : प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान पशु एवं पक्षी बलि (निषेध) विधेयक 1978 को एक माह/एक सप्ताह/एक माह/एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।)

श्री **गिरधारीलाल भार्गव** (हवा महल, जयपुर) : माननीय सभापति जी, मैं बिल का कोई विरोध करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। मुझे मालूम है, आंध्र प्रदेश में, केरल में, गुजरात में, इन तीन स्टेट्स में ऐसा बिल पारित हो चुका है और इस अवसर पर जब कि हम भगवान महावीर का 2500 वां निर्माण वर्ष मना रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां भी यह बिल पास होना चाहिए। पर यहां पर मेरा निवेदन करना यह है कि प्रवर समिति जो हमारे धार्मिक गुरु हैं, जैसे जगद्गुरु शंकराचार्यजी और भी साधु संत लोग हैं, उनसे सलाह मश्विरा करती और इसके साथ साथ मंदिर पुजारी हैं उनको भी प्रवर समिति साक्षात करने का मौका देती तो मैं समझता हूं कि भाई आचार्यजी ने जो बात कही है

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

कि कानून बना लेने के बाद लोगों के मन में धारणा पैदा हो जाय एक लगन पैदा जाय, निष्ठा पैदा हो जाय, वह चीज होती लेकिन इस कानून को पास करने से पहले प्रवर समिति में उन धार्मिक संतों और पुजारियों को भी साक्षात्कार का मौका नहीं दिया गया है। वैसे आप देख रहे हैं देश के अन्दर गौमांस बिक रहा है। अशोक होटल दिल्ली में आजादी के बाद भी गो मांस लोग खायें यह कितनी अशोभनीय बात है। इस बिल का मकसद ही यह है कि मंदिर की भूमि और मंदिर में पशु बलि न हो। बाहर की दुनियां में जाय तो रोजाना गायें कट रही हैं, नित्यप्रति भैंसे पाडे कट रहे हैं, सरकार को उस ओर भी ध्यान देना चाहिये और उस वर्ष में जब कि भगवान महावीर का निर्वाण वर्ष मनाने जा रहे हैं और इस विधेयक को पारित करने जा रहे हैं, इस प्रकार की जो जीव हिन्सा हो रही है, हत्या हो रही है और मांसाहार भक्षण के रूप में हो रहा है, इसको और भी कठोरता के साथ रोकना चाहिये था। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मंदिरों की पवित्रता की बात कर रहे हैं। जयपुर शहर के मन्दिरों के रसोइये हैं, भगवान को प्रसाद बना कर चढ़ाते हैं, भगवान के मंदिर के बराबर के जो कमरे हैं राज्य सरकार ने कुछ लोगों को प्रसन्न करने के लिये उन्हे किराये पर दे रखा है। जहां हम मंदिर की पवित्रता की बात करने जा रहे हैं उन मंदिरों की पवित्रता इस तरह से भी समाप्त होने जा रही है। उस कमरे में कुटुम्ब रह रहे हैं, जहां मंदिर में 11 बजे बाद ताली बजाना भी मना हो, वहां पास में कमरे में लोगों के रहने से बच्चों का रुदन वगैरा होता रहता है और इस प्रकार उनकी पवित्रता नष्ट हो रही है। आज मन्दिरों के इन मकानों का दुरुपयोग हो रहा है, भंग, गांजा पीने वालों के अखाड़े हो गये हैं और इस प्रकार उनका दुरुपयोग हो रहा है और आने वालों, को बाहर से आने वालों को वहां ठहरने का स्थान भी नहीं मिलता।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मंदिरों की पवित्रता कायम रहनी चाहिये। हनुमानजी का मंदिर, उसको तोड़ दिया गया। एल. आई. सी. के द्वारा 400 वर्षों पहले का जो मंदिर बना हुआ था उसको तोड़ा जा रहा है, मैं समझता हूं, इस तरह से मंदिरों की पवित्रता समाप्त होती जा रही है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कई महान् पुरुष हुए हैं, भगवान महावीर आदि कई महापुरुष हुए हैं, महात्मा गांधी ने भी कई बातें कही हैं। जैसे बाल विवाह न होना, कुरीतियों और अन्ध विश्वासों को बन्द करना, पशु बलि नहीं होना लेकिन समाज में चेतनता नहीं आई। मैं समझता हूं कि कानून के आधार पर सारी बातें मनवा नहीं सकते। शारदा एक्ट के पास हो जाने के बाद भी आप देखते हैं कि कोतवाली के बाहर थाने के बाहर छोटे-छोटे बच्चे, दूध पीते हुए बच्चे शादी के लिये निकलते हैं और दूध पीती हुई बच्चियों से शादी करने जाते हैं। ये सारी बातें चल रही हैं। इसलिये मेरी मांग है कि मंदिरों की व्यवस्था की देख भाल के लिये राजस्थान सरकार एक स्वायत्त शासन बोर्ड का गठन कर दे, भंग गांजा पीने आदि के और अन्य प्रकार के जो कार्य वहां होते हैं वह न हों, मंदिरों की पवित्रता कायम रहे। इस बोर्ड का गठन

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

होना बहुत जरूरी है जिससे वह बोर्ड राज्य सरकार के मंदिरों की भली प्रकार से व्यवस्था करे और राज्य सरकार को सलाह दे सके। मैंने यह मांग की है कि इसको पास करने से पहले जनमत जानने के लिये प्रसारित करना चाहिये। लेकिन इन बदली हुई परिस्थितियों में और भगवान महावीर का 2500 वां निर्वाण वर्ष मना रहे हैं इस शुभावसर पर यदि राजस्थान सरकार इसको पारित कर दे तो निश्चित रूप से धन्यवाद की पात्र होगी। मैं आपको कहना चाहूंगा कि शिला देवी के मंदिर में मनुष्यों की बलि दी जाती थी। लेकिन मानसिंहजी को कहा गया स्वप्न में कि मनुष्यों की बलि मत लो और तब से पशुओं की बलि ली जा रही है। महात्माओं के उपदेश का सुफल है। मेरा निवेदन है कि जगद्गुरु शंकराचार्यजी आदि हैं उनको भी कान्फीडेन्स में लेना चाहिए, पुजारियों को भी बुलाना चाहिये। इसलिये यह बिल जनमानस में जायगा तो निश्चित रूप से महावीर स्वामी के निर्वाण वर्ष में इस बिल को पारित करना सार्थक होगा। वरना कहीं ऐसा न हो कि जिस प्रकार दूसरे बिल पास हुए हैं और उनका दुरुपयोग हुआ है इसकी भी यही हालत हो तो इससे भयंकर नुकसान होगा। अतः जन-भावना में इसको प्रसारित करने के लिये प्रयत्न करना चाहिये।

श्री सभापति : श्री शंकरलाल, पाली।

श्री शंकरलाल (पाली) : सभापति महोदय, इस बिल को जनमत जानने हेतु प्रसारित करने के लिये मैंने प्रस्ताव रखा है। जैसा पूर्व वक्ताओं ने माननीय आचार्य-जी ने और माननीय भार्गव साहब ने बताया समाज के अन्दर जो कुरीतियां हैं और जो इस प्रकार की बातें हैं वे हृदय परिवर्तन से हो सकती हैं लेकिन मैं अपनी धारणा अलग रखता हूं। हृदय परिवर्तन और सामाजिक कुरीतियां जन मानस के लिये और उसके द्वारा उपयुक्त हैं ही लेकिन उसके लिये जनता की जो चुनी हुई सरकार है और जिसमें हम बैठते हैं जनता के नुमाइन्दे और अगर हम सारी परिस्थितियों को देखकर जनता की जो मांग है, आज की उसके अनुसार कोई कानून पारित करें तो मैं समझता हूं कोई आपत्ति नहीं है। जैसा हमने पहले कानून भी पास किये हैं। यह ठीक है कि जो सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिये कानून पास किया उसमें हमें पूर्ण सफलता नहीं मिली लेकिन कुछ उद्देश्यों में हम आगे बढ़े हैं और आज जब भगवान महावीर को ढाई हजारवां वर्ष मना रहे हैं इस प्रकार का एक बिल हमारे सामने आता है और हमें इस बात का भी पता है कि यह बिल मैसूर, मद्रास, गुजरात, केरल, आन्ध्र प्रदेश में पास किया जा चुका है तो राज-स्थान क्यों नहीं करें? मैंने जनमत जानने हेतु तो इसलिये रखा है केवल जो ईश्वर के पूजा करने के स्थल हैं वहां पर पशु बलि नहीं होनी चाहिये लेकिन दूसरी जगह क्यों हों? आज जब हम कांग्रेस के सिद्धान्तों के अनुसार भी देखें तो महात्मा गांधी की बात को दोहरा सकते हैं जो उन्होंने 21-11-24 को कही थी.......

"The sacrifice of animals and birds in the name of religion is remnant of barbarianism." इसी प्रकार महात्मा गांधी ने आगे सन् 1937 में, जब वे देव गांव जा रहे थे तो वहां के हरिजनों ने एक मन्दिर के

(श्री शंकरलाल)

उद्घाटन के लिये आग्रह किया और उन्होंने उद्घाटन करना स्वीकार किया लेकिन जब मालूम पड़ा मन्दिर में पशु-पक्षी बलि होने का है तो इन्कार कर दिया और कहा मैं उस मन्दिर का उद्घाटन नहीं कर सकता हूं जिसमें भोले-भाले निरपराध जानवरों की बलि होती है तो वे हिंसा के घोर विरोधी थे और कट्टर थे ।

आज इस बात की आवश्यकता है कि पूजा के स्थल हैं वहां पर भगवान के नाम पर, चाहे देवी के नाम पर हम पशु-पक्षी बलि चढ़ाने जायं तो यह उस युग की देन थी जिसमें विज्ञान नहीं था, जब हम वैज्ञानिक युग में प्रवेश नहीं करते थे और जब मनुष्य इतना विकसित नहीं था, खाने पीने के साधन नहीं थे, अन्न नहीं था और लोग अपने आराध्य देव को पशुओं की बलि चढ़ाते थे । लेकिन सैकड़ों वर्षों के बाद उस समय के धर्म में और आज के धर्म में परिवर्तन आता हैं । आज हम कह सकते हैं जब इस वैज्ञानिक युग में रह रहे हैं जहां पर सब तरह का विकास कर सकते हैं, जहां दूसरे अनाज की और खाने पीने के लिए भगवान को चढ़ाने के लिए दूसरे व्यंजन मौजूद हैं तो एक पशु को, जो बोल नहीं सकता या किसी पक्षी की बलि चढ़ाये किसी आराध्य देव के नाम पर तो इससे बढ़कर घोर अपराध की और क्या बात हो सकती है ?

सभापति महोदय, मैं यह चाहता हूं इस बिल को जल्दी से जल्दी पारित किया जाय और हम इस राजस्थान में दूसरे प्रान्तों की तरह उदाहरण पेश करें कि राजस्थान के लोग भी यह चाहते हैं कि हमारे राज्य में पशु की बलि, पक्षी की बलि देवताओं के नाम पर, देवताओं के स्थल पर भरी सभा में न हो और इसके आगे दूसरी सब जगह पशु बलि बन्द करना चाहते हैं तो जनमत जानने के लिए कह सकता हूं क्योंकि मैं तो यह कह सकता हूं कि केवल मंदिरों के स्थल पर ही बलि बन्द नहीं हो बल्कि हर जगह । क्योंकि ईश्वर का रूप हर जगह निवास करता है, किसी भी जगह पशु बलि का मैं समर्थन नहीं करता हूं और जोरदार शब्दों में माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इसे पारित करें ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री सभापति : जिन माननीय सदस्यों के जनमत जानने के प्रस्ताव आये हैं उनको मौका दिया जायेगा ।

श्री मनोहरलाल ।

श्री मनोहरलाल (कामां) : माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रभारी मंत्री महोदय ने सदन में जो राजस्थान पशु एवं पक्षी बलि (निषेध) विधेयक प्रस्तुत किया है उसके लिए धन्यवाद देता हूं कि कम से कम भगवान महावीर की इस शिक्षा को तो ध्यान में रखा । जहां तक माल बटोरने का सवाल है भगवान महावीर उसके कट्टर विरोधी थे लेकिन उस बात को मंत्री महोदय ने गले नहीं उतारा । हिंसा को गले उतारा है यह भी किसी हद तक ठीक है ।

सभापति महोदय, मैं माननीय आचार्य साहब की इस बात से जो बहुमूल्य बात कही है कि हृदय परिवर्तन का सवाल है कानून का कम सवाल है । धर्म के नाम पर कितने

(श्री मनोहरलाल)

पाखण्ड हो रहे हैं, मूर्तियों के नाम पर कितने पाखण्ड हो रहे हैं. मन्दिरों के नाम पर झगड़े और प्रगति में बाधा डालने वाले धर्माचार्य कितनी गड़बड़ी के काम करते हैं, मस्जिदों में दंगे होते हैं, मस्जिदों की सम्पत्ति पर दंगे होते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं यह विधेयक अपने आप में अपर्याप्त है। मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक को दूसरे रूप में लायें इसमें बहुत खामियां हैं, इसमें यह कहा गया है·······मन्दिर·······मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय राजस्थान में नाथद्वारा और कामां बहुत बड़े तीर्थ स्थान हैं और कानून इन पर लागू करना चाहिये। मैं कामां के बारे में अधिक जानता हूं, कामां बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। 84 योनियों में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते बताये जाते हैं वहां पर चरण पहाड़ी है······

(4.45 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

कदम खाडी है। इसलिये मन्दिर शब्द कहने के स्थान पर तीर्थ स्थान कहना चाहिये। कम से कम तीर्थ स्थान नाथद्वारा पूर्णरूप से मुक्त कर देना चाहिये था उसमें बलि नहीं होनी चाहिये, इसी प्रकार कामां तीर्थ स्थान है और वहां पर बलि नहीं होनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, पाखण्ड का खण्डन होना चाहिये, मूर्तियों के नाम पर पाखण्ड, मन्दिरों के नाम पाखण्ड ये सारे पाखण्ड तीर्थ स्थानों पर चलते हैं। पन्डे पुजारी मन्दिरों में झगड़े करवाते हैं, हिन्दुस्तान को बरबाद कर रखा है।

(व्यवधान होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मनोहरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूंगा इस विधेयक में एक कमी और रखी गई है। इसमें पशु और पक्षी को शामिल किया गया है, जीव को नहीं किया गया है। आपने भेड़िया, कुत्ता और गीदड़ को बचाया है। जो पक्षी है उसमें मछली नहीं आती है। लेकिन मछली जीव है, मछली का काटना आपने कह दिया, मछली तो खाई जा सकती है उसी प्रकार जैसे नेवला जानवर है उसको काटा जा सकता है तो सब चीजें बन्द होनी चाहिये थी। मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। मन्दिरों में देवताओं के नाम पर मुर्गा नहीं काट सकते हैं लेकिन नेताओं को रिझाने के कारण मुर्गा काटा जा सकता है। केवल देवता के लिए नहीं काटा जा सकता है तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसको अपर्याप्त मानता हूं और इसके बजाय पाखण्ड का खण्डन करने के लिए मन्दिरों में जो ठगी होती है, धर्माचार्य किस प्रकार की ठगी करते हैं? मैं यह नहीं कहता सबको नास्तिक बना दीजिये नास्तिक और आस्तिक अलग विषय हैं। लेकिन ठगी और लुटेरे अब इस देश में नहीं होने चाहिये। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं धर्माचार्य और प्रगतिशील लोगों की राय जानने और जनमत जानने हेतु प्रसारित कर दिया जाय, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पशु एवं पक्षी बलि (निषेध) विधेयक प्रवर समिति का मार्ग प्रशस्त करते हुये सदन में प्रस्तुत है। जो

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

तीव्र भावना माननीय सदस्यों की है उससे मुझे ऐतराज नहीं है। मन्दिर के आंगण में पशु की वलि हो, यही बात नहीं है लेकिन में कुछ अर्ज जरूर करना चाहूंगा। बड़ी भयंकर भ्रान्ति इस अज्ञानता के गहन अन्धकार में होती रही है और जब कभी किसी ने प्रकाश की बात की है उसे कुर्बानी देनी पड़ी है। गैलिलियो ने यह कहा था यह धरती गोल है तो एक समय था उसको फांसी पर लटका दिया गया था, न्यूटन ने जो भौतिक शास्त्र का विद्वान् था भूगोल का जिसने काफी अध्ययन किया था उसने जब ला आफ ग्रेविटेशन के सिद्वान्त की खोज की तो लोग उसके सिद्धान्त को मानने से इन्कार हो गये जो आज सारे एक्शन्स का मूल बेसिस है। उपाध्यक्ष महोदय, अनादि काल से मनुष्य सीखता चला आया है। दो प्रकार के सिद्धान्त रहे हैं एक कहता है कि यह धरती किसी चमत्कार के कारण पैदा हुई है और दूसरा कहता है कि यह धरती एक वैज्ञानिक उपलब्धि है। वैज्ञानिक के कारण इस धरती का जन्म हुआ और विकास हुआ है और उपाध्यक्ष महोदय, जो इस बात को स्वीकार नहीं करते कि यह वैज्ञानिक क्रम के अन्दर इस धरती का विकास हुआ है आज भी अनेक रूढ़ियों से ग्रस्त हैं और उनको तोड़ने के लिए नयी वैज्ञानिक समझ पैदा करके समय समय पर अनेकों महापुरुषों ने आघात किये हैं जिसके कटु से कटु परिणाम भुगतने पड़े हैं। विधवा विवाह समाज में पाप है, समुद्र यात्रा भी पाप था और बहुत सी चीजें पाप थीं लेकिन स्वामी दयानन्द सरस्वती ने जब यह बात कही तो उनको विष पिला दिया गया। एक समय में नरवलि बहुत बड़ा पुण्य था। पिण्डारी सारी लूट काली माता के मन्दिर में पूजा करने के बाद करते थे। आज भी चम्बल के डाकू और बड़े-बड़े भयंकर लोग और खूंखवार लोग अपना इष्ट मान कर आज भी काली माता के मन्दिर से पूजा कर भयंकर से भयंकर कृत्य इस समाज के अंदर करते हैं और हमने उनके विरुद्ध बिल पास किया है, कानून पास किया है। सती प्रथा पहले पाप नहीं था और नीम का थाना में आज भी सती का मन्दिर बना हुआ है। इसी सत्र में अनेक सतियां होने की चर्चायें हुई हैं। कानून मौजूद है सती प्रथा को रोकने के लिए लेकिन इसके बावजूद भी आज इस समाज के अन्दर सतियां हुई हैं। इसके अतिरिक्त बाल विवाह अपराध है, दण्डनीय है। इसके लिए शारदा एक्ट मौजूद है लेकिन क्या बाल विवाह रुक गये? बाल विवाह अपराध है समाज में लेकिन हम कानून से बाइगामी को नहीं रोक सके। एक युग से कहा गया था कि हरिजन और शुद्रों के लिए वेद वाक्य सुनना पाप और जो हरिजन वेद वाक्य सुनता था उसके कान में खोलता हुआ शीशा डाल दिया जाता था। महात्मा गांधी ने अपना जीवन त्याग दिया अछूतों के निवारण के लिए और इन सारी चीजों के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी आज हजारों और लाखों ऐसे गांव हैं इस देश के अन्दर कि जहां हरिजनों को जीवित जला दिया जाता है, जहां आज भी वह मंदिर के अन्दर प्रवेश नहीं कर सकते। आज मंदिरों के अन्दर उनके लिए प्रवेश वर्जित है। आज भी साधु संतों और महन्तों के नाम पर इस अज्ञान की मोरी के द्वारा इस भारतवर्ष के अन्दर विदेशी एजेन्सियां

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

जगह जगह प्रवेश कर रही हैं। आपने सुना होगा 'हरे रामा, हरे कृष्णा।' हिप्पियों का और गांजा और चरस खूब पीयेंगे और हरे रामा हरे कृष्णा के नाम पर सारे का सारा आनन्दमार्गी का समुदाय जिनके धर्म गुरू के ऊपर बड़े ही विकृत किस्म का मुकदमा चल रहा है और आज जब कि बिहार आन्दोलन की बात की जा रही थी तो शायद आनन्दमार्गियों ने किस तरह से देशद्रोही कृत्य किया है और किस तरह से धर्म के नाम पर साम्राज्यवाद की बुनियाद रखी। किस किस को बिल के द्वारा रोकियेगा ? क्या हरे रामा हरे कृष्णा को बिल के द्वारा रोकियेगा ? नेपाल का सारा गांजा और चरस देश की इस धरती पर आता है। आज चीन देश कहता है कि चीन देश के अन्दर अफीम का प्रयोग अपराध है लेकिन चीन की अफीम विश्व में जाती है। उनकी थ्योरी है कि साम्राज्यवादी देशों को अफीम खिलाओ और वहां के नौजवानों के अन्दर सारा पौरुष खतम कर दो। क्या पाखण्ड नहीं होता है धर्म के नाम पर ? क्या पुनर्जन्म के नाम पर? इसलिए सिखा दिया था कि तुम विद्रोह मत करो क्योंकि तुमने पुराने जन्म में पाप किया था। क्या शांति का उपदेश उसको नहीं दिया जाता है ? क्या समाज में सबसे बड़ा शोषण पुनर्जन्म के नाम पर नहीं होता है ? क्या राजा और महाराजाओं ने अपनी प्रशस्ति में पण्डितों से ग्रन्थ नहीं लिखवाये ? क्या राजा महाराजाओं की प्रशंसा में 21 हजार छन्द लिखने वाले महाकवि यहां मौजूद नहीं हैं ?

आवश्यकता इस प्रकार के बिलों की नहीं है उपाध्यक्ष महोदय। आवश्यकता है जागृति की, आवश्यकता है ज्ञान की, आवश्यकता है वैज्ञानिक अध्ययन को, आवश्यकता है अज्ञान के अन्धकार को दूर करने की, आवश्यकता है ज्ञान से सतत संघर्ष करने की और सबसे बड़ी आवश्यकता है इस समाज के अन्दर जो शोषक और शोषित दो वर्ग हैं इसमें से शोषक वर्ग को समाप्त करने की। बुनियादी तौर से शोषण को समाप्त करने की आवश्यकता है और तब इस प्रकार से सारी की सारी भावनायें जो एक दूसरे को ठेस पहुंचाने की हैं अपने आप समाप्त होती चली जायेंगी। यह उसका बाई-प्राडक्ट है। अगर आप केवल यह चाहें कि मन्दिर के प्रांगण के अन्दर आप नरबलि रोकें इससे आप समाज के अन्दर कोई बहुत बड़ा सुधार कर देंगे और कुछ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से रोके देंगे तो ऐसा तो होने वाला है नहीं।

हमने मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। हमारी एक राष्ट्रीय ध्वजा है, हमने उसको राष्ट्रीय पक्षी कह कर सम्मान दिया। यह राष्ट्रीय सम्मान है। इस सदन के अन्दर मैंने 6 बार इस प्रश्न को दोहराया......

श्री फूलचन्द जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाये।

कुछ माननीय सदस्य : नो, नो।

श्री उपाध्यक्ष : कुछ नो की आवाजें आ रही हैं इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो माननीय सदस्य सदन का समय बढ़ाने के पक्ष में हों वह अपने अपने स्थान पर खड़े हो जायें।

(कुछ माननीय सदस्य अपने स्थानों पर खड़े हुए)

अब जो माननीय सदस्य सदन का समय नहीं बढ़ाने के पक्ष में हैं वह अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जायें।

(कुछ माननीय सदस्य अपने स्थानों पर खड़े हुए)

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पथ प्रदर्शक रहे हैं महापुरुष जिन्होंने वैज्ञानिक ज्ञान को ग्रहण किया है जिन्होंने कि समाज के अन्दर उस प्रकाश को दिया है और उसके लिए उन्होंने अटूट संघर्ष किया है। उस लोकायुत के युग में जबकि वेदों का और शास्त्रों का प्रचण्ड मत था, बोलबाला था और उस समय लोकायत ने बड़ी दिलेरी से यह बात कही ...

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काफी सदस्य सदन से बाहर थे ऐसे सभी सदस्यों को बुला लिया जाये और फिर समय बढ़ाने की बात की जाये।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

That should have been raised then. Now it has already been decided.

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत : लेकिन बहुत से लोग बाहर थे।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। समय बढ़ा दिया गया है।

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत : समय तो 5 बजे के बाद ही बढ़ायेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उस समय उन्होंने तर्क को मुख्य माना, उस समय उन्होंने शक्ति को मुख्य माना, उस समय उन्होंने अन्ध विश्वास को मुख्य माना और उस समय उन्होंने डिवेकल एन्जिल की स्थापना की और उस घनघोर और कटु वातावरण में उस अन्धकारमय वातावरण में अन्धविश्वासी वातावरण में वे चलते चले गये। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, आप एक नहीं अनेक विधेयक लायें, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या इन जुर्मानों और सजाओं के प्रावधान से मंदिर के प्रांगण के अन्दर नर और पशु बलि को रोक सकेंगे, क्या आप एक हजार रुपया जुर्माना और तीन महीने की सजा से लोगों के मन को और वातावरण को स्वच्छ कर देंगे, क्या आप हजारों वर्षों से चली आ रही परम्परा को मिटा सकेंगे? क्या आप काली माता के मन्दिर को जो इतने लम्बे क्षेत्र में फैला हुआ है उसको बन्द कर देंगे? क्या दुर्गा माता के मन्दिर को बन्द कर सकेंगे और सदियों से चली आ रही पशु बलि और नर बलि को समाप्त कर सकेंगे? क्या आप उन सारे के सारे देवी के उपासकों को जो बलि में विश्वास करते हैं, या जो परम्परा वैदिक काल से चली आ रही है, बलि के बिना जहां यज्ञ सम्पूर्ण नहीं होते है, समाप्त कर देंगे? क्या गौतम बुद्ध इसको समाप्त कर सकें, क्या महावीर स्वामी इनको समाप्त कर पाये, क्या राममोहनराय और ब्रह्म समाज और आर्य समाज भी इसको समाप्त कर सकें? कर सके कुछ हद तक अपने सिद्धान्तों और आदर्शों के जरिये, नहीं कर सकते कानून लागू करके

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

उसमें आधा रखकर। कानूनों के जरिये मनुष्य के बहुत से सामाजिक कार्य खत्म हो रहे हैं परन्तु अन्धकार को दूर करने की शक्ति और एकजुटता समाप्त नहीं कर सके। यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। शिक्षा का प्रचार आर्य समाज ने भी किया, और उसने वह कार्य किया जो आपका शारदा एक्ट भी नहीं कर सका। आर्यसमाज ने लोगों के मानस को बदला, इसलिए आवश्यकता है अन्धकार को दूर करने की और अन्धविश्वास को दूर करने की और बहुत से विकार उत्पन्न हो गये हैं, उनको मिटाने की। बहुत से लोग शिकार का समर्थन करते हैं, पुनर्जन्म की थ्योरी में विश्वास करते हैं और गांवों और शहरों में बलि के नाम पर देश द्रोही तरीके अपनाते हैं। आनन्द मार्गी हो, आचार्य रजनीश, चाहे साईं बाबा, महेश योगी हो किसी भी सम्प्रदाय के लोग हों, शिकार की परम्परा

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

मैंने एक बार नहीं 6 बार इस प्रश्न को उठाया और 15 माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया और मांग की थी। फौजूवाला गांव में चार व्यक्तियों ने जिसमें इरीगेशन के बड़े अधिकारी रघुवीरसिंह; नगरपालिका सदस्य सरदार दरबारासिंह; डा० गुरमुखसिंह जो कि एम.डी. हैं; ठीक 26 जनवरी के दिन मुकात के मेले में उन्होंने मोर का शिकार खेला। मैंने सदन के अन्दर स्थगन प्रस्ताव भी रखा जो कि किसी कारण से रिजेक्ट हो गया। सदन के 15 माननीय सदस्यों ने भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा और प्रश्न भी रखा, लेकिन क्या गृह मन्त्रीजी ने उत्तर देना चाहा; क्या मुख्य मन्त्रीजी ने उत्तर देना चाहा? यहां तक कि वह विश्नोइयों का गांव है, लाखों लोग वहां एकत्रित होते हैं, वहां पर सभा की गई और यह प्रस्ताव रखा गया, वहां पर उसकी कटु निन्दा की गई। पुलिस ने मौके के गवाहियों को दबा दिया और 26 जनवरी को मोर जो कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी है उसका शिकार करने को प्रोत्साहित किया। राज्य सरकार ने और आपके प्रशासन ने क्या एक्शन लिया उस पर? मैं मन्त्रीजी पर इल्जाम लगाता हूं कि उन्होंने शिकार का पूरा मौका दिया उन लोगों को, देश का सिम्बल है राष्ट्रीय पक्षी का 26 जनवरी के दिन, मैंने उनको पूरा समय दिया कि वह अपने ढंग से जांच करलें, लेकिन इसको दबाया गया। क्या उन लोगों को दोष देंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे? हर प्रकार से इसको प्रेशराइज किया गया। हम अपने राष्ट्रीय पक्षी की भी रक्षा नहीं कर सकते, जिसमें 12 साल की सजा का प्रावधान है और आज पशु बलि को रोकना चाहते हैं, मन्दिरों के प्रांगण से। देश के प्रांगण में राष्ट्रीय पक्षी की भी सुरक्षा नहीं है। हम मन्दिरों को बन्द करवा देंगे, उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं हो सकता। पशु बलि और नर बलि नहीं होनी चाहिए, यहां पर मेरा आपको समर्थन है लेकिन यह अनुभव की बात है कि जैसे जैसे कानून बनते चले जायेंगे, हमारी आस्था, हमारा विवेक और हमारा संगठन और हमारे सिद्धान्तों से जो शक्तियां पैदा हुई है वह कम होती चली जायेंगी। रूल्स आफ ला— कानून की कड़ियों में जिस प्रकार होती चली जा रही है। जो भी इस सदन में कानून पास होते हैं, वे अमीरों के घरों तक पहुंचते हैं, बहुत ही कम कानून ऐसे होते हैं जो गरीबों की झोंपड़ियों तक पहुंच पाते हैं। इसलिए गरीबों की

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

झोंपड़ियों तक पहुंचाने के लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा, हमको लड़ना पड़ेगा। वरना अच्छे से अच्छे कानून के लिये भी इम्प्लीमेन्टेशन का एक पहलू होता है, उस कानून को लागू करने के लिये रक्तदान करना पड़ता है, कुर्बानी देनी होती है और बरबादी भी करनी पड़ती है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पशु एवं पक्षी बलि निषेध विधेयक जो श्री भीमसेन ने प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हुआ, मैं कुछ जो अपने विचार हैं, सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। मैं सभी वक्ताओं को सुन रहा था और श्री निरंजननाथजी आचार्य के विचारों को भी मैंने सुना। उनके विचारों से भी यह तो स्पष्ट है कि यह एक सामाजिक कुरीति है। यह स्पष्ट है कि यह एक अन्धविश्वास की चीज है। अब इस सामाजिक कुरीति को, इस अन्धविश्वास को हम किस प्रकार से मिटा सकते हैं। यह अवश्य है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी इसमें कार्य करना होगा और एक वातावरण बनाना होगा और जो भी सामाजिक क्रांति करना चाहते हैं, समाज का सुधार करना चाहते हैं उसमें सामाजिक जन जागरण करने का प्रश्न तो है ही और जनता के हृदय परिवर्तन करने का भी प्रश्न है परन्तु जब कानून बन जाता है तो उसके अन्दर एक सहायता मिलती है। कानून एक सहायक होता है और कानून के होने से कुछ डर भी पैदा होता है। अगर यह कानून पास हो जाता है तो जो इस पवित्र विचारधारा के हैं कि बलि पशु और पक्षियों की बलि करके देवी देवताओं को प्रसन्न करें और मन्दिरों में जाकर जिनकी व्यवस्था की जाती है तो जो पब्लिक, जो जनता और है उसके दिमागों पर भी बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो इसलिए इन धार्मिक स्थानों में यह पशु पक्षी की बलि न हो जो उस मंदिर में जो दूसरी मान्यता के लोग भी हैं और उनके दिलों को ठेस न पहुंचे, इसलिए कानून बनाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इसीलिये कानून की आवश्यकता है और इस कानून के बनने से इस समाज सुधार की प्रक्रिया में हमें सहयोग मिलेगा। इसलिए मैं इस कानून का समर्थन करता हूं और यही विचार मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहर कोठारी।

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों के विचार सुनें और यह कहा गया कि इस विषय पर जनमत जानना चाहिए कि धार्मिक गुरुओं को भी उसमें बुलाकर उनका मंतव्य जाना जाय। मैं समझता हूं कि इसकी कतई आवश्यकता नहीं है। इसलिए कि हमारे जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं चाहे वे किसी भी सम्प्रदाय के हों उन धर्म ग्रंथों में इस तरह की बलि का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। यद्यपि बहुत पुराने समय में महात्मा मनु ने मनु-स्मृति की रचना की, मनु स्मृति की उसमें जरूर एक इस तरह का उल्लेख मिलता है और उसमें भी यह कहा गया है कि:

यज्ञार्थ पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयंभुवा।
यज्ञस्य भूत्यै सर्वस्य, तस्माद् यज्ञे वधोऽवधः॥
(मनु-स्मृति)

(श्री मनोहर कोठारी)

इसका स्पष्ट अर्थ यह हुआ कि यज्ञ के समय यदि बलि की जावे तो वह भी अवैध मानी जाती है ऐसा माना जाता है। आज तो हमारे देश में न तो कोई इस तरह का यज्ञ होता है जबकि पूर्व में नरमेध यज्ञ होते थे, अश्वमेध यज्ञ हो या गऊमेध यज्ञ किये जाते थे। इस तरह के यज्ञ अब नहीं होते इसलिए यदि कोई यह कहे कि धर्म पर इससे आघात होगा उचित नहीं है। धार्मिक दृष्टि से हमारी मान्यताओं के विपरीत इस बलि का असर होने वाला नहीं है। आप छः हजार वर्ष पूर्व, ईसा के जमाने से छः सौ वर्ष पूर्व की स्थिति को आप थोड़ा सा जायजा लें तो आपको यह अच्छी तरह से ज्ञात होगा कि हमारे देश में ही नहीं सारे संसार में कई अलग अलग देशों में ऐसे विद्वान हुए कि जिन्होंने अन्ध विश्वास और रूढ़ीग्रस्त समाज को सुधारने की कोशिश की। चीन में जहां लाओत्से और कांगफ्यूत्सी हुए वहीं यूनान में पाइथोगोरस, अफलातून और सुकरात हुए। ईरान में जरथ्रु, और फिलिस्तीन में जिरेमियां और ईजकिल हुए जिन्होंने सामाजिक अंध विश्वास और रूढ़ीग्रस्तता से समाज को बाहर निकालने की कोशिश की। यह वही समय था जब हमारे देश में एक तरफ महात्मा बुद्ध ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, दूसरी तरफ भगवान महावीर का अवतरण हुआ और उन्होंने हमें दिशा निर्देश किया। मैं कहना चाहूंगा कि भगवान महावीर के दिशा निर्देश के कारण ही जो हमारे देश में यज्ञ में पशुओं की आहुति दी जाती थी पशुओं की वह समाप्त हुई और एक वह अवसर भी आया कि हमारे यहां समाज में मांस भक्षण भी प्रतिबन्ध लगा। मैं चाहता हूं कि उस जमाने में जो कुछ भी उसका एक कोम्पेक्ट होना चाहिए, एक प्रभाव होना चाहिए वह हुआ।

(5.15 सायं)

(श्री भानुकुमार शास्त्री, सभापति, पीठासीन)

अभी सदन में कहा गया कि हम कानून के जरिये इन चीजों को नहीं रोक सकते, पशु बलि को नहीं रोक पायेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि किसी समय नर बलि भी होती थी और वह भी अन्ध विश्वास के आधार पर, पशु बलि तो क्या यह नर बलि भी होती थी और भी कई तरह के कई कुत्सित कार्य होते हैं धर्म के नाम पर क्या यह बात सही है नहीं। यों भी हमारें देश में कई कानून बने हुए हैं उनके बाद भी क्या हम यह अधिकारपूर्वक कह सकते हैं कि सभी लोग महात्मा हो गए और हमारे देश में आज मानवता की हत्या नहीं होती? क्या हम यह कह सकते हैं कि जितने कानून बने हुए है उन सबका सख्ती से पालन हो जाता है और इस आधार पर कोई गुनाह हमारी धरती पर नहीं होता। तो जब और कानूनों का भी यही हश्र है और अगर उनका जनता पर प्रभाव नहीं हुआ है तो मैं समझता हूं कि इस तरह की लचर दलील से यह कहना कि धर्म सुधार के, समाज सुधार के इस प्रगतिशील कानून को हम न बनायें और केवल हम जन भावनाओं को जाग्रत करके ही नहीं जील से हम इस तरह के मामलों में आगे बढ़ें तो मैं समझता हूं कि यह उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए भी कि जो लोग सामाजिक दृष्टि से जन जागरण का काम करना चाहें उनका स्वागत है। यह कानून निश्चित तौर से उनको भी सम्बल देगा, उनमें इस भावना को जागृत करने में, अवसर मिलेगा और वह कह सकेंगे कि इस कानून

(श्री मनोहर कोठारी)

के अन्तर्गत पशुबलि अपराध है और उससे लोगों को आगाह किया जा सकता है। उनको समझाया जा सकता है और फिर सभापति महोदय, हम इसी शताब्दी में भगवान महावीर की पच्चीसवीं जयन्ती मना रहे हैं सारे देश में। हिन्दुस्तान के लम्बे चौड़े भूभाग पर, मुख्यतः दक्षिण की तरफ जहां अधिकांश में मांसाहारी लोग अधिक संख्या में रहते हैं वहां पर भी ऐसा कानून बना हुआ है। तामिलनाडु में यह कानून बना, केरल में कानून बना, आंध्रप्रदेश में यह कानून बना और गुजरात में कानून अभी अभी बना है। उस स्थिति में हमारे लिए यह कहने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है कि राजस्थान में हम इस तरह का कानून न बनावें। इस तरह की कोई बात समझ में नहीं आती और मैं कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि या तो फिर हम यह कहने का पाखण्ड करना भी छोड़ दें कि भगवान महावीर का 2500 वां निर्वाण दिवस हम सारे देश में संगठित रूप में मनाना चाहते हैं और राजस्थान सरकार उसमें सम्पूर्ण सहयोग कर रही है। इस प्रकार पाखण्ड करने की बात छोड़ देनी पड़ेगी वरना भगवान महावीर के आदर्शों के अनुसार आचरण करते वक्त इस तत्वज्ञान को नहीं भूल सकते हैं। मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने जरूर एक बात कही है कि केवल कुछ तांत्रिकों के कारण हमारे देश में पशु पक्षी बलि या नरबलि जैसी हरकतें शुरू हुई थीं। मैं समझता हूं उन्होंने भी यह माना है कि इन कर्म कांडों का धर्म के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है ये केवल अन्धविश्वास और कुरीति के कारण हमारे देश में यह प्रथा परम्परा होकर चल पड़ी है उस परम्परा को रोकने की अत्यन्त आवश्यकता है। और माननीय सभापति महोदय, फिर हम यह क्यों भूल जाते हैं कि हमारे शास्त्रों में देवी को भी दो रूपों में स्वीकार किया गया है। एक स्वरूप ब्रह्माणी का है तो दूसरा स्वरूप रुद्राणी का। हम ब्रह्माणी स्वरूप को क्यों भूल जाते हैं? सभी देवियों के यहां पर इस तरह के कृत्य होते हों यह आवश्यक नहीं है। यह तो केवल कुछ लोगों ने धर्म के नाम पर अपना उल्लू सीधा करने का प्रयत्न किया है और जैसा भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी कहा कि कामां और नाथद्वारा जैसी जगह पर तो जीव हत्या का क्रम ही रुक जाना चाहिए। मैं माननीय सभापतिजी यह गर्व के साथ कह सकता हूं कि कभी मेवाड़ के सामन्ती युग में, नाथद्वारा में कभी कोई मांस लेकर प्रवेश नहीं कर सकता था और आज भी नाथद्वारा में कोई जीव हत्या नहीं होती, वहां मांस नहीं बिकता है। बड़े शहरों की, कामां की बात मैं नहीं जानता लेकिन हमारे यहां पर इस बात की कोई आशंका नहीं है, वहां आज भी मांस नहीं बिकता है। लेकिन यदि इस तरह धर्म के नाम पर देवी देवताओं को प्रसन्न करने के नाम पर हत्या का क्रम चलता है तो हो सकता है उस परम्परा या क्रम का ऐसे धार्मिक स्थानों पर भी प्रभाव हो और यदि कभी ऐसा हुआ तो फिर हम उसे रोक नहीं पायेंगे। इसलिए जो यह कानून या विधेयक माननीय भीमसेन जी ने रखा है मैं समझता हूं कि वह एक स्वागत योग्य है और सभी माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे समाज सुधार के कानून के जरिये जो हमारे धर्म के नाम पर कलंक है इस पशुबलि को रोकने के लिए हमें व्यवस्था करनी चाहिये। और अन्त में एक बात मैं यह निवेदन करना

(श्री मनोहर कोठारी)

चाहता हूं कि जो यज्ञ होते थे उन यज्ञों में भी घृत और मधु का प्रयोग होता था। और जैसा कि मैं पूर्व में निवेदन कर चुका हूं, पशु बलि का वह क्रम लम्बे संघर्ष के बाद भगवान महावीर और भगवान बुद्ध के सतत प्रयासों के बाद रुका था और हमारे देश में, भारतवर्ष में जहां आये दिन इस तरह के यज्ञ होते हैं, जिनमें पशुओं की आहुति दी जाती थी, अब वैसे यज्ञ हमारे देश में नहीं होते। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब धर्म शास्त्रों में ऋचाओं में, मनु स्मृति में भी यह उल्लेख आया है कि कुछ यज्ञों में पशु बलि आवश्यक है और जब वैसे यज्ञ बन्द हो गये हैं, तो अब ऐसा कार्य धर्म के नाम पर न हो, इस बात को रोकने में आज क्या कठिनाई हो सकती है।

सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस उदात्त भावना के यह विधेयक रखा गया है, यह किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है या यह किसी जाति विशेष के विरुद्ध ही कोई प्रयत्न है। क्योंकि हमारे देश में और हमारे प्राचीन ग्रन्थों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है- एक युग वह था कि ब्राह्मण भी मांस भक्षण करते थे, इस तरह के संकेत मिलते हैं रामायण में। रामचरितमानस में संकेत मिलते हैं आप देखेंगे प्रताप भानु ने ब्राह्मणों को खाने पीने के लिए बुलाया। जब ब्राह्मणों को बुलाया गया तो उनके लिए कई तरह के सामिष भोजन बनाये गये थे तब उस समय किसी राक्षस ने, कालकेतु ने भोजन में नर की मज्जा और रक्त डाल दिया और तभी पर एक आकाशवाणी हुई- ब्राह्मणों यह भोजन तुम नहीं करोगे, तुम्हारे लिए यह भोजन योग्य नहीं है और आज ब्राह्मण समाज में मैं समझता हूं किसी भी तरह का मांस भक्षण सर्वथा बन्द हो गया है। इसका एकमात्र कारण यह हो सकता है कि हमारे देश में भगवान महावीर भगवान बुद्ध जैसे मनीषियों ने इसके लिए मार्गदर्शन किया है और उससे हम लोग सच्चे सही रास्ते पर आए हैं। इस विचार से इस कानून को, इस बिल को पास करना चाहिये। मैं सभी माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि इस बिल की अन्तर्निहित भावना को वे समझ कर, मानकर और इस वर्ष हम एक मनीषी की शताब्दी मना रहे हैं, उसके अनुरूप इस कानून को पारित करना चाहिये।

श्री सभापति : श्री फूलचन्द जैन।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : सभापति महोदय, इस बिल के सम्बन्ध में सब से पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि वैसे यह एक बहुत ही प्रोग्रेसिव बिल है और जैसा कि माननीय सदस्य जो मावली से आते हैं, उन्होंने कहा कि इस प्रकार के जो सामाजिक कुरीतियों से सम्बन्धित बिल हैं, कानून बनते हैं, उनके बारे में अपनी कुछ भावनाएं प्रकट कीं। मैं काफी हद तक सहमत हूं कि सामाजिक कुरीतियां केवल कानून बना देने से दूर नहीं हो सकती हैं परन्तु सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ऐसी सामाजिक बुराइयां किस प्रकार से दूर होती हैं, यह भी माननीय सदस्य जानते हैं कि जहां एक तरफ कानून के बनने से हमें इन भावनाओं को धीरे धीरे कम करने की ओर बल मिलता है, वहीं साथ साथ में सामाजिक स्तर पर भी प्रचार करने का मौका मिलता है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कुछ

(श्री फूलचन्द जैन)

माननीय सदस्यों ने इस बिल को पढ़ा नहीं होगा और इसलिए शायद वे यह समझते होंगे कि हमारे लिए यह अहितकर होगा और हम अपने यहां पर प्रचलित मान्यताओं के बारे में कैसे कहेंगे कि बंद करें। इससे उनको हिचकिचाहट होगी। इससे वे परेशानी में पड़ जाएंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह दृष्टि से सुधार का प्रारम्भिक कदम है और इस बिल के अन्दर यह प्राविजन है कि जो हमारे धार्मिक, पूजा स्थल हैं, वहीं तक इसको सीमित रखा गया है कि ऐसे स्थलों पर पशु बलि पक्षी बलि नहीं हो। दूसरे सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक हमारी धार्मिक दृष्टि से परम्परा चली आ रही है, बलि के सिलसिले में, यह एक दम कैसे बंद हो सकती है। मैं यह निवेदन करूंगा इस सम्बन्ध में, जितना भी मैं अपनी बुद्धि से और अपनी सीमाओं में रह कर अध्ययन कर चुका हूं, मैं उसके आधार पर यह निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि इस भारतवर्ष के अन्दर सैकड़ों हजारों वर्षों पहले यहां पर पशु-पक्षी की और दूसरे प्रकार की बलि होती रही हैं परन्तु हमारे विभिन्न धर्म, धर्म गुरु, धर्मावलम्बी ने उस समय भी यह कहा है कि पशु पक्षी की इस प्रकार की बलि धर्म पर आधारित नहीं है। यह तो समय समय पर विभिन्न कारणों से प्रचलित हो जाने के कारण ही चली आ रही है। मैं जितने भी व्यक्तियों से मिला हूं, माननीय सदस्यों से मिला हूं, वे भी स्वयं यह मानते हैं कि यह एक रूढ़िवादी परम्परा है और उसी वजह से यह चली आ रही है। वे भी यह कहने की स्थिति में नहीं है कि यह धार्मिक दृष्टि से उचित है, या अमुक शास्त्र में इसके लिए यह लिखा हुआ है। धार्मिक भावनाओं के अनुसार भी देखें तो चाहे वह मुस्लिम धर्म हो, हिन्दू धर्म हो, सिख धर्म हो, किसी भी धर्म में यह नहीं है कि बलि हो। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम अपने दिमाग को खुला रखें। अपने धर्म के मूल ग्रन्थों के आधार पर इस बात को साबित करने को तैयार हूं कि यह बलि किसी भी धर्म पर आधारित नहीं है। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, यह परम्परा, रूढ़िवादिता, अन्ध विश्वास, इस प्रकार की जो परम्पराएं चली आ रही हैं – यह कहा गया कि हम इनको कानून से नहीं तोड़ सकते हैं। माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है, कानून तो बहुत बन गये है, परन्तु कानून के अनुसार अमल नहीं होता है इसलिए फिर ऐसे कानून क्यों बनावें ? मैं यह कहना चाहता हूं यह तो एक शुरुआत है। हम सब यह मानते हैं कि यह हमारी एक गलत परम्परा है। सभापति महोदय, शराब पीने का प्रचलन हमारे देश में लोअर क्लास में सबसे ज्यादा है। कुछ कह सकते हैं कि शराब पीने के लिए है। यह भी हमारे देश में संस्कारों से, परम्परा से चली आ रही है परन्तु उसके बावजूद भी हम हमेशा इसको बन्द कराने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे भाई हैं-मैं उनके लिए कल्पना भी नहीं कर सकता, उनको ऐसे समाज सुधार के कार्यों में आगे आना चाहिये, वे भी यह महसूस करते हैं, पता नहीं इससे हमारे बारे में क्या सोचेंगे ? मेरा निवेदन है, वे खुला दिमाग रख कर इस पर सोचें, विचार करें। इसके बाद यह कहा गया कि इस कानून के बनने से पुलिस का दखल ज्यादा हो जायेगा। इससे लोगों का अननेसेसरी

(श्री फूलचन्द जैन)

हरेसमेंट होगा । इस बिल के प्रावधानों को देखने से बहुत साफ हो जाता है, इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। कहीं कोई ऐसा इन्सीडेन्ट होता है तो पुलिस को इत्तिला मिलने पर, वह इन्वेस्टीगेशन करे, तसल्ली होने पर लिखित रूप में लेकर कोर्ट में उसका चालान वह दायर कर सकती है। इससे अधिक पुलिस का कोई अधिकार इस बिल से नहीं दिया गया है। मेरा निवेदन है, सूक्ष्म रूप से इसको करें जिससे कोई कठिनाई न हो । यह हम मानते हैं कि एक दम बदला नहीं जा सकता। परन्तु जो प्रोविजन्स हैं, जैसा मैंने कहा, वे बहुत छोटे छोटे और सूक्ष्म रूप से हैं। एक दृष्टि से हम अन्धकार में पड़े हुए हैं, उस अंधकार से निकल कर इस ओर बढ़ने का एक प्रयास है और इसके लिए बहुत ही छोटे छोटे प्रावधान इस बिल में हैं। सभापति महोदय, इसी दृष्टि से माननीय सदस्यों को इस बिल को लेना चाहिये । आचार्य जी ने यहां पर कहा—जो इसका संकल्प करते हैं तो मैं उसका विरोध नहीं करता हूं। तो माननीय आचार्य जी यह कहना चाहते हैं कि जो कोई भी इस बिल का समर्थन करता है, या इस पर बोलता है, उसको संकल्प लेना चाहिये, वरना उसको बोलने का अधिकार नहीं है । वह इस सामाजिक बुराई से लड़ने के लिए इसके विपरीत जहां पर भी वातावरण होगा, उस वातावरण में, वहां जाकर अपनी बुद्धि, विवेक, श्रम और निष्ठा से इस बुराई को रोकने की दृष्टि से जो लाजिक हो, आर्ग्यूमेंट हो, उनसे उनको समझायें और एक सोशियल स्तर पर इस काम को करें, यह संकल्प आप लें उसके बाद में इस बारे में कुछ भी अधिकारी हो सकते हैं। मैं सबसे पहले उपाध्यक्ष महोदय, इस बात का संकल्प लेता हूं कि जहां कहीं भी इसका विरोध होगा, जो भी माननीय सदस्य मुझे बुलायेंगे मैं वहां पर जाऊंगा और जाकर समझाने की कोशिश करूंगा कि किस धर्मशास्त्र में कहां पर लिखा है वह बतलायें । इस तरह से मैं यह चाहता हूं कि इस बिल का विरोध नहीं किया जाय और इसका सर्व-सम्मति से स्वागत किया जाय, और हम आज इस बिल के माध्यम से एक सामाजिक कुरीति यह परम्परागत रूढ़ियों की स्थिति जो चली आ रही है जिसका किसी धर्म-शास्त्र में कोई उल्लेख नहीं है, उस दृष्टि से इस चीज को शुद्ध मन से पवित्र बुद्धि से लेकर इसको समाप्त करें और यही मैं माननीय सदस्यों से अपील करता हूं।

श्री देवीलाल मीणा (सराड़ा) : सभापति महोदय...

श्री सभापति : श्री गुमानमल लोढ़ा। आप भी बोल लें बाद में।

श्री देवीलाल मीणा : मेरी आपत्ति है इस पर इसलिए मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : आप अपना अवसर जब आये तब कह दें।

श्री गुमानमल लोढ़ा ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इनको बोल लेने दें।

श्री देवीलाल मीणा : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने यह बिल पेश किया है। इसमें डिफिकल्टी यह है कि बहुत

(श्री देवीलाल मीणा)

सारे लोग कानून को समझेंगे नहीं। जहां पर आदिवासी लोग है, उनको माननीय सभापति जी, आप खुद जानते हैं और आप रात-दिन देखते हैं कि जो आदिवासी लोग कैसे रहते हैं वह इस कानून को किस तरह से मनाते है, क्या वे लोग समझेंगे। वह सड़कों के किनारे उनके देवी-देवताओं की पूजा करते हैं और नवरात्री में भी पूजा करते हैं और जैसा कि इस बिल में कहा गया है पशु-पक्षी तो मुर्गा भी आ गया उसमें। तो लोग इसको खुलकर खाते हैं तो उसके जरिये पुलिस वाले इलजाम लगा कर साधारण आदमी को, गरीब को सतायेंगे। उनका शोषण होगा। इस बिल के जरिये पुलिस उनका शोषण करेगी। झूठे केस लगाकर उनको हैरेस्मेंट करेगी। इससे बेहतर तो मैं यह समझता हूं कि किसी सार्वजनिक संस्थाओं को इसका कार्यक्रम में लगाकर उनसे कराया जाय....

(5.31 सांयं)

(श्री फूलचंद जैन, सभापति पीठासीन)

उसका प्रचार करके यह लोगों के बलि पूजा छोड़ने की बात होती तो लोगों को परेशानी नहीं होती। लेकिन इसके जरिये क्या होगा कि साधारण लोग आदिवासी लोगों में आम तौर से यह प्रथा हैं। यह प्रथा कानून के जरिये से बन्द नहीं होगी। इस प्रथा को बन्द करने के लिए संस्थाओं के जरिये, कार्यकर्त्ताओं को लगाकर सार्वजनिक रूप से प्रचार करके बन्द किया जाता तो आसानी से बन्द हो जाती। सदन इस पर विचार करे।

दूसरा आपने शराबबन्दी कानून बनाया, लेकिन अभी अभी जयपुर के इलाके में कुछ मीणा भाईयों ने, जिन्हें पीने का शौक था, एक कमेटी बनाई है और वह मेरे सामने आये थे। उन्होंने गांवों में मीटिंग करके पीने से मना किया और पाबन्द किया और बहुत सों पर जुर्माना भी करना शुरू कर दिया। इसी तरह से जातियों में सुधार के लिए कई संस्थाएं बना कर और उन संस्थाओं में कार्यकर्ता लगाकर या बजट में प्रावधान करके कार्यकर्त्ताओं को लगा कर यह प्रचार करें कि पशु बलि न करें तो आसानी से इसका प्रसार हो जाता। उसके बाद कानून आता तो ठीक होता। पुलिस इससे गरीबों का शोषण करेगी। इसका उलटा असर होगा और सारे राजस्थान में होगा। इसके लिए राजनैतिक लोग उलटा रूप धारण करेंगे और राजनैतिक तरीके से माननीय सदस्य (श्री मनोहरलाल की ओर से संकेत करते हुए) कल जाकर कहेंगे उन लोगों से कि कांग्रेस ने यह कानून तुम लोगों के लिए पास कर दिया...

श्री मनोहरलाल : बिल्कुल नहीं कहूंगा।

श्री देवीलाल मीणा : कानून एकदम लागू करने से गरीबों का शोषण अवश्य होगा।

श्री सभापति : श्री गुमानमल लोढ़ा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान पशु एवं पक्षी बलि (निषेध) विधेयक, दो साल से लगातार इसको पारित करने के लिए प्रयास जारी रहा। गत सत्र में इसी विधान सभा में रखा गया, लेकिन उस समय प्रवर समिति को सौंप दिया गया। आज, सभापति महोदय,

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

मैं समझता हूं कि मूक पशु और पक्षियों को बचाने के लिए यह आवश्यक है। और जब हम नरबलि का विरोध करते हैं और मानव अपने आपको उपकार से बचाने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन यह मूक पशु और पक्षियों को बचाने के लिए बिल के रूप में रखा जाय और इसका विरोध किया जाय तो मैं समझता हूं कि आज के युग में यह अशोभनीय ही नहीं है बल्कि शर्मनाक स्थिति है। सभापति महोदय, यहां पर यह कहा गया मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी विमति टिप्पणी भी लिखी है जिसमें यह कहा गया है कि कानून के जरिये नहीं बल्कि अन्य साधनों से रोकने का प्रयास करना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह उसी प्रकार की बात है कि स्पष्ट तौर से विरोध करने के स्थान पर अस्पष्ट तौर से उसका विरोध करना है। आज तक भारत में ही नहीं विश्व के इतिहास में इस बात का संकेत है कि जब जब हमारी मान्यताएं बदली हैं और अपनी नई मान्यताओं के अनुसार हम इसकी कोई व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं तो कानून उसका सबसे बड़ा सहारा है और उसको प्रतिस्थापित कानून के माध्यम से ही किया जा सकता है। क्या इण्डियन पेनल कोड की आफेन्स की धाराओं को रिपील करके कह दें कि प्रचार करो जनता में जाकर यह कहें कि मार-पीट नहीं होनी चाहिए, बलात्कार नहीं होना चाहिए, चोरी नहीं होनी चाहिए ? क्या अनटचेबिलिटी एक्ट हमने नहीं बनाया ! उसके लिए प्रचार करते कई वर्ष गुजरे। हम यह कहते आये हैं कि छुआछूत रखना चाहिये। मृत्यु भोज कानून बना तो मीटिंग करते रहे। तो इनका विधान बनाने की अवस्था से गुजरे हैं। इस प्रकार यह कह कर इसको टालने का प्रयास है। मेरी यह मान्यता है कि इस बिल को आज ही पारित करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। मुझे इस बात का खेद है कि सत्तारूढ़ दल की ओर से इसके ऊपर प्रयास नहीं किया जा रहा है, और समय बढ़ाने के समय, जो संकेत हमको मिला है वह इस प्रकार का है कि इस पर मत अपना अपना प्रकट करें। दो प्रकार से सदन के प्रांगण को लेकर आपस में मताधिकार का प्रयोग करने की छूट दी गई है। वैसे यह जनतन्त्रीय प्रणाली है और इस पर संवैधानिक आपत्ति नहीं की जा सकती है। लेकिन इस प्रकार की सरकार जो एक ओर तो केन्द्र पर भगवान महावीर की 2500 वीं निर्वाण शताब्दी पर केन्द्र में समिति बनायें और जिलों में समितियां बनायें, और ढिंढोरा पीटे और प्रचार करें, और सब प्रकार से यह कहती आती है और प्रसारित करना चाहती है कि वह अहिंसा के सिद्धान्तों को मानने वाले हैं दूसरी ओर सत्तारूढ़ दल अपने लोगों को छूट दे जिससे इस कानून का विरोध किया जा सके, तो मैं समझता हूं कि यह खेद-जनक स्थिति है। यहां पर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यहां पर सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य श्री हांडा ने इस बिल के प्रथम वाचन के समय बोलते हुए धर्म गुरुओं पर और विशेष धर्मों पर सब प्रकार से प्रहार किया। उन्होंने रामस्नेहियों पर प्रहार किया, आनन्द मार्गियों पर प्रहार किया, रणतीश पर प्रहार किया। मैं समझता हूं कि यह प्रसंग नहीं था जबकि इस प्रकार से जो व्यक्ति यहां पर सदन में नहीं है और राजस्थान में नहीं भारत भर में कई लोगों की जिसमें आस्था है उनके लिए ऐसा कहें। जहां पर धार्मिक आस्थाएं,

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

धार्मिक मान्यताएं हो सकती हैं, किसी धर्म के प्रति आस्था रखें या न रखें लेकिन धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचाना, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, उचित नहीं है। वे उसूलों की बात करते हैं और वहां पर धर्म गुरुओं पर इस प्रकार के कटु शब्दों का, अपमानजनक भाषा का प्रयोग करें, यह उचित नहीं है। यह बिल जिस रूप में उसको पारित किया जाए, हो सकता है इसमें कुछ कमियां हों. वे समय-समय पर ठीक की जा सकती हैं। लेकिन इसको पोस्टपोन करने का कोई प्रयास नहीं करना चाहिए और यह उचित ही नहीं बल्कि आवश्यक है कि भगवान महावीर के 2500 वें वर्ष में जो हम मना रहे हैं, जब तामिलनाडु विधान सभा ने पारित कर दिया, पता नहीं शायद बिहार विधान सभा भी पारित करने वाली है, तो राजस्थान को इसमें अग्रिणी रहना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं देर आयद दुरुस्त आयद, आज ही हम इस बिल को पारित करें।

श्री सभापति : श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : सभापतिजी, यह बिल जिस रूप में आया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। आखिर हमें कभी कभी साहस करके संघर्ष करना पड़ेगा। किस धर्म में क्या लिखा है, उस समय धर्म का हालत क्या थी समाज की हालत क्या थी, उसमें मैं नहीं जाऊंगा लेकिन यह सही है कि जब से मानव जाति ने जन्म लिया है, दुनिया के विभिन्न भागों में सारे प्रयोग हुए और आज जो इलाके ज्यादा अन्धकार में हैं अफ्रीका व एशिया के, हमारे देश में आदिवासी और दूसरी जातियां हैं, वहां इस प्रकार की प्रथा ज्यादा है। यह कोई धर्म नहीं बल्कि अन्धकार और रूढ़िवाद का परिणाम है। हम तर्क को और मन को मना लेते हैं कि रूढ़िवाद है। उस समय हमसे कुछ लोग निराश हो जायेंगे, इसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए। क्योंकि सामाजिक और आर्थिक क्रांतियां करने के लिए जब अवसर आता है उस समय साहस का परिचय देना होता है। इसलिए हालांकि इस बिल में कई कमियां हैं लेकिन जितना और जैसा भी है मैं उसका स्वागत करता हूं ताकि रूढ़िवाद का अन्त हो। आखिर यह मनुष्य बलि क्यों देता है? कुछ नए विचारों को हमको फैलाना होगा। मनुष्य की कल्पना है सुखी रहने की। जब वह भौतिक आधार पर सुखी नहीं रह सकता तो उसके दिमाग में आया कि दुनिया में कोई शक्ति है जो आपके लिए सुख देगी। उसका नतीजा यह होगा कि अगर आज हम भी इस बात को चालू रखेंगे तो आर्थिक उत्थान के लिए वर्गों को लेना चाहते हैं वे हटते चले जायेंगे इसका यह अर्थ होगा कि हमें जो आज एक वर्ग संघर्ष के मारफत, वर्ग चेतना के मारफत समाज को आगे लाना चाहते हैं, वह कभी भी न ला पायेंगे। इसलिए कांग्रेस के कुछ माननीय सदस्य इसका समर्थन कर रहे हैं जबकि वे आम तौर पर विरोध करते हैं।

एक चीज और समझने की जरूरत है। देवता को मनुष्य ने बनाया था मनुष्य को देवता ने? मैं समझता हूं मनुष्य ने देवता की कल्पना की है। देवीदेवताओं की जो हमारी कल्पना है, वह मनुष्य द्वारा बनाई है और मनुष्य ने की है। इसलिए ऐसी

(श्री रामकिशन)

कल्पना के परिवर्तन के लिए इस प्रकार के सवालों को धर्म के साथ जोड़ना, इससे हमको हटना नहीं चाहिए। जहां तक 2500 वें साल का जिक्र होता है, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। इससे थोड़ी सी दूसरी स्थिति पैदा हो जाती है। अहिंसा को हर युग में और हर समाज में श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखा गया है, लेकिन अमल नहीं किया गया है। हमारी स्मृतियां पुराण और ग्रन्थों में अहिंसा और सत्य और सात्विकता को जीवन में, दुनिया की हर विचारधारा में उच्च स्थान मिला है, चाहे महावीर को जोड़ें, चाहे, गांधी को चाहे बुद्ध को जोड़ें, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। महावीर स्वामी ने अहिंसा के लिए कोई नई बात नहीं कही, बुद्ध ने या गांधी ने कोई नई बात नहीं कही हो, ऐसी बात नहीं है। जैसे जैसे मनुष्य जाति का विकास होता गया, इन सिद्धान्तों का सम्मान निरंतर करते रहे हैं लेकिन कभी कभी विकृतियां इतनी बढ़ जाती हैं कि महावीर और बुद्ध जैसे लोगों की जरूरत हमें पड़ी। अगर आज हम इस कानून को पारित करते हैं बुद्ध का जिक्र करके तो इसका अन्तर्राष्ट्रीय लाभ भी है वह यह कि आज जो हमारे पड़ोसी देश हैं, वे करीब करीब बुद्ध धर्मावलम्बी हैं, उसकी ज्यादा चर्चा करके, उसके साहित्य का प्रचार करके हम विदेशी नीति में सहायक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अन्तर्राष्ट्रीय नीति पर केवल चावल की खरीद का असर नहीं होता है। उसका संस्कृति, भाषा और सरकार के गठन पर असर होता है जिससे सम्पूर्ण विदेश नीति को लाभ मिलता है।

मैं इस संदर्भ में ज्यादा जिक्र नहीं करते हुए इस बिल का समर्थन करता हूं और आदिवासी और दूसरे लोगों के मन में जो भय है कि पुलिस ऐसा करेगी, अन्याय होगा, इन संभावनाओं से हम इन्कार नहीं कर सकते, हो सकता है। लेकिन आपकी सरकार है वह इतनी गलत है तो आपको उसको बदलना पड़ेगा। कानून तो ठीक है लेकिन अमल में लाने वाली सरकार सक्षम नहीं है तो क्या करेंगे? बढ़िया से बढ़िया काम भी इस सरकार को यदि देंगे तो वह गलत होगा। इसका मतलब हम बढ़िया काम करना बंद कर देंगे? इसलिए यदि इस बिल को पारित करने के बाद पुलिस गड़बड़ करती है, शोषण करती है, झूठे मुकदमे बनाती हैं तो खास तौर से जो आदिवासी सदस्य हैं, उनको सरकार के खिलाफ विद्रोह करना चाहिए। एक अच्छे उद्देश्य वाले कानून का यदि ठीक अमल नहीं होता है तो यह सरकार की असफलता है। मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा, वह विद्वान भी हैं और उसके साथ साथ उनके मन में थोड़ी कमजोरियां है। जब उनको वोटर नजर आता है कि मावली पर क्या असर पड़ेगा, उदयपुर पर क्या असर पड़ेगा तो वह थोड़ा काम कर जाता हूं। ऐसे सामाजिक प्रश्नों पर वोटर खुश हो या नाराज हो, चिंता नहीं करनी चाहिए, हार जीत लोकतंत्र की खूबी है लेकिन सामाजिक परिवर्तनों के लिए साहस को जुटाना पड़ेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री सभापतिः श्री माणकचंद सोगाणी।

श्री माणकचन्द सोगाणी (अजमेर पूर्व) : सभापतिजी, इस विधेयक के लिए मेरा निवेदन है कि इसे पास कर दिया जाए। चूंकि प्रवर समिति में मैं सदस्य रहा हूं, माननीय सदस्य जो आदिवासी क्षेत्र की बात फरमा रहे थे उनको बताना चाहता हूं कि प्रवर समिति ने इस बात पर गौर किया कि पुलिस किसी तरह से भय पैदा न करे, रिश्वत न ले इसलिए इसमें क्लाज हैं जिसमें साफ लिखा है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले अपराधों की सुनवाई प्रथम श्रेणी के दंडनायक से नीचे के किसी न्यायालय में नहीं होगी, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ही की जावेगी। पुलिस को कोई पावर नहीं दी है इसलिए इसका प्रचार करना आवश्यक है ताकि पुलिस लाभ न उठाए। दूसरे माननीय सदस्यों ने फरमाया है कि इसमें हृदय परिवर्तन जरूरी है लेकिन यहां पर कुछ कानून जो बने हैं उनका परोक्ष रूप से असर हुआ है। जैसे छुआछूत बिल बना है, उसका बड़ा असर पड़ा है। सती प्रथा को आपने देखा, चाहे कोई पत्नी जलना चाहती थी या नहीं मगर इस प्रथा को उच्च मानकर साथ जल जाती थी और सती के नाम से विख्यात होती थी मगर जब से कानून बना है उसमें बहुत सुधार आया है। तो मेरा यह कहना है, यह ख्याल करना कि कानून बनाना अनावश्यक है, यह गलत ख्याल है। कानून अपना महत्व रखता है। इसलिए आज जो कुछ रखा गया है, वह बहुत सीमित है, इसमें किसी प्रकार की बात न करके एक चीज रखी गई है कि जहां जहां पूजा स्थान हैं, वहां पूजा स्थान पर किसी प्रकार की बलि या वध न करें, चाहे पशु हो या पक्षी हो। इस सीमित चीज को, मैं समझता हूं, तमाम सदस्य साथ देंगे और इस पर वोट वाली बात पैदा नहीं होगी, और एक सहमति से करेंगे। खास तौर पर इसमें राजस्थान प्रगतिशील हो रहा है। अन्य प्रदेशों को आपको बताया, आंध्र में हुआ है, गुजरात में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है। यह काम वहां हो चुका है। हमारे यहां पिछले साल आया, इस साल फिर आया तो अब इसको नहीं छोड़ें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको पारित किया जाय।

श्री सभापति : श्री अमृतलाल गहलोत।

श्री केदारनाथ : कानून पारित हो।

श्री अमृतलाल गहलोत : सभापति महोदय, इस बिल के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। यह शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि जब तमिलनाडु, केरल और आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश इत्यादि अन्य राज्यों ने ऐसे बिल को पारित कर दिया कई वर्ष पहले, हम नहीं कर पाये। जहां गौ हत्या का प्रश्न है, राजस्थान आज अग्रणी है। इस मामले में पीछे रह गये, मैं समझता हूं, यह शर्म और दुर्भाग्य की बात है। मेरे नगर जोधपुर में एक बहुत भयानक, वीभत्स दृश्य हर साल होता है क्रूरता का। हमारे आश्विन के महीने में राजघराने की फेमीली देवी, याने जो आराध्य देवी है चामुण्डा, उनका मन्दिर किले में पांच सौ फीट जमीन से ऊपर है। वहां पर बकरे भी काटे जाते है और भैंसा काटा जाता है। भैंसे को काट कर ऊपर से गिराते हैं। गिरते हुए का सीन नजर आता है, दुनियां देखती है उसको। इस साल भी किया गया। इस साल जैन बन्धु, प्रगतिशील बन्धु मेरे

(श्री अमृतलाल गहलोत)

साथ राजघराने में गये। मैंने निवेदन किया हम कानून से प्रतिबन्ध लाना चाहते हैं लेकिन हम अपील करते हैं इस वर्ष आप स्वेच्छा से न करें। राजमाता लोक सभा की सदस्य हैं, उस दिन नहीं थे। हमने कहा, टेलीफोन से पूछ लीजिये। हमने कहा, इस साल बकरा व भैंसा काटना बन्द कर देवें, यह वर्ष पुण्य वर्ष है, भगवान महावीर के निर्वाण का पच्चीस सौवां वर्ष है, इस वर्ष मत कीजिये। इससे हमारी भावना को ठेस पहुंचती है। सभापति महोदय, मैं साथ गया, प्रतिष्ठित नागरिक गये। लेकिन हमारी बात को सुना नहीं गया और वीभत्स दृश्य फिर देखने को मिला। अब ऐसा दृश्य होता है, जानवर को चार सौ, पांच सौ फीट से गिराया जाता है। साथ साथ मैं गया, जनता के लोग कहते हैं, समझाया जाय तो उनको जो लोक सभा के सदस्य हैं, समझाने गये। उन्होंने न माना। तो हम कानून का सहारा लें और मनवाने का प्रयत्न करें। तो मेरा ख्याल है, यह कानून पास होना चाहिए, यह कानून, यह पशु बलि कानून। पशु बलि का धार्मिक आधार नहीं है। किसी धर्म में उल्लेख हो तो मुझे बताइये। यह अन्ध विश्वास पर आधारित है। अन्ध विश्वास समय के साथ बदलता जाता है। जैसा अभी माणकचन्द जी ने बताया, सती प्रथा को लार्ड विलियम बेंटिंग ने रोका था। उसके पहले जबर्दस्ती सती होती थीं। कोई महिला, जो विधवा हो जाती थी, वह चाहे या नहीं, पति के साथ उसे जलवा दिया जाता था। कानून पास हो गया, नर हत्या का कानून बना दिया। बड़े किले बनते थे, किले की नींव एक नर को काट कर भरते थे। यही नहीं, कई तरह की पूजा होती थीं, पता नहीं, क्यों उस पूजा में नर बलि की जाती थीं। बलि के नये नये तरीके इवाल्व किये गये जिसके पीछे न वैज्ञानिक आधार है, न सामाजिक आधार है, केवल अन्ध विश्वास है। अन्ध विश्वास की चीज समय के साथ छूट जाती है। हर वर्ष छोड़ें, तो क्या वजह है, इस साल नहीं छोड़ें। ठीक है, कहीं कोई इन्स्टान्स हो, बाल विवाह का कानून है, फिर भी बाल विवाह होते हैं। आदिवासी भाई हैं, उनमें शराब पीने की प्रथा थी। वह क्षेत्र ड्राई डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, शराब चलती हो। कानून चलता है, बाल विवाह भी चलते हैं। बाल विवाह होते हैं इसलिए कानून न बनाया जाय—यह कोई तर्क नहीं है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करता हूं, यह पुण्य वर्ष है, हम लेट हो चुके हैं, लेकिन इस कानून को पारित करके हम जायं।

इसके साथ साथ मैं निवेदन करूंगा, हम लोग कानून का सहारा न लें, लोगों को शिक्षा देने का, समझाने का जो तरीका होता है, उसको उपयोग में लायें ताकि उनका हृदय परिवर्तन कर सकें। कानून तो सहारा मात्र बनेगा। इसको नहीं मानेगें तो उनके पास जाने की, समझाने की कोशिश करेंगे, प्राणी मात्र के प्रति जो कहा गया है भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में :

"ममोवासे जीवलोके जीव भूते सनातनः"

सारे जीवों में, सारे प्राणियों में मेरा वास है, मेरा अंश है। भगवान महावीर का पच्चीस सौवा निर्वाण वर्ष है, भगवान महावीर ने कहा है :

(श्री अमृत लाल गहलोत)

"डहरे ये पाणे, बुढ्ढे ये पाणे ।
ते आतश्रो पाईई सव्व लोहे ।"

संसार के सभी प्राणियों में एक ही आत्मा है । भगवान महावीर की वाणी में है, आत्मा तो सभी में है, प्राणी में है, पशु में है, पक्षी में है । उसकी आत्मा का इस तरह बध करना अमानवीय है । इन शब्द के साथ माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से निवेदन करूंगा आज इस पुण्य दिन में आज इसको पारित करके जायें, इसी में हमारा और समाज का कल्याण है ।

श्री नानालाल (राजसमन्द) : सभापति महोदय, आज जो बिल पास किया जा रहा है, वास्तव में राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिल पास हो रहा है । मैं दावे के साथ यह कहता हूं, मैं जिस समाज से जन्म लेकर आया हूं, वह समाज जन्मजात हिंसक है । उन्होंने अपने मन में समझ लिया है, अपना महान् सिद्धान्त बना लिया है हिंसा करना हमारा धर्म है । मैं दावे के साथ कहता हूं, हमने पांच हजार ऐसे व्यक्तियों को, जो हिंसक थे, अहिंसक बनाया है और आज वे अपनी आर्थिक परिस्थिति से संतुष्ट हैं । और हमें कुछ नहीं कह सकते । वैसे मैं यह दिल की कमजोरी प्रकट करता हूं कि यह बिल पास होने के बाद इम्प्लीमेंट हो सकेगा ? मैं समझता हूं कि मनुष्य के नाते यह सब नहीं कर रहे हैं । अगर मनुष्य होते तो सख्ती के साथ कह सकते थे कि हम अपनी इन्द्रियों पर कंट्रोल कर सकते हैं । यह वह लोग हैं जो इन लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं, जो गुलामी के बन्धन से नहीं छोड़ना चाहते हैं । वह यह चाहते हैं कि यह पशु बलि देवी देवता और धर्म के नाम पर चलती रहे और हम इन लोगों को गुलामी की जंजीर में जकड़े रहें । उन्होंने कई प्रकार के आदमी बैठा रखे हैं, कौन लाता है, कौन काटता है—इस प्रकार का सारा सिस्टम बना रखा है, उस सिस्टम के आधार पर गुलामी की जंजीर में जकड़े रखना चाहते हैं । इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा यह विचार प्रकट करता हूं कि यह बिल जल्दी से जल्दी पारित होना चाहिए । बस इस आशा के साथ में मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री सभापति : श्री किशोरीलाल ।

श्री किशोरीलाल : माननीय सभापति जी, यह जो बिल आया है, मैं मानता हूं, बड़ा स्वागत योग्य बिल है । लेकिन दुःख इस बात का है, हमने बहुत देरी की । यह बहुत जल्दी आना चाहिए था । आप जानते हैं, राजस्थान सारे मामलों में अगुआ रहता हैं, हर मायने में पहल करता है । यह पशु बध है, यह नशाबन्दी है—यह उस प्रदेश के पिछड़ेपन का द्योतक है । अगर हम इस बात से डरते रहे कि इस बिल के पास होने से कुछ लोग नाराज हो जायेंगे या समाज में विकृति आयेगी तो मैं समझता हूं कि हम गलती करेंगे । हमारे इस काम में शिथिलता नहीं आनी चाहिए । माननीय आचार्य जी ने जिस भय से इसका विरोध किया है, वह बुद्धिमान हैं, सूझबूझ वाले हैं, उनको भय है, मावली के लोग नाराज होंगे, वोट नहीं देंगे । तो वह उन्हें यह बतायेंगे, मैंने इसका विरोध किया था । इससे शायद ज्यादा वोट मिलेंगे । यह बात दिमाग में लेकर चलते हैं, मैं समझता हूं यह गलत धारणा

(श्री किशोरी लाल)

है। क्योंकि वह प्रगतिशील रहे हैं इसलिए प्रगतिशीलता का स्वागत करना चाहिए और यह विधेयक प्रगतिशील विधेयक है, इसका स्वागत करना चाहिए। इसको बहुत जल्दी पास करना चाहिए। भगवान महावीर का पच्चीस सौवा निर्वाण वर्ष पुण्य वर्ष हैं, इसलिए इस बिल को पास करके महान कार्य करना चाहिए। आप लोग जानते हैं, देव और दानव हमारे देश में हमेशा से माने गये हैं जो समाज में अच्छा काम करते हैं उन्हे देवता माना गया है, और जो बुरा काम करते हैं उन्हें दानव माना गया है। हमारे राजस्थान में धर्म के प्रति निष्ठा सदा से अधिक रही है। इसके अलावा भी सभापति महोदय, धर्म में मानव धर्म ही सबसे बड़ा है गीता में भगवान कृष्ण ने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किये हैं।

आत्मवत् सर्व भूतेषु: य: पश्यति स: पंडित:

इसलिए अपने को प्राणी मात्र में श्रद्धा रखनी चाहिये। पंडित वही है जो दूसरे प्राणियों की आत्मा को भी अपनी आत्मा के समान समझे। अन्त में मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि प्रवर समिति ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसको जल्दी से जल्दी पारित किया जाना चाहिये।

श्री सभापति : श्री भीमसेन :

श्री भीमसेन : सभापति महोदय प्रस्तुत विधेयक।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैंने ऐसा सुना कि आप शायद पेंस्टीसाईड्स और जर्मीसाईड्स पर भी बिल ला रहे हैं।

श्री भीमसेन (लूणकरनसर) : सभापति महोदय, प्रस्तुत विधेयक इस उद्देश्य से लाया गया है कि हमारे समाज में जो भगवान के नाम पर पशुओं की बलि चढ़ाई जाती है उन पर रोक लगाई जाय। इसी प्रकार का विधेयक तामिलनाडू, कर्नाटक, गुजरात, आन्ध्राप्रदेश वगैरह में पारित हो चुका है। इसलिए हमें इस विधेयक को शीघ्रता से पारित करना चाहिये। वैसे भी यह भगवान महावीर का 2500 वां निर्वाण वर्ष है अगर हम उनके इस पुण्य वर्ष में इस विधेयक को पारित कर देते हैं तो अच्छा है। सभापति महोदय, हमारे देश में आज भी अन्ध विश्वास के कारण पशुओं की बलि चढ़ाई जाती है। इसलिये हमें चाहिये कि इस अन्ध विश्वास को समाप्त कर इस कुरीति पर कानून बनाकर रोक लगानी चाहिये। मेरी मान्यता है कि कानून बनाकर हम समाज में सुधार ला सकते हैं। इसलिये मेरा माननीय सदस्यों से यह निवेदन है कि जिन माननीय सदस्यों ने इसे जनमत जानने हेतु प्रसारण का संशोधन किया है उसको वह वापिस ले लें और इस विधेयक को पारित किया जाय।

श्री सभापति : (श्री योगेन्द्रनाथ हांडा से) क्या आप अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस ले रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : हां ले लूंगा।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसको वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

अनुमति प्रदान की गई

(संशोधन प्रस्ताव वापिस लिया गया)

श्री भीमसेनजी विधेयक को विचारार्थ लेने का प्रस्ताव करें।

विधेयक पर विचार एवं पारण

श्री भीमसेन : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पशु एवं पक्षी बलि (निषेध) विधेयक, 1973 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

खण्ड दो।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 को स्वीकार किया जाय। क्या सदन की अनुमति है।

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया।

खण्ड 4 से 10। प्रश्न यह है कि खण्ड 4 से 10 तक स्वीकार किया जाय। क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

खण्ड 4 से 10 तक विधेयक का अंग स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जायं। क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किए गए।

माननीय सदस्य विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव करें।

श्री भीमसेन : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पशु एवं पक्षी बलि (निषेध) विधेयक, 1973 को पारित किया जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं थर्ड रीडिंग में बोलूंगा। सभापति महोदय मैंने धर्म के संबंध में कहा था। सभापति महोदय, जहां तक इस विधेयक का संबंध है यह विधेयक बहुत ही अच्छा विधेयक है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य क्या कर रहे हैं ? आपका कोई प्रतिवाद नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, जनसंघ के माननीय सदस्य ने धर्मगुरुओं के बारे में कहा है। उनके संबंध में थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं। मैं धर्मगुरुओं का विरोधी हूं जो लोग 'बाल योगेश्वर जैसे स्मगलर लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने लाखों रुपये की सम्पत्ति बनाली है.......

श्री सभापति : माननीय सदस्य मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने

(श्री सभापति)

भाषण को इस विषय तक ही सीमित रखें। आज आप दूसरी चर्चा नहीं करें तो ठीक रहेगा।

(व्यवधान शोरगुल)

आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री हांडाजी कभी कहते हैं कि मैं हनुमानजी की ध्वजा जो है उसकी लंगोट बनाकर पहनता हूं यह अच्छी बात नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, मैं कन्ट्रोवर्सी पैदा नहीं करना चाहता पर यह जनसंघ वाले जो कहते हैं वही मुझे मजबूर करते हैं।

(व्यवधान: अश्रव्य)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान-अश्रव्य)

माननीय सदस्य मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप स्थान ग्रहण करें। आपको मैंने पहले ही निवेदन कर दिया है कि आप जो विषय की बात है वही बोलें। जिस चर्चा करने से अपने को कोई लाभ नहीं होने वाला है उसको करने से कोई फायदा नहीं है आप अभी यहां सदन में धर्मगुरुओं की चर्चा नहीं करें तो ठीक है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, धर्मगुरु लोग ज्यादा राजनीति में टांग अड़ाते हैं। इन धर्मगुरुओं की खिलाफत करना मैं अपना पावन कर्त्तव्य समझता हूं मैं सदन में बोलूंगा मेरा राइट है। मैं कहूंगा कि बाल योगेश्वर स्मगलर है और आनन्दमार्गियों के धर्मगुरु के खिलाफ तो उसकी खुद की धर्मपत्नी ने केस चलाया है। इसके अलावा सांईबाबा जो आजकल अपने आपको भगवान कहता है उसके बालों में तो ट्रांजिस्टर तक मिले हैं। यह धर्मगुरु लोग सभापति महोदय, सी. आई. ए. के एजेन्ट हैं। मुझे इनसे देश को बचाने का हक है। यह जनसंघ वाले इन धर्मगुरुओं का सहारा लेकर राजनीति में प्रचार करवाते हैं। अब ऐसे लोगों के खिलाफ में मैं कैसे नहीं बोलूं। मैं इन लोगों की खिलाफत करना मेरा पुनीत कर्त्तव्य समझता हूं। मैं इस विधेयक के खिलाफ में नहीं हूं लेकिन धर्म के अन्दर यह जो पोप मण्डली है, ये धर्म के पीपे हैं इनका मैं आदर नहीं कर सकता हूं। मैं सदन से निवेदन करूंगा कि यह मासूम सा बिल है। इसको सदन को पास करना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : शंकराचार्यजी के लिए भी तो बोल दें।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री गुमानमल लोढ़ा : सभापति महोदय, मैं तृतीय रीडिंग पर बोलना चाहूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मुझे पूरा कह लेने दीजिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं फिर आप से अपील करना चाहता हूं कि आप स्वयं समझदार हैं, आप इन विषयों पर बोल कर जिनका इससे सम्बन्ध नहीं है, कन्ट्रोवर्सी पैदा न करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय सभापति महोदय, मेरी कोई कन्ट्रोवर्सी पैदा करने की इच्छा नहीं है लेकिन जिनको हर जगह सूंघने की आदत है, मैंने तो बिल्कुल इसको निरीह तरीके से रखा है, माननीय सदस्य, बिल लाये हैं। जेमी साइड और पेस्टिसाइड से दूर करना चाहते हैं। मैं उससे सहमत हो जाऊंगा। यदि बिल ऐसा लायें। लेकिन ऐसे जर्म्स हैं जिनको मारना भी पड़ता है। जैसे कोबराज हैं, काफी भुजंग हैं, मारने पड़ते है। उस भावना की बात नहीं है। मन्दिर के आंगन और प्रांगण की भी। मन्दिरों के प्रांगण के साथ अनेक माननीय सदस्यों की भावनायें जुड़ी हुई हैं, भावनात्मक ताल्लुक है। माननीय सदस्य, जिन्होंने बिल पेश किया है वे सभ्य और शालीनवि व्यक्ति हैं, शालीन तरीके से जिन्होंने बिल रखा है मुझे एतराज भी नहीं है इस बिल के सम्बन्ध में। दूसरी प्रकार की भावनायें हैं उनको भी रखा है। धर्मशास्त्रों और मान्यताओं के साथ उनकी भावनायें जुड़ी हुई हैं। मैंने किसी कन्ट्रोवर्सियल तरीके से किसी चीज को नहीं रखा है। मैंने केवल यही बताया है कि मिशनरी जील से ड्राइव करना ज्यादा उपयोगी होता इस दृष्टि से कहा है। राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उसका भी लोग शिकार खेलते हैं। सदन चुप है। सदन के नेता महोदय भी चुप हैं।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सदन के नेता महोदय को कहा गया है। लेकिन वे चुप हैं। विश्नोइयों के गांव में राष्ट्रीय पक्षी का शिकार किया गया है, जो कि इसके कट्टर विरोधी होते हैं। सारा का सारा राजतंत्र उस सम्बन्ध में मौन है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कानून होते हुए भी राष्ट्रीय पक्षी का शिकार किया गया अन्त में मैं यही कहूंगा कि इस बिल को पारित किया जाय।

श्री गुमानमल लोढा : माननीय सभापति महोदय, यह बिल जिस रूप में है उसको पारित किया जाय इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, मेरी यह मान्यता है कि राष्ट्र के अन्दर धर्म और संस्कृति अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। मानव कई प्रकार से यदि कुरीतियों से बचता है, कुकृतियों से बचता है तो उसमें धर्म और संस्कृति का प्रमुख स्थान होता है। मेरी यह मान्यता है कि जो व्यक्ति धर्म और संस्कृति को समाप्त करना चाहते हैं और येन केन प्रकारेण किसी न किसी बहाने से जब कभी किन्हीं धर्मगुरुओं पर, साधुओं और सन्यासियों पर उनके धर्म और संस्कृति पर कीचड़ उछालने का प्रयत्न करते हैं तो ऐसे व्यक्ति देश का बहुत बड़ा ह्रास करते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बाल योगेश्वर को आप धर्म का रक्षक मानते हैं ?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य को बोलने दीजिये। आप अपनी भावनायें रख चुके हैं। माननीय सदस्य को भी अपनी भावनायें रखने दीजिये। उनको भी अपनी भावनायें रखने का अधिकार है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सीधी बात करें। Why beat about the bush?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा यह अच्छा होगा कि किसी कन्ट्रोवर्सियल बात पर न बोला जाय। आप स्वयं सीनियर मेम्बर हैं और समझदार हैं।

श्री गुमानमल लोढा : सभापति महोदय, हमने सदन में इस बात को सुना है कम्युनिस्ट माननीय सदस्य ने कहा हनुमान जी के झण्डे को, पताका की लंगोटी के काम लेते हैं। जब हमने यह सुना तो हमने समझा कि पागलपन का प्रलाप कर रहे हैं और उसका खण्डन करना उचित नहीं है। लेकिन····

श्री केशरीमल : साम्प्रदायिक दंगा फैलाना भी आप से सीखे।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

श्री गुमानमल लोढा : मुझे यह कहना है, रामस्नेही साधुओं के लिये भी कहा। उनको श्रद्धा से देखने वाले हजारों लाखों व्यक्ति देश में हैं और इस प्रान्त में भी हैं। कई व्यक्तियों के बारे में समय समय पर बातें कही गई है····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सौभाग्य से मेरी पार्टी का झण्डा लाल रंग का है और हनुमानजी के झण्डे का रंग भी लाल है।

श्री गुमानमल लोढा : जिस अपमानजनक तरीके से हनुमानजी का अपमान किया है यह बहुत ही शर्मनाक बात है। यदि उनकी धर्म और संस्कृति में श्रद्धा होती तो यह अपमान नहीं करते!

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि रामस्नेही महाराज के बारे में बात कही। आचार्य रजनीश की भी बात कही। हमने बीच में बोलने का प्रयत्न नहीं किया क्योंकि हम समझते थे कि अमुमन कम्युनिस्टों का इस प्रकार से बात करना रहता है। लेकिन हनुमानजी के मंदिर के सम्बन्ध में, जो कि एक गम्भीर प्रश्न है, प्रदर्शन हुआ और अपनी बात रखने के लिये आये उस संदर्भ में इस प्रकार की बात करना शोभाजनक नहीं लगता है।

जिस भावना से इस बिल को रखा गया है उसको पारित करना चाहिये इसमें हमें कोई विरोध नहीं है। हम इसका समर्थन करते हैं। आचार्य रजनीश कौन हैं, बाल योगेश्वर कौन हैं, साई बाबा कौन हैं, ट्रान्जिस्टर मिला या नहीं, मैं नहीं जानता साईं बाबा को इस तरह से प्रलाप करना बिना प्रसंग के यह उचित नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी का जो यह तरीका है वह बहुत ही गलत है। कई लोग जो सदन में नहीं है, इससे उनकी भावनाओं पर कुठाराघात होता है। येन केन प्रकारेण प्रलाप किया जाय और इस प्रकार किसी की मान्यताओं पर और उनके धर्म गुरूओं पर कीचड़ उछाला जाय सदन में इसकी अनुमति भी नहीं दी जानी चाहिये।

इस बिल के सम्बन्ध में पिछले सत्र में भी कहा था कि बिना विवाद के ही इसको पारित करना चाहिये। माननीय सदस्य ने यह बिल रखा है मैं उनको धन्यवाद दूंगा और मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने इस बिल को यहां रख कर इसको पारित कराने का प्रयास किया है। सदन के सब ही माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि इसको एक मत से पारित किया जाय।

श्री मनोहरलाल : माननीय सभापति जी, मैं माननीय सदस्य से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा ।

श्री सभापति : श्री केसरीमल ।

श्री केसरीमल : सभापति महोदय, यह बिल पास करने की स्थिति में आया है और यह अच्छा बिल है और इसको पास करना चाहिये । जब भी समाज में ऐसी कुरीतियां रही हैं समाज को कुचेटती रही हैं समय समय पर उनका खण्डन भी किया जाता रहा है । 'सत्यार्थ प्रकाश' को किसी ने पढा है ? चाहे भैरोंजी हों, चाहे बापूजी के मानने वाले हों, दयानन्द सरस्वती ने उनका कितना खण्डन किया है । जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, लेकिन धर्मगुरुओं के बारे में 'सत्यार्थ प्रकाश' में जितना कहा गया है उतना किसी ग्रन्थ ने नहीं कहा होगा । आपने पढ़ा नहीं है । धर्मगुरुओं और मान्यताओं का खण्डन किया गया है । हम किसी मान्यता को स्वीकार करें अथवा नहीं लेकिन धर्म के नाम पर किसी की आड़ में खड़े होकर ऐसा कहें जिससे झगड़ा हो जाय । यह नहीं होना चाहिये । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल में यह कहा गया कि मंदिरों में बलि न हो । अच्छी बात है । कितने पंथ हुए हैं, पंच मकोलिया, कुंडा पंथ और न जाने कितने ही पंथ, उनका खंडन किया है । चार्वाक हुए हैं । उन्होने एक ढंग से खंडन और मंडन किया है । अगर इस तरह इस बात को रोक दिया जाय, सभापति महोदय, तो जो कहे सो माने । इसका मतलब है वही फासिस्ट तरीका अपनाना चाहते हैं । फिर किसी का क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहते हैं, किसी धर्म को माने या न माने इसका मतलब क्या होता है मतलब यही है कि उनकी प्रवृत्ति है दूसरों को न बोलने देने की । मेरा निवेदन है कि इसको पारित किया जाय ।

श्री सभापति : श्री मनोहर लाल ।

श्री मनोहर लाल : सभापति महोदय, एक स्पष्टीकरण चाहूंगा जहां तक पाखण्ड का सवाल है, पाखण्डी धर्म है या पाखण्डी कम्यूनिस्ट है मैं उसको राष्ट्र विरोधी मानता हूं जो राजनीति में धर्म घुसेड़े चाहे वह बाल योगेश्वर हो, चाहे जयगुरुदेव हो और चाहे ढोंगी हो—राजनीति में जो धर्म घुसेड़े वह देश विरोधी है । मैं एक प्रश्न माननीय सदस्य से पूछना चाहूंगा ···

एक मा० सदस्य : एक ढोंगी यहां भी बैठे हैं । आपका किससे अभिप्राय है ?

श्री केसरी मल : उनको चिढ़ किससे है ?

श्री मनोहर लाल : ····(अश्रव्य)···· उन्होंने लिखा है, आप समझते नहीं है गाय पर लिखा है···जो देश की संस्कृति में है, उसको स्वीकार करना चाहिये ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

... आप नहीं समझ पा रहे हैं··· । मैं निवेदन कर रहा था सभापति महोदय, माननीय सदस्यों की जानकारी है जैसे पुष्कर है, कामां है, इनके तीन मन्दिरों के बीच में एक कुण्ड है । उन कुण्डों में मछली पकड़ी जाती है और थानेदार मछली पकड़ कर खा जाते हैं । जो कदम खड़ी और चरण पहाड़ी है वहां पर मार मार कर खाते हैं, अफसर मछली खाते हैं, नेता मछली खाते हैं ।

(श्री मनोहर लाल)

मछली पशु में भी नहीं आती है और पक्षी में भी नहीं आती है। इसलिये मैं आपसे पूछना चाहता हूं मछली को आप बचाना चाहते हैं या नहीं बचाना चाहते हैं। आपने भेड़िये, कुत्ते गीदड़ आदि को तो बचाया है लेकिन मछली को नहीं बचाया है। तीर्थ स्थानों पर नेता पकड़ पकड़ कर खा जाते हैं.... सब खाते हैं.... मछली के बारे में आपको इसमें लाना चाहिये इसके लिये चाहे कुछ व्यवस्था करें क्योंकि मन्दिरों के कुण्डों का सवाल है।

एक निवेदन और कर रहा था। आपने इस परिभाषा में पुजारियों को नहीं लिया है। वे अपने लिये काटेंगे और कहेंगे मैं तो देवी के लिये नहीं काट रहा हूं अपने लिये—काट रहा हूं और बच्चों को प्रसाद दे दिया आपको लगाना है तो इसमें पाखण्ड नहीं करना चाहिये।

श्री सभापति : श्री मोहर सिंह।

श्री मोहरसिंह : सभापति महोदय....

एक माननीय सदस्य : ये तो बोल चुके हैं।

श्री सभापति : श्री भानुकुमार शास्त्री।

श्री भानु कुमार शास्त्री (उदयपुर) : राजस्थान पशु एवं पक्षी बलि (निषेध) बिल जो माननीय सदस्य भीमसेन जी ने प्रस्तुत किया है उनका समर्थन करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी भी धर्म के अन्दर किसी भी प्रकार की हत्या मन्दिरों के स्थान पर हो तो मैं नहीं समझता हूं किसी ने किसी को अनुमति दी हो। कई लोग इस प्रकार का भय रखते हैं कि हमारा जो अधिकार है या जो हम मांस खाते हैं वह बन्द कर दिया। सबसे बड़ी धर्म के नाम पर बलि होती है। मन्दिर की सीमाओं में जो बलि होती है वह नहीं होनी चाहिये। उसको कौन पसन्द करता है, कोई पसन्द नहीं करता है। दूसरे लोग इसमें शास्त्रों का उदाहरण देते हैं, मनुस्मृति का उदाहरण देते हैं क्योंकि मनु ने कहा है। लेकिन उन्होंने क्या कहा है उसको देखते नहीं है आगे देखते हैं तो पीछे नहीं देखते हैं और पीछे देखते है तो आगे नहीं देखते हैं। केवल कुछ शब्द देख लेते है उसके पीछे नहीं देखते हैं....

न मांस भक्षते दोषो,
न मद्ये न च मैथुने।
एषा प्रवृत्ति - भूतानाम्,
निवृत्तिस्तु महाफला।

मांस खाने में दोष नहीं है, शराब पीने में तथा संभोग करने में भी दोष नहीं है क्योंकि यह प्राणियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। यदि निवृत्ति हो तो इसका बड़ा फल है। इसका अर्थ यह नहीं है कि मांस खाना, शराब पीना व संभोग करना मनु महाराज ने स्वीकारा है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि मांस, शराब व संभोग आदि मानव को नहीं करने चाहिये। ऐसी प्रवृत्ति सदियों की प्रवृति है। मेरा यह कहना है शास्त्रकारों का विरोध हिंसा को त्याज्य बताया है। अब ऐसे प्रसंग में....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने इनमें क्या क्या छोड़ रखा है?

श्री भानु कुमार शास्त्री : समाज के किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं होगा। यह कितना अच्छा होगा और मेरा निवेदन है इसको सर्व सम्मति से पारित कर दें।

श्री मोहरसिंह (सादुंलपुर) : सभापति महोदय, आज का जो विषय है मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि देश के मजहबों का सवाल है, देश में थोड़े मजहब नहीं हैं। और यह मानना पड़ेगा कि मजहबों में हद से ज्यादा अन्ध विश्वास है उससे दो राय नहीं हो सकती है। सभापति महोदय, लेकिन इस प्रसंग में जो बिल पेश किया गया है वह यह है कि जो लोग मानते हैं देवता और भगवान के आगे पशु बलि की जाय उससे मुक्ति होगी, स्वर्ग मिलेगा यह अन्ध विश्वास है और इसके लिए जो बिल रखा गया है मैं उसका समर्थन करता हूं ? सभापति महोदय, वास्तव में शुरू से लेकर आखिर तक देश में मजहब पनपे हैं। मैं चार वर्ष तक आर्य समाज का प्रचारक रहा हूं और मैंने काफी खण्डन मण्डन किया है। मेरी जानकारी है लेकिन उसको आज न कह कर इतना कह रहा हूं अन्ध विश्वासों ने हिन्दुस्तान के मजहब में प्रवेश करके बड़ा भारी नुकसान पहुंचाया है और अन्ध विश्वास की भावना आती है तो देश गारत में गिरता है और गारत की ओर ले जा रहे है। इसी प्रकार की यह भावना कि देवता के मन्दिर में पशु बलि करने से मोक्ष मिलेगी, इसके विरोध में रखा गया है इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान पशु एवं पक्षी बलि (निषेध) विधेयक, 1973 को सर्व सम्मति से पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

सर्व सम्मति से पारित किया गया।

राजस्थान दुकान तथा वाणिज्यिक स्थापन (संशोधन) विधेयक 1972

व्यवस्था उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण के अभाव में विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान न करने सम्बन्धी

अब राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक स्थापन (संशोधन) विधेयक, 1972....

(विराम)

आप मूव करें, इससे पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हर एक ऐसे बिल के साथ स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स होने चाहिये और इसके साथ में नहीं है। आपको जो आथोरिटी दी गई है परन्तु आथॉरिटी बिना रीजन्स एण्ड ओब्जेक्ट्स के लिये नहीं दी जा सकती है इसलिए मैं इस आधार पर प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री केशरीमल : पर अनुमति दे सकते हैं ....? सभापति महोदय, इसमें लिखा है स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स दिये हुए हैं। यह बात गलत है....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर सर। स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स ये दिये हुये हैं राजस्थान शाप एन्ड कामर्शियल एस्टाब्लिसमेंट....

श्री सभापति : मैं स्पष्ट कर दूं इसके अन्दर प्रश्न यह है कि रीजन्स फार दी

(श्री सभापति)

मूविंग फार दी मैम्बर है वह जो होना चाहिये अदर देन ट्रेजरी बेन्चेज जो मूव करता है उसके रीजन्स इसमें होने चाहिये। जो रूल्स एन्ड प्रोसीजर है उसमें आवश्यक है जैसा 68 में है....

No motion that a Bill be taken into consideration or be passed shall be made by any member other than the member in charge of the Bill....Provided that if the member in charge of a bill is unable, for reasons which the Speaker considers adequate, to move the next notion in regard to his Bill at any subsequent stage after introduction, he may authorise another member to move that particular motion with the approval of the Speaker.''

तो आपने एक आथोरिटी दी है पर रीजन्स जो इसमें देने की बात है वह नहीं है।

एक माननीय सदस्य : तीसरा संकल्प ले लीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, 60 के अनुसार ये दोनों ही चीजें माननीय सदस्य रामानन्दजी जिन्होंने यह बिल रखा है, प्रस्तुत की है। यह टेबिल फार्म है और प्रिन्टेड है इसके अन्दर.....

श्री सभापति : रूल 60 में तो कम्युनिकेशन आफ सेंक्शन आर रिकमन्डेशन आफ प्रेसीडेण्ट और गवर्नर है...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : 61 के हिसाब से भी कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री सभापति : रूल 61 का क्या रेफरेन्स देना चाहते है ? मैंने 68 का कहा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरा इसमें सलेक्ट कमेटी में भेजने का रेज्योल्यूशन है।

श्री सभापति : इसके अन्दर स्थिति यह है कि जो 68 के तहत मैंने स्थिति निवेदन की है उसके अभाव में इसको कन्सीडरेशन में नहीं ले सकते और कन्सीड्रेशन की इस स्टेज पर जो मैंने रीजन्स आपको बताये हैं उसके अन्दर जो भी स्थिति है वह भी माननीय सदस्य ने इसको यहां रखने की व्यवस्था चाही है। दूसरे इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। रूल्स आफ प्रासीजर के मुताबिक निवेदन कर रहा हूं इसलिए नैक्स्ट टाइम जब भी कभी चाहें व्यवस्था के अनुसार या रूल्स के मुताबिक इसको मूव कर सकते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पाइन्ट ऑफ आर्डर सर। 68 का (2) है उसको पढ़ें। इसको सलेक्ट कमेटी में भेजने का मेरा प्रस्ताव है।

श्री सभापति : सलेक्ट कमेटी का सवाल तो पैदा ही नहीं होता जब यह बिल यहां कन्सीडरेशन में ही नहीं आया है इसलिए सलेक्ट कमेटी का सवाल कहां पैदा होता है। कन्सीड्रेशन की स्टेज हो तो आप ऐसा मूव कर सकते हैं सलेक्ट कमेटी के लिए।

माननीय सदस्य संकल्प प्रस्तुत करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : फिर रीजन्स क्या होते हैं ?

श्री सभापति : मिनिस्टर इन्चार्ज के अलावा अदर दैन एनी मेम्बर इसको मूव करता है तो वह इसके रीजन्स साथ में देते हैं और यह इसको मूव करना चाहते हैं केवल इसको थोड़ा रूल्स आफ प्रासीजर के हिसाब से मैंने निवेदन किया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : रीजन्स दिये हैं।

श्री सभापति : यह बिल के आब्जेक्ट एण्ड रीजन्स हैं। दूसरा मेम्बर ट्रेजरी बेन्चेज के अलावा किसी बिल को मूव करते हैं तो उसको बिल मूव करने के रीजन्स देना जरूरी हैं। रूल्स 68 में वह माननीय सदस्य ने नहीं दिये हैं इसलिए आसन को जानकारी मिली है तब मैंने निवेदन किया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय सदस्य का स्वास्थ्य ठीक नहीं था वह चले गये।

श्री सभापति : जो मूवर हैं वह मूव करने की अथोरिटी दे सकते हैं लेकिन उसके रीजन्स के लिए अथोरिटी देकर मूव करने की बात नहीं कर सकते।

अशासकीय संकल्प (अग्रेत्तर विचार)

सिन्धी शरणार्थी (भारत-पाक संघर्ष) का भूमि आवंटन एवं अन्य सुविधाएं

माननीय सदस्य संकल्प प्रस्तुत करें। श्री लोढ़ा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सभापति महोदय, श्री लोढ़ा साहब ने पहले यह संकल्प प्रस्तुत किया था तो उनके बोलने का अधिकार नहीं रहता है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं अब बोल नहीं रहा हूं। संकल्प इस प्रकार है:

"सदन की राय है कि राजस्थान में भारत-पाक संघर्ष के सन्दर्भ में आये हुए सिन्धी शरणार्थियों को राजस्थान में भूमि आवंटन किया जाये व बसाने के लिए सब सुविधायें दी जायें।

मैं तो सभापति महोदय, बोल चुका हूं और मैं चाहूंगा कि उस दिन माननीय मंत्री महोदय उत्तर नहीं दे सके थे क्योंकि समय समाप्त हो चुका था।

श्री सभापति : श्री गिरधारी लाल जी भार्गव कन्टीन्यु कर रहे थे। वह बोलें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय सभापति महोदय, जो भाई गुमानमलजी ने सदन के सामने संकल्प रखा था...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पाईन्ट आफ आर्डर सर। मैं फिर रेज करूंगा...

श्री सभापति : माननीय सदस्य अगर इसी संबंध में कह रहे हैं या और कोई बात है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उसी संबंध में।

श्री सभापति : मैं निवेदन कर चुका हूं कि आसन की ओर से व्यवस्था दी जा चुकी है। आप अध्यक्ष महोदय से मिलकर सन्तोष कर लें और जो भी स्थिति हो उनसे बातचीत कर लें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यही कहना चाहता था कि अध्यक्ष महोदय पर निर्भर है इसमें स्पष्ट दिया है कि अध्यक्ष महोदय अगर चाहें तो अनुमति दे सकते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय शासन की ओर से जो व्यवस्था दी है उसके बाद में इस पर विवाद नहीं हो सकता। अब आप अध्यक्ष महोदय से उनके चेम्बर में जाकर जैसी भी स्थिति है, अध्यक्ष महोदय का आदेश होगा वह हम सबको स्वीकार्य है, उसमें हमें आपत्ति नहीं है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय सभापति जी, मैं यह निवेदन करने जा रहा हूं कि यह संकल्प वर्तमान में बदली हुई परिस्थितियां हैं उनके अनुसार इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती हैं और माननीय सभापति जी आपको ध्यान होगा कि बाड़मेर और जैसलमेर की सीमा पर सिन्धी शरणार्थी बसे हुए हैं और कब से बसे हुए हैं यह भी मैं समझता हूं कि बात छिपी हुई नहीं है। राज्य सरकार को इन सब के लिए कितनी समुचित व्यवस्था करनी चाहिए वह राज्य सरकार व्यवस्था नहीं कर पाई। आज जब अमेरिका पाकिस्तान को शस्त्र दे रहा है तो आज सीमाओं की स्थिति दूसरी प्रकार की हो गई है। बावजूद शिमला समझौता हो जाने के निश्चितरूप से पाकिस्तान इस पवित्र भूमि पर फिर आक्रमण करेगा और छेड़छाड़ की मनोवृत्ति, जानवरों की चोरी करने की मनोवृत्ति चल रही है। कई छुटपुट घटनायें, जैसा कि पाकिस्तान की आदत रही है कि युद्ध से पहले छेड़छाड़ करने की वह प्रवृत्ति पुनः प्रारम्भ हो गई है। पाकिस्तान को हथियार अमेरिका से मिल गये हैं और मैं समझता हूं कि उसका विरोध हमने इस सदन में भी और सदन के बाहर भी भली प्रकार से किया है। तो यहां पर मुझे कहना है कि जो सिन्धी शरणार्थी आये सिवाय लक्ष्मणसिंह नाम के व्यक्ति के बाकी सारे के सारे शरणार्थियों ने भारत की सेना का मार्गदर्शन किया और भारत की विजय तो है ही लेकिन भारतीय सैनिकों के साथ ही साथ सिन्धी शरणार्थियों ने जो सेना को मार्ग दिखाया और जो श्रेय मिलना चाहिए बल्कि श्रेय मिला भी, भारतीय सैनिकों ने भी इन शरणार्थियों को सर्टीफिकेट दिये हैं कि आपने हमको मार्ग दिखाया और मार्ग दिखाने के कारण हम भारत माता की रक्षा करने में सफल हो सके और पाकिस्तान के हम दांत खट्टे कर सके। ऐसे सिन्धी शरणार्थी आज भी दुख में पड़े हुए हैं…

एक माननीय सदस्य : कोरम नहीं है।

(गणपूर्ति सूचक घंटी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

श्री रामकिशन : अनुशासनहीनता की सीमा है अध्यक्ष महोदय।

श्री केदारनाथ : कांग्रेस का रिगार्ड है असेम्बली वर्किंग में।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : तो माननीय सभापति महोदय, मैं प्रार्थना करने जा रहा था कि भारत सरकार के बावजूद

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

इतनी सहायता दिये जाने के आज भी जो सिन्धी शरणार्थी वहां पर रह रहे हैं उनको जिस प्रकार का भोजन मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। बाजरा और लाल ज्वार जिसमें धतूरा मिला हुआ है। मैं निवेदन करूंगा कि आज भी पौष्टिक आहार प्राप्त नहीं हो रहा है। उनके रहने की व्यवस्था, जो राजस्थान सरकार को करनी चाहिए आज भी इतना समय व्यतीत हो जाने के बाद और सैनिकों की और सरकार की मदद करने के बाद भी वह लोग तम्बुओं में रह रहे हैं और उनको किसी प्रकार से मकान की व्यवस्था नहीं की गयी शिक्षा के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि उनको बालक हैं उनको पढ़ाने के लिये किसी प्रकार की स्कूल की व्यवस्था नहीं है। वहां पर राज्य सरकार उनके पढ़ने के लिये किताबों की भी व्यवस्था नहीं कर पा रही है। बल्कि····

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य

घोषणा

वित्तीय समितियों का निर्वाचन

जन लेखा समिति 1975–76

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि जन लेखा समिति, 1975–76 के लिये निम्नांकित सदस्य निर्वाचित हुए हैं:–

1. श्रीमती उषा प्रकाश
2. श्री ओंकारलाल चौहान
3. श्रीमती कान्ता कथूरिया
4. श्री जयनारायण
5. श्रीमती प्रभा मिश्रा
6. श्री भीमसेन चौधरी
7. श्री भानुकुमार शास्त्री
8. श्रीमती मदन कौर
9. श्री मनोहर कोठारी
10. श्री महेन्द्र कुमार
11. श्री मूलचन्द सामरिया
12. श्री मोहम्मद गफ्फार अली
13. श्री मोहरसिंह (चुरू)
14. श्री सहदेव शर्मा
15. श्री सुरेन्द्र व्यास

राजकीय उपक्रम समिति 1975–76

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि राजकीय उपक्रम समिति, 1975-76 के लिये निम्नांकित सदस्य निर्वाचित हुए हैं:—

1. श्री अमृतलाल गहलोत
2. श्री गिरधारीलाल भार्गव
3. श्री गोकुलचन्द
4. श्री गोपाल जोशी
5. श्री घासीराम यादव
6. श्रीमती जमुना सोलंकी
7. श्री दलपतसिंह
8. श्री प्रद्युम्नसिंह
9. श्री भुवनेश चतुर्वेदी
10. श्री राजेन्द्रसिंह
11. श्री विद्यासागर
12. श्री शंकरलाल (पाली)
13. श्री श्रीनिवास शारदा
14. श्री गोपालसिंह
15. श्रीमती सुमित्रा सिंह

प्राक्कलन समिति, 1975-76

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि प्राक्कलन समिति, 1975–76 के

(श्री सभापति)

लिये निम्नांकित सदस्य निर्वाचित हुए हैं —

1. श्री अजीतसिंह
2. श्री कालूराम आर्य
3. श्री गोरधनसिंह
4. श्रीमती गौरी पूनिया
5. श्री गौरीशंकर मुनीम
6. श्रीमती नगेन्द्र बाला
7. श्री नन्दलाल बैरवा
8. श्री नाथूराम
9. श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत
10. श्री पूनमचन्द विश्नोई
11. श्री भंवरलाल भदादा
12. श्री मोहरसिह (सादुलपुर)
13. श्री रतिराम यादव
14. श्री रामप्रसाद बोहरा
15. श्री रावतराम
16. श्री लूणाराम
17. श्री विजयसिंह राठौड़
18. सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव
19. श्री सज्जनसिंह
20. श्री सांवरमल मोर
21. श्री ज्ञानसिंह चौधरी

अशासकीय संकल्प (अग्रेतर विचार) सिन्धी शरणार्थी (भारत पाक संघर्ष) को भूमि आवंटन एवं अन्य सुविधाएं

श्री गिरधारीलाल भार्गव : तो सभापति महोदय, मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि उनके भोजन की उचित व्यवस्था नहीं है, उनके रहने की उचित व्यवस्था नहीं है, उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं हैं बल्कि राजस्थान सरकार का जो शिक्षा विभाग है उसके द्वारा प्रेस्क्राइब्ड किताबें मिलती नहीं हैं और जो पुस्तकें पाकिस्तान की स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं वह मिल रही हैं। इसलिए जो अच्छे नागरिक होने चाहिए, जो हमारी भारत माता की रक्षा करें और उनको अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं हो, पहनने के लिये कपड़े नहीं मिले तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रहने के लिये वे तम्बुओं में रहें, सीमा पर इस तरह से खुले में पड़े हुए हैं तो उनके कब्जे में जो भूमि है वहां से उनको बेदखल किया जा रहा है। तम्बू गड़े हुए हैं जिन पर बड़े बड़े लोग कब्जा करना चाहते हैं। आज, सिन्धी शरणार्थी, मैं उनको नहीं कहना चाहता, सिन्धी शरणार्थी कहकर मैं उनके मान का दुरुपयोग नहीं करता चाहता, ऐसे पुरुषार्थी भाई, भारत माता की रक्षा करना चाहते हैं उनको भी, इस प्रकार की देश की सेवा करने के बावजूद भी ऐसा हाल होवे तो मैं समझता हूं कि उपाध्यक्ष

6.45 सायं

(श्री राम सिंह यादव उपाध्यक्ष पदासीन)

राजस्थान सरकार के लिये इससे बढ़कर कोई अपमान की बात नहीं हो सकती। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि उनके तम्बू हटा दिये जायेंगे, उनको बेदखल कर दिया जायगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सिन्धी शरणार्थियों को इस प्रकार की सुविधायें दी जाय और उनके कब्जे में जो जमीन है उसको रेग्यूलराइज करके उनको वहीं पर बसाया जाय।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

(गणपूर्ति सूचकघन्टी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

इसके साथ साथ इतना समय हो गया इसलिए राजस्थान सरकार को भारत सरकार से सलाह करके ऐसे नागरिकों को सीमा पर बसाने के साथ साथ इस प्रकार की सुविधायें भी दी जायं, और उनको नागरिकता भी प्रदान की जाय। काफी समय हो गया है इसलिए इसकी व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी

श्री परसराम मदेरणा (पुनर्वास मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष जी, पिछले सत्र में उससे पहले सत्र में, पाकिस्तान के शरणार्थी हिन्दुस्तान में आये हैं, इस सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने उनके रिहेबिलिटेशन को लेकर कई बातें कहीं और आज भी हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य ने इन कैम्पों में, जो पाकिस्तान के नागरिक भारत-पाक संघर्ष के बाद जो शरणार्थी आये हैं इनमें शरणार्थियों के भोजन की व्यवस्था नहीं है, अभी तक उनकी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, स्कूलों का प्रबन्ध नहीं है, उनके पास कपड़े नहीं है और इस प्रकार की कुछ बातें कहीं। माननीय उपाध्यक्ष जी, जबसे यह शरणार्थी हिन्दुस्तान में आये हैं कुल मिलाकर के भारत सरकार ने इनको सभी प्रकार की सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये जिसमें कपड़े, राशन और दवाईयों की व्यवस्था है और साथ ही साथ कपड़ों के लिये व्यवस्था करने में चार करोड़ रुपया खर्च किया है। दिसम्बर 74 तक 3 करोड़ 58 लाख और उसके बाद तीन महीने और निकाल दिये है उसमें दो लाख से तो ज्यादा ही खर्चा हुआ है, इस तरह से कुल मिलाकर चार करोड़ के लगभग खर्च किया गया है। इसलिए यह कहना कि इन शरणार्थियों के लिये कोई व्यवस्था नहीं है, यह उचित नहीं होगा। कुल मिलाकर करीबन साठ हजार शरणार्थी हिन्दुस्तान में आये थे और साठ हजार में से 46 हजार हिन्दुस्तान में हैं। इन 46,120 में से 43,498 कैम्पों में हैं, 2622 कैम्पों के बाहर रह रहे हैं। जो कैम्पों के अन्दर रहते हैं उनको प्रेस्क्राइब्ड स्केल पर राशन और राशन में अनाज के अलावा दाल भी प्रेस्क्राइब्ड स्केल के अनुसार दी जाती है, उनको चीनी भी दी जाती है और साथ ही साथ उसको केश भी दिया जाता है ताकि वह अन्य खर्चे उससे मीट कर सकें। कपड़ों के सम्बन्ध में प्रेस्क्राइब्ड स्केल के अनुसार कपड़े दिये जाते हैं, बच्चों को स्वेटर्स और जर्सियें वगैरह भी दी जाती हैं और अभी शरणार्थियों को 8 लाख 16 हजार रुपयों की कम्बलें बांटी गई। एजुकेशन के अन्दर यह कहें कि एजुकेशन की व्यवस्था नहीं की गई, इन कैम्पों के अन्दर जो पाकिस्तान से आये हैं 60 अध्यापकों को नियुक्तियां दी गई और शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। यहां पर यह बात भी कही गई कि उनको बसाया नहीं जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इन पाकिस्तान से आये हुए लोगों को बसाने में राज्य सरकार के सामने एक डिफिकल्टी है। शिमला समझौते के अनुसार इन सभी शरणार्थियों को पाकिस्तान जाने के लिए पाकिस्तान की सरकार रजामन्द हुई है, कुछ लोग जो भी कुछ जाना नहीं चाहते और इसीलिए शिमला समझौते के अनुसार जिनको जाना

(श्री परसराम मदेरणा)

था, उन सबको भारत सरकार और पाकिस्तान की सरकार के बीच जब तक कोई अन्तिम फैसला नहीं हो जाता तब तक राजस्थान सरकार कोई भी निर्णय नहीं ले सकती है। जहां तक सिटिजनशिप के राइट्स कन्फर करने का प्रश्न है वह भी तभी किया जा सकता है जब कि भारत सरकार की तरफ से कोई क्लियरेन्स मिल जाय। अभी मार्च के महीने में कमेटी ऑफ डाइरेक्शन्स की मीटिंग हुई थी और उसमें यह निर्णय लिया है कि अभी सिटिजनशिप का मामला भारत सरकार के विचाराधीन है और उन्होंने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है। जब तक भारत सरकार अन्तिम निर्णय नहीं ले लेती तब तक राजस्थान सरकार इस संबंध में तो कोई कार्यवाही जहां तक उनको नागरिकता का हक प्रदान करने का प्रश्न है उस ओर कुछ नहीं कर सकती। लेकिन तो भी जो लोग अभी गए नहीं हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह नहीं जाना चाहते उनको बसाने के संबंध में कुछ स्कीमें राजस्थान सरकार ने भारत सरकार के पास भेजी हैं। कुछ टेम्प्रेरी तौर पर स्कीमें थी और कुछ परमानेन्ट तौर पर उनको बसाने की स्कीमें थीं। परमानेंट तौर पर बसाने के संबंध में हमने जो स्कीम बनाकर भेजी थी उसमें कुछ हजार फैमिलीज को राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट एरिया में बसाने की योजना बनाई थी। कुछ फैमिलीज को दुकानें और दूसरे साधन देने के लिए बाड़मेर और बालोतरा के अन्दर पांच सौ दुकानें बनाने की योजना बनाई थी और दूसरी योजना जैसलमेर और बाड़मेर में जो भी ट्यूबवैल्स हैं इन ट्यूबवैल्स के आस पास कैटल ब्रीडर्स के बतौर कुछ जमीन देकर उनको बसाने की योजना थी। तीसरी योजना के संबंध में भारत सरकार ने कुछ डिटेल्स और मांगी हैं और जो हमारा एग्रीकल्चर सैल है उसमें यह एग्जामिन हो रही है। दो योजनाओं के सम्बन्ध में और एग्जामिनेशन कर रहे हैं और मुझे ऐसा दिखता है कि इन-प्रिंसिपल वह इस चीज को स्वीकार करते हैं। लेकिन फण्ड और दूसरी व्यवस्था करने के लिए अभी यह प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है। जहां तक इस राजस्थान के अन्दर जो कोई भूमि पड़ी हुई है यहां पर कहा गया कि जिन लोगों ने काश्त की थी उन पर जुर्माना हुआ, दूसरा कुछ हुआ। एक तरफ तो लोग कैम्प्स में रहते हैं, कैम्प्स में जो शरणार्थी रहे हैं उन शरणार्थियों को एक प्रेस्काइब्ड स्केल्स से राशन दिया जाता है। दूसरा खर्च का अमाउण्ट दिया जाता है, कपड़े भी दिए जाते हैं और शक्कर, तेल, दाल वगैराह सभी कुछ दिया जाता है। उसके बाद में कुछ लोग कैम्प से निकल कर, जिनको सिटिजन राइट कन्फर नहीं हुए हैं वह कोई गवर्नमेंट, सिवाय चक और दूसरी भूमि पर काश्त करें बिना किसी अनुमति के और जो इस देश के नेशनल नहीं हुए हैं अगर वह नेशनल भी होते और ट्रेस पास करते हैं तो नाइन्टीवन की कार्यवाही की जाती, तो वहां पर उनके खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन किया गया हो यह बात भी नहीं है। कानून कोई हाथ में लेना चाहे, हिन्दुस्तान के नागरिक हों या शरणार्थी हों, जो कोई भी हों, अभी तो वे हिन्दुस्तान के नागरिक भी नहीं बने हैं लेकिन अगर वही हिन्दुस्तान के नागरिक बनने के बाद भी अतिक्रमण करके सिवाय चक भूमि पर काश्त करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, निश्चिततौर पर उनके

(श्री परसराम मदेरणा)

खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है और इसी प्रकार से एक्शन लिया भी गया है, यह बात सही है और वह इसलिए लिया गया है कि उन लोगों ने बिना किसी प्रकार की सूचना दिए, कैम्प अधिकारियों को सूचना दिए बिना बाहर जाकर काश्त की। यह देखने के लिए वह नियमित और संयत तरीके से वह कैम्पस में रहें इसलिए अभी फिलहाल कुछ पुलिस फोर्स भेज कर इसकी व्यवस्था ज्यादा की है ताकि यह लोग इधर उधर घूमते नहीं फिरें। लेकिन यह बात सही है कि जो एडवोकेट्स हैं, डाक्टर्स हैं, कुछ इन लोगों के सम्बन्ध में यह है कि उनकी प्राइवेट प्रेक्टिस करने के लिए जब तक इनमें परमानेंट रहने के बारे में कोई निश्चित निर्णय भारत सरकार नहीं लेती है, तो भी हमने लिख कर भारत सरकार को भेजा था कि कुछ डाक्टर्स हैं, लाईयर्स हैं उनको प्रेक्टिस करने की इजाजत दी जाय ताकि अपनी आमदनी का जरिया ढूंढ सकें। उस सम्बन्ध में भारत सरकार ने अभी पांच सात रोज पहले ही हमको इस बात की अनुमति दी है कि ऐसे लोग जो टेक्निकल हैं, डाक्टर्स हैं, लाइयर्स हैं, इनको एक टेम्प्रेरी इजाजत देकर उनको प्रेक्टिस करने की अनुमति दे दी जानी चाहिये और उस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। तो यहां पर यह कहना कि राजस्थान की सरकार इन शरणार्थियों के सम्बन्ध में जो कुछ भी व्यवस्था कर रही है वह समुचित नहीं है, यह एडीक्वेट व्यवस्था नहीं है यह बात भी सही नहीं है। यह बात जरूर है कि उनको पूरा राशन कहीं पर नहीं मिला जहां 12 किलो राशन मिलना चाहिए उसकी जगह आठ किलो मिलता है। या जहां छः किलो मिलना चाहिये उसकी जगह चार किलो बच्चों के लिये मिलता है। तो जो राशन कम मिलता है बच्चों को हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं ताकि वह राशन बाजार से खरीद सकें। जो कुछ भी तीन सौ, साढ़े तीन सौ टन के आस पास राशन मिलता है उसमें कुछ कमी रह जाती है स्केल के अनुसार और इसीलिए उनको इजाजत है कि वे अपनी जरूरत का अनाज मार्केट से खरीद सकें। जो स्केल प्रेस्काइब किया गया है वह हम पूरा नहीं कर सकते थे इसलिए कि राशन कम मिलता है। लेकिन कम मिलते हुए भी उनको जो राशन नहीं मिलता है उसका बाकी का अमाउण्ट हम उन्हें दे देते हैं ताकि वह बाहर से खरीद सकें। इसलिए यह कहना कि इन शरणार्थियों के सम्बन्ध में राजस्थान की सरकार या भारत की सरकार उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रही है यह उचित प्रतीत नहीं होता है। और इसलिए आज उनको बसाने के संबंध में हमने एक परमानेंट योजना और कुछ टेम्प्रेरी योजना बनाई थी जिस पर भारत सरकार विचार कर रही है और जब तक भारत सरकार उस सम्बन्ध में एक नीति सम्बन्धी निर्णय नहीं ले लेती है कि इनको हिन्दुस्तान में ही रखा जायगा और इनको भारत की नागरिकता कन्फर कर दी जावेगी, तब तक उस सम्बन्ध में आर्बीट्रेरिरीली एज एस्टेट गवर्नमेंट कोई भी निर्णय किसी भी निर्णय को लेकर राजस्थान सरकार लागू नहीं कर सकती है, क्योंकि बसाने की स्कीम का जहां तक प्रश्न है कई कठिनाइयां हैं। अब सिटिजनशिप कन्फर नहीं होती है और नहीं होने के अभाव में उन लोगों को आया जो कम्पन्सेशन दिया जाएगा, उनकी वहां पर कितनी प्रोपर्टी रही है, उनके कुछ क्लेम बनते हैं यह पाइन्ट भी बाद में देखने के हैं।

(श्री परसराम मदेरणा)

आज जो कुछ भी स्थिति है कानून की निगाह में वह पाकिस्तान के नागरिक हैं और फोरनर की हैसियत से हमारी कण्ट्री में बैठे हुए हैं। लेकिन जिस परिस्थिति में, भारत पाक संघर्ष के बाद में यह लोग आए हैं, इस प्रकार की जो स्थिति रही है उसमें इन पर बन्दिश भी नहीं लगाई गई है। जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया था कि 46, 120 व्यक्ति जो आए उसमें से 2622 व्यक्ति आउट साईड कैम्प में रहते हैं लेकिन कलेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जानकारी है कि वह कौन कौन से गांवों में जाकर ठहरे हुए हैं। उनको जो यह सुविधा राशन की देते हैं वह हम उनको नहीं देते हैं। उनके कोई न कोई सम्बन्धी या दूसरे रिश्तेदार हैं वह उनसे राशन लेते हैं। जो भी अमाउण्ट, राशन या दूसरी सुविधायें प्राप्त होती है वह उन्हीं लोगों को होती हैं जो इम्मेंट हैं, कैम्प में रहते हैं लेकिन जो कैम्प के बाहर रहते हैं उनको यह सुविधा प्राप्त नहीं है। मेरा निवेदन करना है उपाध्यक्ष महोदय, कि हमने इनके मेडिकल के संबंध में भी वहां पर छः डाक्टर्स लगाए हैं। कम्पाउण्डर्स हैं, दूसरे लोग हैं। कुछ पोस्टें भारत सरकार ने और क्रियेट की हैं और हमने डायरेक्टर आफ मेडिकल को लिखा है कि उसमें जो स्टाफ और मिडवाईफ वगैरा की पोस्टें क्रियेट की हैं जल्दी से जल्दी उस स्टाफ को वहां पर भेज दें और अगर आपके पास में स्टाफ नहीं हो तो दूसरा स्टाफ रिक्रूट करके भेजा जावे। अभी इन कैम्पों में डाक्टर लोगों की कमी है। हालांकि आठ डाक्टर्स की पोस्ट्स हैं लेकिन छः डाक्टर ही काम कर रहे हैं और दो डाक्टरों की कमी हैं पोस्टों के हिसाब से। अभी कुछ ही दिनों पहले मेरी डाइरेक्टर आफ मेडिकल एण्ड हैल्थ सर्विसेज से बात हुई थी और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि हफ्ते भर के अन्दर दोनों डाक्टरों का पोस्टिंग किया जा रहा है। तो यह कहना कि दवादारू के सम्बन्ध में या महिलाओं की चिकित्सा के लिए बराबर व्यवस्था नहीं है, यह बात भी उचित नहीं है। भारत सरकार को हमने स्कीम बना कर भेजी है जिसमें राजस्थान कैनाल के ऊपर हमने पांच हजार छः सौ फैमिलीज को राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट में बसाने की स्कीम बनाई है, बाड़मेर में पांच सौ फैमिलीज को दुकानें देनें········

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक 31 मार्च, 1975 को दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 7.00 बजे सोमवार दिनांक 31 मार्च, 1975 के म० पू० 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

Page No 160

(१८४)

परिशिष्ट 1

(ता.प्र.सं. 797 के प्रश्न भाग (1) की सूची) (मात्रा टनों में)

क्र०सं० नाम जिला	जनवरी, 75		फरवरी, 75		मार्च, 75	
	गेहूं	मोटा अनाज	गेहूं	मोटा अनाज	गेहूं	मोटा अनाज
1. अजमेर	1555	500	2230	425	2650	400
2. अलवर	410	200	605	100	825	—
3. बांसवाड़ा	123	950	830	700	930	1000
4. बाड़मेर	223	1350	1115	1050	1300	1525
5. भरतपुर	735	150	800	100	1100	—
6. भीलवाड़ा	510	500	1210	350	2300	—
7. बीकानेर	985	1250	1385	800	2150	500
8. बूंदी	192	—	290	—	330	—
9. चित्तौड़गढ़	235	100	305	60	550	—
10. चूरू	670	750	1235	600	1900	700
11. डूंगरपुर	123	950	780	700	930	1000
12. गंगानगर	780	800	1225	—	1400	—
13. जयपुर	2980	200	4005	150	4300	300
14. जैसलमेर	122	1000	490	550	630	450
15. जालौर	122	800	760	500	1138	450
16. झालावाड़	227	—	230	—	300	—
17. झुंझुनूं	420	500	1200	300	1750	450
18. जोधपुर	1620	1150	2545	800	3300	1050
19. कोटा	1185	—	850	—	1400	—
20. नागौर	428	600	1125	375	1350	650
21. पाली	657	1000	1460	600	2100	—
22. सवाई माधोपुर	453	250	610	200	725	—
23. सीकर	578	300	1210	200	1900	750
24. सिरोही	232	600	630	500	900	400
25. टोंक	390	—	550	—	800	—
26. उदयपुर	1025	1450	2325	1100	3050	1000
योग —	15100	14950	30,000	10150	40,000	10325

(169)

परिशिष्ट 2

(ता. प्र. सं. 799 की सूची)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Medical & Pub. Health Department, Gr. III

No. F. 8 (24) Ayurved/72 Jaipur Dated 30 May, 1973

ORDER.

The Governor is pleased to order that a committee consisting of the following be constituted to select an Honorary Advisor in Homoeopathy to the Government of Rajasthan :—

1.	Secretary, Medical and Health	Chairman
2.	Dr. Jugal Kishore Hony. Advisor on Homoeopathy Govt., of India	Member
3.	Director of Ayurved	,,
4.	Dr. A. K. Mukerjee, Jaipur	,,
5.	Dr. S. K. Gaur, Homoeomandiram, Jaipur	,,
6.	Dy. Secretary, Ayurved	,,
7.	Administrator, Homoeopathic Board	,,
8.	Registrar, Board of Homoeopathic Medicine.	,,

The Committee is also authorised to decide upon the principles and procedure for the selection of the Advisor as also the terms and conditions of his appointment, honorarium qualifications etc. and job requirement of the post. The Committee shall give due regard to the qualifications laid down for this post in the Homoeopathy Central Council Bill.

By Order
Sd/-C. B. Gupta
Dy. Secretary to the Government.

Copy forwarded to the :-

(1) All members.

(2) Guard File. Sd-

(160)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Medical & Public Health Department (Group III)

No. F. 8(24) Ayurved/72 *Jaipur, Dated the 18-6-73.*

To

———————————

———————————

Sub. :- Appointment of an Advisor in Homoeopathy to the Government of Rajasthan.

Sir/Madam,

I am Directed to state that a proposal for the appointment of an Advisor in Homoeopathy to the Govt. of Rajasthan is under the consideration of the Govt. For this purpose a committee has been appointed by the Government. This committee, at their meeting held on the 12th June, 1973, has decided that all Homoeopathic Institutions and renowned Homoeopaths. etc. in the state of Rajasthan may be requested to send proposals with respect to persons whom they consider fit for appointment as an Advisor.

You are, therefore, requested kindly to send your proposals so as to reach this Department before the 25th June, 1973. Information in the enclosed performa with respect to each person considered fit by institution for being considered for appointment as an Advisor may kindly be furnished alongwith your proposals.

Yours faithfully,
Sd/-C. B. Gupta
Dy. Secretary.

Performa for sending information with respect to each person proposed for being considered for appointment as an Advisor in Homoeopathy to the Govt. of Rajasthan.

1. Name

2. Date of Birth

3. Father's Name & Permanent Address

4. Academic Qualification

S. No.	Name of the degree/Diploma.	Name of the University, Board, etc.	Year in which qualified.
1	2	3	4

5. Homoeopathic Qualification :-

S. No.	Name of the degree, diploma, certificate etc.	Year of Qualification.	Name of the examining body granting the degree.	No. of years of institutional or other training put in before appearing at the exam.	Name of the educational or instructional instructions where obtained.
1	2	3	4	5	6

6. Whether registered as a Homoeopath with any Homoeopathic Board in India ? If so, the name of the Board, registration No. and the date of registration

7. Details of whole time Homoeopathic practice :-

8.

S. No.	Name of the Hosp./Disp. where employed.	Designation & post at which employed	Period of employment
1	2	3	4

S. No.	Teaching experience :— Name of the educational institution where employed as a teacher	Designation	Period of employment
1	2	3	4

9. Any research experience (Please give details)__________

10. Details of positive contributions made to the development and expansion of the medical science of homoeopathy_____
____

11. Elective or selective posts held with dates :—

S. No.	Name of the institution body organisation etc.	Post held	Nature of duties	Period
1	2	3	4	5

12. Name & Full address of the person making the proposal.____________________________

Date______________

Place______________

Signature of the person making the proposal

Declaration by the person about whom a proposal is made

I hereby solemnly declare that the information contained in the above proposal is true to the best of my knowledge and belief. If appointed, I am prepared to work as an Honorary Advisor in Homoeopathy to the Govt. of Rajasthan.

Signature

Date______________

Place______________

163

परिशिष्ट 3

(ता. प्र. सं. 806 की सूची)

उदयपुर- भीलवाड़ा मार्ग का राष्ट्रीयकरण होने से पहले निजी मोटर मालिकों द्वारा संचालित वाहनों की समय सारिणी

उदयपुर–भीलवाड़ा	भीलवाड़ा-उदयपुर
5-00	5-15
5-50	6-05
7-05 वाया कुरज	6-55
8-45	7-50 वाया कुरज
9-35	9-05
10-50	10-20
11-40	11-05 वाया कुरज
12-30	12-25
13-45 वाया कुरज	13-45
15-00	15-00
15-50 वाया कुरज	16-15
17-05	17-15 वाया कुरज
18-45	18-45

निगम द्वारा संचालित वाहनों की समय सारिणी

1	2
उदयपुर से भीलवाड़ा	भीलवाड़ा से उदयपुर
5-00	5-00 वाया कुरज
5-30 वाया कुरज	6-30
6-15	7-00
7-05	8-00 वाया कुरज
8-40	9-05

(164)

1	2
9-40	9-50
10-20 वाया कुरज	10-25
11-00	11-10 वाया कुरज
11-45	12-30
12-30	13-25
13-30 वाया कुरज	14-10 वाया कुरज
14-30	14-45
15-00 वाया कुरज	15-30
16-00	16-15
17-05 वाया कुरज	17-05 वाया कुरज
18-00	18-00
18-45	18-45

165

परिशिष्ट 4

(ता. प्र. सं. 809 की सूची)

प्रयोजन	सहकारी बैंकों द्वारा		व्यावसायिक बैंकों द्वारा		अभिकरण द्वारा प्रदत्त अनुदान, (लाखों में)
	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	ऋण राशि (लाखों में)	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	ऋण राशि (लाखों में)	
1. पशुपालन					
(क) भैंस	809	12.90	255	3.96	7.38
(ख) गाय	98	0.65	17	0.13	0.28
2. बैल आदि					
(क) बैल	345	3.80	51	0.50	1.33
(ख) बैलगाड़ी	4	0.03	17	0.15	0.03
3. कुए					
(क) नये कुए	326	12.05	33	0.85	2.18
(ख) पुराने कुए	9	0.17	33	0.30	—
4. भेड़ पालन	956	14.68	158	2.52	7.70
5. पम्प सेट	21	0.68	12	0.40	0.35
6. उद्योग (ग्रामीण हस्तकला कार्यक्रम)	—	—	43	0.40	*0.54
7. मुर्गी पालन	11	0.16	20	0.37	0.20
योग	2579	45.12	639	9.58	19.99

* औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को दी गई अनुदान सहित ।

परिशिष्ट 5

(समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

थ्रेशर मशीन

811. श्री केशरी मल (ब्यावर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य कृषि उद्योग निगम ने कुछ थ्रेशर मशीन बनाई थीं जो छोटे साईज की थी इस कारण बिक्री नहीं ? यदि हां, तो ऐसी कितनी मशीनें कब से बनी पड़ी हैं और उनकी लागत पूंजी क्या है ? तथा कोटा में कितनी और जयपुर में कितनी मशीनें हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उससे सुधारे हुये साईज की बड़ी थ्रेशर मशीनें बनाई गईं ? यदि हां, तो मशीनें कितनी बनाईं और कितनी बिकीं और कितनी मशीन अब तक अन बिकी पड़ी हैं ? उसकी लागत कितनी है ? कृपया अलग अलग पड़ी हुई मशीनों का ब्यौरा दें ।

(3) क्या कुछ बैलों से खींचे जाने वाले यंत्र व हाथ से खींचे जाने वाले यंत्र भी जो खेती से संबंधित हैं बनाये थे ? यदि हां, तो कितनी तादाद में और कितनी कीमत के बनाये, कितने बिके और कितने पड़े हैं ? उन पड़े हुये की लागत क्या है ? कोटा में कितने पड़े हैं और जयपुर में कितने ?

उत्तर

1. जी हां, कुल 5 अ. श. (H.P.) को/7 मशीनें सन् 1969 में बनाई थी जिनमें से एक की बिक्री हो सकी है शेष 6 मशीनें पड़ी हैं। इनकी लागत पूंजी प्रति मशीनें 1330.94 है। सभी मशीनें जयपुर में पड़ी हैं ।

2. जी हां। 7.5 अ. श. की 19 एवं 15 अ. श. की 83 मशीनें बनाई गयी थीं। इनमें से 7.5 अ. श. की 12 एवं 15 अ. श. की 68 मशीनें बिकी हुई हैं । शेष 7 मशीनें 7.5 अ. श. की बिना बिके पड़ी हैं। इन मशीनों में 7.5 अ. श. की प्रति मशीन पर लागत 3465.60 रु. एवं 15 अ. श. की प्रति मशीन पर 6513.75 रु. लागत आई है ।

3. जी हां। अतः इनकी बिक्री एवं बचे रहने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

सिघाना में नियुक्त डाक्टर

812. श्री दीपंकर (लाडनूं) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला झुन्झुनूं में सिघाना कस्बे में अभी कौन से डाक्टर कब से कार्य कर रहे हैं ? क्या पहले भी यही चिकित्सा अधिकारी वहां कार्य कर चुका है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त डाक्टर ने सिघाना की जनता से अस्पताल की मरम्मत के नाम पर चन्दा एकत्र किया है ? अगर हां, तो उस रकम का क्या उपयोग किया गया है ?

उत्तर

1. सिघाना में डा. नवाब अली दिनांक 9-4-74 से कार्यरत है । पूर्व में

(169)

(स्वास्थ्य मंत्री)

वह माह दिसम्बर, 1956 से जनवरी, 72 तक सिघाना में कार्य कर चुके हैं।

2. जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

बीकानेर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में चीनी का वितरण

813. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले के ग्रामीण क्षेत्र की चारों तहसीलों की जनता को 1 जनवरी, 1972 से 31 दिसम्बर, 74 तक का हर क्षेत्र का चीनी का कोटा दिया जाता रहा है ? यदि हां, तो किस किस के माध्यम से कब कब कितना कितना कोटा दिया गया ? विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(2) क्या किसी वितरक द्वारा उपरोक्त निर्धारित कोटे का ब्लेक किये जाने के सम्बन्ध में जिले की किसी पंचायत क्षेत्र की जनता की कोई शिकायत सरकार व जिला प्रशासन के सम्बन्धित अधिकारी को पेश हुई है ? यदि हां, तो किस क्षेत्र की जनता व संस्था द्वारा किन किन के खिलाफ पेश हुई तथा उनके सम्बन्ध में सरकार व प्रशासकों द्वारा क्या निर्णय लिये गये ? सम्पूर्ण सूची सदन की मेज पर पूर्ण विवरण सहित प्रस्तुत करें।

(3) क्या सरकार वितरण प्रणाली में कोई परिवर्तन करने या संशोधन करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा से सदन को अवगत करवाया जाये।

उत्तर

1. जी हां। जिस जिस माध्यम से जितना कितना कोटा दिया गया है उसका विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

2. जिस जिस वितरक के विरुद्ध निर्धारित कोटा को ब्लेक करने की शिकायत प्राप्त हुई उनके नाम तथा उन पर चल रही कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

3. राज्य सरकार की नीति वितरण प्रणाली में यथासम्भव सहकारी संस्थाओं को उत्साहित करने की रही है जिस पर निरन्तर जोर दिया जा रहा है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम खेजडोली का औषधालय

814. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) :

श्री बनवारीलाल (धौलपुर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि ग्राम खेजडोली जिला जयपुर में 'ए' श्रेणी आयुर्वेद औषधालय की स्वीकृति हो चुकी है ? तथा पोस्ट की स्वीकृति भी हो चुकी है ? यदि हां, तो उक्त औषधालय में वैद्य की नियुक्ति तथा वित्तीय स्वीकृति कब तक कर दी जायेगी ? अब तक नियुक्ति नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

जी हां। ग्राम खेजडोली जिला जयपुर के 'अ' श्रेणी आयुर्वेदिक औषधालय में श्री द्वारका प्रसाद शर्मा वैद्य प्रथम ग्रेड दिनांक 16-3-72 से कार्यरत हैं।

बेकन फैक्टरी अलवर

815. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अलवर नगर में बेकन फैक्ट्री कब लगाई गई थी ? इसके निर्माण पर अभी तक कितना रुपया खर्च हो चुका है ? भवन मशीनरी, प्रशासन एवं अन्य मदों में अलग अलग सालवार खर्च बताते हुए इसकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस समय इस फैक्ट्री में कुल कितना स्टाफ है ? मजदूर उत्पादन कार्य में कितने लगे हुए हैं और अन्य कार्य में कितने हैं ? प्रशासनिक स्टाफ अलग अलग श्रेणी में कितना है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इस फैक्ट्री में अभी तक सालाना कितना उत्पादन हुआ है ? इस उत्पादन का सालाना मूल्य कितना है ? कृपया सालवार आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(4) इस फैक्ट्री के उत्पादित मांस को कहां कहां बेचा गया है ? बिक्री से सालाना मूल्य प्राप्ति कितनी कितनी हुई है ? सालवार आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(5) इस फैक्ट्री से सालाना हानि लाभ कितना कितना हुआ है ? सालवार मानचित्र सदन की मेज पर रखें।

(6) इस फैक्ट्री पर सालाना प्रशासनिक खर्च कितना कितना किन किन मदों में है कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या राज्य सरकार के पास इस फैक्ट्री की प्रगति रिपोर्ट सालाना प्रस्तुत होती है ? क्या इस फैक्ट्री की प्रगति के संबंध में मंत्री स्तर या मंत्री मंडल स्तर पर कभी विचार हुआ है ? यदि हां, तो कब-कब और क्या क्या निर्णय लिए गए ?

(8) इस फैक्ट्री को चालू किस उद्देश्य से किया गया था ? इस फैक्ट्री को लगाने का निर्णय किसने और कब तथा किस आधार पर लिया था ?

(9) क्या सरकार यह महसूस नहीं करती कि इस फैक्ट्री को लगाने का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है ?

उत्तर

1. अलवर में बेकन फैक्ट्री वर्ष 1969-70 में लगी। इसके निर्माण मशीनरी, व प्रशासन में खर्च की सूची "क", सदन की मेज पर रख दी गई है।

2. इस समय उक्त फैक्ट्री में लगे स्टाफ व मजदूरों की सूची "ख" सदन की मेज पर रख दी गई है।

3. इस फैक्ट्री में सालाना उत्पादित मांस व उससे प्राप्त मूल्य की सूची "ग", सदन की मेज पर रख दी गई है।

4. इस फैक्ट्री में उत्पादित मांस को राजस्थान, उत्तर-प्रदेश, देहली में बेचा गया। बिक्री से प्राप्त मूल्य की सूची "ग" सदन की मेज पर रख दी गई है।

5. सालाना आय व व्यय की सूची "घ", सदन की मेज पर रख दी गई है।

6. प्रशासनिक खर्च की सूची "ङ", सदन की मेज पर रख दी गई है।

(पशुपालन मन्त्री)

7. जी हां। विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट में अन्य विषयों के साथ इस फैक्ट्री के बारे में भी विवरण होता है। इस फैक्ट्री की प्रगति के बारे में कैबिनेट स्तर पर दिनांक 21-2-70, 2-1-72 एवम् 26-9-73 को विचार किया गया। दिनांक 26-2-70 को केबिनेट द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस फैक्ट्री के विषय में भारत सरकार को लिख दिया जावे कि राज्य सरकार इसको अपने स्तर पर चलाने के पक्ष में नहीं है। यदि भारत सरकार इसे नहीं लेना चाहे तो इसे निजी संस्था को लीज पर दे दिया जावे।

दिनांक 2-12-71 को कैबिनेट ने यह निर्णय लिया कि इस फैक्ट्री को बजाय बेकन माण्ड के मीट प्रोसेसिंग फैक्ट्री के रूप में चलाये जाने के संबंध में और अधिक परीक्षण कर लिया जावे। इस फैक्ट्री को किसी प्राईवेट पार्टी को लीज पर देने के सम्बन्ध में जो विज्ञापन निकाले गये थे उससे और आसान शर्तों पर देने के सम्बन्ध में पुन: विज्ञापन किया जावे।

इसके बाद दिनांक 26-9-73 को विचार-विमर्श करके कैबिनेट ने इस फैक्ट्री को संयुक्त मांस संयंत्र के रूप में चलाने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया।

8. इस फैक्ट्री को लगाने का निर्णय राज्य सरकार ने वर्ष 64 65 में केन्द्रीय सरकार की मोडल योजनानुसार लिया। इसको चालू करने का मुख्य उद्देश्य शूकर पालकों को प्रोत्साहन व खाद्य समस्या में योगदान था।

9. फैक्ट्री की प्रारम्भिक रूपरेखा में सफलता नहीं मिल पाई इसी वजह से इसका स्वरूप बदला गया है।

सूची 'क'

Year Wise Expenditure of Pig Breeding Farm-Cum Bacon Factory Alwar.

Year	Establishment & other charges	Capital Expenditure	Expenditure on equipment
1	2	3	4
1964-65	0.72	16.82	16.88
1965-66	3.81		
1966-67	2.26		
1967-68	4.39		
1968-69	4.11		
1969-70	2.26		
1970-71	0.98		
1971-72	1.03		
1972-73	1.22		
1973-74	1.35		
	Total 22.13	16.82	16.88

सूची 'ख'

इस समय फैक्ट्री में लगे स्टाफ व मजदूरों की सूची

क्रम संख्या	नाम पद	पद संख्या
1.	महा प्रबन्धक	1
2.	मांस निरीक्षक	1
3.	वरिष्ठ लिपिक (भण्डार)	1
4.	कनिष्ठ लिपिक	2
5.	रेफ्रीजेरेशन मैकेनिक	1
6.	पम्प ड्राईवर	1
7.	ड्राईवर	1
8.	ग्रेडर	1
9.	अटेन्डेन्ट	1
10.	चौकीदार	2
11.	चपरासी	2
12.	दैनिक वेतन मजदूर	6

सूची 'ग'

बेकन फैक्ट्री में उत्पादित मांस व उससे प्राप्त मूल्य की सूची

वर्ष	उत्पादन मांस	आय
1969-70	2,000 Kg.	5,786.12
1970-71	25 Pigs.	5,425.50
1971-72	12,035 Kg.	34,150.00
1972-73	13,600 Kg.	33,676.40
1973-74	19,038. 500 Kg.	55,910.00
1974-75 (Feb. 75)	15,787 Kg. 2,303 Kg. Sheep-Goats. 1,750 Poultry.	67,331.13

सूची 'घ'

आय व व्यय के ब्यौरे की सूची

वर्ष	खर्च	आमदनी	विवरण
1969-70	2,26,607.26	5,786.12 —(—)	2,20,821.14
1970-71	88,775.78	5,485.50 —(—)	93,350.28
1971-72	1,00,478.10	34,150.00 —(—)	69,380.10
1972-73	1,22,443.96	33,676.40 —(—)	88,772.56
1973-74	1,35,225.66	55,910.00 —(—)	79,315.63

सूची 'ङ'

प्रशासनिक खर्च वर्ष 73-74, बेकन फैक्ट्री अलवर

1.	Pay of Officer.	8,490.00
2.	Pay of Establishment.	12,319.19
3.	Allowance & Hon.	20,173.09
4.	Other charges.	94,243.35
	Total	1,35,225.63

(172)

निदेशक के पास विभाग की गाड़ी

816. श्री रामकिशन (भरतपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन विभाग का एक वाहन निदेशक महोदय के घर पर हमेशा रहता है जब कि नियमानुसार वाहन दौरों के अलावा स्वास्थ्य यातायात संगठन में ही रहना चाहिये ? यदि नहीं, तो क्या सरकार भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के द्वारा उक्त वाहन की एक्जेक्ट एन्ट्री संगठन के गेट रजिस्टर से कराने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अमरसर (जिला जयपुर) का एक वाहन लगभग 7/8 वर्ष से मेसर्स माथुर मोटर कम्पनी जयपुर में पड़ा हुआ है जिसको वापिस लेने की कार्यवाही अब तक विभाग ने नहीं की और स्वास्थ्य मंत्री ने गत वर्ष आश्वासन दिया था कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जावेगी ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

1. निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को विभागाध्यक्ष होने के नाते, अल्प सूचना पर राजकीय कार्य से सचिवालय, अस्पताल, विभिन्न डिस्पेन्सरीज व अन्यत्र जाना पड़ता है अतः इस कार्य के लिये सरकारी गाड़ी का उपयोग करते हैं। यह कार केवल सरकारी कार्य हेतु ही काम में ली जाती है। उपरोक्त कार्य हेतु कार के उपयोग की स्वीकृति का मामला सामान्य प्रशासन विभाग के विचाराधीन है।

2. जी हां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अमरसर (जयपुर) का एक वाहन माथुर मोटर कम्पनी, जयपुर में पड़ा हुआ है। उसे वापिस लेने के लिये भरसक प्रयत्न करने के बावजूद वाहन वापिस नहीं मिल सका। अतः दिनांक 19-2-75 को कोर्ट केस दायर कर दिया है।

बाड़ी में चीनी की कालाबाजारी

817. श्री रामलाल (बाड़ी) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या यह सही है कि बाड़ी तहसीलमें 128 बोरी चीनी जो कि जनता में बंटनी थी श्री कृष्ण मोहन माथुर भूतपूर्व तहसीलदार बाड़ी ने डीलर से मिलकर काला बाजारी की ? यदि हां, तो इस मामले में राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ? क्या सरकार अब इस क्षेत्र की जनता को भी चीनी बांटेगी ?

उत्तर

इस सम्बन्ध में मामला पुलिस के सुपुर्द किया जा चुका है तथा पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही है।

जहां तक तहसीलदार, श्री कृष्ण मोहन माथुर के द्वारा की गई किसी अनियमितता का सम्बन्ध है इस बारे में अतिरिक्त जिलाधीश, धौलपुर द्वारा जांच किये जाने पर उनकी Supervisory negligence बतलाई गई है। राजस्व मण्डल अजमेर में उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु लिखे जाने पर अब उक्त तहसीलदार को चार्जशीट नियम 16 राजस्थान सी० सी० ए. रूल्स के तहत दी गई है।

(खाद्य मंत्री)

क्षेत्र के नियमित आवंटन के अनुसार उपलब्धि होने पर शक्कर वितरण किया जायगा।

आदिवासी क्षेत्र के विकास की योजना

818. श्री चेतराम (टोडाभीम) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि राज्य सरकार ने पंचम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आदिवासी क्षेत्रों के विकास की उपयोजना का प्रारूप तैयार किया है? यदि हां, तो क्या यह प्रारूप स्वीकार कर लिया गया है?

(2) उक्त प्रारूप एवं योजना पर कितनी धनराशि किस किस साल में व किस किस मद में खर्च की जावेगी? दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन संदर्भ में इस योजना पर कितना कितना व्यय होगा?

(3) इस योजना में कौन कौन से क्षेत्र शामिल किये गये हैं और इसमें जनसंख्या का कितना प्रतिशत आदिवासी होगा तथा अनुसूचित जाति एवं अन्य का क्या प्रतिशत होगा? क्या सरकार द्वारा आदिवासियों पर खर्च करने की इस योजना पर गैर आदिवासी लाभान्वित नहीं होंगे और आदिवासियों का पैसा दूसरे आदमियों पर खर्च नहीं होगा?

(4) क्या यह सच है कि आदिवासियों के आबादी बिखराव के कारण विद्युतिकरण रूढ़ीवादिता, सामाजिक बंधन व्यवसायिक बद्धता आदि के कारण इस योजना पर होने वाला खर्च गैर आदिवासियों को मिलेगा? यदि हां, तो उसका क्या प्रतिशत है?

उत्तर

1. जी हां, उप योजना का प्रारूप अभी विचाराधीन है।

2. चूंकि उप योजना का प्रारूप अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है अतः उक्त योजना में कितनी धनराशि किस वर्ष में किस मद में खर्च की जावेगी यह अभी निश्चित रूप से बताया जाना संभव नहीं है।

3. प्रस्तावित उप योजनान्तर्गत सामूहिक लाभ के कार्यक्रमों में आदिवासियों के अतिरिक्त अन्य लोग भी लाभान्वित हो सकते हैं लेकिन जिन योजनाओं में व्यक्ति का अभिज्ञान (आईडेन्टीफाई) किया जा सकता है ऐसी सभी योजनाओं का लाभ केवल आदिवासियों को ही मिलेगा।

4. जी नहीं। समन्वित विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आदिवासियों को अधिकतम लाभ दिया जावेगा।

जिला जालोर में डेयरी का विकास

819. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि जिला जालोर में दुग्ध की डेयरी विकास का बड़ा भारी स्कोप है? अगर हां, तो डेयरी उद्योग विकास के बारे में सरकार द्वारा अभी तक क्या क्या योजनायें हाथ में ली गई हैं एवं भविष्य में क्या क्या योजनायें हाथ में ली जावेंगी?

(2) क्या यह सत्य है कि रानीवाड़ा के प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी द्वारा एक डेयरी

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

लगाई जा रही है ? अगर हां, तो कौनसी कितनी बड़ी डेयरी लगाई जा रही है ? इस डेयरी का कार्य कब तक शुरू कर दिया जावेगा ?

(3) क्या यह सत्य है कि उक्त डेयरी द्वारा सरकार से भूमि केटल ब्रीडिंग फार्म के लिये एवं अन्य सहायतायें मांगी हैं ? अगर हां, तो क्या क्या सहायता किन किन शर्तों पर मांगी गई है ? क्या सरकार द्वारा उक्त मांगी गई सब सुविधायें उक्त कम्पनी को प्रदान कर दी गई हैं ? अगर हां, तो कब ? अगर नहीं, तो कब तक सुविधायें दे दी जावेंगी ?

उत्तर

1. जी हां। जालोर जिले में दुग्ध के डेयरी विकास कार्यक्रम को देखते हुए प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी को डेयरी लगाने के लिये अनुमति दी गई है। वर्तमान में राज्य सरकार डी० पी० ए० पी० के अन्तर्गत पशु-धन की नस्ल के सुधार हेतु कार्यक्रम हाथ में लेने का विचार कर रही है और इसके लिये परियोजना तैयार की जा रही है।

2. जी हां। रानीवाड़ा में मैसर्स इण्डियन डेयरी एन्टरीपेन्योअर्स एग्रीकल्चर कम्पनी लिमिटेड द्वारा एक डेयरी लगाई जा रही है। इस डेयरी का आकार 100000 लीटर दूध प्रतिदिन हैंडिल करने का होगा। इस डेयरी का कार्य कब से शुरू किया जा सकेगा, यह उक्त कम्पनी ही बता सकती है।

3. जी हां। कम्पनी द्वारा एक हजार बीघा भूमि डेयरी फार्मिंग हेतु तथा 78 बीघा 7 बिस्वा डेयरी भवन कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र आदि निर्माण के लिये मांगी गई है। भवन एवं केटिल ब्रीडिंग कार्य के लिये मांगी गई भूमि सरकार द्वारा कम्पनी को प्रदान कर दी गई है। इस प्रकार सरकार से मांगी गई सहायतायें दी जा चुकी हैं।

होम्योपैथिक चिकित्सालय बाड़मेर

820. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर): क्या मन्त्री आयुर्वेदिक यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भारत सेवक समाज की ओर से चल रहे होम्योपैथिक चिकित्सालय बाड़मेर को राज्य से कितनी राशि अनुदान के रूप में मिल रही है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त होम्योपैथी चिकित्सालय के कार्य और रोगी संख्या को देखते हुए यह अनुदान की राशि अपर्याप्त है ?

(3) क्या आयुर्वेद विभाग इस वर्ष 74–75 में अनुदान की राशि को बढ़ा कर उक्त चिकित्सालय की वाजिब मांग की पूर्ति कर सकेगा ?

उत्तर

1. भारत सेवक समाज की ओर से चल रहे होम्यो० चिकित्सालय, बाड़मेर को वर्ष 1973–74 में 5570-00 रुपये की अनुदान राशि दी गई थी एवं इस वर्ष 1974-75 में नियमानुसार 5450·00 अनुदान राशि स्वीकृत की जा चुकी है।

2. जी नहीं। इस चिकित्सालय की रोगी संख्या एवं अनुमोदित व्यय के आधार पर अनुदान स्वीकृत किया गया है।

(मन्त्री आयुर्वेदिक)

3. जी नहीं। अनुदान नियम 1972 के अन्तर्गत इस संस्था को दी जाने वाली अनुदान राशि से अधिक राशि दिया जाना सम्भव नहीं।

मकान बनाने हेतु सहायता के लिए प्रार्थना-पत्र

821. **श्री सुरेशचन्द्र** (कोटपूतली) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटपूतली नगरपालिका क्षेत्र के कितने हरिजनों के मकान बनाने के लिये सहायता प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र विभाग में पेश किये गये ? सूची पूर्ण विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त प्रार्थना-पत्र पेश हुए एक वर्ष से भी अधिक हो गया है, और अभी तक सहायता देने की स्वीकृति नहीं दी गई है ? यदि हां, तो क्या इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृति दे दी जावेगी ?

उत्तर

1. कोटपूतली नगरपालिका क्षेत्र के 33 हरिजनों ने दिनांक 25-3-74 को तथा 16 हरिजनों ने दिनांक 2-4-74 को मकान सहायता हेतु अपने प्रार्थना पत्र जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी जयपुर के कार्यालय में प्रस्तुत किये जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

2. वित्तीय वर्ष 1973-74 में प्राप्त होने वाले 33 प्रार्थना पत्रों में कमियां होने के कारण उन्हें पूर्ति हेतु वापस लौटाया गया। वित्तीय वर्ष 1974-75 में हरिजनों के भवन निर्माण हेतु अनुदान स्वीकृत करने के लिये विभाग के बजट में कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि केन्द्रीय सरकार ने इस वर्ष से यह योजना समाप्त कर दी है।

(178)

कोटपूतली नगरपालिका क्षेत्र के 1973-74 में मकान सहायता हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की सूची

क्रम संख्या	नाम आवेदक	पिता का नाम	जाति
1	2	3	4
1	श्री लीलाराम	श्री भूधरराम	मन्थी
2	,, रामजीलाल	,, सीलूराम	,,
3	,, बनारसीलाल	,, भूलाराम	,,
4	,, मुन्शीलाल	,, रामजीलाल	,,
5	,, बाबूलाल	,, सूरडाराम	,,
6	,, बनवारीलाल	,, हरनाराम	,,
7	,, भूलाराम	,, हरनाराम	,,
8	,, भोलाराम	,, लीलाराम	,,
9	,, लालचन्द	,, लीलाराम	,,
10	,, सोहनलाल	,, सीलूराम	,,
11	,, बोदनराम	,, हरनाराम	,,
12	,, भोलाराम	,, बन्शीधर	,,
13	,, सन्तरा	,, रामअवतार	,,
14	,, हरिराम	,, मनभूल	,,
15	,, मसदीलाल	,, जोहरीमल	,,
16	,, किशनलाल	,, प्रसादीलाल	,,
17	,, हीरालाल	,, भोलाराम	,,
18	,, दुलीचन्द	,, दीनाराम	,,
19	,, ज्वालाराम	,, गुलाराम	,,
20	,, किशनलाल	,, लक्ष्मण	,,
21	,, बन्शीधर	,, मन्नूराम	,,
22	,, कैलाशचन्द	,, दीनाराम	,,
23	श्रीमती सारली	पत्नी स्व० श्री ग्यारसीराम	,,
24	श्री राम औतार	श्री लीलाराम	,,
25	श्रीमती मनमरी	पत्नी श्री मनभूल	,,
26	,, भोरीदेवी	पत्नी श्री पूरणडाराम	,,
27	श्री बाबूलाल	श्री सोहनलाल	,,
28	,, गुलजारीलाल	,, छाजूराम	,,
29	,, चन्द्रपाल	,, निरंजनलाल	,,

1	2	3	4
30	श्रीमती नत्थो	पत्नी श्री निरंजनलाल	मंत्री
31	श्री विष्णु	श्री मीठूराम	"
32	" मामराज	" छाजूराम	"
33	" ताराचन्द	" सूरजमल	"
34	" श्री किशन	" इतवारी	"
35	श्रीमती फूली	पत्नी मालसिंह	"
36	" प्रेम	" भूरेलाल	"
37	श्री बनवारीलाल	श्री चन्द्रराम	"
38	श्रीमती मीरां	पत्नी बसन्तकुमार	"
39	" पिस्ता	पत्नी स्व० खेमचन्द	"
40	श्री श्रीकिशन	श्री रामप्रसाद	"
41	" शम्भूदयाल	" चन्द्रराम	"
42	" मामराज	" रेखाराम	"
43	" सत्यनारायण	" शंकरलाल	"
44	" जगदीश	" दाताराम	"
45	" रामअवतार	" रामेश्वर	"
46	" सुकदेव	" सन्तराम	"
47	" रामू	" प्रसादी	"
48	" कैलाश	" सन्तराम	"
49	" नत्थूराम	" लालूराम	"

छबड़ा में कृषि उपज मंडी

822. श्री जगमोहन सिंह (छबड़ा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि कस्बा छबड़ा (जिला कोटा) छबड़ा तहसील का कृषि उपज के विक्रय का मुख्य केन्द्र है लेकिन अभी तक यहां पर कृषि उपज मण्डी कायम नहीं की गई है ?

(2) क्या इस तहसील में कृषि उपज मण्डी कायम किए जाने की कार्यवाही विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक कृषि उपज मण्डी कायम कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां यद्यपि वहां पृथक से कृषि उपज मण्डी स्थापित नहीं की गई है, परन्तु वहां का माल पास की नियमित मंडियों में बेचने के लिये लाया जाता है।

(2) छबड़ा में पृथक से मुख्य मण्डी अथवा गौण मण्डी स्थापित करने के प्रश्न पर कार्यवाही जारी है, और आशा है निकट भविष्य में कार्यवाही पूरी हो जायेगी।

ग्राम जसवन्तपुरा में चिकित्सा की सुविधा

823. श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जालौर जिले का ग्राम जसवंतपुरा पंचायत समिति का मुख्यावास है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम बड़ी आबादी वाला ग्राम है और इस स्थान पर सेकेन्डरी स्कूल, बेसिक शिक्षक ट्रेनिंग केन्द्र एवं पुलिस थाना भी है ?

(3) यदि हां, तो उक्त महत्वपूर्ण स्थान पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु क्या सरकार शीघ्र डिस्पेन्सरी खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) वर्ष 1974-75 में कितनी डिस्पेन्सरियां किस किस स्थान पर किस-किस आधार पर खोली गई हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखावें।

उत्तर

(1) जी हां

(2) यहां की जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार 2873 है। यहां सैकेण्डरी स्कूल है। अन्य की जानकारी विभाग को नहीं है

(3) वर्तमान में यहां आयुर्वेदिक औषधालय संचालित है।

(4) वर्ष 74-75 में 25 नवीन आयुर्वेदिक औषधालय खोले गये हैं जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। निम्न आधारों को नवीन औषधालय खोलने के समय ध्यान में रखा जाता है :-

1. निःशुल्क भवन व्यवस्था
2. ग्राम की जनसंख्या
3. पांच मील की परिधि में अन्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न होना आदि।

(179)

वर्ष 1974-75 में खोले गये नवीन औषधालय

आयुर्वेदिक

1–	सामलिया	बांसवाड़ा तहसील	बांसवाड़ा
2–	कुचौली	कुम्भलगढ़ ,,	उदयपुर
3–	बेंडवर	खेतड़ी (भुवानी) ,,	झुन्झुनु
4–	हसासरी	झुन्झुनु ,,	,,
5–	खियासरिया	शेरगढ़ ,,	जोधपुर
6–	टेपू	श्रोसीना ,,	,,
7–	बम्बोरी घाटा	आसीन्द (छीपाबड़ौद) ,,	कोटा
8–	आवडसादा	श्रोसीना ,,	भीलवाड़ा
9–	साईबाड	जमुवारामगढ़ ,,	जयपुर
10–	नागलभरडा	गोविन्दगढ़ ,,	,,
11–	अणतपुरा	,, ,,	,,
12–	छापडा खुर्द	बैराठ ,,	,,
13–	फागी	दूदू ,,	जयपुर
14–	जस्सुसर	बीकानेर ,,	बीकानेर
15–	गोगागेट	,, ,,	,,
16–	थावरिया	नोखा ,,	,,
17–	कोलासर	कोलायत ,,	,,
18–	लोहेरा	नहरी क्षेत्र	,,
19–	खाखारा	,,	,,
20–	मोहनमगरिया	,,	गंगानगर
21–	जोरावरपुरा	,,	,,
22–	चाहूवाले	,,	,,

यूनानी

1–	बिसनिया	कोटड़ी तहसील	भीलवाड़ा
2–	तातागढ़	भरतपुर ,,	भरतपुर
3–	दूदिया	बाड़मेर ,,	बाड़मेर

(180)

झालावाड़ जिले में परिवार नियोजन का लक्ष्य

824. श्री ओंकारलाल चौहान (डग, झालावाड़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या जिला झालावाड़ में वर्ष 1974-75 में परिवार नियोजन के लक्ष्य पूरे कर लिये हैं ? यदि हां तो कब तक कितने आपरेशन्स महिलाओं व पुरुषों के हुए हैं ? प्रत्येक पंचायत समिति के आंकड़े मय नाम की सूची सदन को मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

जी नहीं । जिला झालावाड़ में वर्ष 1974-75 में परिवार नियोजन के 1330 बन्ध्याकरण के लक्ष्य आवंटित किये गये, जिनमें जनवरी, 75 तक 285 बन्ध्याकरण किये गये । जिनमें से 155 पुरुष नसबन्दी एवं 130 महिला नसबन्दी की गई है । शहरी क्षेत्र तथा पंचायत समितियों के आंकड़ों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई ।

Page No 183

(181)

सूची शहरी क्षेत्र

	पुरुष नसबन्दी	महिला नसबन्दी	कुल योग
1– झालावाड़	26	75	101
2– पाटन अस्पताल	6	36	42
3– भवानी मण्डी अस्पताल	7	19	26
शहरी क्षेत्र का योग	39	130	169

सूची ग्रामीण क्षेत्र

पंचायत समितियों की प्रगति मय नाम	पुरुष नसबन्दी	महिला नसबन्दी	कुल योग
1– झालरापाटन	29	—	29
2– खानपुर	20	—	20
3– मनोहरथाना	4	—	4
4– डग	26	—	26
5– पिड़ावा	22	—	22
6– बकानी	15	—	15
ग्रामीण क्षेत्र योग	116	—	116
कुल योग	155	130	285

वैद्यों का रजिस्ट्रेशन

825. श्री हनुमान सहाय व्यास (बैराठ) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि इण्डियन मेडिसन बोर्ड एवं राजस्थान मेडिसन बोर्ड द्वारा वैद्यों को पंजीकृत किया जाता है ? यदि हां, तो किन किन नियमों के तहत ?

(2) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार द्वारा वैद्यों के रजिस्ट्रेशन हेतु बोर्ड का गठन किया हुआ है ? यदि हां तो कब से ? अब तक कुल कितने वैद्यों का रजिस्ट्रेशन हुआ है ?

(3) क्या यह सच है कि रजिस्ट्रेशन के नियमों के अनुसार अनुभवी वैद्यों का बिना परीक्षा प्रमाण-पत्र रजिस्ट्रेशन किया गया है ? यदि हां, तो किस वर्ष तक किया गया और कितने वर्षों से रजिस्ट्रेशन हेतु अनुभवी वैद्यों के प्रार्थना पत्र तथा फीस जमा है और उनके रजिस्ट्रेशन किस कानून से नहीं किये जा रहे हैं।

उत्तर

1. जी हां । नियम सं० 32, 34 व 36 के अन्तर्गत ।

2. जी हां । सन्-1933 में बोर्ड का गठन हुआ था । अब तक कुल 10892 वैद्यों का पंजीयन हुआ है ।

3. जी हां । यह रजिस्ट्रेशन 20-9-1968 तक किया गया । 3-10-68 से रजिस्ट्रेशन हेतु अनुभवी वैद्यों के प्रार्थना-पत्र तथा फीस जमा है । चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आदेश क्र. एफ 8 (3) आयुर्वेद/65/चिकित्सा दिनांक 10-10-68 के कारण यह रजिस्ट्रेशन नहीं लिये जा रहे हैं ।

डूंगरपुर जिले में परिवार नियोजन स्वास्थ्य सहायकों के रिक्त पद

826. श्री महेन्द्रकुमार (गोड़वा) :

श्री रामचन्द्र रोत (चौरासी) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे -

(1) डूंगरपुर जिले में परिवार नियोजन स्वास्थ्य सहायकों के कितने पद रिक्त हैं ? क्या यह सही है कि इन रिक्त स्थानों पर कुछ लोगों को नियुक्त किया गया था ? यदि हां, तो क्या ये व्यक्ति अभी तक इन रिक्त पदों पर कार्य कर रहे हैं ? यदि नहीं तो उन्हें किन कारणों से पृथक कर दिया गया है ? कारण सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) इन रिक्त पदों पर अनुसूचित जाति एवं जन जाति के किसी भी व्यक्ति को क्यों नही नियुक्ति किया गया ? क्या राज्य सरकार नियुक्ति देने वाले अधिकारी के खिलाफ इस अनियमितता के खिलाफ कोई कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

1. जिला डूंगरपुर में स्वास्थ्य सहायकों के 2 पद रिक्त हैं । पूर्व में (सन् 1973) में जिला डूंगरपुर में 10 पद परिवार नियोजन स्वास्थ्य सहायकों के रिक्त थे ? जिन पर जनवरी 73 में अस्थाई नियुक्तियां दी गई थीं । जिनमें से दो कर्मचारी ने तो त्याग पत्र दे दिया था तथा 4 कर्मचारियों को अस्थाई सेवाओं को लक्ष्य

(चिकित्सा मंत्री)

पूर्ति नहीं होने के कारण राज्य सेवा से पृथक कर दिया गया तथा चार कर्मचारियों ने अपना स्थानान्तरण करवा लिया। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

2. इन पदों पर अनुसूचित जाति एवं जन जाति के चार व्यक्तियों की नियुक्ति की गई जो निम्न प्रकार हैं:—

1. श्री मानाराम (अनुसूचित जाति)
2. श्री विजयपाल कटारा (अनुसूचित जनजाति)
3. श्री मांगीलाल मीणा (अ. सू. जनजाति)
4. श्री अमृतलाल परमार (अ. सू. जाति)

सूची

जिला डूंगरपुर में वर्ष 1973 में परिवार नियोजन स्वास्थ्य सहायकों की नियुक्ति

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	नियुक्ति तिथि	त्यागपत्र की तिथि	विशेष
1.	श्री माणक लाल पाटीदार	22-1-73	1-3-73	
2.	श्री हरिहर नाथ भट्ट	24-1-73	31-5-73	
	लक्ष्य प्राप्ति न होने के कारण राज्य सेवा से पृथक किए गए कर्मचारी			
1.	श्री अमृतलाल परमार (अनुसूचित जनजाति)	23-1-73	30-6-73	
2.	श्री सूर्यकान्त शर्मा	24-1-73	30-6-73	
3.	श्री रमणलाल चौबीसा	24-1-73	30-6-73	
4.	श्री रघुनाथसिंह	24-1-73	30-6-73	
	स्थानान्तरण			
1.	श्री गौतमलाल पाटीदार	24-1-73	7-5-73	मेडिकल पक्ष में क. लि. के पद पर नियुक्ति के कारण डूंगरपुर में ।
2.	श्री हरिश्चन्द्र जोशी	24-1-73	24-4-73	मेडिकल पक्ष में वरिष्ठ मलेरिया निरीक्षक के पद पर नियुक्ति के कारण उदयपुर में
3.	श्री विजयपाल कटारा (अनुसूचित जनजाति)	—	18-11-74	उदयपुर में मलेरिया वर्कर के पद पर
4.	श्री मांगीलाल मीणा अनुसूचित जनजाति	—	13-6-64	स्थानान्तर
	कार्यरत कर्मचारी			
1.	श्री बंबलाल शर्मा	19-6-70	19-6-70	
2.	श्री मानाराम (अनु.सु. जाति)	13-10-70	13-10-70	

डीग चिकित्सालय

827. श्री करण सिंह (डीग) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला भरतपुर में डीग चिकित्सालय के दवाइयों के प्रावधान में कब व कितनी बढ़ोतरी की गई है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालय का दवाई का बजट सन् 1949 से एक सा ही चला आ रहा है ।

(3) क्या राज्य सरकार उक्त चिकित्सालय में लेडी डाक्टर देने की व्यवस्था करेगी ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालय में एक्सरे मशीन को लगे करीब 8 साल हो गये हैं मगर 8 साल में कोई भी एक्सरे नहीं लिया गया है जबकि उक्त चिकित्सालय में टेक्नीशियन मौजूद है ?

अगर हां, तो क्या वजह है कि एक्सरे मशीन 8 साल से बेकार पड़ी हुई है और टेक्नीसियन व अन्य स्टाफ को तनख्वाह बिना किसी काम के दी जा रही है ?

उत्तर

1. उक्त अस्पताल में दवाइयों के मद में जिन वर्षों में बढ़ोतरी की गई वह धनराशि निम्न प्रकार है :—

वर्ष	प्रावधान
1963-64	6,000
1965-66	7,000
1970-71	9,000
1974-75	23,000

2. जी नहीं ।

3 जी हां ।

4. जी हां । कुछ उपकरणों के अभाव में उक्त अस्पताल की मशीन द्वारा केवल ट्रेनिंग का कार्य लिया जा रहा है ।

श्री डूंगरगढ़ में भंडार का निर्माण

828. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या खाद्य एवं नागरिक रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राज्य सरकार श्री डूंगरगढ़ जिला चुरू में खाद्य निगम की ओर से भंडार बनाना उचित समझती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

खाद्य निगम की ओर से श्री डूंगरगढ़ में आवश्यकता को देखते हुए वर्तमान में भंडार बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

अडिग्रीधारी चिकित्सकों की संख्या

829. श्री गिर्राज प्रसाद तिवारी (बयाना) क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) राजस्थान मे ऐसे चिकित्सक जो एलोपैथिक साइन्स के अनुभव के आधार पर चिकित्सा कर रहे हैं और उनके पास किसी विश्वविद्यालय या इन्स्टीट्यूट की डिग्री डिप्लोमा नहीं है, की संख्या कितनी है?

(2) राजस्थान में चिकित्सा कर रहे ऐसे अडिग्रीधारी किन्तु अनुभवी चिकित्सकों के लिये राज्य सरकार क्या सोच रही है ?

(श्री गिर्राज प्रसाद तिवाड़ी)

(3) राज्य सरकार ने एक नोटीफिकेशन संख्या एफ. 1 (31) (128) एम. पी. एच. 159 जी. आर. 11 दिनांक 7 जुलाई, 1964 को निकाला जिसके तहत इन डाक्टरों को अस्थायी रिलीफ दी गई है को स्थाई बनाने में राज्य सरकार क्यों देरी कर रही है ?

(4) केन्द्रीय सरकार एवं देश की सर्वोच्च सत्ता पार्लियामेन्ट से क्रमशः पत्र संख्या 4-6-70 एवं दिनांक 24-11-72 में दस साल के प्रेक्टिशनरों के रजिस्ट्रेशन करने के सुझाव पर राजस्थान सरकार क्या निर्णय ले रही है ?

(5) राज्य में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक साईन्स के बोर्डों का गठन हुआ एवं जिस प्रकार अनुभव के आधार पर रजिस्ट्रेशन होकर आगे प्रतिबन्ध लगा दिया है उसी प्रकार इन अडिग्रीधारी एलोपैथिक डाक्टरों का दस साल तक के अनुभव के आधार को लेकर क्यों नहीं एक अलग बोर्ड बना कर सबका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता ।

उत्तर

1. राज्य सरकार ने कोई सर्वे नहीं कराया है ।

2. मामला सरकार के विचाराधीन है तथा इस सम्बन्ध में भारत सरकार से पत्र व्यवहार चल रहा है ।

3. मामला सरकार के विचाराधीन है । स्थायी रिलीफ के बाबत भारत सरकार से सलाह करने के बाद ही कार्यवाही की जावेगी ।

4. मामला सरकार के विचाराधीन है ।

5. मामला सरकार के विचाराधीन है ।

गन्ने की खेती

830. श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उदयपुर संभाग में 1974-75 में कुल कितने एकड़ में गन्ने की खेती की गई ? क्या एक ही शक्कर मिल इस सब गन्ने की खरीद के लिये पर्याप्त है ?

(2) क्या सरकार को यह मालूम है कि पर्याप्त खरीद नहीं होने से किसानों को इस बार बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है ?

(3) क्या यह सही है कि गन्ना समय पर न उठने तथा खेत खाली न होने से किसान चाहते हुए भी दूसरी फसल नहीं बो पाते हैं, तथा बहुफसली कृषि कार्यक्रम रुका पड़ा है ? यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या योजना है ।

(4) क्या यह सही है कि जब एक मिल सारा गन्ना नहीं खरीद सकती तो सम्भव है अगले वर्ष कृषक गन्ने की खेती बन्द कर दें ? यदि हां, तो क्या उनको होने वाले नुकसान के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कोई जांच करवाई है ?

(5) उक्त सब परिस्थितियों को देखते हुए क्या राज्य सरकार निकट भविष्य में सार्वजनिक या सहकारी क्षेत्र में कोई दूसरा शक्कर का कारखाना डालने की योजना

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

रखती है ? यदि नहीं तो क्या सहकारी क्षेत्र में खण्डसारी बनाने के लाइसेन्स देने का विचार रखती है ?

उत्तर

1. उदयपुर संभाग में वर्ष 1974-75 में अनुमानित 32,000 एकड़ (13,000 हैक्टर) मे गन्ने की खेती की गई है। इस क्षेत्र में से अनुमानित 25,000 एकड़ (10,000 हैक्टरस) क्षेत्र चीनी मिल के सुरक्षित क्षेत्र में है। इस वर्ष मिल के सुरक्षित क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन मिल की क्षमता से अधिक है।

2. जी हां।

3. जी, नहीं। उत्तरी भारत में चीनी मिलों की कार्य करने की अवधि करीब 150 दिन की होती है। मिल का कार्य सामान्यतया माह नवम्बर के मध्य से मई के प्रथम पखवाड़े तक रहता है। अत: मिल के समूचे सुरक्षित क्षेत्र के गन्ने की कटाई एक साथ होना सम्भव नहीं होता है।

4. जी, हां। मिल द्वारा समस्त गन्ना नहीं खरीदे जाने पर इसका प्रभाव अगले वर्ष गन्ने के आगे बोये जाने वाले क्षेत्र पर पड़ता है। राज्य सरकार वस्तुस्थिति का समय समय पर अध्ययन करवाती रही है।

5. जी नहीं, मिल का सुरक्षित क्षेत्र घटाकर सहकारी क्षेत्र में खण्डसारी बनाने के लिये सरकार लाईसेन्स देने का विचार रखती है।

प्राईवेट प्रेक्टिस बन्द करने से प्राप्त राशि

831. श्री विजयसिंह राठौड़ (मांडल): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज के पे क्लीनिक से सरकार को जब से प्राईवेट प्रेक्टिस बन्द की तब से 31 जनवरी, 1975 तक कुल कितनी रकम मिली उनमें से कितनी रकम डाक्टरों को दी गई ?

(2) उक्त कॉलेज के डाक्टरों को प्राईवेट प्रेक्टिस बन्द करने के कारण स्पेशल-पे या अलाउन्स 31 जनवरी, 1975 तक कितना देना पड़ा ?

उत्तर

1. दिनांक 31 जनवरी, 1975 तक कुल 1,27,510/= रुपये प्राप्त हुई इस राशि में से रु० 63,755/= की राशि का भुगतान डाक्टरों को देय है।

2. 31 जनवरी, 1975 तक नान प्रेक्टिस अलाउन्स के रूप में 66,064/= का भुगतान पाने के डाक्टर अधिकारी है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 20-3-75)

प्राईवेट बस मालिकों पर यात्री कर की बकाया राशि

644. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के प्राईवेट बस मालिकों में सन् 1962 से 1974 तक कितना यात्री कर बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) उक्त बकाया यात्री कर कब तक वसूल कर लिया जायेगा ?

(स्थगित किया गया)

Page No 190

(128)

परिशिष्ट-6

(अता. प्र. सं. 511 की सूची)

सूची 1

(अ) समाज कल्याण निदेशालय में कार्यरत अधिकारियों की कुल संख्या तथा अनुसूचित जाति व जन जाति के व्यक्तियों की संख्या।

क.सं.	वर्ग	कुल संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति
1–	अधिकारी गण	14	—	—
2–	अधीनस्थ कर्मचारी	31	3	—
3–	मंत्रालियक	83	6	—
4–	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	34	8	2

(ब) समाज कल्याण विभाग में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों की कुल संख्या तथा अनुसूचित जाति व जन जाति के व्यक्तियों की संख्या।

क्रम संख्या	नाम श्रेणी	कुल पद	अनु० जाति	अनु० जन जाति	अन्य	प्रतिशत अनु. जाति	प्रतिशत जन जाति
1–	राजपत्रित	69	3	1	65	4.33	1.4
2–	अधीनस्थ	79	7	6	66	8.8	7·5
3–	सहायक अधीनस्थ	220	70	14	136	31.81	6.36
4–	मंत्रालियक	207	35	4	168	16.95	1.92
5–	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	682	123	79	455	19.00	12.00

राज्य सेवाओं में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जन जातियों के वास्तविक प्रतिनिधित्व के वर्ष 1-4-70 से 31-9-74 के आंकड़े निम्न प्रकार हैं:-

वर्ष	राजपत्रित					अधिनस्थ					लिपिक					चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी				
	कुल नियोजन	अनु. जाति	अनु. जन जाति	अनु. जाति का प्रतिशत	अनु. जन जाति का प्र.	कुल नियोजन	अनु. जाति	अनु. जन जाति	अनु. जाति का प्रतिशत	अनु. जन जाति का प्र.	कुल नियोजन	अनु. जाति	अनु. जन जाति	अनु. जाति का प्रतिशत	अनु. जन जाति का प्र.	कुल नियोजन	अनु. जाति	अनु. जन जाति	अनु. जाति का प्र.	अनुसूचित जन जाति का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1970-71	529	52	26	9.8	4.9	2335	175	132	7.5	5.7	1059	167	34	15.7	3.2	2098	645	297	37.70	14.2
1971-72	473	74	39	15.6	8.2	2163	172	122	7.9	5.7	881	83	29	9.3	3.3	1312	328	125	25.00	9 5
1972-73	288	34	13	12.1	4.6	3690	346	159	9.1	4.3	835	115	34	13.7	4.0	924	289	80	31.2	8.6
1973-74	70	2	16	2.8	22.8	1114	132	123	11.8	11.0	1140	152	69	13.3	6.1	617	119	48	19.3	7.8
1974-75 (1-4-74 से 30-9-74 तक)	9	4	—	44.4	—	84	2	5	2.4	5.95	23	5	3	21.8	13	12	3	6	25.0	50.0

अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों की दिनांक 1-4-70 से 30-4-74 तक पंजीकरण, नियुक्ति, एवं बेरोजगार सम्बन्धी सूचना

क्र. सं.	योग्यता	पंजीकरण संख्या		विभाग से भेजे गये नामों की संख्या		नियुक्ति की गई संख्या		दिनांक 1-5-74 को बेरोजगारों की संख्या	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1-	स्नातकोत्तर	222	164	101	61	55	27	167	137
2-	स्नातक	540	173	152	118	90	24	450	149
3-	मैट्रिक	1802	281	1537	201	18	4	1784	125
4-	नोनमैट्रिक	1243	138	1582	207	45	13	1198	125
	योग	3807	756	3372	587	208	68	3599	686

परिशिष्ट-7

(म. ता. प्र. सं. 518 की सूची)

विवरण रेफरेन्स केसेज जो दिनांक 1-4-74 को इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के समक्ष विचाराधीन थे

सन् 1957	5
सन् 1958	1
सन् 1959	1
सन् 1962	1
सन् 1963	1
सन् 1964	2
सन् 1965	3
सन् 1966	6
सन् 1967	3
सन् 1968	9
सन् 1969	10
सन् 1670	34
सन् 1971	32
सन् 1972	52
सन् 1973	80
योग	240

परिशिष्ट-8

(अता. प्र. सं. 521 की सूची)

क्रमांक	मार्ग का नाम	निर्णय
1.	कोटा कनवास सारोला तक बढ़ाने	वास्ते सर्वेक्षण।
2.	कोटा कनवास वाया घुलेट पनवाड इरगिढ बाघेर	प्राधिकार द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।
3.	कोटा धानाहेड़ा सांगोद तक वाया नारिया शामपुरा डबारिया सुमर।	स्वीकृति प्रदान करदी गई।
4.	बांरा छीपाबड़ोद वाया अटरु से वाया अटरु काला तालाब एटोन मालपुरा।	अस्वीकृत, अन्य मार्गों के अतिक्रमण के कारण।
5.	बांरा नाहरगढ़ वाया किशनगंज जलवाडा से वाया किशनगढ भंवरगढ़।	अस्वीकृत, पर्याप्त यात्री बसों की संख्या होने के कारण।
6.	कोटा सारोला वाया नारिया शामपुरा सांगोद से वाया धानाहेड़ा सांगोद बपावर सुमर।	अस्वीकृत। राष्ट्रीयकृत मार्ग धानाहेड़ा से सांगोद बपावर आने के कारण अस्वीकृत किया गया।

———

193

परिशिष्ट-9

(अता. प्र. सं. 523 की सूची)

क्र. सं.	नाम रिटेलर	क्षेत्र जहां रिटेलर नियुक्त था।	हटाये जाने का कारण	अन्य व्यवस्था की गई
1.	श्री छियाराम अधिकृत विक्रेता धनकोली	धनकोली	चीनी वितरण में अनियमितता पाई जाने पर दिनांक 5-7-73 को हटाया गया।	ग्राम सेवा सहकारी समिति धनकोली को दिनांक 5-7-73 से अधिकृत विक्रेता नियुक्त किया गया।
2.	गुलाबचन्द्र पुत्र गणेशी राम माली साकीन डीडवाना	वार्ड नं. 11 डीडवाना	विक्रेता द्वारा चीनी चोरी जाने की रिपोर्ट पुलिस में झूठी दर्ज कराने के आरोप में हटाया गया। दिनांक 4-12-74 को।	श्री मोतीराम पुत्र जीगाराम बलाई को नियुक्त दिनांक 22-1-75 को किया गया।
3.	श्री सतनाराम अधिकृत विक्रेता खरेश।	खरेश	अनियमिततायें बढ़ती जाने के कारण हटाया जाकर दिनांक 10-10-74 को अन्य विक्रेता केसराराम नियुक्त किया गया।	दिनांक 10-10-74 को श्री केसराराम मेघवाल को नियुक्त किया गया।
4.	श्री गंगाराम पुत्र दोलाराम दूदोली	दूदोली	सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां नागौर द्वारा उक्त सहकारी संस्था को उठाने की सिफारिश की गई। दिनांक 26-11-74 को।	दिनांक 5-12-74 को ग्राम सेवा सहकारी समिति दूदोली के व्यवस्थापक हरदीस राम को नियुक्त किया गया लेकिन उक्त आदेश को दिनांक 21-12-74 को संशोधित किया जाकर श्री बींजाराम पुत्र सूरजाराम भाड़ी निवासी ठाकरियास को नियुक्त किया गया।
5.	श्री हरदीन राम पुत्र आसाराम जाट खाखोली	खाखोली	वितरण व्यवस्था में अनियमिततायें पाई जाने पर दिनांक 12-12-74 को हटाया गया।	श्री बनाराम को नियुक्त किया गया।
6.	श्री बन्नाराम अ. विक्रेता खारखोली।	खाखोली	वितरण व्यवस्था में अनियमितता पाई जाने के कारण हटाया गया।	दिनांक 13-2-75 को श्री लालूराम पुत्र बिरदाराम बलाई को नियुक्त किया गया।

क.सं.	नाम रिटेलर	क्षेत्र जहां रिटेलर नियुक्त था	हटाये जाने का कारण	अन्य व्यवस्था की गई
(7)	श्री धुमानाराम पुत्र गिरधारी राम हरोड़ा निवासी अगून्ता ।	आगून्ता	वितरण व्यवस्था में भेद-भाव बरतने के कारण व अनियमिततायें बरतने के कारण उप खण्ड अधिकारी डीडवाना द्वारा दिनांक 10-7-74 को श्री नारायण राम निवासी बड़ोद को नियुक्त करने हेतु प्रस्तावित किया जिससे उसके स्थान पर नारायण राम को नियुक्त किया गया ।	दिनांक 23-8-74 को श्री नारायण राम को नियुक्त किया गया ।
(8)	श्री नारायणदास निवासी बुड़ोद ।	आगून्ता	उप खण्ड अधिकारी डीडवाना द्वारा विक्रेता के विरुद्ध राशन कार्डों का फर्जी इन्द्राज किया जाना आदि अनियमिततायें बतलाने पर दिनांक 12-12-74 को हटाया गया ।	ग्राम सेवा सहकारी समिति लोरोली पंचायत आगुन्ता को अस्थाई तौर पर नियंत्रित वस्तुएं दी जाने के निर्देश उप खण्ड अधिकारी डीडवाना को दिनांक 12-12-74 का दिये गये क्योंकि पूर्व में यह सहकारी संस्था 1972 में अधिकृत विक्रेता नियुक्त थी लेकिन प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा बरक्त निरीक्षण अनियमिततायें बतलाने पर उक्त संस्था के विरुद्ध विभागीय जांच शुगर डीलर लाईसेंसिग आर्डर 1967 के तहत कार्यवाही जारी की गई थी जिसका निपटारा नहीं हुआ था और उसे न तो हटाया ही गया था और न उसे निलंबित किया गया था अतः वैसी स्थिति में उसे सप्लाई दी जाने के

आदेश जारी किये गये। उक्त सहकारी संस्था लोरोली अधिकृत विक्रेता आगुन्ता पंचायत क्षेत्र के लिये कार्य कर रहीं थी बाद में दिनांक 20–12–72 को जब सभी 36 विक्रेताओं की नियुक्ति बाबत प्रस्ताव भेजे गये उसमें इस सोसायटी के स्थान पर अन्य श्री गुमानाराम का नाम प्रस्तावित कर दिया गया। इस प्रकार सोसायटी लोरोली को ही सप्लाई पुनः देनी शुरू कर दी गई। व यह आदेश दिया गया कि जब तक इस सहकारी संस्था ग्राम सेवा सहकारी समिति लोरोली के विरुद्ध चल रही विभागीय कार्यवाही के निपटारा होने तक यह व्यवस्था अस्थाई तौर की गई व शीघ्र विभागीय कार्यवाही निपटाने के आदेश दिये जायं।

परिशिष्ट–10

(अता. प्र. सं. 526 की सूची)

व्यक्ति/कर्मचारी का नाम	पुरानी रियासत में कार्य प्रारम्भ करने की तिथि		सिविल महकमों में स्थानान्तरण करने की तिथि एवं वर्तमान कार्यालय में नौकरी करने की तिथि		जन्म तारीख	
	रियासत	तिथि			मिलट्री सर्विस में	सिविल महकमों में
1–एल. सा. बंसल कार्यालय अधीक्षक कृषि निदेशालय, जयपुर	बीकानेर राज्य मिलट्री सर्विस	प्राप्त सूचना के आधार पर यह निर्धारित होता है कि वास्तव में मिलट्री सर्विस 1-12-1938 से प्रारम्भ की परन्तु एक्टिव सर्विस का लाभ दिए जाने के फलस्वरूप नियुक्ति तिथि 1-12-1934 मानी गयी।	9–5–1947 से 6–1–1950	रूरल री-कान्स-ट्रक्शन विभाग बीकानेर स्टेट	प्रमाणित अभिलेख उपलब्ध नहीं है।	16–6–1921
			7–1–1950 से अब तक	कृषि विभाग, राजस्थान, सरकार		

परिशिष्ट—11

(अता. प्र. सं. 527 की सूची)

जयपुर जिले के आयुर्वेदिक औषधालयों की श्रेणीवार सूची

क्र०सं०	औषधालय नाम	श्रेणी
1.	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, खेजड़ोली	'अ'
2.	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय माधोविलास जयपुर	,,
3.	सेठ बम्बईवाला राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय जयपुर	,,
4.	राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय ब्रह्मपुरी जयपुर	'बी'
5.	,, आसलपुर	,,
6.	,, बधाला	,,
7.	,, माहपुरा	,,
8.	,, कालवाड़	,,
9.	,, कोटखावदा	,,
10.	,, शिवदासपुरा	,,
11.	,, माधोराजपुरा	,,
12.	,, गीजगढ़	,,
13.	,, मनोहरपुर	,,
14.	,, इटावाभोपजी	,,
15.	,, गोविन्दगढ़	,,
16.	,, मानपुर	,,
17.	,, सिकन्दरा	,,
18.	,, दांतिल	,,
19.	,, देवीपुरा	,,
20.	राज० आयु० औष० लाखना	'बी'
21.	,, राणावास	,,
22.	,, सचिवालय जयपुर	'सी'
23.	,, प्रवास भवन जयपुर	,,
24.	,, वनजारा बस्ती जयपुर	,,
25.	,, नाहरी का नाका जयपुर	,,
26.	,, आदर्शनगर, जयपुर	,,
27.	,, खातीपुरा	,,
28.	,, दुर्गापुरा	,,
29.	,, जामडोली	,,
30.	,, रेणवाल किशनगढ़	,,
31.	,, जोबनेर	,,
32.	,, अचरोल	,,
33.	,, नरेना	,,
34.	,, बिचुन	,,
35.	,, साखून	,,
36.	,, बगरु	,,
37.	,, चन्दवाजी	,,
38.	,, भानपुरी माचेड	,,
39.	,, बगवाड़ा	,,
40.	,, सावारानी जी	,,
41.	,, आंधी	,,
42.	,, गठवाड़ी	,,
43.	,, डागरवाड़ा	,,
44.	,, धुला	,,
45.	,, भानपुरकला	,,
46.	,, महगी	,,

(१९८)

राज० आयुर्वेदिक चिकित्सालय

47.	राज० आयु० औष०	रायसर	'सी'
48.	,,	करणसर	,,
49.	,,	कालज	,,
50.	,,	खण्डेल	,,
51.	,,	डूंगरी	,,
52.	,,	बाघावास	,,
53.	,,	मादवा	,,
54.	,,	भैसावा	,,
55.	,,	भोजपुरकला	,,
56.	,,	मण्डाभीमसिंह	,,
57.	,,	लालासर	,,
58.	,,	सूरमलिकपुरा	,,
59.	,,	हरसोली	,,
60.	,,	उगरियावास	,,
61.	,,	गुडाबेरसल	,,
62.	,,	दूदू	,,
63.	,,	बोराज	,,
64.	,,	भरवा	,,
65.	,,	सावरदा	,,
66.	,,	यहुला	,,
67.	,,	सेवा	,,
68.	,,	कलवाड़ा	,,
69	,,	दौतली	,,
70.	,,	भाघरोटा	,,
71.	,,	मोडाना	,,
72.	,,	श्योपुर	,,
73.	,,	सोरासरना	,,
74.	,,	जयसिंहपुरा सोर	,,
75.	,,	धानकिया	,,
76.	,,	नायलबैसा बोहरा	,,
77.	राज.आयु.औष.	छापड़ा खुर्द	'सी'
78.	,,	पचार	,,
79.	,,	बेगस	,,
80.	,,	सिरसी	,,
81.	,,	काशीपुरा	,,
82.	,,	कानोता	,,
83.	,,	ग्वालिनी	,,
84.	,,	जटवाड़ा	,,
85.	,,	देवगांव	,,
86.	,,	लूंगा	,,
87.	,,	बांसाखो	,,
88.	,,	सामरिया	,,
89.	,,	कुम्हारियावास	,,
90.	,,	कोधून	,,
91.	,,	सेजडीबुजुर्ग	,,
92.	,,	गरुड़वाली	,,
93.	,,	चन्दलाई	,,
94.	,,	तोतरिया	,,
95.	,,	निगोड़हा	,,
96.	,,	स्माहेडी	,,
97.	,,	चकवाड़ा	,,
98.	,,	चांदमाला	,,
99.	,,	चित्तोडा	,,
100.	,,	निभेडा	,,
101.	,,	महेन्द्रवाल	,,
102.	,,	रेवनारायाजी	,,
103.	,,	चतरपुरा	,,
104.	,,	मुण्डोता	,,
105.	,,	रायथल	,,
106.	,,	निम्हड	,,

राज० आयुर्वेदिक चिकित्सालय

107. ,, भाग 'सी'
108. ,, गाडोरज ,,
109. ,, राजनौता ,,
110. ,, नायन ,,
111. ,, अमरपुरा ,,
112. ,, आटोकला ,,
113. ,, उदयपुरीया ,,
114. ,, किसनमानपुरा ,,
115. ,, हिनोई ,,
116. ,, चोथवाडी ,,
117. ,, घोकलाई ,,
118. ,, निवासा ,,
119. ,, बांसा ,,
120. ,, भूतेड़ा ,,
121. ,, महारकला ,,
122. ,, महिजा ,,
123. ,, मठमिन्डा ,,
124. ,, मलिकतुर ,,
125. ,, सिगोद ,,
126. ,, सामोद ,,
127. ,, डुडटेश ,,
128. ,, तिगरिया ,,
129. ,, मांमलगोविन्दगढ़ ,,
130. ,, हाथनोदा ,,
131. ,, तोंहरवाडा ,,
132. ,, गुमानपुरा ,,
133. ,, चान्देरा ,,
134. ,, ठिकसेरा ,,
135. ,, दुधो ,,
136. ,, बहसबेहा ,,
137. राज.आ.औ. भण्डारी 'सी'
138. ,, करोती ,,
139. ,, कालासोह ,,
140. ,, कालमान ,,
141. ,, टोरडा ,,
142. ,, पाथरेडी ,,
143. ,, पनियाला ,,
144. ,, पांचूडाला ,,
145. ,, बनार ,,
146. ,, बनेटी ,,
147. ,, मोमाधास ,,
148. ,, मोहनपुरा ,,
जोधपुरा
149. ,, शुक्लावास ,,
150. ,, सांटेडा ,,
151. ,, सुजातनगर ,,
152. ,, मोरवा ,,
153. ,, चिमनपुरा ,,
154. ,, भैंसलाना ,,
155. ,, पुपपुरा ,,
156. ,, वागावासअहिरान ,,
157. ,, वटोविया ,,
158. ,, भामोद ,,
159. ,, तुशकना ,,
160. ,, कुहाडा ,,
161. ,, मोरालाडरवानी ,,
162. ,, सोरो ,,
163. ,, जवानपुरा ,,
164. ,, ढाणीसूरजमल ,,
165. ,, तालवी ,,

166	रा.आयु औष.	भैवड़ी	'सी'
167.	,,	पानीता	,,
168.	,,	नौरंगपुरा	,,
169.	,,	घोली	,,
170.	,,	बिसवाडी	,,
171.	,,	बाडीओडो	,,
172.	,,	बिलान्दपुर	,,
173.	,,	भागद	,,
174.	,,	सेटकावास	,,
175.	,,	किशनगढ़	,,
176.	,,	शिवसिहपुरा	,,
177.	,,	हणुत्या	,,
178.	,,	हणुतपुरा	,,
179.	,,	करौरी	,,
180	,,	मराजया	,,
181.	,,	करणाबर	,,
182.	,,	गुडलिया	,,
183.	,,	गुधाकटला	,,
184.	,,	पनावड	,,
185.	,,	बीकाई	,,
186.	,,	बैजूपाडा	,,
187.	,,	भासानेरी	,,
188.	,,	लोटवाड़ा	,,
189.	राज.आ.औ.	बडियालकला	'सी'
190.	,,	आसूदा	,,
191	,,	कुण्डल	,,
192.	,,	मथारायजी	,,
193.	,,	पारेडा	,,
194.	,,	तोसरवाड़ा	,,
195.	,,	पापडदा	,,
196.	,,	बनियाना	,,
197.	,,	मलवास	,,
198.	,,	सवाण	,,
199.	,,	सैथल	,,
200.	,,	भडेसरा	,,
201	,,	डीडवाना	,,
202	,,	तलावगांव	,,
203	,,	दौलतपुरा	,,
204	,,	बिलौना	,,
205	,,	बगडी	,,
206	,,	मण्डावरी	,,
207	,,	रामगढ़ पछवारा	,,
208	,,	राहूवास	,,
209	,,	साईवाड	,,
210	,,	नागलभरडा	,,
211	,,	भगतपुरा	,,

(201)

परिशिष्ट-12

(अता. प्र. सं. 530 की सूची)

तालिका

वर्ष	वजन	कीमत
70-71	9,86,827	52,01,470
71-72	8,85,570	47,45,167
72-73	7,11,790	54,17,941
73-74	10,73,305	1,21,21,190
74-75 दिसम्बर 74 तक	4,27,960	38,83,147

तालिका (ब)

क्रम संख्या	वर्ष	ऊन का मूल्य जो दिया गया	पूंजी पर ब्याज की दर	ब्याज की राशि	अन्य खर्च	बिक्री से प्राप्त धन राशि	लाभ व हानि	विशेष विवरण
1.	70-71	52,01,470	10¼%	2,55,713	8,71,803	54,22,740	4,62,670 हानि	1. लेखों का महालेखागार द्वारा अभी तक निरीक्षण नहीं हुआ है. विभाग द्वारा तैयार लेखों के आधार पर सूचना दी गई है।
2.	71-72	47,45, 67	,,	3,52,171	7,75,013	58,50,753	3,27,790 ,,	
3.	72-73	54,17,941	,,	2,16,967	7,87,546	69,62,503	4,51,907 लाभ	2. शुद्ध लाभ हानि उस ऊन की कुछ लागत के हिसाब से आंकी गई है बिक चुकी है।
4.	73-74	1,21,21,190	6% व 3%	3,55,434	7,13,748	99,02,723	9,84,859 ,,	
5.	74-75	38,83,147	9% व 4½%	अभी तक फाईनल नहीं हुआ		35,81,989	—	

Page No 205

(203)

परिशिष्ट—13

(मता० प्र० सं० 532 की सूची)

क्र. सं.	नाम स्टाकिस्ट	सीमेन्ट की मात्रा 73–74	सीमेन्ट की मात्रा 74–75	फैक्ट्री जहां से सीमेन्ट उठाई गई।
1.	न्यू बिजनेस को-ओपरेशन बून्दी	126 टन	329 टन	ए.सी.सी. फैक्ट्री, लाखेरी
2.	बलदेव बजरंगलाल, लाखेरी	620.5 टन	558 टन	—
3.	लाखेरी सीमेन्ट वर्क्स सहकारी समिति लाखेरी	342.5 टन	210 टन	—
4.	देवराज हथेली राम, बून्दी	50.5 टन	12.5 टन	सीमेन्ट फैक्ट्री, सवाई माधोपुर
5.	मधुसुदन शर्मा, बून्दी	10 टन	43 टन	बिरला सीमेन्ट वर्क्स, चित्तौड़।
6.	राजेन्द्र ट्रेडिंग कम्पनी बून्दी	12 टन	—	सीमेन्ट फैक्ट्री, उदयपुर

नोट :—मैसर्स बलदेव बजरंगलाल लाखेरी ने अपने सब स्टॉकिस्ट मैसर्स राजमल शान्तीलाल नेनवों को वर्ष 73–74 व 74–75 में क्रमश: 99 टन व 156 टन सीमेन्ट तथा क्रय विक्रय सहकारी समिति के० पाटन को वर्ष 74–75 में 36 टन सीमेन्ट विक्रय करने हेतु दिया।

Page No 206

(204)

भाग 5 की सूची—

क्र.सं.	दिनांक	परमिट धारी का नाम	सीमेंट की मात्रा थैलों में	सीमेंट स्टोकिस्ट का नाम जहां से सीमेंट प्राप्त किया	कार्य
1	2	3	4	5	6
		वर्ष 73-74			
1.	5-10-73	दिगम्बर जैन पंचायत दवाखाना	50	बलदेव बज-रंगलाल लाखेरी	संस्था
2.	15-10-73	स्टेट वेयर हाऊसिंग बून्दी	100	,,	राजकीय
3.	16-10-73	शंकर उद्योग बून्दी	150	,,	उद्योग
4.	23-10-73	शंकर सीतात्व गोविन्दपुरा बावड़ी	100	,,	,,
5.	24-10-73	पूर्णमल जाजू बून्दी	70	,,	व्यक्तिगत
6.	17-11-73	जगन्नाथ शर्मा, जयपुर	100	,,	,,
7.	27- 1-74	केवल कृष्ण भाटिया बून्दी	100	,,	,,
8.	30- 1-74	नगरपालिका बून्दी	200	,,	संस्था
9.	10- 2-74	शंकर सीतात्व गोविन्दपुरा बावड़ी	100	,,	उद्योग
10.	29- 2-74	रामावतार खेड़ली	100	,,	व्यक्तिगत
11.	28- 2-74	जय नारायन खेड़ली	80	,,	,,
12.	28 -2-74	प्रधानाध्यापिका उच्च मह्रा. बून्दी	127	,,	राजकीय
13.	16- 3-74	उप मुख्य वन संरक्षक कोटा	200	,,	,,
14.	23- 3-74	सेव बिल्डिंग मेटेरियल एजेन्सी के. पाटन	100	,,	व्यक्तिगत
15.	29- 3-74	जिला कृषि अधिकारी बून्दी	100	,,	राजकीय
16.	,,	,,	150	,,	,,
17.	21- 6-73	क्रय विक्रय सहकारी समिति बून्दी	20	सीमेंट वर्क्स स.स. लाखेरी	संस्था
18.	,,	अधिशासी अभियन्ता बून्दी	400	,,	राजकीय
19.	11-10-73	भैरूलाल भैरपुरा	100	,,	व्यक्तिगत
20.	,,	बालचन्द भैरपुरा	200	,,	,,

1	2	3	4	5	6
21.	10-10-73	मांगीलाल भैरुपुरा	50	सीमेंट वर्क्स स.स. लाखेरी	व्यक्तिगत
22.	23-10-73	माडॅन एग्रीकल्चर फार्म	50	,,	,,
23.	,,	अशोक इन्डस्ट्रीज बड़ा नया गांव	50	,,	उद्योग
24.	15- 1-74	बैजनाथ महाजन बून्दी	50	,,	व्यक्तिगत
25.	25- 1-74	केवल कृष्ण भाटिया बून्दी	50	,,	,,
26.	13- 2-74	कन्जरवेटर फोरेस्ट चम्बल प्रोजेक्ट, कोटा	200	,,	राजकीय
27.	14- 2-74	बद्री प्रसाद के. पाटन	65	,,	व्यक्तिगत
28.	,,	शिव बिल्डिंग मेटेरियल एजेन्सी के. पाटन	65	,,	,,
29.	11- 3-74	भू-संरक्षण अधिकारी चम्बल प्रोजेक्ट, परियोजना कोटा	200	,,	राजकीय
30.	13- 3-74	ब्रजनाथ सक्सेना तालेडा	50	,,	व्यक्तिगत

मई 74-75

				सीमेंट वर्क्स स.स.	
1.	4- 4-74	उत्तमचन्द गर्ग बून्दी	50	लाखेरी	व्यक्तिगत
2.	5- 4-74	केशव क्रय विक्रय सहकारी समिति के० पाटन	190	,,	संस्था
3.	9-12-74	शिवनारायण	60	,,	व्यक्तिगत
4.	10-12-74	कृषि उपज मण्डी के० पाटन	200	,,	संस्था
				बलदेव बजरंगलाल	,,
5.	4- 4-74	कृषि उपज मण्डी बून्दी	200	लाखेरी	,,
6.	,,	,,	100	,,	,,
7.	11- 4-74	प्रेमचन्द कोठारी बून्दी	60	,,	व्यक्तिगत
8.	20- 4-74	सरदारीलाल भाटिया बून्दी	50	,,	,,
9.	12- 6-74	जगदीश कुमार अरोडा बून्दी	50	,,	,,
10.	15- 7-74	बद्रीलाल दाधीच के० पाटन	50	,,	,,
11.	5- 7-74	कुन्दनमल ठेकेदार बून्दी	50	,,	,,
12.	27- 9-74	केवलकृष्ण भाटिया अजीतपुरा	150	,,	,,
13.	28- 9-74	हिन्डोली ओपल पान शक्कर बून्दी	110	,,	उद्योग

1	2	3	4	5	6
14.	28- 9-74	बालापुरा ओपन पान शक्कर फैक्ट्री	110	,,	उद्योग
15.	14-12-74	कृषि उपज मण्डी बून्दी	200	,,	संस्था
16.	31-12-74	क्रय विक्रय संघ बून्दी	200	,,	,,
17.	17- 1-75	छीतर मीना रामचन्द्रजी का खेड़ा	60	,,	व्यक्तिगत
18.	27- 1-75	अधिशासी अभियन्ता बून्दी	400	,,	राजकीय
19.	20- 3-75	के० पाटन शक्कर फैक्ट्री	600	,,	उद्योग
20.	27-11-74	जिला वन अधिकारी बून्दी	100	न्यू बिजनेस को-आपरेशन बून्दी	राजकीय
21.	,,	कृषि उपज मण्डी बून्दी	100	,,	संस्था
22.	9-12-74	,,	100	,,	,,

वर्ष 74-75 में लघु उद्योग के लिये जिला उद्योग अधिकारी द्वारा जारी किये गये परमिटों की सूची।

1.	प्रेमखण्डसारी फैक्ट्री बून्दी	50	न्यू बिजनेस को-आपरेशन बून्दी
2.	जमैतपुरा शक्कर बून्दी	70	,,
3.	अशोक इन्डस्ट्रीज बड़ा नया गांव	50	,,
4.	विष्णू आयल मिल बून्दी	50	,,
5.	विष्णू आयल मिल बून्दी	50	मधुसुदन शर्मा
6.	मुवाल खण्डसारी उद्योग	50	,,

परिशिष्ट 14

अता. प्र. सं. 533 की सूची

क्र.सं.	नाम जिला	1972-73		1973-74		1974-75	
		गेहूं	मोटा अनाज	गेहूं	मोटा अनाज	गेहूं	मोटा अनाज
1	अजमेर	212320	67590	320216	104757	140752	47998
2	अलवर	57230	7210	37640	2120	30500	3360
3	बाड़मेर	35600	22997	87650	89990	34200	97200
4	बूंदी	13300	1065	26575	2730	18399	1520
5	बांसवाड़ा	14330	31970	51510	125520	16240	134100
6	भरतपुर	53342	2150	47000	1968	68235	16538
7	भीलवाड़ा	42800	20250	119900	160690	65700	59500
8	बीकानेर	108990	59130	200370	81530	88643	45510
9	चूरू	130500	62130	214400	75100	77800	25600
10	चित्तौड़गढ़	16720	6970	53400	58216	19220	27700
11	डूंगरपुर	3416	7102	56063	55509	17626	104710
12	गंगानगर	42008	10408	78675	10699	40576	12066
13	जयपुर	161578	18925	333413	24163	331950	24799
14	जोधपुर	279700	31660	228860	5500	177350	67448
15	जैसलमेर	44000	59500	66600	80320	24010	64000
16	जालोर	20630	6132	49100	42500	13570	33552
17	झुंझुनूं	24500	5500	143800	67949	53470	16822
18	झालावाड़	17410	1660	43250	24550	19820	25000
19	कोटा	395602	—	66250	9877	55466	6768
20	नागौर	825000	512000	175622	53275	210600	43760
21	पाली	75396	8236	143196	63272	35700	40699
22	सीकर	72160	35660	139360	82040	60780	12500
23	स० माधोपुर	11260	—	42162	—	19591	10655
24	सिरोही	30710	10530	77030	88010	26730	64780
25	टोंक	1850	—	71815	25038	30675	11372
26	उदयपुर	75276	41263	312970	237940	122750	221600

(208)

परिशिष्ट—15

(अता० प्र० सं० 536 की सूची)

क्रम संख्या	नाम जिला रसद अधिकारी	निलम्बित करने की तारीख	चार्ज शीट देने की तारीख
1.	रामेश्वरलाल पुरोहित	5–3–74	12–12–74

परिशिष्ट- 16

(अता० प्र० संख्या 537 की सूची)

क्र०सं०	तहसील का नाम	रबी			खरीफ
		मेक्सीकन गेहूं	जौ	चना	बाजरा
1.	जयपुर	106.20	10.80	34.86	35.10
2.	आमेर	131.80	3.60	164.00	49.77
3.	गोविन्दगढ़ (आमेर)	146.00	9.90	49.00	34.57
4.	जमवारामगढ़	0.80	—	—	36.21
5.	बैराठ (शाहपुरा)	80.00	—	—	33.82
6.	बैराठ	62.00	—	—	48.61
7.	कोटपूतली	92.40	3.60	10.00	47.75
8.	फुलेरा	157.00	3.60	47.00	32.00
9.	मोजाबाद	18.00	—	50.00	35.88
	योग	794.20	31.50	354.86	353.51
10.	सांगानेर	134.60	7.20	141.10	22.63
11.	दौसा	241.30	3.60	19.00	26.60
12.	बस्सी	169.00	6.30	128.00	24.30
13.	बान्दीकुई	89.40	4.50	12.92	8.10
14.	सिकराय	193.60	—	10.55	—
15.	चाकसू	175.80	4.50	35.82	52.42
16.	लालसोट	251.00	6.30	32.77	4.05
17.	फागी	97.00	4.50	24.00	12.35
	योग	1351.70	36.60	404.16	154.50
	कुल योग	2145.90	68.40	759.02	508.01

(209)

शुद्धि-पत्र

29 मार्च, 1975

स्तम्भ सं.	पंक्ति सं.	अशुद्ध	शुद्ध
12	नीचे से 1	विधायकों	विधायक
13	नीचे से 3	या तो	—
17	नीचे से 10	किसी एक	किसी एक का
21	नीचे से 14	सर्टिफिकेट	सर्टिफिकेट नहीं
21	नीचे से 3	इनके पास	—
26	ऊपर से 9	वनाई जा रही	बनाये जा रहे
36	ऊपर से 7	सूची है	सूची दी है
36	ऊपर से 7	उससे आपके	उससे आपने
74	नीचे से 2	क्षेत्रपति	क्षेत्रपाल
75	ऊपर से 8	,,	,,
91	नीचे से 8	लगाना	कहना
104	ऊपर से 1	हूं	—
107	ऊपर से 13	समाज	समाजवाद
102	नीचे से 10	उसके	उसके अन्दर
123	ऊपर से 10	प्रगति	प्रति
127	नीचे से 5	या	यह
128	नीचे से 10	... कि	—
152	नीचे से 13	जे. पी.	जे. पी. के.
152	नीचे से 12	पर	पत्र
166	नीचे से 2	पुसिल	पुलिस
213	नीचे से 11	छेड़ा	खेड़ा
225	नीचे से 9	आर	अल
244	नीचे से 14	मंत्री	सदस्य
253	ऊपर से 1	आधा	आस्था
257	नीचे से 2	भक्षण	भक्षण पर
352	नीचे से 12	नियुक्ति	नियुक्त
352	ऊपर से 6	पीड़वा	पिड़ावा
354	ऊपर से 1	निम्म	निम्न
357	ऊपर से 15	देखाते	देखते
361	नीचे से 10	तोसावाड़ा	तोसावड़ा